

भारत सरकार


पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट

भाग एक

(खण्ड I और II)

मुख्य रिपोर्ट और सिफारिशें

1980



खण्ड 1

समानता केवल समान लोगों के बीच होती है ।

असमान को समान के बराबर रखना

असमानता की स्थिरता प्रदान


करना है ।

विषय सूची

अध्याय	विषय	पृष्ठ
अध्याय 1 :	मुख्य रिपोर्टें और सिफारिशें	
	राष्ट्रपति की प्रवेशपत्र	iii--v
	प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन और विचारार्थ विषय	vi--viii
	भूमिका	ix--x
अध्याय--1	प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग	1--3
अध्याय--2	कुछ राज्यों में अन्य पिछड़े वर्गों की स्थिति	4--10
अध्याय--3	वर्गीकरण और प्राकड़ा आधार	11--12
अध्याय--4	सामाजिक पिछड़ापन और जाति	13--16
अध्याय--5	जाति का सामाजिक परिवर्तन	17--18
अध्याय--6	सामाजिक न्याय योग्यता तथा विशेषाधिकार	19--21
अध्याय--7	सामाजिक न्याय, संविधान और कानून	22--27
अध्याय--8	उत्तर व दक्षिण में अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण कार्य की तुलना (4 राज्यों का स्थिति अध्ययन)	28--32
अध्याय--9	केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के साध्य (एक समीक्षा)	33--37
अध्याय--10	जनता के साध्य	38--44
अध्याय--11	सामाजिक-शैक्षणिक क्षेत्र सर्वेक्षण तथा पिछड़ेपन के लिए मानदण्ड	45--47
अध्याय--12	अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान	48--50
अध्याय--13	सिफारिशें	51--54
अध्याय--14	रिपोर्ट का सारांश	55--58

अध्याय--2 : परिशिष्ट 1--21

1.	प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन और विचारार्थ विषय	61
2.	राज्य सरकारों/संघ प्रासित क्षेत्रों के लिए प्रस्तावली	62--66
3.	केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों के लिए प्रस्तावली	67--68
4.	सर्वे साधारण के लिए प्रस्तावली	69
5.	आयोग के समक्ष साध्य के लिए उपस्थित हुए संसद सदस्य, जन साधारण और विशेषज्ञों की सूची	70--85
6.	1969--78 में योग्यता के आधार पर भारतीय प्रशासन सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के लिए चुने गए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार	86
7.	केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के हिन्दू और गैर-हिन्दू समुदाय के अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों की पहचान के लिए भेजा गया मापदंड	87
8.	विवरण सं० 1--केंद्रीय सरकारी सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व	88
	विवरण सं० 2--केंद्रीय सरकारी सेवा में अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व	89--90
	विवरण सं० 3--स्वायत्त निकाय, संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में अन्य पिछड़े वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व	91
	विवरण सं० 4--सार्वजनिक उपक्रमों में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व	92
9.	दिनांक 31 मार्च से 18 मई, 1979 तक हुई बैठक में उपस्थित संसद सदस्यों की सूची	93
10.	दिनांक 1 जुलाई से 4 जुलाई, 1980 तक हुई बैठक में उपस्थित संसद सदस्यों की सूची	94--95
11.	आयोग द्वारा दीरा किए गए राज्यों व संघ प्रासित क्षेत्रों की सूची	96
12.	समाजशास्त्रियों के अनुसंधान योजना दल की रिपोर्ट	97--99
13.	विशेषज्ञों के पैनल के सदस्यों की सूची	100
14.	सामाजिक-शैक्षणिक सर्वेक्षण परिवार-तालिका	101--106
15.	सामाजिक-शैक्षणिक सर्वेक्षण ग्राम तालिका	107--110
16.	सर्वेक्षण किए गए ग्राम और अहरी खण्डों की सूची	111--121
17.	सामाजिक शैक्षणिक सर्वेक्षण-परिवार तालिका भरने के लिए शिक्षायत्त	122--127
18.	पिछड़ा वर्ग आयोग का सामाजिक-शैक्षणिक सर्वेक्षण प्राचीण और परिवार तालिकाओं को भरने के लिए अनुसूचित मांगे दस्तावेज	128--129
19.	सामाजिक शैक्षणिक सर्वेक्षण तालिकाओं की समीक्षा के लिए विशेष अनुवेग	130--131
20.	तकनीकी समिति की उपसमिति के सदस्यों की सूची	132
21.	सामाजिक शैक्षणिक सर्वेक्षण-सारणियों की प्रगति सूची	133





B. P. MANDAL, M.P.
CHAIRMAN

Tele. { 386045 (Off)
382135 (Res.)

प्र० शा० संख्या
D. O. No.

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

पिछड़ा वर्ग आयोग
BACKWARD CLASSES COMMISSION
5, Dr. Rajendra Prasad Road,
नई दिल्ली
NEW DELHI
दिनांक 31 दिसम्बर 1980
Dated

आदरणीय राष्ट्रपति जी,

सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा से मुझे आपको यह रिपोर्ट प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।

2. 20 दिसम्बर 1978 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई ने चार अन्य सदस्यों सहित मेरी अध्यक्षता में एक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने की घोषणा की थी। ये सदस्य थे—श्री दिवान मोहन लाल, श्री आर० आर० भोले, श्री दीन बंधु साहु और श्री के० सुब्रमण्यम। संसद के सदन में विचारार्थ विषयों की भी घोषणा की गई थी।

3. हमारे एक सदस्य श्री दीन बंधु साहु ने 5 नवम्बर 1979 को अस्वस्थता के कारण अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था। उनका 7 अक्टूबर 1980 को निधन हो गया। कार्य के बीच में ही, हमें उनकी मूल्यवान सेवाओं से वंचित हो जाने का बहुत खेद है। उनके त्यागपत्र के कारण उत्पन्न रिक्ति में श्री एल० आर० नायक की नियुक्ति की गई।

4. हमने अपना कार्य प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई के 21 मार्च 1979 के उद्घाटन भाषण से प्रारम्भ किया था और 12 दिसम्बर 1980 को भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के समापन भाषण से समाप्त किया।

5. यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि यह आयोग गत जनता सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था तथापि श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने इसकी अवधि न केवल दो बार बढ़ाई बल्कि हमें अपना काम सुचारु ढंग से करने के लिए सभी समर्थन और सहयोग दिया। इससे उनकी उत्पीड़ित, दलित और शोषित वर्गों की दशा सुधारने के लिए निष्ठा और वचनबद्धता विदित होती है।

6. आयोग को अपना कार्य चलाने में अनेक बाधाओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ा जैसे कि जुलाई 1979 में लोकसभा का भंग हो जाना तथा तत्पश्चात् मार्च 1980 में राज्य विधान सभाओं का भंग हो जाना। चूंकि राज्य की मशीनरी चुनाव की तैयारी में लगी थी, इसलिए आयोग के कार्य की गति को धीमा करना पड़ा। आयोग की तीन बार अवधि बढ़ाई गई, पहली तीन महीने की, 1 जनवरी से 31 मार्च 80 तक तथा बाद में दो बार 1 अप्रैल से 30 सितम्बर 80 तक और 1 अक्टूबर से 31 दिसम्बर 80 तक और अवधि बढ़ाई गई। इन सभी बाधाओं और समयाभाव के बावजूद आयोग ने अपना कार्य 2 वर्ष से कम अवधि में पूरा कर लिया।

7. हमारा काम विचारार्थ विषय तक सीमित था, जिसके अनुसार हमें "सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों को परिभाषित करने के लिए मापदण्ड का निर्धारण करना था" तथा इस प्रकार पहचाने गए "सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के उत्थान के लिए किए जाने वाले उपायों की सिफारिश करनी थी।" हमने तदनुसार इन वर्गों की पहचान के लिए मानदण्ड निर्धारित कर दिया है और उनके उत्थान के लिए किए जाने वाले उपायों की सिफारिश की है। हमारी रिपोर्ट में अनुच्छेद 15(4) तथा 16(4) के अन्तर्गत सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के लिए अधिकतम धारक्षण के बारे में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित आवश्यक विधि को भी ध्यान में रखा गया है।

(iv)

8. हमारी रिपोर्ट राज्य के मार्ग में भी बाधक नहीं होगी यदि वे जनता के कमजोर वर्गों जैसे महिलाओं और निधनों और अन्यो के बारे में, जो हमारे विचारार्थ विषय के अन्तर्गत नहीं आते, उत्थान के उपाय करना चाहते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि उनके लिए और आरक्षण करने में कोई रोक नहीं है। उदाहरणार्थ कर्नाटक सरकार ने 48 प्रतिशत सीटें सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के लिए आरक्षित की हैं, जिनमें अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ तथा अन्य पिछड़े वर्ग आते हैं तथा और 18 प्रतिशत आरक्षण दूसरे कमजोर वर्गों के लिए निर्धारित किया गया है। उक्त सरकार के 66 प्रतिशत के कुल आरक्षण को न्यायालय में चुनौती दी गई और उसे उचित ठहराया गया। परन्तु अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के अन्तर्गत अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को किसी अन्य मापदण्ड से संबंधित आरक्षण के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए। सुभाषिणी बनाम राज्य में (ए० आई० आर० 1966 मैसूर-40) यह उचित माना गया था कि "सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की वैधता अनुच्छेद 14 की आवश्यकता के अनुरूप मानी जानी चाहिए थी। ऐसे आरक्षण को अनुच्छेद 15(4) के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए। बालाजी के मामले में दी गई अधिकतम सीमा अनुच्छेद 15(4) के अन्तर्गत किए जाने वाले आरक्षण के अन्तर्गत ही लागू होती है। यह अन्यथा किए गए अन्य किसी आरक्षण को सम्मिलित नहीं करती है।" उत्तर के कुछ राज्यों में, आरक्षण का न्यून से न्यून प्रतिशत इस तरह से जोड़ने के कारण अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के अन्तर्गत आने वाले सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों को नहीं पहुंच पा रहा है।

9. सम्पूर्ण भारत में हमारे व्यापक दौरे के आधार पर जनसामान्य की स्पष्ट प्रतिक्रिया हमें प्राप्त हुई। मैं यह कहना चाहूंगा कि इस देश का पिछड़ा वर्ग हमारी सिफारिशों पर सरकार की अनुकूल प्रतिक्रिया के प्रति बहुत आशावान है। परन्तु हमारे समक्ष समुचित रूप से यह प्रश्न काए व्यक्त की गई है कि यदि मेरे आयोग की रिपोर्ट का भविष्य भी वैसा ही होता है जैसा कि काका कालेलकर आयोग का हुआ है तो सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों की, जो हमारी जनसंख्या का विशाल समूह हैं, समुचित आशाएं और आकांक्षाएं धूल में मिल जाएंगी।

10. 1931 की जनगणना में जाति गणना के आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण हमें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भविष्य में ऐसी कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, इसलिए मैंने 15 जून 1979 और 18 अगस्त, 1979 को क्रमशः सर्वश्री एच० एम० पटेल और वाई० वी० चव्हाण को पत्र लिखा। मैंने गृह मंत्री जानी जैल मिह जी को भी इस बारे में 31 मार्च 1980 को एक पत्र लिखा था। मुझे सूचित किया गया कि यह निर्णय किया गया है कि 1981 की जनगणना के दौरान जाति की गणना नहीं की जाएगी। और भारतीय जनगणना में भी जाति की गणना न करने की वर्तमान नीति को जारी रखा जाएगा जिस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।

11. हमें यह आशा थी कि हम आपको सर्वसम्मत रिपोर्ट पेश करेंगे और आयोग के सभी सदस्य इस बात पर सहमत थे परन्तु अन्तिम क्षण में जबकि रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए जाने थे एक सदस्य श्री एल० आर० नायक ने विमत की टिप्पणी देने का निर्णय किया जो इस रिपोर्ट के खंड सात में है।

12. श्री नायक का मुख्य रूप से यह विचार है कि अन्य पिछड़े वर्गों की राज्यवार सूचियों को दो भागों में बांट दिया जाए अर्थात् पहले में माध्यमिक पिछड़े वर्ग हों तथा दूसरे में दलित पिछड़े वर्ग। दलित पिछड़े वर्गों के अन्तर्गत उन्होंने उन जातियों को रखा जो उनके अनुसार पिछड़े वर्ग के सर्वाधिक संचित एवं शोषित वर्ग रहे हैं। उनका विचार है कि इस रिपोर्ट में सिफारिश की गयी सुविधाओं और रियायतों के लिए उन्हें एक अलग इकाई के रूप में माना जाए। इन दोनों वर्गों को एक साथ रखकर वह यह महसूस करते हैं कि इसमें इन दोनों वर्गों को समान लाभ नहीं मिल सकेंगे।

13. चूंकि आयोग श्री नायक के विवाद का अभिप्राय समझता है और उनके दृष्टिकोण को स्वीकार करने से वह स्थिति उत्पन्न हो जायेगी जो संविधान के अनुच्छेद 15(4) के प्रतिकूल है। बालाजी बनाम मैसूर राज्य* के मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना है कि "पिछड़ा वर्गों को दो श्रेणियों में विभाजित करने से, उक्त विचारगत आदेश में यह अभिप्राय व्यक्त किया गया है कि राज्य में अत्यधिक उन्नत वर्गों की तुलना में कम उन्नत नागरिकों के सभी वर्गों के लिए उपाय दंडने होंगे, तथा हमारे विचार में यह अनुच्छेद 15(4) का

*ए०आई०आर० 1963 एस०सी० 649

(v)

विषय नहीं है।" इसी विचार को अन्य मामलों में अनेक बार माना गया है, और अब एक प्रमाणित निर्णय-विधि बन गई है। इसको दृष्टि में रखते हुए, आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्गों को दो वर्गों में विभाजित करने के श्री नायक के विचार से सहमत होना संभव नहीं समझा।

14. इसके अतिरिक्त तथाकथित दलित पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या के संबंध में श्री नायक द्वारा प्रस्तुत किये गए आंकड़े भी बहुत ही मनमाने हैं और विशुद्ध कल्पनाओं पर आधारित हैं।

15. यह भी उल्लेखनीय है कि श्री नायक ने इस तथ्य के बावजूद उपर्युक्त दृष्टिकोण अपनाते उपयुक्त समझा कि पहले 10 से 14 नवम्बर 1980 तक उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्गों की राज्यवार सूचियों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किए थे जिनमें सभी अन्य पिछड़ा वर्गों को एक साथ वर्गीकृत किया गया था।

16. इस पत्र को समाप्त करने से पूर्व, यदि मैं अपने उन सहयोगियों के प्रति आभार प्रकट न करूं, जिन्होंने इस रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने में कठिन परिश्रम किया है तो मैं अपने कार्यों में निष्फल रहूंगा। आयोग के सदस्य अन्य पिछड़ा वर्ग के थे तथा एक सदस्य श्री एल० आर० नायक अनुसूचित जाति के थे। दिवान मोहन लाल, जो कि हम सब में वयोवृद्ध हैं, अपना मूल्यवान सहयोग देने में कभी भी पीछे नहीं रहे और आयोग उनकी आयु और बुद्धिमत्ता अनुभव द्वारा लाभान्वित हुआ है। न्यायमूर्ति, श्री आर० आर० भोले, संसद सदस्य को विधायी तथा न्यायिक तथा भारतीय ग्रामीण तथा शहरी जीवन के बारे में विभिन्न प्रकार का अनुभव प्राप्त था, जो कि आयोग के लिए अत्यधिक लाभप्रद सिद्ध हुआ। श्री के० सुब्रमण्यम, एक बुद्धिमान तथा अनुभवी व्यक्ति हैं, जिन्हें ग्रामीण जीवन का अत्यधिक अनुभव है तथा इसके अलावा उन्हें पत्रकारिता के अनुभव सहित शोषित वर्गों की सेवा करने का भी अनुभव है, इस आयोग के कार्य में उन्होंने बहुमूल्य योगदान दिया है। श्री एल आर० नायक, जिन्हें आयोग में कई महीनों की अवधि बीत जाने के बाद नियुक्त किया गया था, वह एक अत्यन्त परिश्रमी सदस्य रहे हैं। विशेषकर जबकि अन्य सदस्य देश का गहन दौरा करने में थकावट महसूस कर रहे थे, उस समय भी वह अथक रहे।

17. मुझे, आपको यह रिपोर्ट प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आशा है कि आप हमारी सिफारिशों को मानने में कोई संकोच नहीं दिखाएंगे तथा हमारे देश के सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के काफी समय से चले आ रहे कष्टों का निवारण करने की कृपा करेंगे।


सादर,

आपका

ह०/-

(बिन्धेश्वरी प्रसाद मण्डल)

श्री नीलम संजीव रेड्डी
भारत के राष्ट्रपति
राष्ट्रपति भवन
नई दिल्ली



आयोग का गठन और विचारार्थ विषय

संविधान के अनुच्छेद 340 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने भारत के राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की दशाओं की जांच करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त किया। इस आयोग की संरचना निम्नलिखित थी :—

1. श्री वी० पी० मंडल (भूतपूर्व संसद सदस्य)	अध्यक्ष
2. श्री आर० आर० भोले, संसद सदस्य	सदस्य
3. श्री दिवान मोहन लाल	सदस्य
4. श्री एल० आर० नायक* (भू० पू० संसद सदस्य)	सदस्य
5. श्री के० सुब्रमण्यम	सदस्य
6. श्री एस० एस० गिल	सचिव

अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति अंशकालिक आधार पर की गयी थी और इन्होंने अवैतनिक क्षमता में कार्य किया।

2. आयोग के विचारार्थ विषय निम्नलिखित थे :—

- (i) सामाजिक तथा शैक्षिक रूप में पिछड़े वर्गों को परिभाषित करने के लिए मापदंड निर्धारित करना ;
- (ii) इस प्रकार परिभाषित नागरिकों के सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की प्रगति के लिए किए जाने वाले उपायों की सिफारिश करना ;
- (iii) नागरिकों के उन पिछड़े वर्गों के लिए जिनका संघ या किसी भी राज्य की सेवाओं और पदों में समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है, उनके लिए नियुक्तियों या पदों में आरक्षण की व्यवस्था करने की वांछनीयता या अन्यथा की जांच करना ; और
- (iv) राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करना जिसमें उनके द्वारा पाये गए तथ्यों का निरूपण किया गया हो तथा उनके द्वारा उचित समझी गई सिफारिशों की गई हों।

इस संबंध में आयोग पहले नियुक्त किए गए पिछड़े वर्ग आयोग की सिफारिशों तथा उन तथ्यों पर भी विचार कर सकता है जो सरकार द्वारा उसकी सिफारिशों को स्वीकार करने में बाधक हुईं।

3. (1) आयोग

- (क) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों और ऐसे अन्य प्राधिकरणों, संगठनों या व्यक्तियों से जो आयोग के विचार से उनके लिए सहायक हो सकते हैं ऐसे रूप में या ऐसे तरीके से जैसे वे उचित समझें, ऐसी सूचना प्राप्त कर सकता है जिसे वे अपने प्रयोजन के लिए आवश्यक या संगत समझें; और
- (ख) अध्यक्ष द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन निर्धारित समयों तथा स्थानों पर अपनी बैठकें या ऐसी उप समितियों की बैठक कर सकते हैं जिसे वे अपने ही सदस्यों में से बनाएं।

(2) आयोग या इसके द्वारा बनाई गई किसी उपसमिति की किसी राज्य में यात्रा के दौरान और आयोग या उसकी किसी उपसमिति की किसी राज्य में हो रही बैठक के दौरान, आयोग दो व्यक्तियों को जो उस राज्य के और पिछड़े वर्ग के हों आयोग या उपसमिति के, जैसा भी मामला हो, अतिरिक्त सदस्यों के रूप में सहयोजित कर सकता है।

*श्री एल० आर० नायक को श्री दीन बंधु साहा के स्थान पर नियुक्त किया गया था; जिन्होंने स्वास्थ्य के आधार पर 5 नवम्बर 1979 को आयोग की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया था।

(viii)

4. आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा।
5. आयोग राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट 31 दिसम्बर, 1979* तक प्रस्तुत करेगा।

राष्ट्रपति के आदेश से

ह०/—

(पी०एस० कृष्णन)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

*बाद में अवधि 31 दिसम्बर, 1980 तक चरणों में बढ़ाई गई।

भूमिका

पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने की अधिसूचना 1 जनवरी, 1979 को जारी की गयी थी, और यह रिपोर्ट दिसम्बर 1980 में प्रस्तुत की जा रही है। अगर तकनीकी रूप से कहा जाय तो आयोग ने अपना कार्य पूरा करने में 21 महीने लगाये। जबकि वास्तव में काम करने के लिए हमारे पास इससे भी कम समय उपलब्ध था।

सचिव, प्रशासन अधिकारी तथा एक-दो स्टेनोग्राफरों को छोड़कर, आयोग का शेष स्टाफ केवल जून-जुलाई, 1980 में ही कार्य करने के लिए उपलब्ध हो सका। स्टाफ प्रस्तावों का निर्माण और उनकी मंजूरी तथा उचित कामियों की भर्ती में चार महीनों से अधिक लग गए। यद्यपि आयोग का औपचारिक उद्घाटन 21 मार्च, 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई द्वारा किया गया था। किन्तु आयोग पूरी तरह से अपना कार्य 1979 के मध्य से ही शुरू कर सका।

आयोग का काम पूरे जोर शोर से शुरू होते ही अगस्त, 1979 में संसद को भंग कर दिया गया और राज्य अगले आम चुनावों के लिए तैयारी करने में व्यस्त हो गये। ज्यूही ये चुनाव समाप्त हुए, 9 राज्य विधान सभाओं को भंग कर दिया गया और इन राज्यों के प्रशासन का सारा ध्यान विधान सभा चुनावों पर लग गया।

उपर्युक्त बातों का परिणाम यह हुआ कि आयोग का कार्य, विशेषकर विभिन्न राज्यों का दौरा कार्यक्रम अव्यवस्थित हो गया। देशव्यापी सामाजिक-शैक्षणिक क्षेत्रीय सर्वेक्षण जो फरवरी, 1980 में प्रारंभ हुआ था, इससे गम्भीर रूप से प्रभावित हुआ। समय की कमी तथा 7 उत्तर पूर्वी राज्यों में कुछ अशांति होने के कारण, आयोग इस क्षेत्र का दौरा नहीं कर सका।

जैसा कि इस रिपोर्ट के अध्याय-3 में बताया गया है, आयोग ने अपनी जांच के संबंध में आंकड़े एकत्र करने के लिए बहुपक्षीय दृष्टिकोण अपनाया था। यह एक बहुत बड़ा काम था, जिसमें अनेक कार्य करने थे और यह समूचे देश से संबंधित था। यदि सभी संबंधित एजेंसियों और व्यक्तियों से हमें सहयोग सुलभ न हुआ होता तो यह काम नियत अवधि में पूरा नहीं होता। चूंकि प्रत्येक का अलग-अलग धन्यवाद करना संभव नहीं होगा इसलिये आयोग उन सभी के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहेगा, जिनके अमूल्य सहयोग के बिना हम समर्थ नहीं हो पाते।

आयोग ने सभी राज्य सरकारों, संध शासित क्षेत्रों और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को विस्तृत प्रस्तावलिपियां जारी की थीं। अपेक्षित सूचना संकलित करने में इन सभी एजेंसियों को अत्यधिक प्रयास करना पड़ा। आयोग के दौरों के संबंध में राज्य सरकारों तथा संध शासित क्षेत्रों ने यथेष्ट प्रबन्ध भी किए। हमारा कृतज्ञता सहित सभी संबंधितों का धन्यवाद करना अपेक्षित है।

छठी और सातवीं लोक सभा, राज्य सभा, राज्य विधान मंडलों और अनेक स्वेच्छी संगठनों के प्रतिनिधियों, हजारों समाज सेवकों और जनसाधारण के जो साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिये आयोग के समक्ष प्रस्तुत हुए, तथा उन सभी के भी अत्यधिक आभारी हैं जिन्होंने हमारे निमंत्रणों का उत्तर दिया है।

हम, प्रो० एम० एन० श्रीनिवास (भारतीय प्रबन्ध संस्थान, बंगलौर), प्रो० जोगेन्द्र सिंह (जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय) और प्रो० बी० के० राय बर्मन (विश्व भारती विश्वविद्यालय) का आयोग के सामाजिक-शैक्षणिक क्षेत्र सर्वेक्षण में दिए गए मूल्यवान सहयोग के लिए भी कृतज्ञ हैं। डा० के० सी० शील, महानिदेशक, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन का भी इस संबंध में अति विशेष रूप से उल्लेख करना वांछित है।

यह आभार व्यक्त करते हुए, क्षेत्र सर्वेक्षण के सभी पहलुओं के संबंध में पूर्ण दायित्व आयोग अपने ऊपर लेता है। सामाजिक-शैक्षणिक सर्वेक्षण के क्षेत्र आंकड़ों के संगणन के काम को इलेक्ट्रॉनिकी आयोग ने बड़ी श्रेष्ठता से किया। टाटा समाज विज्ञान संस्थान, बम्बई और भारतीय विधि संस्थान, दिल्ली ने आयोग के लिए दो विशेष रिपोर्टें तैयार की थीं और हम उनके श्रेष्ठ कार्य के लिये अपना आभार व्यक्त करते हैं।

श्री पी० पद्मनाभ, भारत के महापंजीयक एवं आयुक्त जनगणना परिचालन ने आयोग के कार्य में बहुत रुचि ली और सभी संभव सहायता प्रदान की। वास्तव में, गृह मंत्रालय भी सदैव सहयोग देता रहा और हमारी समस्याओं के प्रति उसने समुचित दृष्टिकोण अपनाया।

(x)

अनेक मंत्रालयों और विभागों से प्रतिनियुक्त के आधार पर लक्ष्य रूप से जुटाए गए आयोग के स्टाफ ने अनेक बाधाओं तथा कठिनाइयों के बावजूद एक संगठित ढल के रूप में परिश्रम किया। आयोग के अनुसंधान तथा सर्वेक्षण विंग को एक बहुत ही श्रम-साध्य कार्य करना था और डा० एन० आर० पार्थसारथी, संयुक्त निदेशक के सुयोग्य नेतृत्व में इसने अनेक स्रोतों से प्राप्त विभागल आंकड़ों का प्रोसेसिंग करने में उल्लेखनीय कार्य किया।

अन्त में, आयोग अपने सचिव, श्री एस० एस० गिल द्वारा किए गए कार्य के लिए अत्यधिक आभार व्यक्त करना चाहेगा। सामान्यतः उन जैसे व्यक्ति को रिपोर्ट तैयार करने में विशेष जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। इस संबंध में उनका सुसंबद्ध विचारों को प्रस्तुत करने में बड़ा ही उल्लेखनीय योगदान रहा है। आयोग के सभी सदस्य एकमत थे कि श्री गिल के अतिरिक्त, अन्य पिछड़े वर्गों के कष्टों की विवेचना करने के लिए उन्हें कोई ऐसा सुयोग्य व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो सकता था।

अध्याय 1

प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग

1.1 प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग स्वर्गीय काका साहब कालेलकर की अध्यक्षता में 29 जनवरी, 1953 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के अन्तर्गत राष्ट्रपति आदेश के द्वारा गठित किया गया था और इसने 30 मार्च, 1955 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

1.2 आयोग ने अपनी जांच के विभिन्न पहलुओं पर विभिन्न राज्य सरकारों तथा जन साधारण के विचार प्राप्त करने के लिए 182 प्रश्नों की एक प्रश्नावली जारी की। इसने भौके पर ही साक्ष्य एकत्र करने के लिए देश का व्यापक दौरा भी किया।

1.3 एकत्र किये गए उपर्युक्त आंकड़े की छानबीन एवं छटाई करने के उपरान्त, आयोग ने सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए निम्नलिखित मानदंड बनाया :—

1. हिन्दू समाज की पारम्परिक जाति व्यवस्था में निम्न सामाजिक स्थिति।
2. जाति अथवा समुदाय के बड़े वर्ग में सामान्य शैक्षिक विकास की कमी।
3. सरकारी सेवा में अपर्याप्त अथवा कोई प्रतिनिधित्व न होना।
4. व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योग के क्षेत्र में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व।

इसने समूचे देश के लिए 2399 पिछड़ी जातियों या समुदायों की भी एक सूची तैयार की तथा उनमें से 837 को सर्वाधिक पिछड़े के रूप में वर्गीकृत किया। भारत के महापंजीयक तथा जनगणना आयुक्त ने 930 पिछड़ी जातियों या समुदायों के जनसंख्या संबंधी आंकड़े निकालने में आयोग की मदद की।

1.4 पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए आयोग की सिफारिशें विभिन्न प्रकार की तथा अत्यन्त व्यापक हैं उनमें ऐसे विस्तृत क्षेत्र आते हैं जैसे व्यापक भूमि सुधार, ग्रामीण ग्रंथ व्यवस्था का पुनर्गठन, भूदान आन्दोलन, पशुधन विकास, डेरी फार्मिंग, पशु बीमा, मधुमक्खी पालन, सुप्रर बाड़ा, मत्स्य पालन, ग्रामीण तथा कुटीर उद्योग का विकास, ग्रामीण आवास, जन स्वास्थ्य तथा ग्रामीण जल आपूर्ति, प्रौढ़ साक्षरता, विश्वविद्यालय शिक्षा, सरकारी सेवा में पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व, आदि, आदि। आयोग की कुछ उल्लेखनीय सिफारिशें निम्नलिखित थीं :—

1. 1961 की जनगणना में जनसंख्या की जातिवार गणना का ज्ञान।
2. हिन्दू समाज की पारम्परिक जाति व्यवस्था में निम्न स्तर के एक वर्ग के सामाजिक पिछड़ेपन के कारण निम्न स्थिति।
3. सभी महिलाओं को "पिछड़े" वर्ग में मानना।
4. पिछड़े वर्गों के योग्य विद्यार्थियों के लिए सभी तकनीकी तथा व्यावसायिक संस्थाओं में 70 प्रतिशत स्थानों का आरक्षण।
5. निम्नलिखित पैमाने पर अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सभी सरकारी सेवाओं तथा स्थानीय निकायों की नियुक्ति में न्यूनतम आरक्षण :
श्रेणी I—25 प्रतिशत।
श्रेणी II—33½ प्रतिशत।
श्रेणी III तथा IV—40 प्रतिशत।

1.5 यह उल्लेखनीय है कि आयोग एक सर्वसम्मत रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर सका। वास्तव में इसके पांच सदस्यों ने विमत की टिप्पणियां दी। डा० अनूप सिंह, श्री अरुणकंगू डे तथा श्री पी० जी० शाह ने पिछड़ेपन की जाति के साथ जोड़ने के विचारों का विरोध किया था। उन्होंने जाति के आधार पर पदों के आरक्षण का भी विरोध किया था। दूसरी ओर, श्री एस० डी० एस० चौरसिया ने अपनी 67 पृष्ठों की विमत टिप्पणी में जाति को पिछड़ेपन का मानदंड स्वीकार करने के लिए जोरदार तरफदारी की थी। श्री टी० मेरीअप्पा की विमत टिप्पणी अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में केवल कुछ जातियों को शामिल करने से संबंधित थी।

1.6 अध्यक्ष श्री काका कालेलकर ने इस मुद्दे पर लगभग अनिश्चित रख अपनाया था। यद्यपि उन्होंने औपचारिक रूप में असहमति प्रकट नहीं की किन्तु उन्होंने राष्ट्रपति को भेजे गए अपने पत्र में पिछड़ेपन के लिए जाति को आधार मानने का विरोध किया। उन्होंने आयोग द्वारा दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण सिफारिशों के बारे में अपना निर्णय व्यक्त नहीं किया।

काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट पर सरकार की कार्रवाई

1.7 आयोग की रिपोर्ट की विस्तृत जांच करने के बाद, सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 340(3) के अनुसार 3 सितम्बर, 1956 को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष कार्रवाई जापन सहित इसकी प्रतिनिधि प्रस्तुत की। इस जापन में यह कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 340 में विशेष रूप से परिकल्पित जांच के प्रयोजन के लिए, इस पर विचार करना आवश्यक था कि क्या इस अन्य पिछड़े वर्ग को समुचित रूप से वर्गीकृत किया जा सकता था और आयोग को विषय परक जांच तथा मानदंड बूढ़ना था जिसके द्वारा इस तरह के वर्गीकरण किए जाने थे। उन्हें निर्विवाद मानदंड भी बूढ़ना था जिसके द्वारा सामाजिक तथा शैक्षिक पिछड़ेपन की पहचान की जा सके। आयोग की रिपोर्ट इस मुद्दे पर सर्वसम्मत नहीं रही है; वास्तव में, इसमें विचारों में पर्याप्त मतभेद है। बाद में यह देखा गया कि आयोग की सूची में 2399 जातियां हैं जिसमें से केवल 930 जातियों की अनुमानित जनसंख्या 11.5 करोड़ है। अनुसूचित जाति तथा जनजाति की संख्या 7 करोड़ है (1951 की जनगणना के आधार पर)। पिछड़ेपन के लिए जाति को मानदंड के रूप में मानने के बारे में यह बताया गया था कि "इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि जाति प्रथा समतावादी समाज के लिए हमारी उन्नति के रास्ते में बहुत बड़ी बाधा है, तथा दिक्कत जातियों को पिछड़े वर्ग के रूप में पहचान से वर्तमान जाति प्रथा बनी रह सकती है और जाति के आधार पर वर्तमान भेदभाव भी स्थायी रूप से बना रहेगा"।

1.8 पिछड़े हुए के रूप में काफी जातियों तथा समुदायों की पहचान के लिए, यह बताया गया था कि, "यदि समस्त समुदायों को, कुछ आबादों को छोड़कर, पिछड़ा हुआ माना जाता है, तो वास्तव में जो जरूरतमन्द हैं वे भीड़ में खो जायेंगे और पाथद ही वे अपनी ओर कोई विशेष ध्यान आकर्षित कर पाएँ अथवा उन्हें यथोचित महायत्ना मिल सकेंगी और हमसे संविधान के अनुच्छेद 340 में दी गई शर्तें भी पूरी नहीं होंगी"।

1.9 उपर्युक्त को ध्यान में रखकर, सरकार ने यह विचार करना आवश्यक समझा कि "सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के निर्धारण के लिए स्पष्ट तथा व्यावहारिक मानदंड बनाया जाना चाहिए"। और इसके लिये प्रागे जांच की जानी चाहिए "ताकि उन कर्मियों को जो

प्रायोग के निष्कर्षों में दखा गयी हैं, पूरा किया जा सके"। ज्ञान में यह भी बताया गया था कि योजना आयोग ने पिछड़ेपन को दूर करने के लिए विकास कार्यक्रम पहले ही बनाए थे और मुख्य बात, जिस पर बल दिया जाना था वह थी, कि क्या पिछड़े वर्गों की विशेष जरूरतों को, पर्याप्त तथा प्रभावी उपायों द्वारा या अन्य बातों पर जोर देने की अपेक्षा मौजूदा कार्यक्रमों की प्राथमिकताओं में परिवर्तन करके पूरा किया जा सकता है अथवा क्या अतिरिक्त कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है।

प्रायोग की रिपोर्ट पर संयोगवश संसद में चर्चा नहीं हुई।

1.10 संसद में ज्ञान प्रस्तुत करने के बाद, सरकार ने जाति के अलावा कुछ अन्य मानदंड खोजने के प्रयास किए, जो पिछड़े वर्गों का निर्धारण करने में व्यावहारिक रूप से लागू हो सकें। उपमहापंजीयक से यह कहा गया कि वह यह देखने के लिए पायलट सर्वेक्षण करें कि क्या पिछड़ेपन को जाति के बदले व्यावसायिक समुदाय से जोड़ा जा सकता है। ऐसा एक सर्वेक्षण किया गया था परन्तु वह वांछित मानदंड प्रस्तुत करने में असफल रहा। इस मामले पर तारीख 7-4-1959 को राज्यों के प्रतिनिधियों के सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया और बाद में गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित राज्य-अधिकारियों की बैठक में इसका पुनरीक्षण किया गया, परन्तु इन प्रयत्नों के फलस्वरूप कोई मतकय नहीं हो सका।

1.11 अन्ततः केन्द्रीय सरकार ने निर्णय लिया कि पिछड़े वर्गों की कोई अखिल भारतीय सूची नहीं बनायी जानी चाहिए और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के अलावा पिछड़े वर्गों के लिए केन्द्रीय सेवाओं में कोई आरक्षण नहीं किया जाना चाहिये। परिणामस्वरूप, 14 अगस्त, 1961 को गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को यह बताते हुए लिखा कि "जबकि राज्य सरकारों को पिछड़ेपन की परिभाषा करने के लिए अपना मानदंड निश्चित करने का अधिकार है, भारत सरकार के विचार में यह अच्छा होगा यदि जाति की अपेक्षा प्राथमिक मानदंड लागू किया जाए"। पिछड़े वर्गों की सूचियां तैयार करने के बारे में यह देखा गया था कि "यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में लोगों के कुछ समूहों को अनुच्छेद 338(3) के अन्तर्गत उल्लिखित भी कर दिया जाए, तो भी प्रत्येक राज्य के लिए अनुच्छेद 15 और 16 के अन्तर्गत अपनी सूचियां तैयार करने की छूट होगी। अतः राज्य सरकारें अपनी सूचियों पर कायम रह सकती हैं, क्योंकि केन्द्रीय सरकार द्वारा बनायी गयी कोई भी अखिल भारतीय सूची व्यावहारिक नहीं होगी"।

काका कालेलकर प्रायोग की रिपोर्ट के सम्बन्ध में कुछ विचार

1.12 यह स्मरणीय है कि काका कालेलकर प्रायोग की रिपोर्ट संविधान अपनाने के बाद अपनी किस्म की पहली राष्ट्रीय स्तर की जांच है। चूंकि इसके बाद से इस राज्यों ने पन्द्रह प्रायोग नियुक्त किये हैं और उनकी रिपोर्टों से इस विषय पर मूल्यवान सामग्री प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त, इस प्रायोग को, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अलावा, पिछड़े वर्गों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देने के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय तथा कई उच्च न्यायालयों की अनेक उद्घोषणाओं से भी मदद मिली है।

1.13 किन्तु, इसकी अनेक बाधाओं को उचित मानने के बावजूद, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि काका कालेलकर प्रायोग की रिपोर्ट में वर्गीकरण संबंधी तथा गंभीर अन्तर्विरोधी भारी सूचियां हैं। उदाहरण स्वरूप, प्रायोग से सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों को पहचानने के लिए मानदंड निर्धारित करने और ऐसे मानदंड के अनुसार उक्त वर्गों की सूची तैयार करने की अपेक्षा की गई थी। प्रायोग द्वारा बनाया गया मानदंड इस अग्र्याय के पैरा 1.4 में दिया गया है। प्रायोग द्वारा पहचाने गए 2,399 पिछड़े वर्गों की सूची काका कालेलकर प्रायोग की रिपोर्ट के खंड 2 में दी गई है। किन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि पिछड़े वर्गों की सूचियां मानदंड अपनाकर किस प्रकार तैयार की

गई थीं। प्रायोग की राज्यवार सूचियां, 1949 में, अन्य शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों को छात्रवृत्तियां आदि मंजूर करने के सम्बन्ध में शिक्षा मंत्रालय द्वारा तैयार की गई सूचियों पर आधारित हैं। शिक्षा मंत्रालय ने, संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त सिफारिशों के आधार पर, इन सूचियों को स्वयं संकलित किया था।

1.14 यह देखा गया है कि शिक्षा मंत्रालय ने अपनी सूचियां न केवल पिछड़ा वर्गों की पहचान के लिए कोई विशेष सर्वेक्षण किए बिना बनाई थी, बल्कि ये केवल "अन्य शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों" के लिए थी, न कि "सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों" के लिए, जैसा की संविधान के अनुच्छेद 340 में संकलित थी।

1.15 निस्संदेह, काका कालेलकर प्रायोग के द्वारा स्वयं एकत्र किए गए साक्ष्य को दृष्टि में रखते हुए शिक्षा मंत्रालय की मूल सूचियों को संशोधित किया गया था, किन्तु तथ्य यह है कि इसने एक विस्तृत दूसरे उद्देश्य के लिए किसी अन्य सरकारी एजेन्सी द्वारा तैयार की गई अन्य शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों की सूचियों को मोटे तौर पर अपनाया था, और भारत के सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों की सूची के रूप में माना था। प्रायोग के उद्देश्य के लिए उनकी वैधता को जांच हेतु कोई क्षेत्रीय सर्वेक्षण किए बिना ऐसा किया गया था और न उनकी परख सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों को पहचान के लिए प्रायोग द्वारा तैयार किये गए मानदंड के अनुसार की गई थी।

1.16 जैसाकि, इस अग्र्याय में पैरा 1.4 में बताया गया है कि काका कालेलकर प्रायोग ने, अन्य पिछड़ा वर्गों (प्रो० बी० सी०) के लिए शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी सेवाओं आदि में सीटों/रिक्तियों के आरक्षण को विभिन्न प्रतिशतता की सिफारिश की थी। उदाहरणार्थ इसने श्रेणी 3 तथा श्रेणी 4 वर्ग के पदों में 40% और श्रेणी 1 वर्ग के पदों में केवल 25% आरक्षण की सिफारिश की थी, तथा व्यावसायिक तथा तकनीकी संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 70% सीटों का आरक्षण करने की सिफारिश की गई थी। किन्तु विभिन्न वर्ग के पदों के लिए विभिन्न प्रतिशतता निर्धारित करने की औचित्य के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था, इसलिये ऐसा लगता है कि यह दृष्टिकोण कुछ हद तक स्पष्टीकरणपूर्ण था।

1.17 यद्यपि उपर्युक्त असफलताएं गंभीर हैं, तथापि रिपोर्ट की कमजोरियां इसके अन्तर्विरोधी विचारों में निहित हैं। जैसा कि इस अग्र्याय के पैरा 1.5 में बताया गया है कि सदस्यों में से तीन ने रिपोर्ट को एक प्रति महत्वपूर्ण सिफारिश अर्थात् सामाजिक पिछड़ेपन के लिए मानदंड के रूप में जाति को स्वीकार करना और उसी आधार पर सरकारी सेवाओं में सीटों का आरक्षण करने का विरोध किया था। इस विरोधी अंश ने प्रायोग की सिफारिशों को काफी कमजोर बना दिया है। किन्तु यह भी काका कालेलकर का राष्ट्रपति को भेजा गया यह 30 पृष्ठों का अग्रसार पत्र था, जिसने वास्तव में रिपोर्ट के आधार को नष्ट कर दिया था। इस पत्र के निम्नलिखित उदाहरण स्वयं इस बात की पुष्टि करते हैं:

"विश्वास हो जाने पर, कि हिन्दुओं की उच्च जातियों को करना पड़ेगा, जो "निम्न" वर्गों की उपेक्षा करने की अपराधी रही थी, मुझे सरकार से सिफारिश करनी पड़ी कि सभी विशेष सुविधाएं केवल पिछड़ा वर्गों को ही दी जानी चाहियें और उच्च वर्गों के गरीब और पार व्यक्तियों तक को पूर्णतया; इस विशेष सहायता से बंचित रखा जाय। तथापि, जाति पर आधारित उपायों को सुनाने की जोखिमों को देख कर मेरी प्रांख खुल गई जब मैंने देखा कि राष्ट्र के मुस्लिम और ईसाई वर्गों पर इसका बहुत बुरा असर होगा।"

“इससे मुझे काफी धक्का लगा और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि हमारे द्वारा सुझाये गए उपाय उस बुराई से भी बदतर हैं जिस पर हमें काबू पाना था।”

“इस दुखदपूर्ण तथ्य का अहसास मुझे हमारे काम के करीब-करीब समाप्ति के समय हुआ। मैं विचारों के प्रवाह को स्वयं प्रायोग में व्यक्त नहीं कर सका था और अन्ततः अनिच्छा से उन अधिकांश व्यक्तियों के साथ सहमत होने का निर्णय लिया जिनके साथ मैंने जाति के आधार पर उपाय सुझाने में लगातार सहयोग दिया था। जब रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा रहा था, केवल तभी से मैंने नये सिरे से विचार करना शुरू कर दिया था और देखा था कि जाति के प्रतिरिक्त किसी अन्य आधार पर अनेक आधारों के द्वारा पिछड़ेपन का समाधान हो सकेगा। इससे केवल मेरे अधिकांश सहयोगियों के मन में शंका पैदा हो गई कि मैं प्रायोग की सिफारिशों को तष्ट भ्रष्ट कर रहा था। यह दूसरा कारण था कि बिना किसी विरोधी टिप्पणी के मैंने रिपोर्ट पर कभी दस्तखत कर दिए थे।”

“..... यदि ऐसे समुदायों ने शिक्षा की उपेक्षा की है तो इसका कारण है कि उनके लिए इसका कोई उपयोग नहीं था। अब, उन्होंने अपनी गलती जान ली है और यह उन पर निर्भर करता है कि इस कमी को पूरा करने के लिए वे आवश्यक प्रयास करें।”

“..... कुछ समय पहले तक अनेक समुदाय जाति सम्मेलनों का आयोजन करते रहे थे और अपने समुदाय के लड़के और लड़कियों को छात्रवृत्तियां मंजूर करने के लिए धन एकत्र करते रहे थे। अपनी सहायता अपने आप करने का यह एक अच्छा तरीका था और अनेक समुदाय इस तरह से वास्तव में सम्पन्न बन गए। किन्तु, अब सारा भार सामान्य राजकोष पर पड़ा हुआ दिखाई देता है और जिन्होंने पहले बिना सोचे-विचारे शिक्षा का तिरस्कार किया था वे अब सरकारी सेवाओं में प्राथमिकता चाह रहे हैं। जो ही, किन्तु उचित है.....”

“..... मैं निश्चित रूप से सरकारी सेवाओं में किसी भी समुदाय के लिए, इस साधारण कारण से आरक्षण के विरुद्ध हूँ कि सेवाएं सेवकों के लिए नहीं हैं बल्कि वे पूर्णरूपेण समाज की सेवा के लिए हैं.....”

“मुझे विश्वास है कि श्रेणी-I और श्रेणी-II सेवाओं में पिछड़ा वर्ग दोनों नैतिक और आर्थिक दृष्टि से लाभान्वित होगा यदि वे रिक्रियों में आरक्षण प्रतिभातता की मांग नहीं करते हों। और प्रशासन द्वारा पिछड़ा वर्गों के समर्थन में निष्पक्ष रूप से उनके द्वारा प्राथमिकता देने पर विश्वास रखते हैं.....”

1.18 पिछड़ापन और सामाजिक न्याय के संबंध में श्री कालेलकर के दृष्टिकोणों के उपर्युक्त उदाहरणों से एक अर्थपूर्ण टेस्टामेंट बन जाता है। इस सज्जन गांधीवादी व्यक्ति की मनोव्यथ का कोई अन्त नहीं है, जो उसे उस रिपोर्ट के विरोध में औपचारिक टिप्पणी न किये जाने से हुई है,

जिसमें सामाजिक पिछड़ेपन का निर्धारण तब जाति को मान लेने की सिफारिश की गई थी। इस दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से बताने के अलावा, उन्होंने इस पत्र के बाद के पैर में बताया कि “एक लोकहित है कि ‘कटि को कटि से दूर करो’, हमने महसूस किया है कि जाति के दोषों को उन उपायों से समाप्त किया जा सकेगा, जिन पर केवल जाति के रूप में विचार किया जाय।” इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह अपनी बातों में इतने उलझते चले जाते हैं कि हमें काका साहब की सज्जरी पर तरस आता है।

1.19 वैचारिक दृष्टि से रिपोर्ट इतनी विखरी हुई है कि स्वयं हममें इसे अस्वीकार करने के तर्क शामिल हैं।

सरकारी कार्रवाई पर कुछ विचार

1.20 काका कालेलकर प्रायोग की रिपोर्ट पर सरकार के उच्चतम स्तर तक ध्यान दिया गया था, फिर भी इसकी जांच का एक पहलू है, विशेष ध्यान देना। विभिन्न सांविधानिक व्यवस्थाओं की ओर ध्यान आकृष्ट करने और सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को विशेष राहत देने की आवश्यकता को स्वीकार करने के बावजूद कुल मिलाकर सरकार का ध्यान मुख्यतया समाज के विभिन्न वर्गों के बीच आर्थिक विषमताओं को दूर करने जैसी राष्ट्रीय आवश्यकता पर था। यह दृष्टिकोण मूढ़ मंत्रालय के उस पत्र से स्पष्ट हो जाता है, जिसे रिपोर्ट की पूर्ण जांच करने के बाद सभी सरकारों को भेजा गया था। इस पत्र का अन्तिम वाक्य इस प्रकार है। “उनका (भारत सरकार का) विचार है चूंकि राज्य सरकारों को पिछड़ापन की अपनी परिभाषा बनाने का अधिकार है इसलिए भारत सरकार के विचार से जाति के स्थान पर आर्थिक परबों को लागू करना अधिक अच्छा होगा।” (जोर दिया गया)

1.21 चूंकि सरकार के विकास कार्यक्रमों का मुख्य/उद्देश्य सर्वथा जनता की गरीबी को दूर करना रहा है इसलिये पिछड़ेपन का निर्धारण आर्थिक मानदंड के द्वारा करने की बात समझ में आती है। किन्तु उद्देश्य चाहे कितना भी प्रशंसनीय क्यों न रहा हो वह संविधान के अनुच्छेद 340 की भावना के अनुरूप नहीं हैं जिसके अन्तर्गत प्रायोग की स्थापना की गई थी। दोनों, अनुच्छेद 15(4) और 340(1) “सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों” की ओर संकेत करते हैं। “आर्थिक पिछड़ेपन” के संबंध में किसी प्रकार के उल्लेख को इन अनुच्छेदों में जान बूझकर छोड़ दिया गया है। यद्यपि हम अगले अध्याय में इस विषय पर और अधिक कहेंगे, तथापि यह बता देना उपयुक्त होगा कि संविधान के अनुच्छेद 340(1) में उल्लिखित पिछड़ेपन की किस्म के निर्धारण में “आर्थिक कसौटियों” को प्राथमिकता देने में सरकार ने शायद अनजाने में इस विषय में पर्याप्त ध्यान देने की अपेक्षा कम ध्यान दिया है। यह भी संभव है कि “सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ेपन” की व्याख्या के लिए जाति को मानदंड के रूप में न स्वीकारने के लिए यह एक तर्क-संगत मामला बनाया गया हो। किन्तु आर्थिक कसौटियों को जाति के स्थान पर रखने का मतलब है भारतीय समाज में सामाजिक पिछड़ेपन के आदि अन्य की अवहेलना करना।

कुछ राज्यों में अन्य पिछड़े वर्गों की स्थिति

2.1 लगभग सौ वर्ष से भारत में प्रांतीय सरकारें समाज के दलित एवं पीड़ित वर्गों के कल्याण के लिए विशेष कार्यक्रम चला रही हैं। ऐसा पहला कदम, मद्रास सरकार द्वारा सन् 1885 में सहायक अनुदान संहिता बनाकर उठाया गया था- ताकि दलित वर्गों के विद्यार्थियों को विशेष सुविधाएं प्रदान करने हेतु शैक्षणिक संस्थाओं की वित्तीय सहायता को विनियमित किया जा सके। तत्पश्चात्, 1921 में, राज्य विधान परिषद् द्वारा पारित एक संकल्प पर कार्यवाही करते हुए, मद्रास सरकार ने सरकारी सेवाओं में गैर-ब्राह्मणों को अधिकतम प्रतिनिधित्व देने के लिए कदम उठाए। 1927 में इस योजना की पुनरीक्षा की गई और आरक्षण के क्षेत्र का और विस्तार किया गया और राज्य का सभी जातियों को पांच वृहद वर्गों में विभाजित करके प्रत्येक वर्ग का पृथक कोटा निर्धारित कर दिया गया।

2.2 पीड़ित जातियों से प्राप्त अध्यावेदनों के आधार पर 1918 में, मैसूर के महाराज ने राज्य की सेवाओं में गैर-ब्राह्मणों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए उपाय सुझाने हेतु मैसूर के तत्कालीन उच्च न्यायाधीश सर एल० सी० मिलर की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। मिलर कमेटी रिपोर्ट के आधार पर, मैसूर सरकार ने 1921 में राज्य सेवाओं में शिक्षा तथा भर्ती के संबंध में पिछड़ी जातियों के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान करने हेतु प्रादेश जारी किए।

2.3 सन् 1928 में बम्बई सरकार ने पिछड़े वर्गों का पता लगाने तथा उनकी प्रगति के लिए विशेष प्रावधानों की सिफारिश करने के लिए मि० ओ० एच० बी० स्टार्टे की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। 1930 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में इस समिति ने पिछड़े वर्गों को तीन वर्गों में अर्थात् "दलित वर्ग" "आदिवासी तथा पर्वतीय जनजाति" तथा अन्य "पिछड़े वर्गों" में वर्गीकृत किया। इस समिति ने पिछड़े वर्ग के उपर्युक्त तीनों वर्गों के लिए शिक्षा तथा सरकारी सेवाओं में विशेष सुविधाएं देने के लिए, प्रावधान करने की सिफारिश की।

2.4 अखिल भारतीय स्तर पर, "दलित वर्गों" के कल्याण के लिए प्रथम, व्यवस्थित प्रयास का मूलपात 1919 के मंटिंग्यू चेम्सफोर्ड रिफार्मस द्वारा किया गया और इन वर्गों को अनेक सरकारी निकायों में प्रथम प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। उस समय सरकारी भाषा में "दलित वर्ग" सर्वग्राही शब्द था जिसमें "अनुसूचित जातियों", "अनुसूचित जनजातियों" तथा "अन्य पिछड़े वर्गों" शामिल थे। भारत की 1931 की जनगणना में "दलित वर्ग" शब्दांश को "ब्राह्म जातियों" में परिवर्तित कर दिया गया, जिसमें केवल असूक्ष्य जातियां ली गई थी। आदिवासी तथा पर्वतीय जनजातियों को आदिम जनजातियों के अन्तर्गत रखा गया।

2.5 दलित वर्गों के अलावा समाज के बहुत ही पिछड़े वर्गों को एक अन्य श्रेणी "आपराधिक जनजाति" के नाम से थी। उन्हें आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871 के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया था उनके पुनर्वास के लिए विभिन्न प्रावधान किये गये।

2.6 भारतीय अधिनियम, 1935 के अन्तर्गत "दलित वर्गों" के स्थान पर अनुसूचित जाति नाम दिया गया और 1936 में विभिन्न प्रान्तों में अनुसूचित जातियों की पृथक सूचियां अधिसूचित की गईं। इसके साथ ही "आदिम जनजाति" के स्थान पर "पिछड़ी जनजाति" नाम दिया गया और उनकी सूचियां उन प्रान्तों में जहां इन जनजातियों का पर्याप्त

प्रतिनिधित्व था, अधिसूचित की गईं। केवल स्वतन्त्रता के पश्चात् ही संविधान में "पिछड़ी जनजाति" के लिए अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग किया गया था।

2.7 भारतीय अधिनियम, 1935 के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को दिया गया मुख्य लाभ संघीय विधान पालिकाओं तथा प्रांतीय विधान सभाओं में राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना था।

2.8 स्वतन्त्रता के पश्चात् केन्द्रीय सरकार ने उनकी प्रगति के लिए विशेष प्रावधानों को दृष्टि में रखकर अन्य पिछड़े वर्गों को परिभाषित करने का प्रयत्न किया। सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की प्रगति के लिए प्रावधान बनाने के लिए अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में उल्लेख हैं। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही संविधान के अनुच्छेद 340 के अन्तर्गत 1953 में काका कालेलकर आयोग नियुक्त किया गया था। इस आयोग की मुख्य सिफारिशों को न मानते हुए, केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को सूचित किया था कि वे अपने द्वारा बनाए गए मानदंड के आधार पर पिछड़े वर्गों की अपनी-अपनी सूचियां बनाने के लिए स्वतन्त्र हैं और वे इस मामले में जो भी आवश्यक समझें, धाने की कार्रवाई कर सकते हैं।

2.9 अतः अनेक राज्य सरकारों ने पिछड़ापन के लिए मानदंड निर्धारित करने और पिछड़ापन दूर करने के उपाय सुझाने के लिये अपने आयोग अथवा समितियां गठित कीं। जब तक दस राज्यों सरकारों ने इसके लिये पंद्रह आयोग और समितियां गठित की हैं। ये राज्य हैं आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, जम्मू और काश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश व तमिलनाडु सहित 8 और राज्यों तथा संघशासित क्षेत्रों ने शिक्षा, रोजगार तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए अन्य पिछड़े वर्गों की सूचियां अधिसूचित की हैं। वे हैं असम, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा, पांडिचेरी तथा राजस्थान। इन राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों ने 1944 में बनायी गई शिक्षा मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत मेट्रोकोत्तर छात्रवृत्तियां आदि को मंजूरी के लिए तैयार की गई अपनी अन्य पिछड़े वर्गों की सूचियों पर और प्रथम पंचवर्षीय योजना बनाते समय अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त द्वारा तैयार की गई अन्य सूची पर अधिकतर विश्वास किया।

2.10 सरकारी सेवाओं में दलित वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रथम प्रयास उस समय किया गया जब भारत सरकार ने जुलाई 1934 में अनुदेश जारी किए कि इन वर्गों के योग्य उम्मीदवार केवल नियुक्ति के समुचित अवसर से इसलिये वंचित न किए जाएं कि वे खुली प्रतियोगिता में सफल नहीं हो सकते। तथापि, उनके लिए रिक्तियों का कोई निश्चित प्रतिशत निर्धारित नहीं किया गया था। केवल 1943 में अनुसूचित जातियों के लिए रिक्तियों का 8% प्रतिशत आरक्षण करते हुए आदेश जारी किए गए थे। जून 1946 में, यह आरक्षण 12% प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया ताकि इसे अनुसूचित जनजातियों को जनसंख्या के अनुकूल रखा जा सके। परन्तु पिछड़ी जनजातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं किया गया था। क्योंकि उनका मौजूदा शिक्षा का स्तर उन्हें पर्याप्त संख्या में सरकारी सेवाओं में लिए जाने के लिए बहुत कम था।

2.11 यह भी आश्चर्यजनक है कि दलित वर्गों में शिक्षा के प्रसार के लिए व्यवस्था बहुत बाद में की गई है थी। 1944 में शिक्षा मंत्रालय ने अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियाँ आदि के लिए एक योजना तैयार की और इसे 1948 में अनुसूचित जनजातियों के लिए भी लागू कर दिया।

2.12 उपर्युक्त दस राज्य सरकारों द्वारा गठित आयोगों अथवा समितियों की मुख्य सिफारिशों तथा उन पर की जाते वाली कार्रवाई का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :—

आन्ध्र प्रदेश

2.13 1966 में, आन्ध्र प्रदेश सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों को 112 जातियों की एक सूची अधिसूचित की और सरकारी सेवाओं तथा व्यावसायिक कालेजों आदि में उनके लिए स्थानों का आरक्षण करने के आदेश भी जारी किए। इस आदेश के विरुद्ध अनेक याचिकाएँ वायर की गईं और आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने इसे इस आधार पर रद्द कर दिया कि सूची में दिए गए समुदायों के सामाजिक तथा शैक्षणिक पिछड़ेपन के संबंध में राज्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। इस निर्णय को उच्चतम न्यायालय ने भी बरकरार रखा।

2.14 इसको दृष्टि में रखते हुए आन्ध्र प्रदेश सरकार ने श्री मनोहर प्रसाद की अध्यक्षता में अप्रैल, 1968 में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया और इसने जून 1970 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्गों के चार विभिन्न वर्गों का निर्धारण किया तथा इनके लिए व्यावसायिक कालेजों तथा सरकारी सेवाओं में आरक्षण करने की सिफारिश की। इन दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर आयोग की सिफारिशें तथा राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई निम्नलिखित सारणी में दी गई है :—

सारणी

क्रम सं०	अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणी	व्यावसायिक कालेजों तथा सरकारी सेवाओं में आरक्षण	
		आयोग द्वारा की गयी सिफारिश	राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत
1.	आदिवासी जनजातियाँ, विमुक्त जातियाँ, खानाबदोश तथा अर्ध खानाबदोश जातियाँ	7%	7%
2.	व्यावसायिक ग्रुप	13%	10%
3.	हरिजन परिवर्तित	1%	1%
4.	अन्य वर्ग	9%	7%
		30%	25%

2.15 राज्य सरकार ने आयोग की इस सिफारिश को स्वीकार किया कि आरक्षित रिक्तियों में खुली प्रतियोगिता द्वारा गुणावगुण के आधार पर चुने गए उम्मीदवारों को समायोजित नहीं किया जावेगा। स्थानीय निकायों, राज्य सरकार के उपक्रमों आदि के निबंधनाधीन सभी पदों के लिए 25% का आरक्षण भी लागू किया गया।

2.16 राज्य सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए गृह स्थलों का 25% और आवास बोर्ड द्वारा इनके लिए बनाए गए गृहों का 15% आरक्षण भी किया। पिछड़े वर्गों के वे छात्र जिनके परिवार को आय प्रति वर्ष 6,000 रु० से कम है, ट्यूशन फीस के भुगतान से मुक्त है और छात्रवृत्तियों, छात्रावास सुविधाएँ आदि प्राप्त करने के पात्र हैं।

2.17 सरकार ने आगे अन्य पिछड़े वर्गों के लिए गृहस्थलों तथा फाल्गू भूमि का आवंटन और उनके लिए पृथक वित्त निगम बनाने के लिए आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया। राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः आर्थिक मानदंड के आधार पर छात्रवृत्तियाँ तथा अन्य सुविधाएँ प्रदान करने के लिए आयोग की सिफारिश को भी स्वीकार किया गया।

2.18 तत्पश्चात् पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए और उपायों की सिफारिश करने के लिये श्री आगिसान बीरप्पा की अध्यक्षता में पांचवीं विधान सभा की एक समिति गठित की गई। 1977 में उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और सरकार द्वारा स्वीकृत की गई इसकी महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्नलिखित हैं :—

1. छठी कक्षा जैसा कि किया जा रहा है, को बजाये पहली कक्षा और उसकी बाद की कक्षाओं से छात्रवृत्ति की मंजूरी।
2. छात्रवृत्तियों की दर में वृद्धि।
3. विभिन्न संस्थानों में प्रवेश के लिये अन्य पिछड़े वर्गों के लिये योग्यता अंकों को 40% से घटाकर 35% कर देना।

बिहार

2.19 1951 में, बिहार सरकार ने शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलायी गयी एक योजना के अन्तर्गत मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियाँ आदि देने के लिए 109 पिछड़े वर्गों की एक सूची तैयार की थी। गृह मंत्रालय ने अपने तारीख 14 अगस्त 1951 के पत्र में (अध्याय 1 के पैरा 1.12 में देखें), राज्य सरकारों को सूचित किया था कि वे पिछड़े वर्गों को अपनी सूचियाँ तैयार करें क्योंकि काका कालेलकर आयोग द्वारा तैयार की गयी सूचियाँ स्वीकार नहीं की गयी थीं। बिहार सरकार ने 1951 में तैयार की गयी सूची जारी रखने का निर्णय किया।

2.20 1964 में, पटना उच्च न्यायालय* ने बालाजी के मुकदमे में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को, दृष्टि में रखकर बिहार सरकार की पिछड़े वर्गों की सूची को अवैध घोषित कर दिया क्योंकि इसने पिछड़ेपन का मानदंड जाति रखा गया था। अतः राज्य सरकार ने निर्णय किया कि चालू शिक्षण सुविधाएँ 1951 के आदेश में बताए गए अन्य पिछड़े वर्गों के केवल उन छात्रों को दी जायें जिनके परिवार की आय 500 रु० प्रति मास से कम थी। मेडिकल कालेजों में प्रवेश के लिए, आय सीमा 250 रु० प्रतिमास निर्धारित की गयी।

2.21 बिहार सरकार ने भी जून 1971 में श्री मुंगेरी लाल की अध्यक्षता में पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया और उसने फरवरी 1976 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस आयोग ने 128 जातियों को "पिछड़े वर्ग" और उनमें से 94 को "अत्यन्त पिछड़ा वर्ग" के रूप में वर्गीकृत किया।

2.22 आयोग की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित थीं :—

1. अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के लिए सभी सरकारी विभागों, स्थानीय निकायों और राज्य के सरकारी उपक्रमों में 20% आरक्षण। इसके अतिरिक्त ऐसी रिक्तियों का 3% स्त्रियों के लिए और उसने ही प्रतिशत आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण करने की सिफारिश की गई थी। केवल उन्हीं उम्मीदवारों को यह लाभ दिए जाने चाहिए जिनके परिवार की आय न्यूनतम आयकर सीमा से कम थी।
2. अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए इंजीनियरिंग, मेडिकल तथा अन्य व्यावसायिक संस्थानों में 24% स्थानों का आरक्षण, और

*ए० आई० आर० 1965, पटना 372

3. अन्य पिछड़े वर्गों के लिए गृहस्थलों के आवंटन, छात्रवृत्तियों की मंजूरी, ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति आदि जैसी विभिन्न अन्य सुविधाओं की मंजूरी।

2.23 राज्य सरकार ने अक्टूबर 1978 में उल्लिखित सिफारिशों को स्वीकार किया किन्तु इसके कारण अनेक आन्दोलन हुए। उन्नत तथा पिछड़ी दोनों जातियाँ सरकार से असंतुष्ट हो गयीं। आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से भी विवाद उत्पन्न हो गए। अनेक भर्ती एजेंसियों ने योग्यता के आधार पर चुने हुए पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को भर्ती के लिए निर्धारित उच्च सीमा को दृष्टि में रखकर आरक्षण के प्रावधान का गलत अर्थ लगाया। यदि खुली प्रतियोगिता में 20% के आरक्षित कोटा से अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवार अधिक चुने जाते हैं तो वास्तविक भर्ती केवल 20% तक प्रतिबन्धित कर दी गई।

2.24 तत्पश्चात्, बिहार सरकार ने जुलाई 1979 में इस गलत धारणा को ठीक किया और स्पष्ट किया कि पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण कोटा न्यूनतम बताया गया था न कि अधिकतम। यह भी स्पष्ट किया गया कि योग्यता के आधार पर चुने गए पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों का प्रतिशत उनके आरक्षित कोटा से समायोजित नहीं किया जाना चाहिए।

गुजरात

2.25 गुजरात सरकार ने श्री ए० आर० बक्शी की अध्यक्षता में अगस्त 1972 में एक पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया और इसने अपनी रिपोर्ट फरवरी 1976 में प्रस्तुत की। इस आयोग ने सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़ी 82 जातियों तथा समुदायों की सूची बनायी और उनकी उन्नति के लिए निम्नलिखित उपायों की सिफारिश की:—

1. मैडिकल, इंजीनियरिंग तथा अन्य व्यावसायिक संस्थानों में स्थानों का 10% आरक्षण,
2. सभी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की सरकारी सेवाओं में रिक्तियों का 10% आरक्षण,
3. सभी सरकारी सेवाओं, स्थानीय निकायों, राज्य सरकारी उपक्रमों आदि में सभी प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी की रिक्तियों का 5% आरक्षण,
4. प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्रों में स्थानों का 10% आरक्षण,
5. अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्तियाँ तथा अन्य शैक्षणिक सुविधाएँ प्रदान करना, बशर्तें उनको पैनल आय 4,800 रु० प्रतिवर्ष से अधिक न हो। ये आय सीमा खानाबदोश जनजातियों तथा विमुक्त जनजातियों के मामले में 7,200 रु० तक बढ़ा दी।

2.26 गुजरात सरकार ने बक्शी आयोग की सभी सिफारिशों स्वीकार कर ली।

जम्मू और काश्मीर

2.27 1956 में जम्मू और काश्मीर की सरकार ने सिविल सेवा नियम अधिसूचित किए जिसमें अन्य जातियों के साथ-साथ यह व्यवस्था थी कि राज्य सरकार पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण कर सकती है। नवम्बर 1967 में, राज्य सरकार ने गजेन्द्रगडकर आयोग नियुक्त किया और जिसका एक विचारार्थ विषय सरकारी रोजगार, विभिन्न क्षेत्रों, जातियों तथा पिछड़े वर्गों को सरकारी सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए उपायों की सिफारिश करने की दृष्टि से विद्यमान भर्ती नीतियों की जांच करना था। गजेन्द्रगडकर आयोग ने दिसम्बर 1968 में अपनी रिपोर्ट दी और सिफारिश की कि पिछड़ी जातियों के नियंत्रण का मानदंड आर्थिक पिछड़ापन, व्यवसाय, आवास, साक्षरता तथा जाति

(हिन्दुओं के संबंध में) के आधार पर निश्चित किया जाना चाहिये। आयोग ने यह सिफारिश भी की कि यह कार्य उच्च स्तरीय समिति को सौंपा जाना चाहिये।

2.28 तदनुसार, श्री जे० एन० वजीर की अध्यक्षता में फरवरी 1969 में जम्मू और काश्मीर सरकार ने एक पिछड़ा वर्ग समिति गठित की। इस समिति की सिफारिशों पर कार्रवाई करते हुए राज्य सरकार ने "जम्मू और काश्मीर अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग (आरक्षण) नियम, 1970" बनाए। एक याचिका के परिणामस्वरूप, उच्चतम न्यायालय ने इन नियमों में कुछ कमियाँ बताई और कहा कि इनको लागू करने से पूर्व कुछ संशोधन किए जाने चाहिये। फलस्वरूप, राज्य सरकार ने अगस्त 1976 में न्यायमूर्ति (डा०) आदर्श एस० आनन्द की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। इस समिति ने सितम्बर 1977 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और सिफारिश की कि—

निम्नलिखित श्रेणियों में आने वाले राज्य के स्थायी निवासियों को पिछड़ा वर्ग घोषित किया जाय:—

1. बाईस कमजोर तथा शोषित वर्ग तथा
2. विनिर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले निवासी।

2.29 कमजोर तथा शोषित वर्गों में अधिकतर व्यावसायिक जातियाँ होती हैं। पिछड़े क्षेत्र को पहचान दुर्गमता, खराब मौसम, मामूली साक्षरता तथा चिकित्सा सुविधाओं का न होना आदि के आधार पर की गई थी।

2.30 समिति ने राज्य के पिछड़े वर्गों के लिए निम्नलिखित सुविधाओं की सिफारिश की:—

1. सभी सरकारी सेवाओं में होने वाली रिक्तियों का 42% आरक्षण,
2. सभी तकनीकी तथा व्यावसायिक संस्थानों में 42% स्थानों का आरक्षण,
3. उन छात्रों को छात्रवृत्तियाँ तथा बर्जीफा देना जिनके परिवार की आय 3,000 रु० प्रतिवर्ष से अधिक न हो तथा जसी प्रकार पिछड़े वर्गों के समान आय सीमा वाले परिवारों के छात्रों को ऊंची दरों पर बैसी ही छात्रवृत्तियाँ तथा बर्जीफा देना।

2.31 सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में उपर्युक्त आरक्षण, अनुसूचित जातियों के लिए (जम्मू और काश्मीर में कोई अनुसूचित जनजाति नहीं है) किए गए 8% आरक्षण के अलावा है।

कर्नाटक

2.32 राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप कर्नाटक राज्य का निर्माण किया गया था जिसमें पाँच राज्य मैसूर, कुर्ग, बम्बई, हैदराबाद और मद्रास संपूर्ण तौर पर अथवा आंशिक रूप में सम्मिलित थे। इन राज्यों में से कुछ राज्यों द्वारा पहले बनाई गई सूची के आधार पर नये राज्य ने पिछड़े वर्गों की समूचे कर्नाटक के लिए एक समान सूची तैयार की। मैसूर उच्च न्यायालय द्वारा यह सूची रद्द कर दी गयी और 1959 में किये गये समान प्रयास का भी यही परिणाम हुआ। जनवरी 1960 में कर्नाटक सरकार ने डा० आर० नागन्ना गावडा की अध्यक्षता में एक पिछड़ा वर्ग समिति का गठन किया, जिसने अपनी रिपोर्ट मई 1961 में प्रस्तुत की।

2.33 इस समिति ने पिछड़े समुदायों के एक वर्ग को सेवाओं में आरक्षण और दूसरे वर्ग को शैक्षिक रियायतें देने का सुझाव दिया। इसने यह भी सिफारिश की कि पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए तकनीकी और व्यावसायिक संस्थानों में 50% स्थान आरक्षित होने चाहिये। इसने सभी सरकारी रिक्तियों में पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 40% आरक्षण करने का भी सुझाव दिया।

2.34 इन सिफारिशों पर आधारित 1961 के सरकारी आदेश को उच्चतम न्यायालय द्वारा विख्यात बालाजी के मामले में रद्द कर दिया गया और राज्य सरकार को संविधान से छल कपट करने के लिए प्रताड़ित किया। इसकी ध्यान में रखते हुए राज्य ने वर्गों को पिछड़ा मानने की अपेक्षा व्यक्तियों को पिछड़ा हुआ मान कर अस्थायी तौर पर विशेष सुविधाएं देना शुरू कर दिया।

2.35 अगस्त 1972 में कर्नाटक सरकार ने श्री एल० जी० हवानूर की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग स्थापित किया जिसने अपनी रिपोर्ट नवम्बर 1975 में प्रस्तुत की। अपने निष्कर्षों में आयोग ने बताया कि उसने जाति और समुदाय के सामाजिक पिछड़ेपन को निर्धारित करने के लिए जाति मानदण्ड को नहीं अपनाया है इसके स्थान पर उसने सामाजिक पिछड़ेपन को निर्धारित करने के लिये आर्थिक आवासीय और व्यावसायिक पक्षों जैसे विभिन्न पक्षों को लिया है। आयोग ने पिछड़े वर्गों की 3 विशेष श्रेणियों की पहचान की और राज्य में उनकी जनसंख्या का प्रतिशत निकाला और निम्नलिखित आरक्षण सरकारी सेवाओं की रिक्तियों में देने की सिफारिश की :—

पिछड़े वर्ग का नाम	जनसंख्या का प्रतिशत	आरक्षण का प्रतिशत
1. पिछड़े समुदाय	19.20%	16%
2. पिछड़ी जातियां	14.47%	10%
3. पिछड़ी जनजातियां	8.00%	6%
कुल	41.67%	32%

2.36 शैक्षिक संगठनों के स्थानों में भी इसी प्रकार से आरक्षण की सिफारिश की गयी।

2.37 आयोग ने अन्य पिछड़े वर्गों के लिये एक अलग वित्त निगम और एक निदेशालय स्थापित करने की भी सिफारिश की।

2.38 राज्य सरकार ने मोटे तौर पर आयोग की सिफारिशों को मानते हुए पिछड़े वर्गों की विभिन्न श्रेणियों के लिये सेवाओं और शैक्षिक संस्थानों में निम्नलिखित आरक्षण करने के आदेश दिये :—

क्रम०सं०	पिछड़े वर्गों का नाम	आरक्षण का प्रतिशत	
		शैक्षिक संस्थाएं	सरकारी सेवाएं
1	2	3	4
1.	अनुसूचित जातियां	15%	15%
2.	अनुसूचित जनजातियां	3%	3%
3.	पिछड़े समुदाय	20%	18%
4.	पिछड़ी जातियां	10%	10%
5.	पिछड़ी जनजातियां	5%	5%
6.	विशेष वर्ग	15%	15%
	कुल	68%	66%

2.39 इससे यह विदित होगा कि आदेश जारी करते समय सरकार ने पिछड़े वर्गों की एक नई श्रेणी अर्थात् "विशेष वर्ग" जोड़ दिया और इस श्रेणी के लिए 15% आरक्षण किया गया। आगे जबकि हवानूर आयोग ने सरकारी सेवाओं और शैक्षिक संस्थाओं में पिछड़े समुदायों के लिए 16% आरक्षण की सिफारिश की तो सरकार ने उसे बढ़ा कर क्रमशः 18% और 20% कर दिया।

केरल

2.40 अभी तक केरल सरकार ने अन्य पिछड़े वर्ग पर 3 समितियों/आयोग स्थापित किए हैं। पहली एक मूल्यांकन समिति थी जो जून 1961 में श्री बी० के० शिवनाथन की अध्यक्षता में गठित की गयी थी। जिसने अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 1963 में प्रस्तुत की थी और इसकी मुख्य सिफारिशों इस प्रकार थी :—

1. अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए तकनीकी और व्यावसायिक कालेजों में 40% सीटों का आरक्षण तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिये 10% आरक्षण।
2. उपर्युक्त आरक्षण राज्य सरकार में सभी नई नियुक्तियों पर भी लागू होगा, तथा
3. पिछड़े समुदाय के पुनर्वर्गीकरण के प्रश्न पर विचार करने के लिए विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति।

2.41 राज्य सरकार ने तकनीकी और व्यावसायिक संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिये आरक्षण केवल 25% तक सीमित रखते हुए, उपर्युक्त सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

2.42 तत्पश्चात् शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों के आरक्षण को संविधान के अनुच्छेद 15(4) के अन्तर्गत केरल उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी और राज्य सरकार को निर्देश दिया गया कि वह तथ्यों का पता लगाने का काम शुरू करें और पिछड़े वर्ग को शैक्षिक लाभ देने के लिये वास्तविक मानदण्ड बनाये। तदनुसार राज्य सरकार ने जुलाई 1964 में श्री जी० कुमार पिस्साई की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया और आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसम्बर 1965 में प्रस्तुत की। इसकी मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं :—

1. इसने 91 जातियों को पिछड़ी जातियों के रूप में वर्गीकृत किया और सिफारिश की कि रिपोर्ट में जिन सुविधाओं की सिफारिशों की गयी हैं वे केवल पिछड़े वर्गों के उन सदस्यों की दी जाएं जिनके परिवार की कुल वार्षिक आय 4,200 रुपये से कम हो, और
2. तकनीकी और व्यावसायिक संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण 25% होना चाहिये। यह निर्दिष्ट किया कि अन्य पिछड़े वर्गों की विभिन्न श्रेणियों के लिये इन सीटों का अलग-अलग कोटा निर्धारित किया जाय।

2.43 राज्य सरकार ने उक्त सिफारिशों, संशोधन सहित स्वीकार की कि उच्चतम आय सीमा 4,200 रुपये से बढ़ा कर 6,000 रुपये प्रतिवर्ष कर दी जाये। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से कहा कि वह संविधान के अनुच्छेद 15(4) के अन्तर्गत अन्य पिछड़े वर्गों को शैक्षिक सुविधाएं देने के बारे में जांच कराये। इसलिये केरल सरकार ने सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिये 40% के आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था में हस्तक्षेप करने के लिये कोई कार्रवाई नहीं की।

2.44 तत्पश्चात् केरल उच्च न्यायालय के समक्ष दायर याचिका पर राज्य सरकार को कहा गया कि पिछड़े समुदाय के लिये आरक्षण के नियम पुराने आंकड़ों पर आधारित थे और इसलिये समय-समय पर व्यापक सर्वेक्षण और संबद्ध आंकड़े एकत्र करने चाहिये। तदनुसार राज्य सरकार ने अक्टूबर 1967 में श्री एम० पी० दामोदरन की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आरक्षण आयोग स्थापित किया और जिसने अपनी रिपोर्ट जून 1970 में प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट की जांच करने में सरकार ने आठ वर्ष से अधिक का समय लिया और इस अवधि के अन्त में यह महसूस

किया कि इतने अधिक भन्तराल के बाद आयोग के निष्कर्षों की उपयोगिता समाप्त हो गयी होगी। इन परिस्थितियों में सरकार ने यह निर्णय लिया कि एक नया आयोग गठित करने पर ही इस मामले को सन्तोषजनक ढंग से हल किया जा सकता है। इस बीच अन्य पिछड़े वर्ग के आठ पृथक-पृथक वर्गों के लिये सेवाओं में निर्धारित आरक्षण के परस्पर प्रतिपात के संबंध में 40% के समग्र आरक्षण में हस्तक्षेप किये बिना कुछ मामूली संशोधन किये गये।

ये आरक्षण निम्नलिखित हैं :—

ग्रुप का नाम	श्रेणी-4 के पदों के लिए आरक्षण	श्रेणी-4 के अलावा अन्य पदों के लिये आरक्षण
1. इजहावास	11%	14%
2. मुसलमान	10%	12%
3. लेटिन-कथोलिक तथा एंग्लो इंडियन	4%	4%
4. नादार	1%	1%
5. ईसाई में परिवर्तित अनुसूचित जाति	2%	1%
6. अंकारी, कम्माल, विषवकर्मा आदि जैसे 22 समुदाय	2%	3%
7. धीवर समुदाय	2%	1%
8. अन्य पिछड़े वर्ग	8%	4%
जोड़	40%	40%

2.45 राज्य सरकार ने अभी तक कोई नया आयोग गठित नहीं किया है।

महाराष्ट्र

2.46 पुराने बम्बई राज्य के विभाजन के बाद महाराष्ट्र सरकार ने नवम्बर 1961 में सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण पर रिपोर्ट देने हेतु श्री बी० डी० देशमुख की अध्यक्षता में एक समिति स्थापित की। जनवरी 1964 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में इसने निम्नलिखित सिफारिशों की :—

1. पिछड़े वर्गों को निम्न चार वर्गों में रखा जाना चाहिए, जैसे (क) अनुसूचित जाति और नव बौद्ध (ख) अनुसूचित जनजाति (ग) विमुक्त और खानाबदोश जाति और (घ) अन्य पिछड़ी जातियां।
2. पिछड़े वर्ग के विभिन्न वर्गों के लिये सेवाओं और शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण राज्य में उनकी जनसंख्या के प्रतिपात के अनुसार होना चाहिये।

2.47 सरकार ने मोटे तौर पर उक्त सिफारिशों को मान लिया और पिछड़े वर्ग के चार वर्गों के लिये सेवाओं और शैक्षणिक संस्थाओं में निम्नलिखित आरक्षण किया :—

वर्ग का नाम	आरक्षण का प्रतिपात
1. बौद्धों में परिवर्तित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियां	13%
2. अनुसूचित जनजातियां	7%
3. विमुक्त और खानाबदोश जनजातियां	4%
4. अन्य पिछड़ी जातियां	10%

2.48 तत्पश्चात् अप्रैल 1979 में राज्य सरकार ने यह आदेश जारी किये कि राज्य सरकार और स्थानीय निकायों, आदि की कुल रिक्तियों की 80% रिक्तियां, समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित होनी चाहिये। यह कमजोर वर्ग उन परिवारों को माना गया जिनकी मासिक आय 200 रुपये से कम था। यदि 80% रिक्तियों को भरने के लिए 200 रु० से कम मासिक आय वाले परिवार के सदस्य उपलब्ध न हों, तो ये शेष आरक्षित रिक्तियां, 200 रु० से 400 रु० मासिक आय वाले परिवार के सदस्यों से भरे जाने के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

2.49 इस आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया था कि 80% आरक्षण में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिये पहले किया आरक्षण शामिल था।

पंजाब

2.50 1951 में पंजाब सरकार ने पिछड़ा वर्ग पर एक समिति का गठन किया और इसकी सिफारिशों के आधार पर 14 जातियों को, जो राज्य की जनसंख्या का 2 प्रतिपात हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग घोषित किया। इसकी पहचान आर्थिक, शैक्षिक तथा सामाजिक पिछड़ापन के आधार पर की गई थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर सेवाओं में 2 प्रतिपात स्थान पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किये गये। इसी प्रकार की रियायत शैक्षिक संस्थाओं में भी दी गई।

2.51 1965 में राज्य सरकार ने पिछड़े वर्गों को दी गई रियायतों की समीक्षा करने के लिए श्री वृषभान की अध्यक्षता में एक मूल्यांकन समिति गठित की। अगस्त 1966 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, समिति की सिफारिशें निम्नलिखित हैं :—

1. पिछड़े वर्ग की मौजूदा सूची को युक्ति-युक्त किया जाना चाहिए ताकि जो वर्ग या जातियां अभी तक पिछड़े नहीं हैं उन्हें इसमें से निकाल दिया जाए, और
2. शिक्षण संस्थानों में मौजूदा 2 प्रतिपात स्थानों के आरक्षण को बढ़ा कर 5% तक किया जाना चाहिये।

इस समिति ने यह भी देखा कि सेवाओं में आरक्षण से कोई उपयोगी उद्देश्य प्राप्त नहीं हो रहा है और इसलिये सरकार को शिक्षा के मामले में मुख्य रूप से रियायतें देनी चाहिये।

2.52 सरकार ने सेवाओं के मामले में आरक्षण को समाप्त कर देने वाली समिति की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया। वास्तव में, सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों दोनों में ही आरक्षण कोटा 5% तक बढ़ा दिया गया।

2.53 अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए पंजाब विधान सभा समिति ने अपनी चौथी रिपोर्ट 1975-76 में, सिफारिश की कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सेवाओं में 15% आरक्षण होना चाहिये। इस सिफारिश की जांच करने के पश्चात्, राज्य सरकार ने देखा कि पहले से ही 25% स्थान अनुसूचित जाति और 20% स्थान भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित थे। चूंकि अधिकतम आरक्षण 50% से अधिक नहीं किया जा सकता था इसलिये पिछड़ा वर्ग के लिए अलग से 15% आरक्षण करना संभव नहीं था।

उत्तर प्रदेश

2.54 अक्टूबर 1975 में श्री छेदीलाल साधी की अध्यक्षता में "एक सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग" नियुक्त किया गया था जिसने अपनी रिपोर्ट 1977 में दी। आयोग ने पिछड़े वर्ग को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत

करने की सिफारिश की और प्रत्येक श्रेणी के लिए सरकारी सेवा में आरक्षण का अलग-अलग कोटा निर्धारित किया जो निम्नलिखित है :—

श्रेणी का नाम	आरक्षण का प्रतिशत
1. सूची "ए" जिसमें भूमिहीन मजदूर, अकुशल कामगार, गैर कौरीगर और धरेलू नौकर सम्मिलित हैं	17%
2. सूची "बी" जिसमें मकानले और छोटे कृषक सम्मिलित हैं	10%
3. सूची "सी" जिसमें मुस्लिम पिछड़ा वर्ग सम्मिलित हैं	2½%
कुल	29½%

2.55 इसने शैक्षणिक संस्थाओं में भी उपर्युक्त आधार पर आरक्षण करने का प्रस्ताव किया तथा सिफारिश की कि निर्धन परिवारों के विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाये। छात्रावास सुविधा उपलब्ध कराने और छात्रवृत्ति के लिए विशेष व्यवस्था करने की भी सिफारिश की गई।

2.56 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उक्त सिफारिशों आंशिक रूप से स्वीकार कर ली गई और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिये सरकारी सेवाओं की सभी रिक्तियों में 15% आरक्षण करने के आदेश दिये। इसी प्रकार का आरक्षण तकनीकी और व्यावसायिक संस्थाओं में प्रदेश के लिये भी किया गया है। तत्पश्चात् आरक्षण के इस आदेश को 1979 में उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया और मामला अब उच्चतम न्यायालय में अपील के रूप में विचाराधीन है।

तमिलनाडु

2.57 तमिलनाडु अन्य पिछड़े वर्ग को विशेष रियायतें देने में अग्रणी रहा है जैसाकि पैरा 2-1 में दिया गया है कि 1927 में मद्रास सरकार ने राज्य के सभी समुदायों को प्रसिद्ध साम्प्रदायिक सरकारी आदेश के अधीन पांच वर्गों में वर्गीकृत किया था और सरकारी सेवा में भर्ती के लिए प्रत्येक वर्ग का अलग कोटा निर्धारित किया था। यह पद्धति स्वतन्त्रता काल तक चलती रही। 1947 में, पिछड़े वर्गों द्वारा डाले गये दबाव को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उनके प्रतिनिधित्व को निम्न प्रकार से संशोधित किया :—

वर्ग का नाम	1947 में आरक्षित कोटा	1947 में संशोधित कोटा
1. गैर ब्राह्मण हिन्दू	5/12	6/14
2. ब्राह्मण	2/12	2/14
3. अनुसूचित जातियाँ/यलित वर्ग	17/12	2/14
4. मुस्लिम	2/12	1/14
5. एंग्लो-इण्डियन और ईसाई	2/12	1/14
6. पिछड़े हिन्दू	—	2/14

2.58 आरक्षण की उपर्युक्त योजना को उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया और फिर राज्य सरकार ने 1951 में यह निर्णय लिया कि आने के लिए आरक्षण केवल अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लिये ही होना चाहिये। [संयोगवश यह निर्णय था, जिसके कारण बाद में प्रथम (संविधान संशोधन) अधिनियम, 1951 के तहत अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया] आन्ध्र प्रदेश के अलग हो जाने के पश्चात् मद्रास सरकार ने 1964 में आदेश दिये कि राज्य सरकार के सभी पदों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 16% आरक्षण और पिछड़े वर्गों

के लिए 25% आरक्षण किया जाना चाहिये। मेडिकल कालेजों में प्रवेश आदि के लिए भाषा एवं जिला आधार की पहली प्रणाली को 1960 में समाप्त कर दिया गया और 15% स्थान अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए और 25% स्थान पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित करने के आदेश जारी किये गये।

2.59 नवम्बर 1969 में तमिलनाडु सरकार ने श्री ए० बी० सतानधन की अध्यक्षता में एक पिछड़ा आयोग गठित किया जिसने अपनी रिपोर्टें नवम्बर 1970 में प्रस्तुत की। इसकी मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं :—

1. पिछड़े वर्गों की मौजूदा सूची में कई असंगतियाँ हैं इसलिए उनको युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिए।
2. अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए राज्य सरकार की सेवाओं में 33% पदों का आरक्षण किया जाना चाहिए।
3. उपर्युक्त आरक्षण, विभिन्न व्यावसायिक और तकनीकी संस्थाओं में प्रवेश हेतु भी अपनाया जाना चाहिये।
4. अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को विभिन्न शैक्षणिक रियायतें विशेष शिक्षण सुविधाएं आदि भी प्रदान की जानी चाहिये।

2.60 राज्य सरकार ने आयोग की सिफारिशों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा बालाजी के मामले में दिये गये निर्णय और 1971 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए (अन्य), पिछड़े वर्गों के लिए सभी पदों का 31% आरक्षण और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 18% आरक्षण करने के आदेश जारी किये। इन दो वर्गों के विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं के लिये 31% और 18% कोटा आरक्षित किया गया।

2.61 राज्य सरकार ने 24 जनवरी 1980 में सरकारी सेवाओं और शैक्षणिक संस्थाओं, दोनों में, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण कोटा 31% से बढ़ा कर 50% तक कर दिया। यह अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए 18% कोटा के अलावा है। इस आदेश के विपक्ष एक याचिका तमिलनाडु उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

2.62 तमिलनाडु सरकार भी पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ, निःशुल्क दोपहर का भोजन, स्कूल बर्दी, पाठ्य पुस्तकें आदि देती है। इनके लिये अलग छात्रावास और विशेष शिक्षण सुविधाएं भी शुरू की गयी हैं। व्यावसायिक समुदायों को कम मूल्यों पर भोजन भी दिये जाते हैं।

आठ अन्य राज्य

2.63 आठ राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की स्थिति, जिनमें अन्य पिछड़े वर्गों की दशा की विधिवत जांच कराये बिना सूचियाँ अधिसूचित की गई हैं उनकी स्थिति संक्षेप में निम्नलिखित है :

2.64 हरियाणा में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए सरकारी सेवाओं में 10% और व्यावसायिक और तकनीकी संस्थाओं में दो प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। हिमाचल प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये सभी पदों पर 5% आरक्षण है और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को शैक्षिक रियायतें भी दी गयी हैं। असम और पांडिचेरी में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सरकारी सेवाओं में कोई आरक्षण नहीं किया गया है लेकिन शैक्षणिक संस्थाओं में कुछ आरक्षण किया गया है। राजस्थान, उड़ीसा, मेघालय तथा दिल्ली में अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिये न तो सरकारी सेवा में कोई पद और न शैक्षणिक संस्थाओं में कोई सीट आरक्षित की

गयी है। उन्होंने पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिये कुछ छोड़ी सी अन्य रियायतें जैसे स्कूल फीस, किताबें, दोपहर का भोजन आदि प्रदान की हैं। 1961 में उड़ीसा और दिल्ली, दोनों ने, जाति के आधार पर बनायी गयी अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची को रद्द कर पिछड़ेपन के निर्धारण के लिये आर्थिक मानदण्ड को स्वीकार किया है।

2.65 वे राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र निम्नलिखित हैं, जिन्होंने अन्य पिछड़ा वर्गों के संबंध में कभी कोई सूची तैयार नहीं की है, या

उनके उत्थान के लिए कोई अलग कार्रवाई नहीं की है:—अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह, अरुणाचल प्रदेश, चण्डीगढ़, वावर तथा नोमर हुवेली, गोवा, यमण और दीव, लक्षद्वीप, मध्यप्रदेश, मणीपुर, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम, त्रिपुरा तथा पश्चिमी बंगाल। हाल ही में 1 अगस्त 1980 को पं० बंगाल सरकार ने यह अध्ययन करने के लिये एक समिति के गठन की अधिसूचना जारी की कि क्या संविधान के अनुच्छेद 15 (4) के साथ पठित अनुच्छेद 15(4), 16(4) और 29(2) के अधीन राज्य सरकार को सौंपी गई शक्तियों के अन्तर्गत कार्रवाई करना आवश्यक है।

वर्गीकरण और आंकड़ा आधार

3.1 काका कालेलकर आयोग की सिफारिशों को केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार न किये जाने का एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि उसने सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के समुचित वर्गीकरण का न तो मानदण्ड सुझाया था और न वस्तुपरक जांच की थी। कुछ राज्य सरकारों द्वारा जारी आरक्षण आदेशों के विरुद्ध दायर कई याचिकाओं में उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने भी सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ेपन की व्याख्या करने या अन्य पिछड़ा वर्ग की पहचान करने के संबंध में एक अनुभव जन्म दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

3.2 आयोग ने कार्यकलापों की रूपरेखा बनाते समय उक्त आवश्यकताओं को हमेशा ध्यान में रखा है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आयोग ने अपने कार्यकलापों के प्रत्येक महत्वपूर्ण पहलू पर देश के प्रसिद्ध समाजविदों, अनुसंधान संगठनों और विशेषज्ञ एजेंसियों से सहयोग प्राप्त करने के विशेष प्रयास किये। एक या दो प्रतिष्ठित जांच तकनीकों पर विश्वास करने की अपेक्षा, हमने अपना जाल तथ्यों को एकत्र करने के लिये अधिक से अधिक सम्भव क्षेत्र तक फैलाने की कोशिश की। इस कार्यकलाप का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :-

(1) सामाजिक पिछड़ेपन के सम्बन्ध में संगोष्ठी

3.3 21 मार्च, 1979 को तत्कालीन प्रधान मंत्री द्वारा आयोग का विधिवत उद्घाटन किया गया और इसके तत्काल बाद, हमारे अनुरोध पर, दिल्ली विश्वविद्यालय के मानव शास्त्र विभाग द्वारा सामाजिक पिछड़ेपन के संबंध में दो दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य आयोग के विचारार्थ विषयों पर व्यापक चर्चा शुरू करना तथा आयोग के सदस्यों और शिक्षाशास्त्रियों के बीच संपर्क स्थापित करना था। आयोग के कार्य के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ और शैक्षिक समुदाय से हमें जो लगातार समर्थन मिला, निस्सन्देह उससे हमें बहुत अधिक लाभ पहुंचा।

(2) प्रस्तावतियों

3.4 अप्रैल 1979 में आयोग ने निम्नलिखित तीन प्रस्तावतियों सभी राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा आम जनता को भेजी (परिशिष्ट 2,3 और 4 खण्ड 3)।

(i) राज्य सरकार प्रस्तावती

3.5 इस प्रस्तावती में राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि सामाजिक तथा शैक्षणिक पिछड़ेपन के संबंध में अपने विचारों, अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिये की गई कार्रवाई, सरकारी सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व शारीरिक श्रम करने वाले मजदूरों और व्यावसायिक समुदायों की आय स्तर और सामाजिक स्थिति, उनके शैक्षिक स्तर और पढ़ना छोड़ देने आदि के संबंध में, सूचना भेजने को कहा गया था। सभी राज्य सरकारों और संबंध शासित क्षेत्रों से उत्तर प्राप्त हुए।

(ii) केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए प्रस्तावती :-

3.6 इस प्रस्तावती में केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और उनके अधीनस्थ सरकारी उपक्रमों से अनुरोध किया गया कि उक्त संगठनों में नियुक्त

अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की संख्या और प्रतिशत के बारे में सूचना भेजे। इस प्रस्तावती में सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ेपन के संबंध में एक मोटा अनुमान और सुलभ मानदण्ड भी दिया गया था। कुल मिलाकर 30 मंत्रालयों और विभागों तथा 31 संबंध और अधीनस्थ कार्यालयों ने अपेक्षित सूचना भेजी।

(iii) आम जनता, स्वैच्छिक संगठनों आदि के लिए प्रस्तावती

3.7 यह प्रस्तावती आम जनता, सामाजिक कार्यकर्ता, सर्वसाधारण, जाति संस्थाओं, स्वैच्छिक संगठनों आदि को भेजी गई थी ताकि सामाजिक तथा शैक्षणिक पिछड़ेपन के मानदण्ड और स्वतंत्रता के बाद सामाजिक स्थिति, भारतीय समाज में जाति का स्थान और पिछड़ा वर्गों द्वारा उठाई गई सामाजिक तथा नागरिक कठिनाइयों के बारे में उनके विचार प्राप्त किये जा सकें। इस प्रस्तावती को आयोग के दौरे के समय प्रत्येक राज्य के प्रसिद्ध अंग्रेजी तथा देशी भाषाओं के समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया तथा आयोग के दौरे के दौरान की गई बैठकों में भी इसे व्यापक रूप से बांटा गया। आयोग को सारे देश से इस प्रस्तावती के कुल मिलाकर 1872 उत्तर प्राप्त हुए।

3.8 उपर्युक्त तीनों प्रस्तावतियों के जवाब में एकत्र की गई रचना को व्यवस्थित ढंग से एकत्रित और विश्लेषित किया गया, तथा इसका इस रिपोर्ट से संबंधित अध्यायों में उपयोग किया गया है।

(3) आयोग के दौरे

3.9 सामाजिक तथा शैक्षणिक पिछड़ेपन की समस्याओं पर जनता के विभिन्न समुदायों और वर्गों से सीधे सूचना प्राप्त करने की दृष्टि से आयोग ने व्यापक दौरे किये। इसने दौरे किये और दौरे के दौरान इसने 84 जिला मुख्यालय 37 ग्राम का दौरा किया। 171 औपचारिक बैठकों में भाग लिया और सर्वसाधारण और स्वैच्छिक संगठनों से 2638 अभ्यावेदन प्राप्त किए। प्रत्येक राज्य मुख्यालय में आयोग ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, संसद सदस्यों, विधायकों, बरिष्ठ अधिकारियों, राज्य तथा केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों के प्रतिनिधित्वों स्वैच्छिक सामाजिक संगठनों और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ उपयोगी विचार-विमर्श किया।

3.10 यह बहुत ही लाभदायक प्रयोग साबित हुआ और आयोग को इससे अन्य पिछड़ा वर्गों की समस्याओं और स्थितियों को गहराई से समझने और समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा इनके प्रति दिवाई गई प्रतिक्रिया को जानने का अवसर प्राप्त हुआ।

(4) आयोग के समक्ष साक्ष्य

3.11 सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के संबंध में विभिन्न समस्याओं के बारे में साक्ष्य देने के लिये आयोग ने कई जन-प्रतिनिधियों, महत्वपूर्ण व्यक्तियों, समाजशास्त्रियों, पत्रकारों, जन-सांख्यिकीविदों आदि को आमंत्रित किया। 1979 में, छठी लोक सभा के सभी सदस्यों को इस संबंध में आमंत्रण पत्र भेजे गए और आयोग के समय साक्ष्य देने के लिए बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। राज्य सभा के कुछ सदस्यों ने भी इस संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किये। संसद के सभी सदस्यों, सामान्य व्यक्तियों और विशेषज्ञों की सूची, जो इस संबंध में आयोग के समक्ष उपस्थित हुए थे, इस रिपोर्ट के खण्ड 2 के परिशिष्ट 5 पर दी गई है।

(5) सामाजिक-शैक्षिक क्षेत्र सर्वेक्षण

3.12 देश व्यापी सामाजिक-शैक्षिक सर्वेक्षण की रूपरेखा तैयार करने के लिये आयोग ने भारत के प्रसिद्ध और वरिष्ठ समाज शास्त्री प्रोफेसर एम० एन० श्रीनिवास की अध्यक्षता में 15 विशेषज्ञों के एक पैनल का गठन किया। पैनल की 16 जुलाई से 20 जुलाई, 1979 तक दिल्ली में बैठक हुई और काफी विचार-विमर्श के बाद इस सर्वेक्षण को आरम्भ करने के लिए तालिकाओं, नमूना सारणियों, अनुदेशों आदि का एक सेट तैयार किया गया।

3.13 इस सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त की गई विस्तृत सूचना के पूर्ण तथा उचित प्रयोग के लिये यह निर्णय भी लिया गया कि सभी आंकड़ों को एकत्र करके कम्प्यूटराइज्ड किया जाना चाहिये। यह आशा भी की गई थी कि इस सर्वेक्षण के परिणामों से उन विशेष बालों का पता चल सकेगा जो कि भारतीय स्थिति में सामाजिक तथा शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण थी। इस सर्वेक्षण के पूरे व्योरे रिपोर्ट के खण्ड 2 में दिये गये हैं और इसके मुख्य निष्कर्षों का इस खण्ड के अध्याय 2 में उपयोग किया गया है।

(6) मामला अध्ययन, विशेष रिपोर्ट आदि

पिछड़े वर्गों के कल्याण के सम्बन्ध में उत्तर-दक्षिण के बीच तुलना

3.14 दक्षिणी राज्यों द्वारा अन्य पिछड़ा वर्गों को पर्याप्त लाभ देने का एक काफी लम्बा और रोचक इतिहास है और भारत के किसी अन्य क्षेत्र की तुलना में इनके कल्याण के लिए इन राज्यों ने अधिक काम किया है। दूसरी तरफ उत्तरी राज्य अन्य पिछड़े वर्गों के लिए किसी कल्याण योजना को बनाने में बहुत शिथिल और हिचकिचाते रहे हैं। वास्तव में, हाल ही के वर्षों में बिहार तथा उत्तर-प्रदेश की सेवाओं और संस्थानों में किए गए मामूली आरक्षण का व्यापक विरोध हुआ तथा आन्दोलन किए गये। उपर्युक्त घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, स्थानीय कारणों, सामाजिक मनोवृत्तियों, पूर्व धारणाओं आदि की स्पष्ट जानकारी का होना आवश्यक समझा गया इसलिये आयोग ने इस उद्देश्य से चार राज्यों अर्थात् तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार और उत्तर-प्रदेश के मामलों का अध्ययन करने के लिए टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, बम्बई को अनुबंधित किया। इस अध्ययन के निष्कर्ष इस खण्ड के अध्याय 8 में दिए गए हैं।

(7) जनगणना आंकड़ों, ग्राम प्रबंध और विशेष रिपोर्ट का विश्लेषण 1891/1931 जाति सूचियां बनाना

3.15 1891 और 1931 की जनगणना के आधार पर आंकड़े एकत्र किए गए और जाति के परम्परागत व्यवसाय से संबंधित रूप रेखा

तैयार करने के लिए उनका विश्लेषण किया गया। इस कार्य का मुख्य उद्देश्य 40 वर्षों की अंतराल अवधि के दौरान विभिन्न जातियों में सामाजिक दशा का अनुमान लगाना था। बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों के संबंध में ये आंकड़े पूर्ण रूप से संकलित किए गए और इन दोनों राज्यों के संबंध में परम्परागत व्यवसायों के अनुसार जाति सूची तैयार की गई। 1931 के बाद के मामलों का अध्ययन नहीं किया गया क्योंकि बाद के जनगणना संचालनों में जातियों की सूचियां तैयार करना बन्द कर दिया गया था।

भारतीय मानव-विज्ञान सर्वेक्षण, कलकत्ता द्वारा ग्राम अध्ययन

3.16 आयोग के अनुरोध पर भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, कलकत्ता ने आन्ध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश के संबंध में अपने ग्राम अध्ययनों को उपलब्ध कर दिया। इन अध्ययनों से आयोग इन राज्यों की ग्रामीण जनसंख्या की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के बारे में उपयोगी सूचना प्राप्त कर सका।

3.17 भारतीय समाज विज्ञान तथा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली, श्रम ब्यूरो (श्रम-मंत्रालय) राष्ट्रीय श्रम संस्थान, आर्थिक विकास संस्थान, नई दिल्ली, विकासशील प्रमाजों का अध्ययन केन्द्र, नई दिल्ली, भारतीय सामाजिक संस्थान, नई दिल्ली आदि द्वारा तैयार की गई सर्वेक्षण रिपोर्टों और मोनोग्राफी से आयोग को सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की स्थितियों और समस्याओं के संबंध में लाभदायक जानकारी प्राप्त हुई।

(8) कानूनी तथा सांविधानिक मामले

3.18 पिछले बीस वर्षों में उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने सरकारी सेवाओं में पदों के आरक्षण, शैक्षिक संस्थाओं में सीटों के आबंटन और कई राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्गों को दिए गए विभिन्न लाभों के संबंध में कई मामलों में निर्णय लिए हैं। चूंकि इन फैसलों में बहुत ही महत्वपूर्ण सांविधानिक और कानूनी मामलों पर विचार-विमर्श किया गया है, इसलिये आयोग के लिए यह आवश्यक था कि वह पिछड़े वर्गों के लिए मानदण्ड के निर्धारण हेतु अपनी सिफारिशें तैयार करने और उनकी समृद्धि के लिए उपाय सुझाने हेतु इन न्यायिक उद्घोषणाओं पर यथोचित ध्यान दे। अतः आयोग ने इस विषय पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का कार्य भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली को सौंपा।

सामाजिक पिछड़ापन और जाति

4.1 जातियाँ हिन्दू-समाज रूपी भवन की इमारती इटे हैं। सामाजिक इतिहासकारों द्वारा जाति प्रथा पर सभी प्रकार के गुण और दोष के आरोप लगाए गए हैं। परन्तु इस विवाद में हम पड़ना नहीं चाहते। यहाँ तो हम मुख्यता उस आचरण से सम्बद्ध हैं जिसके द्वारा जाति ने हिन्दू समाज की सामाजिक चेतना को अनेक वर्गों में बाँट कर टुकड़े-टुकड़े कर डाला और इसे क्रम परम्परा का रूप दिया। प्रो० ए० आर० वाडिया ने समकालीन भारतीय दर्शनशास्त्र में देखा कि "उपनिषदों की तत्त्वमीमांसा और गीता के नीति परक विषयों को जाति की निरंकुशता ने केवल शब्दों तक ही सीमित कर दिया था। समूचे विश्व की, चर और अचर एकता पर बल देते हुए, भारत में एक ऐसी सामाजिक प्रथा विकसित की गई जिसने सदियों तक के लिए पीड़ी-दर-पीड़ी अपने बच्चों को एक दूसरे से अलग करके उन्हें उक्त प्रथा में जकड़ दिया"। आगे यह भी उल्लेखनीय है कि विभाजन की इस प्रक्रिया में जातियाँ कहलाने वाले वर्गों को, केवल जन्म के आधार पर उच्च या निम्न स्थान स्थायी रूप से प्रदान किया गया था।

4.2 इस विधि के अनुसार जातियों को वर्गीकृत करने का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि इस प्रथा में निहित स्वार्थों की जड़े गहरी हो गई तथा उच्च जातियाँ सामाजिक संगठनों के संस्थागत ढाँचे के जरिए निम्न जातियों का शोषण करने लगीं।

4.3 वास्तव में इस तथ्य के बारे में कोई असामान्य बात नहीं है। शासक वर्ग ने सब स्थानों पर हर प्रकार के साधनों के जरिए अपनी सुविधाओं की कायम रखने के प्रयत्न किए हैं और इस काम में अभिजात्य वर्ग ने आमतौर पर पुरोहित-वर्ग का साथ दिया है। मध्यकालीन युग में अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपदेश का उदाहरण देते हुए ओस्ट* लिखते हैं, "..... प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह सामन्त हो या पादरी, कामगार हो या सीदांगर, उसका पहला कर्तव्य अपने विशेष काम की वस्तुओं की जानकारी प्राप्त करना और उनके लिये मेहनत करना और उससे संतुष्ट होना है और न कि दूसरों के कामों और रहस्यों में हस्तक्षेप करने की इच्छा करना है। विधाता द्वारा मानवजाति के लिए निश्चित किये गए सामाजिक वर्गों और उनसे सम्बद्ध कार्यों को स्थिर तथा अपरिवर्तनीय रहने दिया गया था। शरीर के अंगों के समान वे अपने स्थान या काम नहीं बदल सकते थे"।

4.4 यह ब्राह्मणों के जाति संबंधी विचार के इतना निकट है जितना कि कोई अनुमान लगा सकता है, ऋग्वेद के पुरुष-शुक्ल संबंधी रसुति श्लोकों में चतुर्वर्ण का पूर्व संदर्भ दिया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि प्रादियुगीन यज्ञ के पश्चात् "उसका मुख ब्राह्मण बन गया, उसकी दोनों भुजाओं से राजन्य (क्षत्रिय) बन गए, उसकी जंघाओं से वैश्य बन गए और उसके दोनों पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई"। (ऋग्वेद 10.90) चूंकि अंग्रेज पादरी और वैदिक स्त्रोत, करीब-करीब एक ही बात कहते हैं और शासक वर्गों के विशेषाधिकारों की वैदिक स्वीकृति संबंधी विचारधारा का अधिकांश देशों में उपदेश दिया गया था, केवल भारत

ही ऐसा देश है, जिसमें इस धारणा को कठोर साँच के रूप में ढाला गया।

4.5 जाति प्रथा की वास्तविक विजय ब्राह्मणों की पराकाष्ठा को बनाए रखने में निहित नहीं है, बल्कि कर्मकाण्डी परम्परा में निम्न जातियों द्वारा अपनी निकृष्ट स्थिति स्वीकार करने के लिए बाध्य करने में है। भारत में जाति प्रथा 3,000 वर्षों से अधिक समय से बनी हुई है और आज भी इसके जल्दी समाप्त होने के कोई आसार नजर नहीं आते। कोई भी सामाजिक संस्थान जिसमें इतनी अधिक असमानता हो और इतने अधिकांश लोगों के प्रति भेदभाव हो वह विगुण सामाजिक परिस्थितियों में इतने समय तक जीवित नहीं रह सकती है। ब्राह्मणों द्वारा जाति प्रथा धर्मग्रन्थों, पुराणों तथा कर्मकाण्डों के माध्यम से चलाई गई एक बहुत ही जटिल तथा गूढ़ योजना थी, जिसकी नीतिमत्ता को प्रबल समाज सुधारकों द्वारा शायद ही कभी चुनौती दी गई हो। हम कुछ प्रसिद्ध उदाहरणों द्वारा हम यह दिखाने का प्रयास करेंगे कि धर्म तथा पुराण का उपयोग करके किस प्रकार से इस जादू जाल का ताना-बाना बना गया था।

4.6 जाति प्रथा की 'देवी' उत्पत्ति की धारणा को, हिन्दुओं के पवित्र धार्मिक ग्रन्थों की अधिकारिता प्राप्त है। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त के पैरों से चार वर्गों की उत्पत्ति का उल्लेख है। तैत्तिरीय संहिता में न केवल सृष्टिकर्ता के पैरों से चतुर्थ वर्गों की उत्पत्ति होने का उल्लेख किया गया है, बल्कि ईश्वर मीमांसा द्वारा इस 'देवी' उत्पत्ति की व्याख्या भी की गई है और उनके कार्यों और स्थितियों के संबंध में देवी श्रोत्रिय भी उहुराया गया है। गीता में भगवान् कृष्ण ने कहा है कि "गुण और कर्म के अनुसार चतुर्वर्णी व्यवस्था की सृष्टि मेरे द्वारा की गई थी"।

4.7 "सभी हिन्दू धर्म शास्त्रों में जाति को स्वीकार किया गया है। सभी पुराण जाति के अस्तित्व को मानते हैं और समाज की स्थायी व्यवस्था के रूप में इसे देखते हैं।"***

4.8 "धर्म-शास्त्रों में उल्लेख है कि यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो वह उच्च जाति में जन्म लेगा और सम्पन्न बनेगा किन्तु यदि वह बुरे कर्म करता है तो वह निम्न जाति, या पशु बनेगा अर्थात् सुहर या गधे के रूप में जन्म लेगा।"***

4.9 हिन्दू समाज के चार वर्गों में विभाजन की आधार शिला ब्राह्मणों की शास्त्रसम्मतता है, जिस पर इसका विस्तृत जाति ढाँचा खड़ा हुआ है। इस प्रथा का एक अनिवार्य लक्षण "विशुद्धता और अपवित्रता की धारणा है"। "हिन्दुस्तान मुख्य में जातियों, को पाँच श्रेणियों में बाँटा जा सकता है, पहली, द्विज जातियाँ, दूसरी, वे जातियाँ जिनके हाथों द्विज "पक्का" भोजन ले सकते हैं, तीसरी, वे जातियाँ जिनके हाथों

*हिन्दू सोसाइटी एट आस रोड्स—श्री के० एम० पाणिकर, एशिया पब्लिशिंग हाऊस, बम्बई, 1961।

**आधुनिक भारत में जाति—एम० एम० श्री निवास्त, एशिया पब्लिशिंग हाऊस, बम्बई, 1964।

*मध्ययुगीन इंग्लैंड में साहित्य और मंच—सी० आर० ओस्ट ब्राक्सफोर्ड 1961।

बना किसी प्रकार का भोजन तो द्विज स्वीकार नहीं कर सकते हैं, किन्तु उनके हाथ से जल ले सकते हैं, चौथे वे जातियां जो अभी तक अछूत नहीं हैं, किन्तु उनके हाथ का पानी द्विजों द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, अन्त में वे सभी जातियां आती हैं जिनके छूने से न केवल द्विज ही अप्प हो जाते हैं अपितु कोई भी सनातनी अप्प हो जाता है"।⁴

4.10 "..... मद्रास के ताड़ी का काम करने वाले शानार से एक ब्राह्मण अपवित्र हो जाता है, यदि वह ब्राह्मण से केवल चौबीस कदम दूर है। कोई नायर किसी नम्बूदरी ब्राह्मण के पास तो जा सकता है किन्तु वह उसे छू नहीं सकता, जबकि एक तियान को चाहिए कि वह स्वयं को एक ब्राह्मण से छत्तीस कदमों की दूरी पर रखे, और कोई पुलयान उससे छिआनवें कदमों की दूरी तक रहे। एक तियान किसी मायर से बारह कदम दूर रहे चाहे कुछ जातियां तियान के पास तो जा सकती हैं, किन्तु वे उसे छू नहीं सकती हैं।"⁴

4.11 "..... मराठा देश में एक महार-अछूतों में से एक सड़क पर नहीं धूकेगा, क्योंकि यदि किसी सवर्ण हिन्दू के पांव इससे छू जाएंगे तो वह अपवित्र हो जायेगा, लेकिन उसे चाहिए कि वह अपने गले में सटकता हुआ एक मिट्टी का बतन रखे जिसमें वह धूके। इसके अलावा, अपने पैरों के निशानों को मिटाने के लिए वह अपने पास एक कांटेदार शाली रखे और यदि कोई ब्राह्मण नजदीक से गुजरे तो कुछ दूरी पर दृष्टवत सेट जाए ताकि उसकी गन्दी परछाई से पवित्र ब्राह्मण अप्प न हो जाए।"

4.12 केवल देखने से ही अपवित्र हो जाने के उद्धरण के तौर पर तारीख 24-12-1932 के "हिन्दू" से निम्नलिखित लेख का एक उदाहरण एक अन्य समाज शास्त्री ने दिया है।

4.13 इस जिले (तिन्नीवली) में न देखे जाने वाली एक जाति है जो पुराया बन्नान कहलाती है। उन्हें दिन के समय बाहर जाने की अनुमति नहीं है क्योंकि उनका सिखाई देना अपवित्रता समझी जाती है। इन लोगों में से कुछ को जो अन्य बाहरी जातियों के कपड़े अधिरात्रि से फटने तक धोते हैं; साक्षात्कार के लिये घर से बाहर निकालने हेतु राजी करने में कठिनाई पेश आई।"⁵

4.14 सजाओं का देना और करों का लगाना भी किसी व्यक्ति की जाति पर निर्भर करता था। "एक ब्राह्मण को आम करों से छूट थी ... ब्राह्मण स्वयं तथा सम्पत्ति की दृष्टि से बिल्कुल अद्विष्ट माने जाते थे ... कोटिल्य भिन्न-भिन्न जातियों के अनुसार ऋणों पर ब्याज का भिन्न-भिन्न दर निर्धारित करते हैं। एक ब्राह्मण पर दो प्रतिशत ब्याज लगाया गया है, क्षत्रिय पर 3 प्रतिशत, वैश्य पर 4 प्रतिशत, और शूद्र पर 5 प्रतिशत ... संसार में जो कुछ भी उपलब्ध है, ब्राह्मण उसे पाने का हकदार है। वास्तव में सारा संसार उसकी सम्पत्ति है और अन्य उस की दया पर जीवित है"।⁶ महाभारत में कहा गया है कि "शूद्र कोई वास्तविक संपत्ति नहीं रख सकता है क्योंकि उसकी संपत्ति उसके स्वामी की इच्छा पर अपनी बनाई जा सकती है"।⁷

4.15 मुकदमों के संबंध में :—

"किसी ब्राह्मण और एक गैर-ब्राह्मण के बीच स्थानीय विवाद के समय पंच या साक्षी को पहले (ब्राह्मण) की तरफदारी करनी चाहिये।"⁸ "सतपथ ब्राह्मण" के अनुसार केवल एक ब्राह्मण का वध

ही वास्तविक वध है, जबकि यजुर्वेद में किसी अन्य व्यक्ति के वध की अपेक्षा इसे अत्यंत घणित अपराध माना गया है।⁹ (दूसरी तरफ मनु कहते हैं कि "किसी ब्राह्मण द्वारा किसी शूद्र का वध करना एक बिल्ली, नेवला या नीलकण्ठ, या मेंढक या छिपकली, या उल्लू या कौए को मारने के बराबर है।"¹⁰

4.16 "..... कोई राजा किसी ब्राह्मण को कभी सजा नहीं देगा चाहे सभी संभव अपराधों के लिए उसे दोषी पाया जाए लेकिन बिना कोई शारीरिक यातना दिए उसकी सुरक्षित सम्पत्ति सहित उसे देश निकाला दे सकता है किसी ब्राह्मण की हत्या अथवा नृपहत्या से बढ़कर पृथ्वी पर कोई बड़ा अपराध नहीं है, इसलिए उसे कभी किसी पुजारी की मारने का विचार अपने मन में नहीं लाना चाहिये।"¹¹

4.17 "यदि कोई शूद्र घृष्टता से द्विज का नाम और वर्ग का उल्लेख करता है तो दस अंगुली लम्बी लोहे की कील लाललाल गरम करके उसके मुंह में दूस दी जायेगी।"¹²

4.18 इस बात का, कि जाति पर आधारित भेदभाव को कितना बढ़ावा दिया गया था और व्यवहार में लाया गया था, इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि परिधान के मामले तक में निम्न जातियों को उच्च जातियों का अनुकरण करने की मनाही थी। "जनेऊ" (पवित्र धागा) पहनना ही जाति हिन्दू जाति और शूद्रों के बीच विभाजन की रेखा थी और हाल ही में कुछ निम्न जातियों द्वारा "जनेऊ" पहनने के प्रयत्नों का द्विजों द्वारा हिंसात्मक विरोध किया गया था। "मालाबार और पूर्वी तट के ताड़ी बेचने वालों, इजावा और शाहनारा को छतरियों का प्रयोग करने, जूते पहनने या सोने के गहने पहनने, गायों को डूहने और यहां तक कि देश की आम भाषा बोलने तक की अनुमति नहीं थी।"¹³

4.19 मैसूर राज्य में, कुछ निम्न जातियों की औरतों को अपने वक्षस्थलों को ढकने की अनुमति नहीं थी। इसी बात को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद छड़ा हुआ और जिसने बाद में जन आन्दोलन का रूप ले लिया और अन्ततः मैसूर के महाराजा को शाही घोषणा जारी करनी पड़ी जिसमें दुःखी जातियों को जैकट पहनने या अपने वक्षस्थलों को, जिस प्रकार वे चाहे ढकने की अनुमति दी गई थी लेकिन उन्हें उच्च जातियों के पहनावे और बाल बनाने के ढंग का अनुकरण करने की अनुमति नहीं थी।¹⁴

4.20 उक्त बातों से यह विदित होगा कि एक शूद्र के वैयक्तिक, सामाजिक और आर्थिक गतिविधि पर उसकी निम्न जाति स्थिति के कारण किस प्रकार गंभीर प्रभाव पड़ा। ब्राह्मणों की पुष्टी श्रेष्ठता और शूद्रों की निम्न सामाजिक स्थिति प्रमाणित करने के लिए पुराणों तथा धर्मग्रंथों का भी उल्लेख किया गया है।

उदाहरण के तौर पर तुलसीदास ने अपनी रामायण में कहा है :—

पूजिये विप्रशाल गुण हीता

नहिं शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा

अपस्वय से उदाहरण देते हुए धुरे कहते हैं, "कहा जाता है कि 100 वर्ष के बृद्ध क्षत्रीय और 10 वर्ष के बीच ब्राह्मण पिता समान पूज्य है"।^(*)

3 वही

4 जे० आर० काम्बले, वही

5 जे० आर० काम्बले द्वारा उद्धृत मनु संहिता—वही

6 सामाजिक आन्दोलन और सामाजिक परिवर्तन—एम० एस० ए० राव

7 धुरे, वही

8 एम० एस० ए० शव—वही

(*) वही

⁴ भारत में जाति और वर्ग—डा० जी० एस० धुरे, पापुलर बुक डिपो, बम्बई।

*. भारत में जाति और वर्ग—डा० जी० एस० धुरे, पापुलर बुक डिपो बम्बई।

** भारत में दलित वर्ग का उत्थान और जागृति—जे० आर० काम्बले, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1979।

³ वही

4.21 बाल्मीकि रामायण में एक शूद्र शम्बूक की प्रसिद्ध कहानी मिलती है, जिसने उत्तराखंड के वनों में किसी वृक्ष पर अपने पैरों के बल उल्टा लटक कर 12 वर्षों तक रहने तपस्या की थी। एक ब्राह्मण लड़के की मृत्यु पर जिसका पिता अग्नी जीवित था, उसके कुछ रिश्तेदारों ने राम से शिकायत की कि वह आघात इसलिये लगा है, क्योंकि शम्बूक ने जो शूद्र है, तपस्या करके धर्मविरोधी कार्य किया था। राम उत्तराखंड वनों में गए और इस आरोप की सत्यता का प्रता लगाने के बाद शम्बूक का इस दुस्साहस के लिये, सिर काट दिया।

4.22 महाभारत में, एक भील लड़के एकलव्य की कहानी दी गई है, जो धनुर्विद्या सीखने के लिये गुरु द्रोणाचार्य के पास गया था। गुरु ने उसे शिष्य बनाने से इन्कार कर दिया था, क्योंकि यह विद्या केवल क्षत्रियों को ही सिखाई जा सकती थी। एक दिन द्रोणाचार्य अपने शिष्यों, कौरवों और पांडवों के साथ धनुर्विद्या के अभ्यास के लिए वनों में गए। दल के साथ-साथ चलने वाला एक कुत्ता जब भौंकने लगा तो एक तीर उसके मुख में आकर लगा। स्पष्टतया, धनुर्धारी, छुप कर बैठा हुआ था और कुत्ते के भौंकने की दिशा को ही लक्ष्य बनाकर उसने तीर छोड़ा था। द्रोणाचार्य जानते थे कि केवल अर्जुन में ही ऐसी कमाल दिखाने की योग्यता थी। उन्होंने निशानिबाज को पुकारा और एकलव्य जंगल में बाहर आया और उसने अपने तीर से कुत्ते को मारने का अपराध स्वीकार कर लिया। अपने गुरु का नाम बताने के बारे में पूछे जाने पर उसने कहा कि वह द्रोणाचार्य का शिष्य था। इस संबंध में उसने पहले वाली घटना की याद दिलाई और बताया कि उसने धनुर्विद्या द्रोणाचार्य की भूमि से सीखी थी, जिसे उसने जंगल में खड़ा कर रखा था। द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य से उसके दाएं हाथ का अंगूठा मांगा। एकलव्य ने फौरन अपने गुरु की इच्छाओं को पूरा किया, यद्यपि वह अपने अंगूठे कटे हाथ से/फिर कभी तीर नहीं चला सकता था।

4.23 यदि कहीं जनता को धर्म रूपी अफीम खिलाने का काम किया गया है तो वह भारत में ही किया गया था जहां थोड़े से पुजारी वर्ग ने बड़ी होशियारी से अधिकांश जनता की विचारधारा को बदल कर दीनता के साथ दासता की भूमिका निभाने के लिए युगों तक उन्हें सम्मोहित किए रखा। श्रमिक, किसान तथा दस्तकार आदि के रूप में शूद्र समाज के फालतू वर्ग के मुख्य उत्पादक थे। उनका सामाजिक श्रम भारत की महान सभ्यता का प्राण-रक्षक था। फिर भी सामाजिक तौर पर उनके साथ जाति से बाहर जैसा बर्ताव किया जाता था, निजी सम्पत्ति रखने का उन्हें कोई अधिकार नहीं था, करों का अधिक बोझ उन्हें वहन करना पड़ता था और समाज संहिता का थोड़ा सा भी उल्लंघन करने पर उन्हें भारी से भारी दण्ड दिया जाता था। चूंकि उनकी निम्न जाति स्थिति उनके जन्म से संबद्ध थी, इसलिये उन्होंने आशा रहित हो कर कठोर श्रम किया और कष्ट उठाया।

4.24 यह भी उल्लेखनीय है कि भगवान् कृष्ण ने कहा था कि गुण और कर्म के आधार पर "चार प्रकार की व्यवस्था मेरे द्वारा बनाई गई थी" उन्होंने किसी व्यक्ति की जाति को उसके कर्मों से जोड़ा था न कि जन्म से। निस्संदेह, यहां पर भगवत् गीता का दार्शनिक दृष्टिकोण बदला हुआ दिखाई देता है। लेकिन वास्तविक व्यवहार में "जाति का यह दशम जाति प्रथा के दश को उतार देता है और कौशलपूर्ण ढंग से इसे कृषिबद्ध बनाता है"। जाति के सूत्र सिद्धांत और इस सिद्धांत के बीच का अन्तर महत्वपूर्ण है। सूत्र बनाने वाले ब्राह्मणों ने शूद्रों को मुक्ति केवल उच्च जातियों में जन्म लेने के द्वारा ही होने का आश्वासन दिया था। स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो इसका मतलब है कि उसे कयामत तक इन्तजार करते रहने के लिए कहा जाए। दूसरी तरफ, गीता भी अनेक बार इस विरोध को निष्क्रिय कर देती है। पहला तो यह कि "चार वर्गों में इसके मूल विभाजन के लिए तर्क देने का प्रयत्न करती है। दूसरा, यह कि इन विभाजनों की वास्तविक समानता पर पूर्णतया जोर

देती है, जहां तक किसी व्यक्ति के उद्धार के लिए किए गए उसके विशेष काम का महत्व और उनकी जन्मजात क्षमता का सम्बन्ध है"।*

4.25 गांधी जी ने छुआछूत के विरुद्ध अपनी जिहाद में उक्त विषय को और अधिक मुखरित किया था। लेकिन जाति संबंधी गीता के विचारों या गांधी जी द्वारा छोड़े गए जिहाद का ग्राम व्यक्ति के जाति प्रथा के बारे में ज्ञान पर क्या वास्तविक प्रभाव हुआ। जीवन्त सामाजिक वास्तविकता पर विचार करते समय मनुष्य द्वारा निर्मित महान धार्मिक कृतियों में दी गई सूक्ष्म आध्यात्मिक धारणाओं को नहीं लिया जाता है, बल्कि उसके स्वयं के बनाए हुए विचार होते हैं जो जनता की चेतना में समाहित हो जाते हैं और उनके सांसारिक विचारों का एक अंग बन जाते हैं। इस दृष्टि से जाति प्रथा का अर्थ है हिन्दू समाज का अनेक पृथक-पृथक ऐसी जातियों में विभाजन, जिनके यहां शादी-ब्याह, खान पान अपनी जाति में होता है और जो सामान्यतः परम्परागत व्यवसाय अपनाती है। अग्ने, जन्म से उनकी जाति निर्धारित होती है और प्रत्येक जाति का अपनी जाति परम्परा में एक निश्चित स्थान होता है।

4.26 सामाजिक संगठन की उक्त योजना, जो 3000 वर्षों से अधिक समय से चली आ रही है, ने विभिन्न जातियों और समुदायों की उत्पत्ति और विकास पर बहुत गहरा प्रभाव डाला है। उदाहरण के तौर पर, उच्च ज्ञान के एकमात्र रक्षक के रूप में ब्राह्मणों ने बौद्धिक व्यवसायों के लिए विशेष जन्मजात प्रवृत्ति सहित एक अत्यन्त संस्कार निष्ठ समुदाय के रूप में विकास किया। इसके विपरीत, शूद्र सभी प्रकार के सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से वंचित व्यक्ति बने रहे और उन्होंने एक गंवारू व्यक्ति की सी. सभी अनाकर्षक विशेषताओं को अपना लिया। रजनी कोठारी की पुस्तक "भारतीय राजनीति में जाति" से लिए गए निम्नलिखित उद्धरण से पता चलता है कि उच्च जातियों के साथ प्रतियोगिता में निम्न जातियां कैसे उतरती थीं जबकि उनकी कई बड़ी-बड़ी कमियों को दूर कर दिया गया था:—

चूंकि ब्राह्मण उच्च शिक्षा संस्थानों, व्यवसायों और नौकरियों में प्रवेश कर चुके थे, इसलिए सभी स्थानों पर उन्होंने अपने गुट बना लिए, जिन में से गैर-ब्राह्मणों को बाहर रखा गया। 1892 और 1904 के बीच भारतीय सिविल सेवाओं में सफलता प्राप्त करने वाले 16 उम्मीदवारों में से 15 ब्राह्मण थे, 1914 में 128 स्थायी जिला मुनिसिफों में से 93 ब्राह्मण थे, 1944 में, विश्वविद्यालय के 650 पंजीकृत स्नातकों, में से 452 ब्राह्मण थे।

4.27 यद्यपि उपर्युक्त उदाहरण समय की दृष्टि से बहुत पुराना है तथापि यह आशा की जाती है कि लगभग तीन दशकियों तक विशेष रियायत और प्रोत्साहन देने के बाद निम्न जातियां अपने आप तेजी से आगे बढ़ रही हैं। निम्नलिखित उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है। 1969 से 1978 तक की 10 वर्षों की अवधि में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के केवल 10 उम्मीदवार अपनी योग्यता के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में लिए गए थे। 1976 और 1977 में कोई भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का उम्मीदवार खुली प्रति योगिता में ग्रेड तक नहीं बना सका था। इसी प्रकार, इन्हीं दस वर्षों के दौरान योग्यता के आधार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के केवल 6 उम्मीदवार भारतीय पुलिस सेवा में लिए गए थे। (परिशिष्ट 6)

4.28 इस छोटे किन्तु प्रभावी उदाहरण से हमें ज्ञात होता है कि दलित वर्ग किस प्रकार अपनी संस्कृति में पिछड़ा रहा और अब इस पिछड़े-पन को दूर करने से पूर्व उसे अपनी अनेक ऐतिहासिक बाधाओं को दूर करना होगा।

4.29 भूमि जाति किसी व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक पहलू पर प्रतिबन्ध लगाती है और उसे नियंत्रित करती है, जिसके कारण एक ऐसे समाज का सृजन होता है जिसमें कोई "वर्ग वैषम्य" नहीं होता। दूसरे शब्दों में, निम्न जातियाँ न केवल सामाजिक दृष्टि से पिछड़ी हुई थी अपितु शैक्षिक, राजनीतिक तथा आर्थिक दृष्टि से भी पिछड़ी हुई थीं। इसके विपरीत, उच्च जातियाँ, इन सभी क्षेत्रों में उन्नत थीं। इस बात का मूल कारण धार्मिक क्रम परम्परा में किसी विशेष जाति की स्थिति का उच्च या निम्न होना था।

4.30 वास्तव में, जातीय स्थिति की भूमिका समाज में इतनी व्यापक थी कि न्याय की बात और न्याय प्रदान करना भी पूर्णतया इससे प्रभावित थे। इसका प्रयोग उसी प्रकार किया जाता था जैसे हम आज "कानूनी नियम" का प्रयोग करते हैं। इस मत की तुलना पहले के हिन्दू समाज के कानून बोध से करना सचिकर होगा जहाँ मनुष्य की योग्यता जाति परंपरा में उसकी स्थिति से प्रत्यक्षतः सम्बद्ध थी।

4.31 "अंग्रेजों ने, कानून के बारे में कहा है कि यदि इसे विश्वव्यापी अवेयकितक तथा निष्पक्ष बनाना है, तो इसे अंधा होना चाहिये फिर न्याय का चित्रण पारस्परिक ढंग से बस्त्र पहने और आँखों पर पट्टी

बांधे तथा एक सन्तुलित तुला हाथ में लिये हुए एक स्त्री के रूप में किया गया।" "हिन्दू कानून में इसके विपरीत था, समाज में मनुष्यों के बीच अन्तर उनकी कानूनी पहचान, अधिकार तथा दायित्वों तक केन्द्रित था"।*

4.32 वास्तविकता यह है कि ब्रिटिश शासन काल में कानूनी नियमों के अधीन रहने के कारण इसे हमारे संविधान का आधारशिला बनाया गया जबकि वास्तविक व्यवहार में हमारा कानून अभी भी किसी की हैसियत को देखते हुए पर्याप्त छूट प्रदान करता है, जो प्राचीन समय से चले आ रहे थे ऐतिहासिक कुचरिणाम का एक दिग्बन्ध उदाहरण है।

4.33 उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए क्या यह कहना पर्याप्त नहीं होगा कि सामाजिक पिछड़ापन, परम्परागत भारतीय समाज में जाति स्थिति का प्रत्यक्ष परिणाम है और पिछड़ेपन के कई अन्य कारण प्रत्यक्षतः इसे पंगु बना देने वाली बाधाओं के फलस्वरूप थे।

*लायड आई० रुडोल्फ एंड सुसन होवर
रुडोल्फ द्वारा रचित "दी माडरनिटी आफ ट्रेडिशन"
(आरियन्ट लांगमैन लि०, नई दिल्ली—1967)।

जाति का सामाजिक परिवर्तन

5.1 पिछले अध्याय में दिए गए तर्क के बारे में दो गम्भीर आपत्तियाँ उठायी जा सकती हैं। पहली तो यह है कि हिन्दू शास्त्र पर आधारित जाति प्रथा वस्तुतः पुरोहित वर्ग की आदर्श धारणाओं की द्योतक है, न कि समाज की वास्तविक दशा की। उदाहरणार्थ, ऐसा सम्भव नहीं लगता कि यदि कोई शूद्र द्विज शब्द का नाम भी ले ले, तो उसके मुँह में गरम-गरम लोहे का सलाख ठूस दी जाती थी अथवा ब्राह्मण द्वारा शूद्र को मार देना मात्र किसी मेंढक या कोए को मारने जैसा था।

5.2 दूसरी यह कि अंग्रेजी द्वारा कानून बनाने, शहरीकरण व औद्योगीकरण और जनशिक्षा का प्रसार होने और इन सबसे बढ़कर स्वतन्त्रता की प्राप्ति तथा वयस्क मताधिकार मिलने से जाति प्रतिबन्ध काफी ढीले हो गए।

5.3 उपर्युक्त दोनों बातें बहुत उचित लगती हैं, किन्तु दुर्भाग्यवश वे पिछड़े अध्याय में वर्णित मूल स्थिति में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं करती। यद्यपि हमारे द्वारा बताया गया जाति का स्वरूप एक आदर्श राज्य का द्योतक है तथापि इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि जातिप्रथा भारत में सामाजिक संगठन की एक आधारशिला रही है तथा इसने भारतीय समाज को बहुत अधिक उच्च और निम्न जातियों की चल आ रही क्रम परम्परा में बदला है अथवा निम्न जातियों को अपने निम्न जाति स्तर के परिणामस्वरूप घातकद्वियों से सामाजिक प्रतिबन्धों के कारण बहुत पीड़ित होना पड़ा है। इसी प्रकार, युगों से, विशेषकर, स्वतन्त्रता के बाद से, जातियों में परिवर्तन होता रहा है, फिर भी उसके मूल ढाँचे में वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ है अपितु परिवर्तन करने पर ही जोर दिया जाता रहा है।

5.4 युगों से समय के थपड़े खाती हुई, जातिप्रथा अपनी लचीलेपन के कारण बनी हुई है और इस पर विल्ली के नौ जीवन वाली कहावत चरितार्थ होती है। वस्तुतः सामाजिक संगठन की कोई योजना ज्यादा समय तक टिकी नहीं रह सकती है, जब तक कि वह सामाजिक परिवर्तनों के साथ अपने को न बदलती रहे तथा समकालीन समस्याओं से प्रभावशाली ढंग से न निपटती रहे। अपने लचीलेपन के कारण जातिप्रथा ने बुद्ध धर्म, इस्लाम तथा विदेशी अंग्रेजों की संस्कृति और प्रशासन की चुनौतियों और गांधी, अम्बेदेकर और लोहिया के जाति के विरुद्ध धर्मयुद्धों का सामना करते हुए अपना अस्तित्व बनाए रखा है।

5.5 अनिवार्यतः एक जाति रहित तथा समानतावादी समाज स्थापित करने और विशेषकर वयस्क मताधिकार प्रदान करने की संवैधानिक वचन-बद्धता ने जातिप्रथा को सबसे बड़ी चुनौती दी है। किन्तु विशेष रूप से, यहाँ पर भी यह कपटी प्रथा हिन्दू अवतारों की आड़ में नया रूप ले रही है, जिसके कारण इसके मूल रूप में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। वास्तव में, कुछ प्रेक्षकों का विचार है कि लोकतंत्रीय तथा जन-संगठन जैसे तर्क ने ही जाति को इस अवस्था तक पहुँचाया है। "..... जहाँ जाति व्यवस्था एक मुख्य संगठनात्मक समुदाय का निर्माण करती है, जिसमें अधिकांश जनता निवास करती है, वहाँ राजनीति को चाहिए कि वह इस व्यवस्था के द्वारा उन्हें संगठित करने का प्रयास करे। जातिप्रथा को संगठन के अपने इस जाल में डालकर राजनीति अपने संगठन के लिए सामग्री जुटाती है और फिर इसे अपने रंग में डाल लेती है। राजनीति को अपना कार्यक्षेत्र बनाते हुए, जाति और जाति वर्गों को, इसके विपरीत, अपनी पहचान कराने तथा स्थिति बनाने

का अवसर मिल जाता है, इस प्रकार दोनों को ही आन्तरिक कार्य अवस्थाओं को देखा जाए तो ये ही वास्तविक अभिनेता और शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रतिद्वंद्वी हैं।"*

5.6 वस्तुतः भारत में सामाजिक संगठन की इकाई होने के कारण, वयस्क मताधिकार पर आधारित राजनीतिक प्रणाली के अन्तर्गत जाति की भूमिका का बढ़ जाना स्वाभाविक था। "कोठारी के अनुसार, भारत की राजनीति में "जातिवाद" की जो लोग शिकायत करते हैं, वास्तव में राजनीति की आड़ लेना चाहते हैं, जिसका समाज में कोई आधार नहीं है।" राजनीति का रंग देने की प्रक्रिया में, सामाजिक बनावट में बिना हेर-फेर किए आधुनिकतावादी ताकतों के प्रभाव को सम्भालने के लिए जाति ने एक संवत्स का काम किया है। रजनी कोठारी के मतानुसार, जाति की आन्तरिक क्रिया तथा प्रजातांत्रिक राजनीति ने दो परिणाम प्रस्तुत किए हैं, "जातिप्रथा ने राजनीतिक संघटन के लिए नेतृत्व संरचना और सैद्धान्तिक आधार उपलब्ध किया है दूसरे नेतागणों को, स्थानीय राय मानने और सर्वसम्मति की शक्ति को स्वीकारने पर विवश किया है, जिसमें शक्ति प्राप्त करने के लिए साभंजस्य का सूत्र विद्यमान था और परम्परागत नीति से राजनीतिक प्रतिधोगिता के साथ जोड़ना और बदले में अधिक और राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जातियों का संगठन करना था। राजनीति और समाज के निकट आना शुरू कर दिया है तथा एक नई आन्तरिक संरचना का विकास हुआ है।"

5.7 कोठारी आगे कहते हैं कि "यदि आकांक्षी जाति वर्गों के लिए सामाजिक उन्नति तथा स्थिति परिवर्तन के अन्य साधन उपलब्ध कराए गए होते" तो "क्या राजनीति जाति से इतनी अधिक प्रभावित हुई होती जितनी की वह अब है राजनीति निम्न जातियों को ऐसे अवसर प्रदान करती है, जो वे सामाजिक साधनों के जरिए प्राप्त नहीं कर सकती हैं।"***

5.8 विभिन्न जातियाँ तथा जाति वर्ग जिस रीति से शक्ति के खेल में भाग लेते हैं वह राजनीति कार्यवाही के स्तर पर निर्भर होता है। "राज्य अथवा जिला स्तर तक छोटे-छोटे खण्ड एक-दूसरे में इस प्रकार से मिल जाते हैं ताकि वे सक्षम इकाइयों के रूप में कार्य कर सकें। परन्तु इस किस्म का विलय बड़ी सरलता से हो जाता है क्योंकि इसके लिए आधार परम्परागत अवस्था में पहले से ही विद्यमान था। ग्रामीण स्तर पर, एक बड़े खण्ड को और विभाजित कर सकते हैं और उसकी घटक इकाईयाँ एक दूसरी की विरोधी हो सकती हैं क्योंकि विगत में पहले से इसमें दरार विद्यमान थी।"***

5.9 पूर्वलिखित से यह विदित होगा कि जातिरहित समाज की स्थापना के लिए हमारे संविधान निर्माताओं के संकल्प के आवजूद भी, जाति की महत्ता हमारे राष्ट्रीय जीवन के कुछ प्रति महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बढ़ी है। चुंकि निर्वाचन की राजनीति मुख्यतः एक नम्बर का खेल है, इसलिए बहुत सी बातों में इसका बढ़ना निश्चित था। निस्सन्देह जैसा कि रजनी कोठारी ने कहा है कि जातिप्रथा ने प्रचालन तथा संघटन के बने बनाए पारम्परिक माध्यम प्रदान करके लाभदायक भूमिका निभायी

*भारतीय राजनीति में जाति—रजनी कोठारी।

**रजनी, कोठारी द्वारा रचित पुस्तक "भारतीय राजनीति में जाति"।

***आधुनिक भारत में जाति—एम० एन० श्रीनिवास (एशिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई, 1964)।

है, किन्तु कठोर सच यह है कि इन माध्यमों का अत्यधिक तथा स्वतन्त्र प्रयोग होने के कारण ये काफी गहरे तथा विस्तृत हो गए हैं। बहुत से राजनीति प्रेक्षकों ने बताया है कि संसद तथा राज्यों की विधान सभाओं के चुनावों के लिए वास्तव में, सभी राजनीतिक दलों ने उम्मीदवारों के चयन में जाति को महत्ता दी है। और यह बात स्वतन्त्रता के तत्काल बाद उभर कर सामने आई है जबकि स्वतन्त्रता आन्दोलन के समर्थकों का अभी भी राष्ट्रीय मंच पर बोलबाला है। "बिहार में प्रबल जाति प्रतिस्पर्धाएं 1951 के चुनाव में देखने में आईं। वहां तीन मुख्य जातियां थीं: राजपूत (जिसका नेतृत्व तत्कालीन वित्त तथा खाद्य मंत्री ए० एन० सिन्हा द्वारा किया गया), भूमिहार (जिसका नेतृत्व तत्कालीन मुख्य मंत्री, डा० श्री कृष्ण सिन्हा द्वारा किया गया) तथा कायस्थ (जिसका नेतृत्व श्री के० बी० सहाय, राजस्व तथा उत्पादन शुल्क मंत्री ने किया)। ... राजकुमारी अमृत कौर को आदिवासी क्षेत्र का दौरा करने के लिए बलाया गया ताकि आदिवासियों को, जिनमें से अधिकांश ईसाई हैं, उनकी झारखण्ड के नाम से अलग आदिवासी राज्य बनाने की मांग से, उन्हें मुक्त किया जा सके।"*

5.10 आन्ध्र के बारे में, श्रीनिवास ने एक उद्धरण हैरिसन से प्रस्तुत किया है:—

"उदाहरण स्वरूप आन्ध्र में, हिन्दू जाति क्रम में युद्ध के बाद का दशक राजनीति में विशेष महत्व का रहा है। जाति ने इस दशक में इतनी शैलिक भूमिका निभाई है कि इसके अध्ययन से जाति का भारतीय प्रतिनिधि संस्थाओं पर होने वाला प्रभाव वास्तव में स्वयं एक इतिहास के रूप में उभरकर सामने आता है।"

5.11 प्रो० श्रीनिवास ने आगे कहा है कि आधुनिक मैसूर में जाति सर्वव्याप्त है। आन्ध्र में, कांग्रेस पार्टी में दो प्रमुख जातियां प्रधान रही हैं, जिनमें एक लिंगायत है और दूसरी श्रीकालिंग है। लिंगायत श्रीकालिंग प्रतिस्पर्धी ने हर मामले को तुल्य दिया है। चाहे वह सरकारी पदों पर नियुक्ति हो अथवा कालिजों में स्थानों के कारण अथवा स्थानीय निकायों तथा विधानपालिकाओं के चयन से सम्बन्धित हो। "यद्यपि यह बात लगभग दो दशक पुरानी है तथापि आयोग ने अपने कर्नाटक के दौर में आज भी उसी प्रतिस्पर्धा को मौजूद पाया है।"

5.12 संघटन की इस प्रक्रिया में, जाति संस्थाओं का अविभाज्य, "सामाजिक तथा राजनीतिक प्रभाव दिखाने की दृष्टि से समान जातियों का एकीकरण"*** उच्च तथा निम्न जातियों के बीच प्रतिद्वन्द्विता की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना रही है। चूंकि 'विखण्डन' जातिप्रथा का एक प्राचीन रूप था और जातियों में विखण्डन की प्रवृत्ति विद्यमान थी, इसलिए उन्हें उप इकाइयों में विखण्डित किया जा सकता था। जाति संस्था स्पष्टतः आधुनिक देन है तथा इससे जाति वर्गों में ही हुए जाति विलयन को प्रोत्साहन व बढ़ावा मिलता रहा है।⁽¹⁾ पैरा 5.8 में हम यह पहले ही देख चुके हैं कि जाति संघटन का स्तर राजनीतिक कार्यवाही स्तर के अनुरूप है। राजनीतिक शक्ति के होड़ में लगी जाति संस्थाएं सभी पहले की प्रतिवन्धित सीमाओं में फँस गई हैं। "अहीर जतिव्य महासभा समूचे उत्तर प्रदेश के अहीरों के लिए संगठित की गयी है, जबकि चरवाह (गड़रिया) जातियों की अखिल भारतीय यादव महासभा का सम्पूर्ण भारत में प्रचलन है। जाति के प्रचलन एकक इसकी अपेक्षा सर्वथा बहुत छोटे रहे हैं और हाल ही में इतने बड़े पैमाने पर जातियों का संगठन एक अणुवाद ही था।"⁽²⁾

*आधुनिक भारत में जाति—एम० एन० श्रीनिवास (एशिया प्रकाशन गृह, बम्बई, 1964)।

**भारत में जाति—जे० एस० हरन, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय प्रेस।

(1) जाति: विखण्डन और विलयन—भार० एल० हाईग्रे जूनियर, इकोनोमिक तथा पोलिटिकल वीकली, जुलाई, 1969।

(2) जाति, वर्ग और राजनीति—अनिल भट्ट, मनोहर बुक सर्विस, दिल्ली 1975।

5.13 वास्तव में यह मुख्यतः जाति संस्थाओं के कारण है और न कि पृथक-पृथक जातियों के कारण, जाति ने राजनीतिक कार्यवाही के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में कार्य किया है। "इसी प्रकार अलग-अलग पड़ी जातियां और गांवों व अन्य स्थानों में समान पहचान वाले जाति समूहों को अनुपस्थ संगठनों के रूप में गतिशील करके इन जाति संस्थाओं ने राजनीतिक लोकतंत्र की सफलता के लिए उनमें संचार, प्रतिनिधित्व और नेतृत्व को आधार देकर, योगदान दिया है।"⁽³⁾

5.14 आजकल भारत में प्रचलित इन जाति संस्थाओं की गतिविधि का आकार तथा क्षेत्र काफी विशाल है। अधिकतर प्रमुख जातियां जैसे राजपूत, ठाकुर, कायस्थ, यादव, जाट आदि ने इसी प्रकार से जाति समूहों में देशव्यापी संबंध धीरे-धीरे आगे बढ़ाए हैं। अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रीय जातियां, जैसे कामा, रेड्डी, बोन्कलिंग, लिंगायत, नावार, इशावत, महाई, मराठा आदि के मजबूत क्षेत्रीय संगठन तथा प्रभावशाली ग्रुप हैं।

5.15 जाति के प्रचलन का विस्तार क्षेत्र तथा सजाति स्तर ग्राम की सीमाओं से राज्य अथवा अखिल भारतीय स्तर तक करने से ऐसा लगता है कि अन्ततः जातिप्रथा की पारम्परिक और विभाजक भूमिका समाप्त हो रही है और हम आशापूर्ण ढंग से राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। परन्तु सत्य से कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। यद्यपि इसमें कोई संदेह नहीं है कि आधुनिकता को शक्तियों ने कुछ क्षेत्रों में पुराने जाति बंधनों को ढोला कर दिया है और कुछ वजित पुरानी जातियों को कमजोर बना दिया है तथापि इससे यह मतलब नहीं निकलता कि जातिप्रथा अपने आप में कमजोर पड़ती जा रही है।

5.16 जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि जाति प्रथा में काफी लोच है और स्वतन्त्रता के पश्चात् हुए परिवर्तनों से "जातिवाद में किसी महत्वपूर्ण पतन की अपेक्षा इसके प्रभाव का क्रम बवल गया है।" जाति संस्थाओं के वास्तविक स्वरूप के बारे में डॉ० एम० एस० नम्बूदरीपाद ने कहा है कि यह "पहली स्थिति है जिसमें मौजूदा जनसाधारण ने एक जूट होकर सामन्तवाद के विरुद्ध संघर्ष किया है" परन्तु, आज सरलता से यह देखा जा सकता है कि ये जाति संगठन कृषक समुदाय के वर्ग संगठन नहीं हैं, इसके विपरीत, उन्हें सामान्य तौर पर जाति पृथकतावाद को जनता से, विशेषकर, कृषक वर्ग से गुप्त रखी थी जोकि यदि उक्त वर्ग को संगठित किया जाए तो कृषक वर्ग पर इन जाति संगठनों को पकड़ समाप्त की जा सके*। इसी संदर्भ में रडोल्फ ने कहा है कि जातियों का परम्परागत अधिकार तथा कार्यक्षेत्र का पतन हो रहा है। परन्तु जाति संस्थाओं का पुनर्जागरण उन लोगों को प्रभावित करने अथवा उन पर नियंत्रण रखने के लिए हुआ है, जिनके पास राजनीतिक अधिकार है और जो साधन, अवसर तथा सम्मान बांट सकते हैं। जाति निष्ठा का विस्तार भी एक नए और बड़े क्षेत्र में हो रहा है।**

5.17 उल्लिखित वर्णन हिन्दू समाज के सामाजिक संगठन के आधार पर जाति को निर्बल करने के बारे में शीघ्रता से कोई निर्णय लेने के विरुद्ध चेतावनी देता है। निस्सन्देह, सामाजिक गतिशीलता के वेग में वृद्धि हो रही है और जातिप्रथा को कुछ परम्परागत विशेषताएं भी अवश्य कमजोर हुई हैं। परन्तु जाति ने कर्मकांड के क्षेत्र में जो कुछ खोया है उससे कहीं अधिक राजनीति के क्षेत्र में पाया है। इसमें ऊंच तथा निम्न जातियों के मध्य समानता में भी कुछ समायोजन हुआ है और जिससे सामाजिक तनाव बड़े हैं। चाहे इन तनावों ने सामाजिक बनावट को प्रभावित किया है अथवा देश आन्तरिक समायोजकों द्वारा उनको दूर करने में समर्थ हुआ है, वह उन पर निर्भर होगा कि किस प्रकार समझ-बूझ से शासन करने वाली जातियां ऐतिहासिक रूप से दलित और पिछड़े हुए वर्गों की मांग और उनकी उन्नित आकांक्षाओं को पूरा करती हैं।

(3) परम्परा की आधुनिकता—एल० ए० रडोल्फ एण्ड सूसन एस० एच० रडोल्फ, आरियन्ट लिंगमैन्स लि०, 1957।

*केरल में राष्ट्रीय प्रश्न (बम्बई, 1952)।

**वही।

सामाजिक न्याय, योग्यता तथा विशेषाधिकार

6.1 किसी भी भारतीय नागरिक का बहुमूल्य लोकतंत्रीय अधिकार कानून के समय समान होना है और संविधान के अनुच्छेद 14 में इनका प्रतिपादन किया गया है। इस अधिकार पर आगे व्यापक प्रकाश डाला गया है और इसे संविधान के अनुच्छेद 15, 16 तथा 29 में विशेष रूप से स्पष्ट किया गया है। ये अनुच्छेद केवल धर्म, वर्ण, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव करने पर रोक लगाते हैं, चाहे वह रोजगार के लिए हों, या शैक्षणिक संस्थाओं अथवा सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश के बारे में हों।

6.2 उपर्युक्त अनुच्छेद नागरिक के मौलिक अधिकारों का सुदृढ़ आधार तैयार करते हैं। परन्तु शिक्षा तथा रोजगार के अवसर सभी नागरिकों को समान रूप से उपलब्ध करने की सुनिश्चितता करके हम अपनी जनता के कुछ पिछड़े वर्गों की विशेष समस्याओं की उपेक्षा कर रहे हैं, जो सैकड़ों वर्षों से सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक अथवा आर्थिक रूप से पीड़ित रहे हैं। प्रत्यक्षतः समानता का सिद्धांत बहुत ही उचित और सही लगता है, किन्तु यह काफी दोषपूर्ण है। सामाजिक न्याय की एक प्रसिद्ध उक्ति है कि समानता केवल समान लोगों के बीच ही होती है। असमान के साथ समान जैसा व्यवहार करना असमानता को स्थिरता प्रदान करता है। जब हम समान रूप से निर्बल तथा बलवान को प्रतियोगिता में उतरने की अनुमति देते हैं तो हम बलवान के पक्ष में स्वतः पलड़ा भारी कर देते हैं और प्रतियोगिता को उपहासास्पद बना देते हैं, जिसमें निर्बल शुरु से असफल रहता है। यह दृष्टिकोण "बलवान की जय" सुनिश्चित करता है। परन्तु हमें यह भी स्वीकार करना चाहिये कि "बलवान की जय" जंगल का कानून है।

6.3 किसी समाज की मानवता इससे जाहिर होती है कि वह समाज के कमजोर, अग्रगण्य तथा कम प्रतिभाशाली व्यक्तियों को कितना संरक्षण प्रदान करता है। जबकि जंगल में प्रत्येक अपनी रक्षा स्वयं करता है और शक्तिशाली निरीह को समाप्त कर देता है, किन्तु विकसित समाज में ज्यादा आकांक्षी व्यक्तियों की महत्वाकांक्षाओं तथा लालसा की प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखा जाता है और कमजोर तथा अकिंचन वर्गों की रक्षा की जाती है। ये विचार सामाजिक न्याय की किसी भी योजना के प्रमुख आधार हैं तथा इनकी उपेक्षा करना किसी भी मानव समाज को पशुवत बनाता है।

"सीमित रूप में सामाजिक न्याय का अधिकार, कमजोरों, वृद्धों, निराश्रितों, निर्धनों, स्त्रियों, बच्चों तथा अन्य शोषित व्यक्तियों के अधिकार के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो जीवन की निर्ममताओं के विरुद्ध राज्य का रक्षा कवच है। यह अधिकारों से वंचित लोगों का सहारा मात्र है ताकि उन्हें जीवन की दौड़ में उन्नतों के साथ समान अवसर मिल सके। यह अधिकारों की ऐसी पीटली है जो एक ओर तो दूसरे के अधिकारों से तराश कर बनायी गयी है और दूसरी ओर यह दूसरे के अधिकारों की रक्षक है। यह सम्पन्न और निर्धन के बीच एक सन्तुलनकारी चक्र है।"*

6.4 हमारे संविधान निर्माता समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा प्रदान करने की जरूरत के प्रति पूर्णरूप से सजग थे। अनुच्छेद 15, 16 और 29 में सभी नागरिकों की शिक्षा, रोजगार और अन्य सुविधाओं

*सामाजिक न्याय और कानून—श्री जस्टिस के. सी. लाल नेगल, नई दिल्ली।

को समान रूप से देने की बात कही गई है। अनुच्छेद 16 के खण्ड 4 में दिया गया है कि (4) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य सरकार को किसी पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए नियुक्तियों या पदों में आरक्षण करने हेतु प्रावधान करने से नहीं रोकेंगी, यदि राज्य सरकार की राय में, राज्य के अधीन सेवाओं में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।

6.5 संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1951 के फलस्वरूप बाद में, एक इसी प्रकार का खण्ड अनुच्छेद 15 में भी जोड़ा गया था। इससे यह विदित होगा कि दोनों अनुच्छेद 15 और 16 के खण्ड (4) किसी भी सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान बनाते हैं। आगे अनुच्छेद 46 जनता के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की विशेष रूप से रक्षा करने और उनका विकास करने के लिये राज्य को अधिकार देता है।

6.6 ऊपर से देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के अन्तर्गत कमजोर वर्गों को प्रदान किए गए विशेषाधिकार शिक्षा तथा रोजगार के मूल अधिकारों के विरोधी हैं। पुरे जोर से यह तर्क दिया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 29 के अन्तर्गत प्रत्येक नागरिक को दिए गए समान अवसर और व्यवहार को अनुच्छेद 15 और 16 के खण्ड 4 के द्वारा काफी कमजोर कर दिया गया है क्योंकि इसके द्वारा समाज के कमजोर वर्गों की उन्नति के लिए राज्य को विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया गया है। इस तर्क के अनुसार, ये दोनों खण्ड, अनुच्छेद 14 में निहित कानून के समय समानता के सिद्धांत को काफी हल्का कर देने के अधिकार राज्य को प्रदान करते हैं।

6.7 यहां वास्तविक विरोध व्यक्ति बनाम समाज के हितों के बीच संघर्ष से उत्पन्न होता है। मूल अधिकारों का संबंध मुख्यतः व्यक्ति के अधिकारों से है। समाज के दावे में व्यक्तियों के दावों के समान तात्कालिकता और आवश्यकता का निहित नहीं होती। व्यक्तियों द्वारा भेरी गई कठिनाइयों समाज द्वारा भोगी गई कठिनाइयों की तुलना में अधिक कठोर होती हैं। अतः अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में निहित अपवाद, पिछड़े वर्गों को विशेष सुविधायें प्रदान करते प्रतीत होते हैं लेकिन जो मूल अधिकारों की समग्र योजना से दिशाहीन होते प्रतीत होते हैं। समाज के आम दावों को उचित मान्यता राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के अन्तर्गत दी जाती है।

6.8 अब तक मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विवाद का प्रश्न संसदीय बहुसंख्यक तथा न्यायिक उद्घोषणाओं का बहुत ही परिचित विषय बन गया है। इस विवाद को संविधान (प्रथम संशोधन) विधेयक, 1951 पर हुई संसदीय बहुसंख्यक के दौरान पं० नेहरू द्वारा बड़े ही प्रभावशाली ढंग से उठाया गया था। उन्होंने कहा था कि,

.... "राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी लक्ष्य को गतिशीलता के चोकर हैं। जबकि मूल अधिकार स्थिरता के चोकर हैं ताकि विद्यमान कुछ अधिकारों को बनाए रखा जा सके। दोनों ही ठीक हैं। परन्तु कभी और किसी समय ऐसा हो सकता है कि गतिशीलता तथा स्थिरता एक दूसरे के लिए उपयुक्त न हो।"

.... "परिणाम यह होता है कि धीरे-धीरे किसी निश्चित अक्षय को प्राप्त करने के लिए बनाए गए गतिशील संविधान के समूचे

उद्देश्य में गतिशील तत्व की अपेक्षा स्थिर तत्व पर थोड़ा अधिक बल दिए जाने के कारण बाधाएं और रुकावटें उत्पन्न होती हैं और हमें इन्हें दूर करने के लिए कोई तरीका ढूंढना पड़ता है।”

“... यदि वैयक्तिक स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए आम व्यक्ति या वर्ग की असमानता की भी रक्षा करते हैं, तो आप उस नीति निर्देशक सिद्धांत के विवाद में फंस जाते हैं जिसमें आपके अपने संविधान के अनुसार यह बांछा की गई है कि शून्य-शून्य: प्रगति अथवा यदि इसे यूँ कहा जाए कि इतनी धीमी नहीं बल्कि यथासंभव थोड़ी तीव्र प्रगति, उस राज्य में जिसमें कम से कम असमानता और अधिक से अधिक समानता हो। ... यदि वैयक्तिक स्वतन्त्रता अथवा आजादी के लिए किसी प्रकार की अपील का अर्थ वर्तमान असमानताओं को बनाए रखने के रूप में लिया जाएगा तो आपकी कठिनाइयाँ और बढ़ जायेंगी। फिर आप स्थिर और प्रगतिहीन हो जायेंगे और आप न तो परिवर्तन कर सकेंगे और न आप एक समानतावादी समाज के आदर्श को प्राप्त कर सकेंगे, जबकि मैं समझता हूँ, कि हम सब का यही उद्देश्य है।”

6.9 पंडित नेहरू द्वारा प्रगट की गयी शंका बहुत वास्तविक लगती है तथा एक उचित सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करने के लिये बनाए गए विधान पर अमल के दौरान इस प्रकार की शंकाएं बार-बार प्रगट की गई हैं। यद्यपि भारत में एक लोकतांत्रिक गणराज्य को स्थापित करने में हम आत्म गौरव की अनुभूति करते हैं, तथापि भारतीय समाज का एक विशिष्ट तथा असमान रूप हमारी समानतावादी महत्वकांक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं होता।

6.10 इस मामले की आगे जांच करने से पूर्व मानव समाज के संदर्भ में “समानता” की जटिलताओं पर विचार करना उपयोगी होगा। एच० जी० गांस ने कहा है कि “समानता” के 3 विकल्प आमतौर पर लिए जाते हैं :

1. अवसर की समानता,
2. व्यवहार की समानता, और

3. परिणाम की समानता। संविधान के अनुच्छेद 16(1) के अंतर्गत दी गयी अवसर की समानता, वास्तव में इच्छा स्वातंत्र्यवाद है न कि समानतावादी सिद्धांत क्योंकि यह जीवन के क्षेत्र में प्रत्येक को समान स्वतन्त्रता प्रदान करता है। “वे लोग जो अपना जीवन अयुविधाओं से शुरू करते हैं, वे शायद ही अवसर की समानता का लाभ उठा पाते हों, क्योंकि, जब तक कि वे कुशलता और उन्नतशील तकनीकों में विशेष रूप से श्रेष्ठ न हों तब तक वे कभी भी अधिक सम्पन्न व्यक्तियों के समान सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं और बहुत से सुविधाहीन व्यक्ति कभी भी समान अवसर प्राप्त नहीं कर सकते। अवसर की समानता एक सामाजिक सिद्धांत भी है क्योंकि यह सुविधाहीन लोगों के मार्ग में बहुत से अदृश्य तथा बड़ी हुई उलझनों को नहीं देखता। वस्तुतः जब तक कि निर्धन के बच्चों को पैदा होते ही उनके माता पिता से लेकर मध्यवर्गीय घरों में उनका लालन-पालन नहीं किया जायगा तब तक अधिकांश अवसर की असमानता से ग्रस्त रहेंगे।”*

6.11 गांस कहता है कि समानता के व्यवहार की दो प्रकार से विवेचना की जा सकती है। “एक और इसका तात्पर्य है कि लोगों को अवैयक्तिक पारस्परिक सामाजिक क्रियाओं में भोटे तौर पर एक समान व्यवहार देना ... इससे और इस का तात्पर्य है कि लोगों को उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति के वर्तमान साधनों पर विचार किए बिना समान साधन उपलब्ध कराना, इस प्रकार से इस्तेमाल किये गये समानता के व्यवहार में भी उस प्रकार की दृष्टि है जिस प्रकार की दृष्टि अवसर की

समानता में थी, जो सुविधाहीनों की सुविधा प्राप्त लोगों के साथ समान व्यवहार करके की गई थी, जिससे केवल उनकी असुविधाओं में ही स्थिरता आयेगी। यहां तक कि न्यायालयों में भी, जिन्हें कानून के साथ समानता के सिद्धांत के लिए स्वयं पर गर्व है, किसी प्रतिवादी को जो केवल घटिया या कम प्रभावशाली वकील ही रख सकता है, त्यागधीन से प्रायः समान व्यवहार नहीं मिलता।”

6.12 उपर्युक्त विचारों को दृष्टि में रखते हुए गांस कहता है कि “वास्तविक समतावादी सिद्धांत ही परिणाम की समानता का सिद्धांत है जिसमें प्रारंभिक रूप से सुविधारहित लोगों के लिए असमान अवसर व व्यवहार को अपेक्षा की जाती है ताकि अन्ततः वे संसाधनों और अधिकारों में समान हो जाएं।”

6.13 यदि कोई भी वृक्ष अपने फलों से जाना जाता है तो परिणाम को समानता स्पष्टतः एक उचित और समान सामाजिक व्यवस्था कायम करने की हमारी आकांक्षाओं और प्रयासों की अति विश्वसनीय कसौटी है। हर स्थिति में यह एक कठिन कार्य रहा है और विशेषकर उस समाज में तो यह और भी कठिन हो जाता है जो कि सदियों से जाति-पाति परम्परा में विभक्त रहा हो।

6.14 वास्तव में, मूल अधिकारों का लक्ष्य भी उस समय तक प्राप्त नहीं हो पाता जब तक कि शोषितों के वैध अधिकारों की रक्षा के लिए समुचित वातावरण तैयार न किया जाए। स्वतन्त्रता के तत्काल पश्चात् प्रत्येक राज्य ने काश्तकारों और खेतीहरों को काश्तकारी अथवा भूमि सुधार प्रदान करने और भूमि धारण की सीमा निर्धारित करने जैसे भूमि सुधार कानून बनाए हैं। चूंकि कमजोर और गरीब काश्तकारों और किसानों के पास अपने अधिकारों को प्राप्त करने के कोई साधन नहीं थे और शक्तिशाली भूमिस्वामियों के पास सीमा संबंधी कानूनों से बचने के साधन और बबदबा था इसलिये, हमारे भूमि सुधार संबंधी उपाय अपने लक्ष्यों में खरे नहीं उतर पाए। समाज का शक्तिशाली वर्ग हरिजनों और अन्य पिछड़ा वर्गों के विरुद्ध सभी प्रकार के अत्याचार करता रहा है और आमतौर पर इनके लिए उन्हें किसी प्रकार की सजा नहीं मिली। हमारा समूचा कानूनी तन्त्र बहुत ही महंगा और समय खपाउ है और समाज के दलित वर्गों के पास आमतौर पर, कानूनी न्यायालयों से न्याय प्राप्त करने के लिए साधन या सहनशक्ति नहीं है। इन परिस्थितियों में, भारतीय समाज के कमजोर वर्गों का “कानून के सामने समानता” के दावे का कोई अधिक महत्व नहीं है। प्रभावी समानता की वास्तविक परीक्षा परिणामों की समानता रही है और इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि आजादी, समानता के अवसर और व्यवहारिक समानता के सार्थक उचित अर्थ जब तक हमारे पिछड़े वर्गों को उपलब्ध न हो जाए तब तक हमारा प्रभुसत्ता सम्पन्न लोकतन्त्रीय गणतंत्र गंभीर रूप से दोषपूर्ण रहेगा। इस संबंध में न्यायमूर्ति श्री के० सुब्बा राव ने महसूस किया।

“... जब तक कि दलित वर्गों को समुचित सुविधाएं नहीं दी जायेंगी, तब तक यह कहना संभव नहीं होगा कि उन्हें भी अति विकसित लोगों की तरह ही समान अवसर प्राप्त हैं। यही कारण है और सामाजिक न्याय के लिए यह उचित भी है कि देश के दलित नागरिकों को प्राथमिकता दी जाए ताकि उन्हें समाज के अन्य अति विकसित वर्गों के बराबर समान अवसर प्राप्त हो सके।”

6.15 वास्तव में “श्रेयता” संबंधी धारणा से बढ़कर गरमा-गरमी तथा रोष उत्पन्न करने वाला अन्य कोई विषय नहीं रहा है। पिछड़े वर्गों को विशेष शैक्षणिक सुविधाएं और अन्य विभिन्न रियायतें मंजूर करने में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु अनुसूचित जाति,

*अधिक समानता, पेंथन पुस्तकें, न्यूयार्क, 1973।

*सोशल जस्टिस एण्ड ला—न्याय मूर्ति श्री के० सुब्बा राव, नेशनल, नई दिल्ली।

अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्गों के सदस्यों के लिए शैक्षिक संस्थानों या सेवाओं में उनका कोटा निर्धारित करने की व्यवस्था ने तीखी प्रतिक्रिया को बढ़ावा दिया है। "योग्यता" का समर्थन करने वाले इसे उस समय अनुसूचित मानते हैं जब सामान्य कोटा के 70% अंक प्राप्त करने वाले छात्र की तुलना में 45% अंक प्राप्त करने वाले दलित वर्ग के छात्र को मैडिकल कालिज में दाखिला दे दिया जाता है। यह रोष उस समय और भी बढ़ जाता है जब अखिल भारतीय सेवा में सामान्य कोटा के बहुत उच्च रैंक प्राप्त करने वाले प्रतियोगी की तुलना में पिछड़ा वर्ग के निम्न रैंक प्राप्त प्रतियोगी को चुन लिया जाता है।

6.16 इस प्रकार की प्रतिक्रिया दो धारणाओं पर आधारित है: प्रथम यह देखकर कि केवल पूर्णतया असंगत आधारों पर कम "योग्यता वाले" उम्मीदवार की तुलना में अधिक "योग्यता वाले" उम्मीदवार को छोड़ दिया जाता है इससे उस व्यक्ति को उचित न्याय संबंधी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। दूसरा यह तर्क दिया जाता है कि आरक्षित कोटा रिक्रियों के लिए कम "योग्यता" वाले उम्मीदवारों को चुनकर राष्ट्र को उन योग्यतम व्यक्तियों की सेवाओं से वंचित किया जा रहा है जो उसे उपलब्ध है।

6.17 हालांकि यह दलील ऊपर से देखने पर संभव लगती है, किन्तु "योग्यता" की प्रकृति की दृष्टि से भारी दोषपूर्ण है। इस बात को हम एक घरेलू उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयत्न करेंगे। मोहन एक अच्छे मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति है और उसके माता-पिता काफी पढ़े-लिखे हैं। वह शहर के उन अच्छे पब्लिक स्कूलों में से एक में पढ़ने जाता है जिनमें व्यापक पाठ्यतर कार्यक्रम उपलब्ध हैं। घर में, उसके पास अपना अलग एक कमरा है और दोनों माता-पिता उसकी पढ़ाई में सहायता करते हैं। घर में एक टेलिविजन और एक रेडियो सेट है और उसके पिता कई पत्रिकाएं भी मंगाते हैं। अपने अध्ययन के मामले में और अन्ततः अपना कैरियर बनाने में उसे अपने माता-पिता और अपने अध्यापकों का लगातार मार्गदर्शन प्राप्त होता है। उसके अधिकांश मित्रों की भी इसी तरह की आर्थिक स्थिति है और उसे विशाल प्रतियोगी दुनिया के बारे में भली भांति जानकारी है, जिसमें उसे स्वयं के लिए एक उचित स्थान बनाना है। उसके कुछ रिश्तेदार काफी प्रभावशाली व्यक्ति हैं और ठीक समय पर वह सही सफाई या दबाव प्राप्त कर सकता है।

6.18 दूसरी तरफ, लल्लू एक ग्रामीण लड़का है और उसके पिछड़ा वर्ग के माता-पिता की सामाजिक स्थिति ग्राम की जाति व्यवस्था में निम्न प्रकार की है। उसके पिता के पास 4 एकड़ कृषियोग्य भूमि है। उसके माता-पिता अनपढ़ हैं और 8 प्राणियों में उनका परिवार दो कमरों की झोपड़ी में सिमट कर रहता है। जबकि प्राइमरी स्कूल उसके गांव में स्थित है, किन्तु अपनी हाई स्कूल शिक्षा के लिए उसे दोनों तरफ

लगभग 3 किलोमीटर का फासला पैदल चलकर तय करना पड़ता है। उच्च शिक्षा पाने हेतु उसे उसके चाचा के पास तहसील मुख्यालय भेजने के लिए उसने अपने माता-पिता को राजी कर लिया था। उसे अपना पाठ्यक्रम चुनने या कैरियर चुनने के बारे में कभी कोई मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ। उसके अधिकांश मित्र मिडिल स्कूल शिक्षा से आगे नहीं पढ़े थे। उसका भी सांस्कृतिक वातावरण से परिचय नहीं हुआ था और उसने अपनी कालेज की शिक्षा बिना किसी प्रोत्साहन से पूरी की थी। अपनी ग्रामीण पृष्ठभूमि के कारण वह एक गंवारू सा दिखाई देता है। अपनी कालिज की शिक्षा के बावजूद उसका उच्चारण बहुत घटिया है, उसका व्यवहार भद्दा है और उसमें आत्मविश्वास की कमी है।

6.19 यह मानते हुए कि मोहन और लल्लू में अपने जन्म के समय समान प्रतिभा थी फिर भी यह स्पष्ट है कि उनके सामाजिक, सांस्कृतिक और वातावरण संबंधी तत्वों में काफी बड़ा अंतर था, जिसके कारण पहला व्यक्ति दूसरे को किसी भी प्रतियोगिता में बहुत पीछे छोड़ देगा। चाहे लल्लू की बुद्धिमतालब्धि मोहन की तुलना में बहुत अधिक थी, फिर भी ऐसी संभावनाएं हैं कि पहला व्यक्ति किसी ऐसी प्रतियोगिता में दूसरे से बहुत पीछे रह जायेगा जहां चयन "योग्यता" के आधार पर किया जाता है।

6.20 हम मान लें कि वे दोनों अखिल भारतीय सेवा परीक्षा में बैठते हैं और मोहन लल्लू से 50 प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त करता है। क्या इसका यह अर्थ है कि मोहन की योग्यता लल्लू से 50 प्रतिशत अधिक है, या कि वह उस ग्रामीण लड़के से 50 प्रतिशत अधिक कुशल होगा। क्या यह सोचना संभव है कि उनको अपनी-अपनी जन्मजात बुद्धिमता को ध्यान में रखते हुए यदि उनके स्थान आपस में बदल दिए जाएं तो वे कैसा कर पायेंगे। यदि योग्यता में धैर्य, दृढ़ता और मुसीबतों से लड़ने की क्षमता आदि शामिल है तो क्या मोहन और लल्लू द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को, पहले व्यक्ति की उपलब्ध सुविधाओं और दूसरे द्वारा भोगी गई बाधाओं को दृष्टि में रखते हुए उनका समुचित रूप से समायोजन नहीं किया जाना चाहिये।

6.21 वास्तव में, उत्कृष्ट समाज में जिसे हम "योग्यता" कहते हैं, वास्तव में वह एक जन्मजात प्रतिभा और वातावरण संबंधी सुविधाओं का मिश्रण है। मोहन लल्लू किसी भी दृष्टि से "समान" नहीं है और यह अनुचित होगा यदि उनकी एक ही मानदण्ड के द्वारा परख की जाए। किसी भी सम्य समाज की चेतना और सामाजिक न्याय की यही मांग है कि "योग्यता" और "समानता" को ताबीज के रूप में न बदला जाए तथा जब "असमानों" को उस दौड़ में उतारा जाय तो विशेष सुविधाओं के तत्व को स्वीकारा जाए और छूट दी जाये।

सामाजिक न्याय, संविधान और कानून*

7.1 पिछले अध्याय में हमने राजकीय नीति में भौतिक अधिकारों और निदेशक सिद्धांतों के बीच अंतर्भूत विरोधी तत्व को देखा और महसूस किया कि संविधान के इन दो बड़े अंगों के बीच गतिशील संतुलन बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 15(4) और 16(4) किस प्रकार सहायक हैं। इस अध्याय में हम इस पर विचार करेंगे समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय प्राप्त कराने की दृष्टि से राजकीय नीति के उपकरण के रूप में ये दोनों अनुच्छेद किस सीमा तक उपयोगी रहे हैं।

7.2 भारत में, सरकार अब तक सबसे बड़ी नियोजता और सभी प्रकार का आश्रय प्रदान करने वाली सबसे बड़ी व्यवस्थापक रही है। राज्य के अधीन नौकरी और भिन्न-भिन्न तकनीकी तथा व्यावसायिक संस्थानों में दाखिलों के द्वारा भारतीय नागरिक की राष्ट्रीय जीवन में भाग लेने के दो महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होते हैं। यह हमारे असमान समाज के संबंध में एक जोरदार टिप्पणी है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण लागू करने तक, राज्य के अधीन 90% उच्च पदों तथा चिकित्सा और इंजीनियरिंग कालिजों में सीटों को केवल 18% उच्च जातियों के उम्मीदवारों से भरा जाता था। इस बहुत अधिक पक्षपात के कारण लगभग इस शताब्दी के शुरू से ही निम्न-जाति आन्दोलनों का विशेष कर दक्षिण में जन्म हुआ। लगातार आन्दोलनों के फलस्वरूप, आजादी के बहुत पहले से मद्रास, मैसूर, द्रावणकोर-कोचीन में मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कालिजों में सीटों का विशेष कोटा निश्चित कर दिया गया था। स्वतन्त्रता पश्चात् भारत में, संविधान के अनुच्छेद 16 में खंड 4 जोड़ कर इस स्थिति के उपचार के रूप में पहला महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, जिसके द्वारा अपर्याप्त प्रतिनिधित्व वाले पिछड़ा वर्ग के नागरिकों के लिये पदों को आरक्षित करने हेतु राज्य की अधिक अधिकार दिये गए। आरक्षण नीति को मद्रास में क्रमशः मेडिकल और इंजीनियरिंग कालिजों के उन दो ब्राह्मण उम्मीदवारों द्वारा पहली मुख्य चुनौती दी गई थी, जो उच्च अंकों के बावजूद उनमें दाखिला नहीं पा सके थे। चूंकि इस मामले में उच्चतम न्यायालय** का निर्णय ऐतिहासिक महत्व का है और कानूनी संघर्ष की शुरुआत करता है, जिसमें अन्तिम गोला अभी दागा जाना है, इसलिये इसका सारांश यहां दिया जाना लाभदायक होगा।

7.3 मद्रास सरकार द्वारा जारी किये गये एक आदेश (सांप्रदायिक सरकारी आदेश के रूप में प्रसिद्ध) के अंतर्गत मेडिकल और इंजीनियरिंग कालिजों की सभी सीटों को एक निश्चित अनुपात में छह समुदायों में बांटा गया था, और विभिन्न समुदायों के उम्मीदवार दाखिले के लिए केवल आपस में ही मुकाबला कर सकते थे, न कि अन्य समुदायों के उम्मीदवारों के साथ। दो ब्राह्मण उम्मीदवारों ने, जो अपने कोटा के विरुद्ध दाखिला प्राप्त नहीं कर सके थे, संविधान के अनुच्छेद 29(2) के अधीन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किये जाने के कारण सरकारी आदेश को चुनौती दी। उच्चतम न्यायालय ने मद्रास सरकार के आदेश को, इस आधार पर रद्द कर दिया कि वर्गीकरण धर्म, वर्ग तथा जाति पर आधारित था और इस प्रकार यह अनुच्छेद 29(2) का उल्लंघन करता

*यह अध्याय भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली द्वारा तैयार किये गए विशेष पत्र पर आधारित है।

**चपकम दौराधराजन बनाम मद्रास सरकार (ए० आई० आर० 1951 एस० सी०-226)।

था। मद्रास सरकार के तर्क को कि कथित वर्गीकरण अनुच्छेद 46 के अनुसार था, जोकि जनता के कमजोर वर्गों के हित में, विशेष सावधानी के साथ उनके शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान के लिये राज्य को शक्तियां सौंपता है, इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि मौलिक अधिकार "अलंघनीय थे और किसी विधायी या कार्यकारी अधिनियम तथा आदेश के द्वारा, सिवाय उस व्यवस्था को छोड़कर, जोकि भाग 3 के समुचित अनुच्छेदों में की गई है, उन्हें कम नहीं किया जा सकता है। हमारे विचार में वही सही मार्ग है, जिसमें भाग 3 और 4 में की गई व्यवस्थाओं को समझा जाता है।"

7.4 उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय ने पिछड़ा वर्गों के लिए गंभीर उल्लंघन पैदा कर दीं और इसके परिणामस्वरूप व्यापक राजनीतिक आन्दोलन हुए। इन घटनाओं के फलस्वरूप संविधान की एक कमी भी सामने आई और जिसके कारण संविधान (पहला संशोधन) विधेयक, 1951 के जरिये खंड 4 को जोड़कर अनुच्छेद 15 का संशोधन किया गया। यह खंड निम्नलिखित है :—

इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 29 के खंड (2) को कोई बात सरकार को, नागरिकों के किसी सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिये कोई विशेष प्रावधान करने के लिये नहीं रोकेगी।

7.5 जबकि अनुच्छेद 16 के खण्ड 4 में सरकार के अधीन पदों के आरक्षण की व्यवस्था है, किन्तु नये खंड में राज्य द्वारा "सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के उत्थान के लिए कोई विशेष प्रावधान करने की व्यवस्था की गई है।"

7.6 यह उल्लेखनीय है कि जबकि अनुच्छेद 16(4) में "कोई पिछड़ा वर्ग है नागरिकों" का उल्लेख किया गया है, किन्तु अनुच्छेद 15 के खंड 4 में "किसी सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों" का उल्लेख है। जैसाकि प्रवरण समिति के सम्मुख पंडित नेहरू ने कहा था कि वह अन्तर अनुच्छेद 15(4) की भाषा को अनुच्छेद 340 की भाषा के अनुरूप बनाने के लिए किया गया था, जिसमें इस बात की व्यवस्था है कि "सामाजिक और शैक्षणिक रूप में पिछड़े वर्गों" को परिभाषित करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की जाए।

7.7 इस संशोधन पर संसदीय बहुसंख्यक के अवलोकन से स्पष्ट दिखाई देता है कि पिछड़े वर्गों के वर्गीकरण के लिए मानवण्ड के अलावा जातियों और समुदायों की एक सूची भी होनी चाहिए थी। एक बहुसंख्यक के दौरान पंडित नेहरू ने महसूस किया कि "हम उन सभी असमीमित वर्गों को समाप्त करना चाहते हैं, जो हमारे सामाजिक जीवन में विकसित हो गए हैं हम उन्हें कोई भी नाम दें सकते हैं जो भी आप पसन्द करें, जाति, प्रथा या धर्म विभाजन आदि"। तत्कालीन विधि मंत्री अम्बेडकर और भी आगे थे जब उन्होंने कहा था कि "जो भी पिछड़ा वर्ग कहलाते हैं वे और कुछ नहीं केवल कुल जातियों का समूह है"।

7.8 जहां पिछड़े वर्ग, अनुच्छेद 15(4) और 16(4) को अधिकारों के एक घोषणा-पत्र के रूप में देखते थे, वहां उन्नत वर्ग और उच्च जातियां

शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण कोटा की व्यवस्था को बहुत ही हीन दृष्टि से देखते थे। इससे उनके हितों को अत्यधिक धक्का लगा और उन्होंने इसे "अवसर की समानता", "कानून के समान समानता" और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन समझा। अतः बीसवें संवत् पाठियों ने अपने तथा कथित मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में याचिकाएं दायर की और वर्षों से इन मामलों पर निर्णय-विधि का विस्तार होता रहा।

7.9 यह सुविदित है कि वास्तविक महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय-विधि कभी-कभार ही निर्विघ्न चल पाती है। ये अड़चनें संकीर्ण विचार-धारा के कारण होती हैं, किन्तु न्यायिक विचारधारा कभी भी संकीर्ण नहीं हो सकती। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित कोटा की व्यवस्था करने के अति विवादास्पद और भावात्मक स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, पिछली दो या तीन दशकों में अनेक फैसले दिये गए हैं और इस मसले के कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण पहलुओं पर बिल्कुल भिन्न-भिन्न निष्कर्ष सामने आए हैं। किन्तु, कुल मिलाकर यदि कोई प्रभावशाली दृष्टिकोण उभरा है तो वह यह है कि न्यायालय के सामने पेश वास्तव में महत्वपूर्ण मामलों में कुछ ग्राम सहमत हुई है।

7.10 अनुच्छेद 15(4), 16(4) और 29(2) के संबंध में न्यायिक विचारधारा के इतिहास और विकास का बारीकी से अध्ययन करने की बजाय हम उच्चतम न्यायालय के उन लगभग आधा दर्जन फैसलों पर संक्षेप में विचार करने का प्रयत्न करेंगे जिन्हें निर्णय-विधि की युगान्तरकारी घटना समझा जाता है और बाद में कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षों की सूची बद्ध करेंगे जिन्हें अदालतों तथा कानूनविदों द्वारा आमतौर पर स्वीकार किया जा चुका है।

7.11 बाला जी बनाम मैसूर राज्य के **मामले में उच्चतम न्यायालय का फैसला, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के प्रश्न पर बहुत प्रसिद्ध फैसला है और इस विषय पर बाद में दिए गए निर्णयों पर इसका निश्चित प्रभाव पड़ा है। इस मामले को संक्षेप में नीचे दिया गया है।

7.12 नागन्ना गौड़ा समिति, 1962 की रिपोर्ट के आधार पर, कर्नाटक सरकार ने सभी मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कालिजों में अन्य पिछड़े वर्ग से उम्मीदवारों के लिए 50% सीटों को आरक्षित करने का आदेश पास कर दिया था। यह आरक्षण अनुसूचित जातियों के लिए 15% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 3% आरक्षण के अलावा था। इसके परिणामस्वरूप मेडिकल, इंजीनियरिंग और अन्य तकनीकी कालिजों में 68% सीटें समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित कर दी गई थीं और बाकी 32% योग्यता पूल के लिए रह जाती थी। इस समिति ने यह भी महसूस किया था कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य में पिछड़े वर्गों को वर्गीकृत करने की व्यावहारिक पद्धति केवल जाति व समुदायों पर आधारित है। अतः इसने अन्य पिछड़ा वर्गों का "पिछड़ा" तथा "अधिक पिछड़ा" में उप विभाजन किया और 50% आरक्षित सीटों को क्रमशः 28 : 22 के अनुपात में वितरित कर दिया।

7.13 उपर्युक्त आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गई कि इसमें समुदायों के सामाजिक पिछड़ेपन का निर्धारण इस ढंग से किया गया था, जो अनुच्छेद 15(4) में बताए गए तरीके के अनुसार नहीं था।

7.14 न्यायालय द्वारा दी गई पहली महत्वपूर्ण टिप्पणी थी कि "पिछड़ेपन" से यह अभीष्ट नहीं है कि समाज की अति उन्नत जातियों की तुलना में किसी भी पिछड़ी हुई जाति को पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल किया जाना चाहिये। अतः अनुच्छेद 15(4) के अधीन पिछड़ापन सामाजिक और शैक्षणिक होना चाहिए, और न कि या तो सामाजिक अथवा शैक्षणिक।

**ए० आई० आर० 1963 एस० सी०, 649.

7.15 सामाजिक "पिछड़ेपन" के संबंध में, न्यायालय का विचार था कि लोगों के उस वर्ग का, जिन पर अनुच्छेद 15(4) लागू होता है "नागरिकों का वर्ग" के रूप में उल्लेख किया जाता है और न कि "नागरिकों की जातियों" के रूप में। हिन्दू सामाजिक ढांचे में जाति नागरिक की हैसियत का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती थी। इसकी उत्पत्ति पर विचार न करते हुए, समय के साथ-साथ "जातियों" का वृत्तमूलक और व्यावसायिक आधार बाद में कर्मकाण्डों धारणाओं पर आधारित शुद्धता के साथ जुड़ गया और जिसके कारण इसका शाखाओं/प्रशाखाओं में विस्तार हुआ और इसमें अपरिवर्तनशीलता और कठोरता आ गई। इसको दृष्टि में रखते हुए, नागरिकों के एक वर्ग के सामाजिक पिछड़ेपन का निर्धारण करने के लिए जाति पर विचार करना असंगत नहीं होगा। लेकिन, यद्यपि "हिन्दुओं में जाति नागरिकों के एक वर्ग के सामाजिक पिछड़ेपन को निर्धारित करने में संगत कारक है, तथापि इसके लिए इसे एकमात्र कसौटी नहीं माना जा सकता"। शैक्षणिक पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए नागन्ना गौड़ा समिति ने राज्य के सभी हाई स्कूलों को अन्तिम तीन हाई स्कूल कक्षाओं में छात्र जनसंख्या का राज्य औसत किया था और उन सभी समुदायों को शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए के रूप में सूचीबद्ध किया था, जिनकी औसत उपर्युक्त आधार पर राज्य औसत से चाहे थोड़ी सी भी कम थी। राज्य औसत से 50% कम औसत वाले समुदायों को "अधिक पिछड़े" के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

7.16 इस बात पर, न्यायालय ने टिप्पणी दी कि यह वे समुदाय हैं, जो राज्य औसत से काफी नीचे हैं और जिन्हें समुचित रूप से नागरिकों का शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ वर्ग माना जा सकता है। वे वर्ग जिनका औसत राज्य औसत से 50% नीचे था स्पष्टतया शैक्षणिक दृष्टि से नागरिकों का पिछड़ा हुआ वर्ग था। इसमें थोड़ी सी भिन्नता होनी कोई बात नहीं थी।

7.17 न्यायालय ने यह भी महसूस किया कि "पिछड़े वर्गों तथा अधिक पिछड़े वर्गों" के बीच आदेश द्वारा किया गया उप-वर्गीकरण अनुच्छेद 15(4) के अन्तर्गत न्यायोचित नहीं था। "पिछड़े वर्गों की दो श्रेणियां बनाने में उक्त आदेश का वास्तविक अभिप्राय नागरिकों के उन सभी वर्गों के लिए ऐसे उपाय खोजना है, जो राज्य में अधिक उन्नत वर्गों की तुलना में कम उन्नत हैं, और हमारी राय में अनुच्छेद 15(4) के कार्य क्षेत्र में नहीं आते"।

7.18 आरक्षण कितना हो, इस बारे में, न्यायालय ने महसूस किया कि समाज के कमजोर वर्गों के हितों का समूचे समुदाय के हितों के साथ सामंजस्य किया जाना चाहिये था। "आमतौर पर तथा व्यापक रूप में 50% से कम आरक्षण का एक विशेष प्रावधान किया जाना चाहिये, और 50% से यह कितना कम हो यह प्रत्येक मामले में विद्यमान परिस्थितियों पर निर्भर होगा"। तदनुसार पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 68% आरक्षण अत्यधिक माना गया और इसे असंवैधानिक घोषित किया गया।

7.19 उपर्युक्त कारणों से, राज्य सरकार के इस आदेश को उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया।

7.20 इसी प्रकार अगला महत्वपूर्ण केस आर० चिन्नलेखा बनाम मैसूर राज्य* का है, जो वास्तव में बालाजी के मुकदमें में दिये गए निर्णय का प्रतिफल है।

7.21 बालाजी के केस में दिए गए निर्णय के अनुसरण में, मैसूर सरकार ने सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए व्यवसाय और ज्ञान जांच का तरीका निकाला और इसे

*ए० आई० आर०, 1964 ए० एस० सी० 1823.

अपने जुलाई 1963 के आदेश में शामिल कर दिया। इस आदेश के अन्तर्गत, 15% अनुसूचित जातियों तथा 3% अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण के अलावा, पिछड़े वर्गों के लिए मेडिकल, इंजीनियरिंग तथा अन्य तकनीकी संस्थानों में 50% सीटों का आरक्षण किया गया।

7.22 इस आदेश की वैधता को जी० जी० विश्वनाथ बनाम मैसूर सरकार ** के केस में मैसूर उच्च न्यायालय में इस आधार पर चुनौती दी गयी कि उक्त आदेश ने "जाति" तथा "आवास" के आधार को पूर्णतया उपेक्षा कर दी गई थी और, इस प्रकार, इसने हिन्दुओं के बीच वास्तविक रूप से पिछड़े हुए वर्गों को लाभ नहीं पहुंचाया था। बालाजी के केस में, उच्चतम न्यायालय ने सामाजिक पिछड़ापन के निर्धारण के लिए जाति, गरीबी, व्यवसाय, रहने का स्थान जैसे कुछ संगत कारकों को उचित ठहराया था। वादी के अनुसार, सरकारी आदेश में, उचित मानदंड के रूप में जाति तथा आवास को न रखने के कारण बालाजी के मामले के निर्णय पर इसका प्रतिकूल असर पड़ा जो कानून की दृष्टि से खराब था। मैसूर उच्च न्यायालय ने याचिका को मंजूर कर लिया और बालाजी के निर्णय पर विश्वास करते हुए कहा, "चूंकि तत्कालीन केस में सरकार ने जाति तथा आवास के आधार को पूर्णतया छोड़ दिया था इसलिए न्यायालय ने यह महसूस किया कि किये गए पिछड़े वर्गों के वर्गीकरण ने हिन्दुओं के पिछड़े वर्गों को वास्तव में लाभ नहीं पहुंचाया है"।

7.23 उच्चतम न्यायालय के समक्ष और चित्तलेखा बनाम मैसूर राज्य* के मामले में मैसूर उच्च न्यायालय द्वारा किए गए निर्वाचन को ठीक करने के लिए की गई अपील का मामला आया। उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी दी कि "यद्यपि इस न्यायालय ने कहा था जाति केवल एक सम्बद्ध परिस्थिति है और इसे नागरिकों के एक वर्ग का पिछड़ापन निर्धारित करने के लिये प्रमुख कसौटी नहीं माना जा सकता, उच्च न्यायालय ने कहा कि यह पिछड़े हिन्दू वर्गों के निर्धारण का एक महत्वपूर्ण आधार था और सरकार को चाहिए कि वह जाति को एक कसौटी माने" जाति ही केवल किसी वर्ग का पिछड़ापन निर्धारण करने में संबंधित परिस्थिति है और इस न्यायालय के फैसले में ऐसी कोई बात नहीं है, जो नागरिकों के किसी वर्ग का विशेष पिछड़ापन निर्धारित करने से किसी प्राधिकारी को रोकती हो, यदि ऐसा वह जाति पर विचार किए बिना करना चाहे। यद्यपि इस न्यायालय ने नागरिकों के एक वर्ग का पिछड़ापन निर्धारित करने के लिए जाति को बाहर नहीं रखा है, फिर भी, इसने एक वर्ग के पिछड़ेपन का निर्धारण करने के लिये इसे एक आवश्यक आधार भी नहीं माना है। हम यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि यदि किसी स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 15(4) के अन्तर्गत वर्ग निर्धारण करने में जाति को छोड़ दिया जाता है तो भी इससे वर्गीकरण निष्प्रभावी नहीं होता यदि अन्य सब परीक्षण अनुकूल हैं।

7.24 "जाति" तथा "वर्ग" के बारे में न्यायालय ने कहा कि यद्यपि यह सुझाव दिया जा सकता है कि "वर्गों" का प्रयोग अनुच्छेद 15 के खंड 4 में किया जाता है, क्योंकि वहां समुदाय जातियों से रहित थे, यदि आशय वर्गों को जातियों के समक्ष रखने का था, तो संविधान निर्माताओं को कोई बात "पिछड़ा वर्ग अथवा जाति" का प्रयोग करने से नहीं रोकती थी। "अनुच्छेद 15" में "पिछड़ा वर्ग" और "अनुसूचित जातियां" शब्दों को पास-पास रखने से यह मतलब निकलता है कि "वर्ग" "जाति" का पर्यायवाची नहीं है।

7.25 उपर्युक्त कारणों को ध्यान में रखकर, मैसूर उच्च न्यायालय का निर्णय रद्द कर दिया गया और उपर्युक्त सरकारी आदेश पुनः बहाल कर दिया गया।

**ए० आई० आर० 1964 मैसूर, 132.

*ए आई आर 1964 एस० सी० 1823

7.26 यह भी उल्लेखनीय है कि बालाजी के मामले तथा विशेषकर चित्तलेखा के निर्णय में सामाजिक पिछड़ापन निर्धारित करने और "वर्गों" तथा "जातियों" के मध्य समानार्थकता स्थापित करने के लिए जाति की प्रासंगिकता के संबंध में अत्यधिक रुढ़िवादी दृष्टिकोण अपनाया गया है। हम अब यह दिखायेंगे कि समय के साथ-साथ इन दो बातों पर जोर दिए जाने के कारण बाद के निर्णयों में चित्तलेखा दृष्टिकोण को छोड़ दिया गया है। पी० राजेन्द्रन बनाम मद्रास राज्य* के मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय इस संबंध में एक जल-विभाजक के समान है।

7.27 सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए स्थानों के आरक्षण के संबंध में मेडिकल कालेजों में दाखिले को नियमित करने के लिए मद्रास सरकार द्वारा निर्मित नियम, उक्त आदेश के परिशिष्ट में दिए गए थे। इस आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करता है, क्योंकि सरकारी आदेश में निर्दिष्ट वर्गों की सूची वास्तव में कुछ जातियों की सूची थी। इस बात पर, न्यायालय ने देखा कि प्रथमतः आरक्षण केवल जाति पर आधारित था और उसमें उक्त जातियों के सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन पर विचार नहीं किया गया था, इसलिये यह अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन करता था। परन्तु यह नहीं झूलना चाहिए कि जाति की नागरिकों का एक वर्ग है और यदि सच्ची जाति सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़ी है तो आरक्षण ऐसी जाति के लिए इस आधार पर किया जा सकता है कि वह अनुच्छेद 15(4) की परिधि में आने वाला सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ वर्ग है। यह सब है कि वर्तमान मामले में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों की सूची को जाति द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है। परन्तु इसका यह अर्थ निकालना जरूरी नहीं है कि जाति ही केवल मुख्य बात थी और इन जातियों के लोग सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों का वर्ग नहीं हैं।"

7.28 न्यायालय ने यह भी माना कि वादियों को यह भी दिखाना था कि सरकारी आदेश में विनिर्दिष्ट जातियां सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़ी हुईं नहीं थी।

7.29 राजेन्द्रन मामले का परिणाम यह हुआ था कि सामाजिक तथा शैक्षिक पिछड़ेपन को पहचान के लिए जातिवार वर्गीकरण को वैध माना गया। बालाजी तथा चित्तलेखा मामले में वर्गीकरण का एकमात्र आधार "जाति" का मानदंड होना अस्वीकार कर दिया गया। परन्तु राजेन्द्रन के मामले में, इन मामलों के विरुद्ध व्यवस्था दिए बिना, जातिवार वर्गीकरण का इस आधार पर अनुमोदन कर दिया गया कि जाति भी नागरिकों का एक वर्ग है।

7.30 पी० सागर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में उपर्युक्त निर्णय में थोड़ा सा संशोधन किया गया।** इस मामले में, उच्चतम न्यायालय ने आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय को कायम रखते हुए, राज्य सरकार द्वारा किए गए जातिवार वर्गीकरण को इस आधार पर अमान्य कर दिया, क्योंकि सरकार वह मानदंड निर्दिष्ट करने में असफल रही थी जिस पर सूची आधारित थी। इस मामले में प्रार्थी का मुख्य अभिप्राय यह था कि राज्य सरकार द्वारा सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों की अधिसूचित सूची पूर्णतः जाति पर आधारित थी और इसलिये, अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन करती थी। इस मामले में तथा राजेन्द्रन के उक्त मामले में मुख्य भेद यह था कि पूछे जाने पर, राज्य सरकार पिछड़े वर्गों के वर्गीकरण हेतु मानदंड निर्दिष्ट करने में असफल रही। न्यायालय ने यह देखा कि "वर्गों" का तात्पर्य एक स्थान पर समूचित लोगों के एक ऐसे सजातीय वर्ग से है जिनकी समान रूचि है, समान

*ए० आई० आर० 1968 एस० सी० 1012.

**ए० आई० आर० 1968 एस० सी० 1379.

विशेषताएं हैं तथा उनकी पहचान कुछ सामान्य गुणों जैसे हैसियत, श्रेणी, व्यवसाय, किसी स्थान पर रहना, वर्ण, धर्म तथा इसी प्रकार की सामान बातों से की जाती है यह निर्धारण करने में कि क्या एक विशेष प्रदर्श किसी वर्ग का निर्माण करता है, जाति को पूर्णतः छोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन, यदि वर्ग को एक मानदंड बनाया गया था तो सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ी हुई जाति के रूप में कुछ जातियों को सूचीबद्ध करने से पहले राज्य सरकार द्वारा उचित जांच-पड़ताल की जानी चाहिए थी। सरकार का यह दावा, कि अधिकारियों अथवा सरकार ने न्यायालयों द्वारा स्वीकृत मानदंड पर विचार किया था कि अधिकारियों ने सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिक वर्ग के निर्धारण में सद्भावना से कार्य किया था, मानना पर्याप्त न होगा। अनुच्छेद 15 में प्रथम खण्ड के द्वारा एक मौलिक अधिकार की गारंटी दी गई है, जिसका जनता के लिए अप्रत्याशित पर दूरगामी महत्व है। कुछ परिभाषित सीमाओं में खण्ड 1 में, आजादी की गारंटी में एक अपवाद रखा गया है लेकिन चूंकि इसका स्वरूप अपवाद है, इसलिये वे दशाएं जो उसके विचलन को उचित मानती हैं, उन्हें अवश्य दिखाया जाना चाहिए।

7.31 राजेन्द्रन तथा सागर के फैसले स्पष्टतः परस्पर विरोधी हैं किन्तु इनमें उसी प्रकार की स्थिति के दो पहलुओं पर बल दिया गया है। राजेन्द्रन के मामले में पिछड़ी हुई के रूप में लिखी गई "जातियां" अपने पिछड़ेपन के आधार पर वर्गीकृत की गई थीं और न कि वे ऐसी जातियां थीं और राज्य ने अपने द्वारा किये गए वर्गीकरण के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत किया था। परन्तु सागर के मामले में, राज्य अपने वर्गीकरण के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा था। सागर के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद, प्रत्यक्ष साक्ष्य या वस्तुपरक जांच के आधार पर किसी विशेष जाति को सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़ा मानने के बारे में न्यायालय विशेष जोर देने लगे।

7.32 पैरीकाशम बनाम तमिलनाडु राज्य के केस में,* प्राथियों ने राज्य सरकार द्वारा मेडिकल कालेजों के लिए उम्मीदवारों के चयन को चुनौती दी, क्योंकि राज्य को छह इकाइयों में विभाजित करके और सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का 41% आरक्षण किया गया था। प्राथियों ने दावा किया कि (1) एक-बार चयन करने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करती थी, (2) जाति के आधार पर पिछड़े वर्ग का निर्धारण असंवैधानिक था, और (3) पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए 41% का आरक्षण अत्यधिक था।

7.33 न्यायालय ने इस दलील को मंजूर कर लिया कि एक बार चयन गैर कानूनी था। लेकिन यह माना कि जाति के आधार पर पिछड़े वर्गों का वर्गीकरण अनुच्छेद 15(4) की सीमा के अन्दर था और 41% आरक्षण अधिक नहीं था। न्यायालय ने देखा, "कि निस्संदेह हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे कालेजों के योग्य तथा सक्षम विद्यार्थियों को मेडिकल कालेज के प्रवेश से वंचित रखना राष्ट्र के तत्कालिक हित के विरुद्ध है, परन्तु फिर भी राष्ट्र के अपने तत्कालिक लाभ का अपने व्यापक हितों के साथ सामंजस्य करना पड़ता है। इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि इस देश में सहायता रहित लोगों के वर्ग राष्ट्र के उन्नत वर्गों के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। ऐतिहासिक कारणों से प्राप्त लाभों को मौलिक अधिकारों के रूप में नहीं मानना चाहिए। (जोर दिया गया) देश के हितों की रक्षा व्यापक दृष्टिकोण अपनाकर की जाती है ताकि पिछड़े वर्गों में आगे बढ़ने में सहायता की जाए और

उन्हें उन्नत वर्गों में अपना स्थान बनाने दिया जाए।" जाति को सदैव एक वर्ग के रूप में जाना गया है। इस बात को कहकर कोई लाभ नहीं है कि इस देश में अनेकानेक जातियां हैं जो सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़ी हैं। इस बात के लिए न्यायालय ने राजेन्द्रन के इस दावे पर विश्वास कर लिया कि जाति के आधार पर पिछड़े वर्गों का वर्गीकरण अनुच्छेद 15(4) की परिधि में आता है यदि इन जातियों को सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा होना दिखाया गया हो।

7.34 जाति के आधार पर सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन तथा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का कोटा निर्धारित करने के संबंध में एस० बी० बलराम बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य* के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का विशेष महत्व है। सागर मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के फलस्वरूप आन्ध्र प्रदेश सरकार ने पिछड़े वर्गों आदि का वर्गीकरण करने के लिए मानदंड निर्धारित करने के संबंध में एक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। आयोग ने निर्धनता, व्यवसाय, जाति तथा शिक्षा के आधार पर एक मानदंड तैयार किया। आयोग ने इस मानदंड की दृष्टि से पिछड़े वर्गों की एक सूची भी तैयार की। राज्य सरकार ने पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के लिए मेडिकल कालेजों में 25% सीटों का आरक्षण करने की अधिसूचना जारी की। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण क्रमशः 14%, 4% था। राज्य सरकार के इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी, जिसने यह माना कि इसने संविधान के अनुच्छेद 15(1) तथा 29(2) का उल्लंघन किया था और अनुच्छेद 15(4) के द्वारा इसका बचाव नहीं किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया और फैसला किया कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की गई पिछड़े वर्गों की सूचियां ठीक थीं और शैक्षिक तथा सामाजिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 43% का आरक्षण बहुत अधिक नहीं था।

7.35 न्यायालय ने देखा कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये गए पिछड़ा वर्ग आयोग ने विभिन्न प्राधिकारियों तथा संगठनों को एक प्रस्तावली भेजी थी, इसने राज्य के सभी जिलों का दौरा किया था और अनेक समुदायों के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य लिये थे। इन साक्ष्यों के आधार पर आयोग ने कुछ जातियों को सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ पाया और उनको इस प्रकार से वर्गीकृत किया। न्यायालय ने "आयोग की हुई आलोचना का भी उल्लेख किया कि इसने पिछड़े वर्ग के रूप में एक विशेष वर्ग को पिछड़ा हुआ बताने के लिए अपनी निजी जानकारी का इस्तेमाल किया था। मामले की परिस्थितियों को बदला नहीं जा सकता था तथा इसमें कुछ भी अनुचित व गैर कानूनी नहीं है। आयोग का मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करके तथा लोगों की शोषणियों और घरों में जाकर उनके रहने की वास्तविक दशाओं का पता लगाना है।"

7.36 जाति को मानदंड के रूप में स्वीकार करने के बारे में, न्यायालय ने कहा कि "इसे यह नहीं भूलना चाहिये कि जाति नागरिकों का एक वर्ग भी है और इसलिये वह सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हो सकती है। यदि आवश्यक आंकड़े एकत्र करने के बाद यह पाया जाता है कि सम्पूर्ण जाति सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़ी है तो हमारी राय में ऐसे व्यक्तियों के लिए किया गया आरक्षण, स्वीकार करना होगा चाहे उक्त वर्ग के कुछ व्यक्ति सामाजिक तथा शैक्षणिक दोनों रूप से सामान्य श्रौंसत से ऊपर हों।" इस बात का उल्लेख करने का कोई लाभ नहीं है कि देश में अनेक जातियों में, जो सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हैं और इसलिये उनके हितों की सुरक्षा के लिए

*ए० आई० आर० 1972 एस० सी० 1375

**जोर डाल कर कहा गया।

राज्य द्वारा एक उपयुक्त प्रावधान करना होगा जैसा कि अनुच्छेद 15(4) में उनके हितों की सुरक्षा हेतु निहित है।

7.37 सरकारी रोजगार में पिछड़े वर्गों के आरक्षण के संबंध में न्यायालय ने त्रिलोकी नाथ बनाम जम्मू और काश्मीर राज्य* के पहले मामले में अनुमोदन सहित अनुच्छेद 16(4) के कार्य क्षेत्र के बारे में वी गई अपनी पहली टिप्पणी का उल्लेख किया। उस मामले में न्यायालय ने यह उचित ठहराया था कि समूची जाति अथवा समुदाय के सदस्य किसी समय सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हो सकते हैं तथा उस आधार पर उन्हें पिछड़े वर्गों के रूप में माना जा सकता है, परन्तु यह इसलिये नहीं कि वे एक जाति अथवा समुदाय के सदस्य हैं लेकिन क्योंकि वे एक वर्ग से संबंधित हैं।

7.38 43% के समग्र आरक्षण को न्यायालय ने बहुत अधिक नहीं माना क्योंकि यह बालाजी के मामले में निर्धारित 50% सीमा के अन्दर था।

7.39 सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का वर्गीकरण करने में आय-जांच की उपयुक्तता की बात भी न्यायालय के समक्ष रखी गई। के० ए० जयश्री बनाम केरल राज्य** का मामला भी केरल पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत करने का प्रतिफल था। इस आयोग ने पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए आय एवं जाति समुदाय की जांच को स्वीकार किया और सिफारिश की कि ऐसी सूचीबद्ध जातियाँ तथा समुदायों, जिनके परिवार की आय एक निश्चित न्यूनतम आय से कम थी, को सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग माना जाना चाहिए। केरल सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया। शर्मा बनाम मैट्रिकल कालेज त्रिवेन्द्रम† के मामले में, एकमात्र न्यायाधीश ने सरकारी आदेश को यह मानते हुए रद्द कर दिया कि पिछड़े वर्ग के सभी परिवार उनकी आर्थिक स्थिति पर ध्यान किए बिना रक्षात्मक पक्षपात के हकदार थे, क्योंकि सामाजिक पिछड़ेपन के लिए निर्धनता ही निर्धारक मापदण्ड नहीं हो सकती।†† तथापि, अपील करने पर, उच्च न्यायालय की खंड-पीठ ने इस निर्णय को उलट दिया और सरकारी आदेश को बहाल रखा। उच्च न्यायालय ने यह माना कि सामाजिक तथा शैक्षणिक पिछड़ेपन में आर्थिक पिछड़ापन एक भूमिका निभाता है और निर्धनता अथवा आर्थिक स्तर एक संबंधित कारण है। जयश्री बनाम केरल राज्य, की अपील में उच्चतम न्यायालय ने केरल उच्च न्यायालय के निर्णय को कायम रखा। उसने यह भी घोषणा की कि केवल निर्धनता पर आधारित वर्गीकरण युक्तियुक्त नहीं है। यह विचार लैलाचाकों बनाम केरल राज्य††† के मामले में भी व्यक्त किया गया। इस मामले में न्यायालय ने यह माना कि परिवार की केवल वार्षिक आय के द्वारा ही सामाजिक तथा शैक्षणिक पिछड़ेपन का निर्धारण नहीं हो सकता।

7.40 संक्षेप में, हम यहां इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा छोटेलाल तथा अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य@ के मामले में दिए गए निर्णय का उल्लेख करेंगे, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) पर महत्वपूर्ण निर्णय विधि का सारांश निहित है। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि—

“(1) अनुच्छेद 15(4) में सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों को अनुसूचित जातियों और जनजातियों के साथ रखने और अनुच्छेद 338(3) में किए गए प्रावधान कि

*ए० आई० आर० 1969 एस० सी०

**ए० आई० आर० 1976 एस० सी० 2381

†ए० आई० आर० 1976 केरल 54

††ए० आई० आर० 1967 केरल 124

@ए० आई० आर० 1979 आल 135

अनुसूचित जातियों और जनजातियों का अभिप्राय, उन पिछड़े वर्गों से भी लिया जाएगा जिन्हें राष्ट्रपति अनुच्छेद 340(1) के अधीन गठित आयोग को रिपोर्ट प्राप्त होने पर आदेश द्वारा निदिष्ट करें, तथा यह प्रतीत हो कि वे पिछड़ेपन के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों समान हैं।

- (2) पिछड़े वर्गों से यह तात्पर्य नहीं है कि समुदाय में अति उन्नत वर्ग की तुलना में कोई वर्ग जो पिछड़ा है, अनिवार्यतः इसमें शामिल किया जाए।
- (3) पिछड़ापन सामाजिक और शैक्षणिक दोनों दृष्टियों से होना चाहिये न कि केवल सामाजिक या शैक्षणिक दृष्टि से।
- (4) अनुच्छेद 15(4) में “पिछड़ा वर्ग” न कि “पिछड़ी जातियाँ” उल्लेखित हैं, वास्तव में जाति की जांच ऐसे विभिन्न समुदायों पर उपयुक्त सिद्ध नहीं होगी जिनमें कोई जाति व्यवस्था नहीं है।
- (5) सामाजिक पिछड़ेपन के निर्धारण में जाति एक संबद्ध कारक है, लेकिन एकमात्र या मुख्य कारक नहीं है।
- (6) अन्तिम विश्लेषण के रूप में सामाजिक पिछड़ापन अत्यधिक गरीबी के फलस्वरूप है। निर्धनता के कारण उत्पन्न सामाजिक पिछड़ापन गरीब नागरिकों की जाति के कारण और बढ़ जाता है, किन्तु इससे नागरिकों के पिछड़ेपन के निर्धारण में जाति और गरीबी दोनों की संगति दिखाई देती है।
- (7) अन्य सम्बद्ध कारणों की अनदेखी करके, केवल जाति पर आधारित वर्गीकरण अनुच्छेद 15(4) के अधीन स्वीकार्य नहीं है, किन्तु कुछ जातियाँ, पूर्णतया सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ी हुई हैं।
- (8) चूंकि कुछ वर्गों द्वारा अपनाये गए व्यवसायों (जिन्हें हीन समझा जाता है) के कारण सामाजिक पिछड़ापन हो सकता है, और इसी प्रकार से किसी हद तक लोगों का निवास स्थान भी एक कारण हो सकता है, अतः सामाजिक पिछड़ेपन की समस्या श्रमोपेक्षित भारत की एक समस्या है।
- (9) पिछड़े वर्गों का पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़े वर्गों में विभाजन जनसंख्या का अति उन्नत वर्ग और शेष में विभाजन है, इस शेष वर्ग को पिछड़े और सर्वाधिक पिछड़े वर्गों में विभाजित कर दिया गया है जिसका अर्थव्यवस्था अनुच्छेद 15(4) से सिद्ध नहीं होता।
- (10) अनुच्छेद 16(4) किसी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं देता है कि उसके लिए आरक्षण किया जाए। लेकिन यह राज्य को ऐसे अधिकार देता है वे पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण कर सकता है यदि उसकी राय में उन्हें सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। एक जाति या वर्ग का सेवाओं में प्रतिनिधित्व न होना या प्रतिनिधित्व कम होना अनुच्छेद 16(4) की ओर ध्यान दिलाने के लिये पर्याप्त नहीं है, जब तक कि उक्त वर्ग (जाति को सम्पूर्णतया मिलाकर) सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से भी पिछड़ा न हो।
- (11) यदि एक वर्ग को पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल किया जाए और उस वर्ग को भविष्य में भी पिछड़ा ही समझा जाए तो आरक्षण का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा। अतः सरकार को चाहिये कि वह समय-समय पर निर्धारित पिछड़े वर्गों को सूची तथा समय-समय पर निर्धारित पिछड़े वर्गों के लिए किये गए आरक्षण की मात्रा का निरन्तर पुनरीक्षण करती रहे।

(12) विभिन्न श्रेणियों (पिछड़े वर्गों सहित) के लिए समग्र आरक्षण 50% से कम होना चाहिए, और

(13) राज्य द्वारा नागरिकों को पिछड़ा वर्ग में रखने के लिए की गई जांच वैध है या नहीं, इसके लिए न्यायालय का कार्यक्षेत्र सीमित है। यदि संबंधित जांच नहीं की गई है, तो राज्य द्वारा तैयार की गई पिछड़े वर्गों की सूची में परिवर्तन करना या आरक्षण की मात्रा में फेर बदल करने के लिए न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता, किन्तु उसे गलत क्रम को रद्द कर देना चाहिए और राज्य को यह कहना चाहिए कि वह उचित मानवण्ड अपनाते के बाद नए सिरे से उचित निर्णय ले।"

7.41 बालाजी के मामले में 17 साल पहले निर्णय लिया गया था और राजेन्द्रन, सागर, बलराम इत्यादि के मामलों पर परवर्ती निर्णय से यह दिखाई देता है कि बालाजी के मामलों में अनेक महत्वपूर्ण पहलुओं पर अपनाए गए दृष्टिकोण में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। लेकिन बालाजी के मामलों का शक्तिशाली प्रभाव न्यायिक विचारधारा पर लगातार पड़ता रहा है, जो इस बात से विदित है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उपर्युक्त छोटेसाल के मामले में किस प्रकार से निर्णय विधि का सारांश प्रस्तुत किया है।

7.42 उदाहरणतः बालाजी के मामले में अपने निर्णय के पैरा 20 में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए अनुच्छेद 15(4) के अन्तर्गत विशेष प्रावधान करने की व्यवस्था है यदि उनका पिछड़ापन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के समान हो। लेकिन यह एक बड़ी ही विवादास्पद टिप्पणी थी जिसने काफी आति पैदा कर दी थी। वास्तव में पिछड़ेपन की जांच न तो किसी राज्य सरकार ने की थी और न ही उच्चतम न्यायालय ने इसके लिए उन पर दबाव डाला था। जब बलराम बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य के मामले पर पुनर्विचार के समय उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न था, तो न्यायालय का विचार था कि विद्यमान मामले में, "वास्तविकता तो यह है कि पिछड़े वर्ग में जितनी भी जातियाँ गिनी गई हैं, वास्तव में वे सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ी हैं।" पहले के कुछ मामलों में निर्धारित सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि "यह भी बताना आवश्यक है कि उपरोक्त किसी भी निर्णय में यह निर्धारित नहीं किया है कि सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ापन, सभी पहलुओं से, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के समान होना चाहिए।" जबकि राज्य सरकारों द्वारा सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को निर्धारित करने के लिए विभिन्न जांचें की गई हैं तथापि कहीं भी यह जांच अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रयोग की गई जांच के समान नहीं है। प्रागे राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई अन्य पिछड़ा वर्गों की किसी सूची को उच्चतम न्यायालय द्वारा केवल इसलिए रद्द कर दिया गया क्योंकि उक्त अधिसूचित सूची में उल्लिखित पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के तुल्य नहीं था। फिर भी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने छोटेसाल के मामले में टिप्पणी दी कि अन्य पिछड़े वर्गों को अपने पिछड़ेपन की तुलना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य होना चाहिये।

7.43 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी वह कहा कि अनुच्छेद 15(4) में "पिछड़ा वर्ग" उल्लिखित है, न कि "पिछड़ी जाति"। इस बात पर निर्णय विधि अब तक काफी व्यवस्थित हो गयी थी और इस अध्याय में दिए गए निर्णय वर्तमान विचारधारा को मुखरित करते हैं।

राजेन्द्रन के मामले में स्थिति पूर्णतः स्पष्ट थी जब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा "जाति भी नागरिकों का एक वर्ग है और यदि समूचा वर्ग सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ है तो ऐसी जाति के लिए आरक्षण इस आधार पर किया जा सकता है कि यह सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़ी हुई है, और अनुच्छेद 15(4) के अन्तर्गत आती है।" वैरिवाकुरूपम में, सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः महसूस किया कि "एक जाति हमेशा एक वर्ग के रूप में पहचानी जाती है।"

7.44 बालाजी के मामले में दी गई एक टिप्पणी और बाद के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय सहित अन्य निर्णयों में भी कई बार गरीबी का संबंध सामाजिक पिछड़ेपन से होने के बारे में कहा गया है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी दी है कि, "गरीबी ही अन्ततः काफी हद तक, सामाजिक पिछड़ेपन का परिणाम है। नागरिकों के वर्ग जो अत्यन्त निर्धन हैं वे अपने आप ही सामाजिक रूप से पिछड़े जाते हैं।" इस रिपोर्ट के अध्याय 4 में हमें यह दिखाने का पर्याप्त अवसर मिला है कि हिन्दू जाति व्यवस्था में किस प्रकार से निम्न और अछूत जातियों को स्थायी रूप से तुच्छ कार्यों में सम्बद्ध रखा गया और एक अच्छा जीवन व्यतीत करने से उन्हें वंचित रखा गया। इस जाति प्रथा के कारण निम्न जातियाँ सामाजिक दृष्टि से पिछड़ी रहीं और शैक्षिक दृष्टि से विपन्न बनी रहीं। इन जातियों में गरीबी का कारण उनके साथ सामाजिक भेदभाव होना है, और न कि वे अपनी गरीबी के कारण सामाजिक दृष्टि से पिछड़ी रहीं। अतः ऐतिहासिक और समाजशास्त्रीय साक्ष्य, उक्त दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करते कि अन्ततः सामाजिक पिछड़ापन काफी हद तक, गरीबी का परिणाम है। जबकि वास्तव में, बात ठीक इसके विपरीत है।

7.45 महाप्रबन्धक, दक्षिण रेलवे बनाम रंगाचारी* केस में संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अभिप्राय के संबंध में न्यायमूर्ति श्री के० सुब्बा राव द्वारा दी गई एक टिप्पणी के साथ हम इस अध्याय को समाप्त करेंगे। उच्चतम न्यायालय ने उचित ठहराया कि अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 16(1) के एक परन्तुक के अपवाद के रूप में था और इसकी व्याख्या मूल उपबन्ध को निष्प्रभावी करने या नष्ट करने के रूप में नहीं की जा सकती थी।

"संविधान का कोई प्रावधान या किसी अधिनियम का अर्थ इस प्रकार से नहीं किया जा सकता है ताकि उससे एक ही समय में अधिनियमित प्रावधान नष्ट हो जाए....." न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने अपने विमत के निर्णय में यह कहा कि अनुच्छेद 16(4) अनुच्छेद 16(1) का अपवाद नहीं है। "इस अनुच्छेद को किसी बात की अभिव्यक्ति अपने अभिप्राय को जोरदार ढंग से व्यक्त करने की हदमें प्रदत्त शक्तियाँ किसी भी प्रकार से मुख्य उपबन्ध द्वारा सीमित नहीं हैं, बल्कि उसके बाहर भी हैं, एक वैधानिक उपाय है। इसने वास्तव में कोई अपवाद खड़ा नहीं किया है, बल्कि अनुच्छेद के अन्य उपबन्धों द्वारा अबाधित की गई शक्ति को परिरक्षित किया है।"

7.46 यद्यपि विमत निर्णय में यह टिप्पणी की गई थी, तब भी अन्य पिछड़ा वर्गों को विशेष सुविधाएं देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तात्पर्य की जांच करते समय विशेष तौर पर इस पर गंभीर रूप से विचार किया जाता है।

*ए० आई० नं० 1962, एस० सी० 36

उत्तर व दक्षिण में अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण कार्य की तुलना

(चार राज्यों का स्थिति अध्ययन)

8.1 ऐतिहासिक दृष्टियों को ठीक करना एक बहुत ही जटिल और कठिन काम है। जातिवादी हिन्दू समाज में जाति और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति की इतनी अधिक समानता होने के कारण थोड़ी सी उच्च जातियों ने जीवन की सभी अच्छी वस्तुओं पर एकाधिकार जमाए रखा और अधिकांश निम्न जातियों को एक अच्छे जीवनयापन की कम-से-कम आवश्यकताओं से भी वंचित रखा। इसलिये, स्वतन्त्रता के बाद देश के सामने सबसे महत्वपूर्ण काम उच्च तथा निम्न के बीच अन्तर को कम करना और एक अधिक समानतावादी समाज की स्थापना करना था।

8.2 इस समस्या को सुलझाने के लिए भारत सरकार ने त्रिसूत्री दृष्टिकोण अपनाया। एक तरफ इसने देश के सर्वांगीण विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की और दूसरी तरफ सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए अनुच्छेद 15(4), और 16(4), 46 आदि के अन्तर्गत विशेष व्यवस्थाएं की। चूंकि सरकार ने योजनाएं बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने की सीधी जिम्मेदारी ली थी, इसलिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर, उसने पिछड़े वर्गों के कल्याण कार्य को राज्य सरकारों पर छोड़ दिया। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस दृष्टिकोण के कारण अन्य पिछड़ा वर्गों के हितों की गम्भीर रूप से अवहेलना की गई है।

8.3 उनको अपने संसाधनों पर छोड़े जाने के कारण, राज्य सरकारों ने इस समस्या के संबंध में विभिन्न दृष्टिकोण अपनाए हैं। पिछड़ा वर्ग आन्दोलनों के एक लम्बे इतिहास वाले दक्षिणी राज्यों ने अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में काफी प्रगति की है। दूसरी तरफ, इस समस्या पर उत्तरी राज्यों का दृष्टिकोण सामान्यतया अनिश्चित और निरुत्साही रहा है। पिछड़ा वर्गों की सहायता के लिए सबसे कारगर उपायों में से एक उपाय सरकार तथा व्यावसायिक संस्थानों में उनके रोजगार के लिए आरक्षण किया जाना है। ऐसी रियायतें चार दक्षिणी राज्यों में काफी समय पूर्व लागू की गई थी और सारी प्रक्रिया अपेक्षाकृत निर्बाध तथा कष्टरहित थी। लेकिन जब बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने इसी प्रकार की रियायतें अपेक्षाकृत बहुत छोटे पैमाने पर लागू की, तो उच्च जातियों की उसके प्रति हिसक प्रतिक्रिया हुई।

8.4 ऊपर से देखने पर, यह एक आश्चर्यजनक घटना थी। भ्रामतीर पर कहा जाता है कि हिन्दू शास्त्र सम्मतता का उत्तरी भारत की तुलना में दक्षिणी भारत पर अधिक प्रभाव था, और इसलिये कोई भी व्यक्ति उत्तर की अपेक्षा दक्षिण में इसकी तीव्र प्रतिक्रिया होने के बारे में सोच सकता था। चूंकि, अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण की समस्या के संबंध में दक्षिणी तथा उत्तरी राज्यों में हुई प्रतिक्रिया के भेद को समुचित रूप से समझना आयोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिये हमने टाटा समाज विज्ञान संस्थान, बम्बई से चार राज्यों अर्थात् तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार और उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्गों के लिए किए गए कल्याण कार्यों का अध्ययन तैयार करने के लिए सम्पर्क किया। इस अध्ययन की रिपोर्ट बंड-4 में है। कुछ गौण निष्कर्षों को छोड़कर, निम्नलिखित वर्णन में इस अध्ययन का सारांश दिया गया है। आयोग के लिए यह आवश्यक नहीं है कि निम्नलिखित अध्ययन में व्यक्त बिचारों का समर्थन करें।

8.5 उत्तर प्रदेश और बिहार में आरक्षण में मिथिलता और समिलना- और कर्नाटक में ऐसा न होना जैसी बात को समझाने के लिए अध्ययन किया गया और निम्नलिखित नौ अनुमानों का प्रतिपादन किया गया:—

1. यदि सांप्रदायिक आरक्षण योजना का पुराना इतिहास है, तो उन्नत जातियों द्वारा इसके विरोध की संभावना नहीं है।
2. यदि उन्नत जातियां अपने आप में ही विभाजित हो गई हैं, तो विरोध की संभावनाएं कम हैं।
3. यदि पिछड़ी तथा अनुसूचित जातियों का आपस में सहयोग नहीं है, तो उन्नत जातियों की तरफ से कम विरोध किए जाने की अधिक संभावना है।
4. यदि पिछड़ा वर्ग को भी राजनीति का रंग दे दिया जाए और उन्हें संगठित किया जाए, तो उन्नत जातियों की तरफ से कम विरोध किए जाने की संभावना है।
5. यदि उच्च जातियों को अचानक अपनी राजनीतिक तथा आर्थिक स्थिति खोनी पड़ती है, अर्थात् यदि आरक्षण योजना से अचानक वर्ग असंतुलन होने की संभावना है, तो ऐसी जातियों द्वारा बहुत अधिक विरोध किए जाने की संभावना है।
6. यदि उन्नत उपजातियों के व्यक्तियों की पिछड़ी जातियों के व्यक्तियों की तरह उपेक्षा की जा सकती है, तो होने वाले विरोध की कम संभावना है।
7. यदि समूचे राज्य में एक प्रकार का पुनर्जागरण होता है या इसे बाहरी संकेतों के विरुद्ध संगठित किया जाता है, तो उन्नत जातियों के विरुद्ध पिछड़ा वर्ग आन्दोलन के कम शक्तिशाली होने की संभावना है।
8. पिछड़ी जातियों द्वारा विरोध करने की क्षमता (क) उनकी संख्या, (ख) राजनीतिक जागरूकता, (ग) प्रभुत्व और (घ) वैकल्पिक अवसरों की कमी प्रतीत होना।
9. यदि गैर-सरकारी तृतीय क्षेत्र का विस्तार हो रहा है, तो उन्नत जातियों की तरफ से कम विरोध होने की संभावना है।

8.6 आम जातीय झगड़ों का उचित ऐतिहासिक संदर्भ में अध्ययन करने से पता चला कि "अंग्रेजी शासकों ने हिन्दू जाति व्यवस्था में अनेक व्यवस्था संबंधी रूकावटें पैदा की जो फल तथा प्रभाव की दृष्टि से परस्पर विरोधी थीं। इसलिए, हिन्दू जाति-प्रथा पर अंग्रेजी शासन के विभिन्न प्रभाव हुए जैसे विद्वान जातियों का नौकरियों, शिक्षा तथा व्यवसायों पर लगेभंग एकाधिकार होना, हिन्दू धर्म विधान की जड़ काटने वाली समानता तथा न्याय की पश्चिमी धारणाएं, संस्कृत के फैलाव का प्रभाव, उच्च वर्ग का सुधार आन्दोलन और निम्न वर्ग का उग्र आन्दोलन जिसका नई भूमिका सहित जातीय संगठनों के रूप में प्रादुर्भाव, इन सबसे आधुनिक भारत में जातीय झगड़ों के लिए एक मंच स्थापित हो गया। दो और संघटकों का, अर्थात् जनता का राजनीतिकरण और व्यापक प्रौढ़-मताधिकार, जो कि अंग्रेजी युग में बहुत कमजोर थे, स्वतन्त्रता के बाद मजबूत प्रेरक शक्तियों के रूप में उभरना।

8.7 जब हम चार अलग-अलग राज्यों पर प्रत्येक के लिए संस्थान द्वारा किए गए अध्ययन की विवेचना को लेते हैं।

तमिलनाडु

8.8 उच्च विद्वता के वंशानुगत रक्षक होने के नाते तमिल ब्राह्मण शिक्षा की ब्रिटिश प्रणाली तथा इससे प्राप्त होने वाले अन्य लाभों के मुख्य उपभोक्ता थे। इसने उन्हें सभी सरकारी सेवाओं और व्यवसायों पर लगभग एकाधिकार करने योग्य बना दिया था। "मोन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों व द्विशासन प्रणाली के प्रादुर्भाव के कारण गैर-ब्राह्मण अभिजात्य जातियों ने सबसे पहले दक्षिण भारत उदारवादी संघ और दूसरे, 1916 में न्याय दल स्थापित करने में पहल की।" 1920 में सत्ता में आने के बाद एस दल ने सेवाओं पर ब्राह्मणों के अधिकार को कम करने के लिए कार्रवाई की। 1927 के सांप्रदायिक सरकारी आदेश में विभिन्न समुदायों के लिए पदों का उपखंडों में आरक्षण करने की व्यवस्था की गई।

8.9 यह उल्लेखनीय है कि "न्यायदल के नेता भूमिपति वर्गों से लिए गए थे और वे अपने वर्गों में भूमिहीन जातियों को शामिल करके अपना संघ बढ़ाने के प्रति ज्यादा उत्साही न थे..... 1927 का सांप्रदायिक सरकारी आदेश वेल्लाला जातियों, विशेषकर मुदलियारों की विजय का शोचक है।" इस दृष्टिकोण के फलस्वरूप न्यायदल के व्यापक जन आधार को क्षति पहुंची। राष्ट्रीय आन्दोलन से इसके प्रभाव ने इसे और कमजोर बना दिया।

8.10 इसी बीच कांग्रेस पर ब्राह्मणों के प्रभुत्व से कुछ होकर और गांधी जी के वर्ग शुद्धिकरण को बृहद विचारधारा से नाराज होकर ई० वी० रामास्वामी नैयकर कांग्रेस दल से अलग हो गए और स्वामिमान आन्दोलन आरम्भ कर दिया। उन्होंने ब्राह्मण धर्म और संस्कृति का बहिष्कार कर दिया और एक अलग द्रविड़स्थान की मांग की। बाद में द्रविड़ कज्जम दल की स्थापना होने पर इस विचारधारा में हिन्दी-विरोधी और उत्तर विरोधी घोषणाएं और जुड़ गईं।

8.11 1947 में, 1927 के सांप्रदायिक सरकारी आदेश का संशोधन किया गया, उस नये आदेश को एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि पहली बार गैर-ब्राह्मण जातियों को गैर-ब्राह्मण हिन्दू तथा गैर-ब्राह्मण पिछड़े हिन्दुओं में विभाजित किया गया। "इस उपखंडीय आरक्षण को उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था, और इसके फलस्वरूप, सरकार ने 1951 में केवल, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण के संबंध में एक दूसरा आदेश जारी किया। इसने गैर-ब्राह्मण उन्नत जातियों की ओर से किसी तीव्र प्रतिक्रिया को जन्म नहीं दिया, क्योंकि वे अपने लाभों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त रूप से शक्तिशाली बन चुके थे और इस पर उन्होंने किसी प्रकार का विरोध नहीं किया।"

8.12 उक्त आरक्षण योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसने लगभग अधिकांश सभी मुख्य समुदायों या जाति गुणों को उन्नत तथा पिछड़ा वर्गों में बांट दिया था। "अनुसूचित जातियों से परिवर्तित ईसाई पिछड़े हैं और अन्य ईसाई उन्नत हैं। जबकि सम्बाई और दक्खनी मुसलमान पिछड़े हैं किन्तु उर्दू बोलने वाले मुसलमान उन्नत हैं, भाविसेवा, करघाटा, कल्लावल्ली-यल्लास उन्नत हैं, और भूतलूवल्लास और सोमियावल्लास पिछड़े हैं। नंजम रेड्डी को छोड़कर सभी रेड्डी उन्नत हैं। गवारा और बाडगर नायडू पिछड़े हैं, कामानाचडू उन्नत हैं....." इस तरह के विभाजन ने उन्नत उप जातियों को विरोध या आन्दोलन करने की शक्ति को काफी कम कर दिया।

8.13 शासक संस्थानों में, आरक्षण के लाभ अपेक्षाकृत मुख्य रूप से अनुसूचित पिछड़ा वर्गों में अधिक विकसित जातियों को ही पहुंचे हैं।

तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग आयोग ने इस बात का विशेष ध्यान रखा था और सुझाव दिया था कि अन्य पिछड़े वर्गों की विभिन्न श्रेणियों के लिए उपखंडीय आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए, किन्तु राज्य सरकार ने इस सुझाव की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। "मुख्य प्रश्न यह है कि कमजोर और छोटी पिछड़ी जातियों ने, जोकि पिछड़ा वर्ग जनसंख्या का 88.7% है, केवल थोड़ी सी गिनी-चुनी जातियों को मिलने वाले आरक्षण के लाभों के विरोध में नाराजगी जाहिर क्यों नहीं की? कर्नाटक में "देवरज भर्त ने इस नाराजगी से लाभ उठाते हुए, इन जातियों की तरफ से अपने लिए एक नया राजनीतिक आधार बनाया", लेकिन तमिलनाडु में "विशिष्ट द्रविड़ कज्जम संस्कृति के कारण..... ऐसा कोई आन्दोलन न हो सका था....." जब तक पुनर्जीवित तमिल संस्कृति राज्य को अपनी मुट्ठी में रखे हैं..... तब तक शास्त्र में पिछड़ा जाति आन्दोलन..... ऊपर नहीं उठ पावेगा।"

8.14 कुछ अन्य राज्यों के विपरीत, तमिलनाडु में ब्राह्मण बनाम गैर-ब्राह्मण मत भेद को लेकर हरिजनों और अन्य पिछड़ा वर्गों के बीच कोई खुला झगड़ा नहीं हुआ है। क्योंकि तमिलनाडु एक गैर-संस्कृतिक संस्कृति क्षेत्र है, इसलिये वहां चतुर्वर्ण प्रणाली की महां कम प्रयुक्तता है। "यहां हरिजनों ने स्वाभिमान आन्दोलन को समर्थन दिया है।"

8.15 बढ़ती हुई तमिलनाडु अर्थव्यवस्था और अपेक्षाकृत शहरीकरण को उच्च दर ने ब्राह्मण तथा गैर-ब्राह्मण उच्च जातियों के युवकों के लिए नौकरियों के नये आकार प्रदान किए हैं। इसने निम्नित रूप से उन तनाबों को कम किया है, जो अन्यथा इन समुदायों में पद आरक्षण धारि के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुए होते।

कर्नाटक

8.16 मैसूर ब्राह्मणों ने, बहुत कुछ अपने प्रतिपक्षी तमिल ब्राह्मणों की तरह ही "लिगावत तथा वोकालोगास, दो महत्वपूर्ण भूमिपतियों व कुलीन जातियों पर बहुत ही आसानी से अग्रता प्राप्त कर-नी थी..... ठीक उसी समय मद्रास में न्याय आन्दोलन शुरू हुआ था। प्रतापी मैसूर राज्य लिगावत और वोकालोगास सरकारी सेवा तथा शिक्षा में ब्राह्मणों के प्रभुत्व से उत्तेजित हो उठे।..... चूकि शहरों की तरफ जाने वाले ब्राह्मणों की संख्या बढ़ती गई और लिगावत लोगों ने अपनी भूमियां खरीद लीं। "उन्होंने जाति संगठन बनाने शुरू कर दिये और 1917 में गैर-ब्राह्मणों के लिए आवाज उठाने हेतु प्रजा मिल मंडली की स्थापना की गई थी। सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक पिछड़ा वर्गों की शिकायतों पर विचार किया और मिस्टर समिति रिपोर्ट के आधार पर 1921 में पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों को विशेष शैक्षिक तथा रोजगार संबंधी सुविधाएं देने के बारे में आदेश जारी किए। इसके परिणामस्वरूप सेवाओं तथा व्यवसायिक संस्थानों में ब्राह्मणों की संख्या धीरे-धीरे कम होती गई।

8.17 उचित केन्द्र बिन्दु न होने के कारण, प्रजा मिल मंडली विघटित हो गई और इसका स्थान 1928 में प्रजा पत्र ने ले लिया। इस दल का नेतृत्व मुख्यतया उन "दो प्रभुत्वशाली जातियों द्वारा किया गया था जो पड़ोसी राज्यों में जातीय झगड़ों के लिए काफी प्रसिद्ध हो चुकी है।

8.18 स्वतन्त्रता के बाद "वोकालोगासों ने राज्य संत और कांग्रेस दल पर नियंत्रण रखना शुरू कर दिया था, जबकि लिगावतों ने उनके कनिष्ठ हिस्सेदारों के रूप में स्वयं को ढाल लिया था..... 1956 में संयुक्त कर्नाटक राज्य के बनने के बाद जातीय संतुलन को काफी हद तक बदल दिया। लिगावत, राज्य की कुल जनसंख्या का 15% और वोकालोगास 11% थे। पुराने मैसूर क्षेत्र से राजनैतिक केन्द्र बचल कर नये गठित क्षेत्र विशेषकर बम्बई-कर्नाटक में आ गया।"

8.19 पुनर्गठन के बाद नये नेताओं ने सांप्रदायिक आरक्षण योजना को सारे राज्य में लागू कर दिया। कई न्यायालयों में चल रहे कई केंसों

की परिणति प्रसिद्ध बाला जी केस के निर्णय के रूप में हुई और राज्य सरकार ने 1983 में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 30% और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 18% आरक्षण के आदेश दिए। आरक्षण की इस योजना से लाभ प्राप्त करने वाली राजनीतिक प्रभुता प्राप्त जातियाँ लिगायत और बोकालोगस थी। इससे अन्य अल्पसंख्यक जातियों के बीच काफी रोष फैल गया, जो स्वयं को निस्सहाय समझने लगीं। "देवराज अर्स ने 'बड़ी सावधानी और मेहनत से गैर-लिगायत तथा गैर-बोकालोगस समुदायों को आगे बढ़ाया।" मुख्यतया इस आधार को सुदृढ़ करने का परिणाम था कि वह उन्नत राज्य में 1972-80 तक शासन करने में सफल हुए।

8.20 1972 में, उन्होंने श्री एल० जी० हवानूर की अध्यक्षता में कर्नाटक पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की। अपने सर्वेक्षणों के आधार पर आयोग ने ब्राह्मणों, लिगायतों, क्षत्रियों आदि को पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल नहीं किया। आयोग की सिफारिशों का संशोधन करने के बाद, राज्य सरकार ने शोधित वर्गों को छह मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया और प्रत्येक गुप के लिए अलग से आरक्षण किया।

8.21 इस योजना की मुख्य विशेषता यह थी कि "लिगायत की कुछ उप-जातियों को पिछड़ों के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जबकि अधिकांश उप-जातियों को उन्नत के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यद्यपि बोकालोगस को पिछड़ा समुदाय के रूप में वर्गीकृत किया गया है, किन्तु कर्नाटक राज्य की राजनीति में उनके भूतपूर्व वरिष्ठ हिस्सेदार लिगायतों को अधिकांशतया उन्नत के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन्हीं कारणों से लिगायत समुदाय हवानूर आयोग रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण योजना के प्रपन को लेकर स्वयं को विभाजित समझता है। इस असले के कारण ही बोकालोगस का लिगायतों के साथ गठ-जोड़ नहीं हो सकता है क्योंकि वे अपने आपको पिछड़ा और उन्नतों के विभिन्न गुटों में पाते हैं। यह बिहार और उत्तर प्रदेश की समग्र तुलनात्मक स्थिति के संदर्भ में है जहाँ कि सभी मुख्य उन्नत जाति दलों अर्थात् ब्राह्मणों, कायस्थों, राजपूतों और भूमिहारों को उन्नत के रूप में वर्गीकृत किया गया है और यही एक होने के लिए उन्हें मंच प्राप्त हो सकता है।"

8.22 हवानूर आयोग रिपोर्ट ने लिगायतों और अन्य पिछड़े वर्गों के बीच काफी विवाद खड़ा कर दिया था। किन्तु, कुछ पिछड़ी जातियों के प्रभावी संगठनों के कारण लिगायतों द्वारा आयोजित किये गए विरोधों और आन्दोलनों का कोई अधिक प्रभाव नहीं हुआ।

8.23 "दोसवीं शताब्दी के दशकों में कर्नाटक में गैर-ब्राह्मण आन्दोलन कोई महत्वपूर्ण पुरस्कारकन्वड विचारधारा उत्पन्न करने में सफल नहीं हो सका जिससे संभवतः गैर-ब्राह्मणों के बीच व्याप्त मतभेदों को उभरने से रोक जा सकता था। हाल ही के इस अत्यधिक मतभेद ने पुराने ब्राह्मणों वनाम गैर-ब्राह्मणों के मतभेदों को छिन्न-भिन्न कर दिया है।"

8.24 "उत्तर प्रदेश तथा बिहार के ब्राह्मणों, कायस्थों, भूमिहारों, तथा राजपूतों के समान, कर्नाटक के लिगायतों, ब्राह्मणों तथा बंटों को भी आरक्षण योजना से अलग रखा गया है। कर्नाटक के ब्राह्मण इतने निर्बल हैं कि यदि वे लिगायतों के साथ मिल जाते हैं, तो भी इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ब्राह्मण नेतागण यह सोचते हैं कि वे 1972 से नौकरियों तथा सीटों के संबंध में कुछ थोड़े से अच्छे हो गये हैं। इन सभी कारणों से, कर्नाटक में उच्च जातियों का क्रोध शान्त है और इसने कोई हिसक रूप नहीं लिया है।"

8.25 कर्नाटक में शहरीकरण तथा औद्योगिकरण में हो रहे तीव्र विकास ने जाति तनावों को कम करने में वही प्रभाव डाला है, जो उन्होंने तमिलनाडु में डाला था।

बिहार

8.26 तमिलनाडु तथा कर्नाटक के विपरीत, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में द्विज जातियों अपने आप में और पिछड़ी जातियों तथा हरिजनों से पूर्णतया भिन्न मानी जाती हैं। आगे, कायस्थ न कि ब्राह्मण मुख्यतया विद्वान जाति मानी जाती है।

8.27 "बिहार में सन् साठ के मध्य तक कांग्रेस में राजनीतिक संघर्ष द्विज जातियों में व्याप्त संघर्ष तथा स्पर्धा के कारण था। सन् साठ के पश्चात्, इन मतभेदों से दूर किए बिना, इन जाति वर्गों तथा निम्न कृषक जातियों, निम्न कृषक जातियों तथा अनुसूचित जातियों के बीच संघर्ष विद्यमान रहा।"

8.28 बिहार की तीन द्विज-जातियाँ अर्थात् ब्राह्मण, भूमिहार तथा राजपूत मुख्य भूमिधारी समुदाय थे। यहाँ पर आधुनिक शिक्षा तथा व्यवसायों में बढ़-चढ़ कर भाग लेने वालों में कायस्थ थे न कि ब्राह्मण। 1911 में बिहार का बंगाल से अलग हो जाने पर उन्हें बहुत बड़ा मौका हाथ लगा।

8.29 भूमिहार, जो राजपूतों की तुलना में भली प्रकार शिक्षित थे और कायस्थों की तुलना में अधिक गाँव प्रवण थे, अपने नेता डा० श्री कृष्ण सिन्हा के मृत्यु पर्यन्त राज्य में कांग्रेस राजनीति में आए रहे।

8.30 बिहार में स्वातन्त्र्योत्तर कांग्रेस शासन के प्रारंभिक काल में, राज्य के राजनीतिक जीवन में सामाजिक भेदभाव पनप गए। "कायस्थों ने राजपूत गुप को सहयोग और प्रोत्साहन प्रदान करके अपनी स्थिति सुदृढ़ करने का प्रयास किया। ब्राह्मण भी 'बड़ी संख्या में कांग्रेस में शामिल हो गए' 'भूमिहार-राजपूत प्रतिद्वंद्विता सन् पचास में अपने शिखर पर पहुंच गई।" परन्तु इन सभी बातों से यह विदित होगा कि इस अवधि के दौरान पिछड़ी जातियाँ इस शक्ति के खेल में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा नहीं कर सकी। यह यादवों, कुमियों तथा कोयलियों के कारण था कि पिछड़ी जातियों ने स्वयं को जाति के समानान्तर संगणित करना आरम्भ कर दिया। "अखिल भारतीय यादव महासभा ने अपना मुख्यालय पटना में रखा है और बिहार के यादवों में भी इस तरह अपना मुख्यालय पंजाब और उत्तर प्रदेश में रखे हैं, इसने भारतीय यादव आन्दोलन का सुदृढ़ आधार तैयार किया। प्रारंभिक काल में, इनमें से अधिकांश जाति गुपों ने उच्च जातियों के मुख्य प्रतिद्वंद्वियों के सहायकों के रूप में कार्य किया। उच्च जातियों के नेताओं ने नेतृत्व के लिए निम्न जातियों के व्यक्तियों को सहयोजित किया।" वास्तव में इसने पिछड़ी किसान जातियों को एक संयुक्त मोर्चा बनाने से रोक दिया और प्रत्येक जाति गुप विभाजित कांग्रेस में शामिल हो गया। निःसन्देह वे राजनीतिक प्रवीणता प्राप्त करने के कारण और अधिक स्वतन्त्र हो गए।

8.31 यहाँ यह उल्लेख करना भी रुचिकर होगा कि 1934 और 1960 के बीच बिहार प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी समिति में कायस्थ सदस्यों का प्रतिशत बड़ी तेजी से 53.84% से घटकर 4.76% हो गया जबकि भूमिहारों का 15.38 से बढ़कर 28.56% हो गया। "राजपूत तथा ब्राह्मणों के प्रतिनिधित्व में कुछ वृद्धि होने के उपरान्त, कमी हुई। पिछड़ी जातियाँ (उच्च तथा निम्न दोनों) 1948 के आसपास दिखाई देना शुरू हो गईं और उन्होंने सन् 1980 के आसपास 14% पदों पर अधिकार कर लिया। जैसा व्हेयर (1980) बताता है, कि 1962 में कांग्रेस विधान मंडल दल में पिछड़े लोगों का प्रतिशत लगभग 24.9% था, जबकि उनमें से अधिकांश उच्च पिछड़े लोग थे। दक्षिण भारत में गैर-ब्राह्मणों द्वारा ब्राह्मणों को कांग्रेस व राजनीति से निकाल देने के कारण एक बार फिर विचमला दिखाई दी है। बिहार में उन्नत जातियाँ राजनीति और अर्थव्यवस्था में काफी स्थापित थी, जिन्हें विभाजित व अपूर्ण रूप से संगठित पिछड़े वर्गों द्वारा वहाँ से हटाया जाना था।

1963 में पहली बार बिहार कांग्रेस विधान दल के इतिहास में उन्नत जाति के नेता (के० बी० गहाय, एक कामस्थ) और परोपित योग्यता वाले पिछड़ी जाति के नेता (बीरबन्धु पटेल, एक कुर्मी) में मुकाबला हुआ। यह उल्लेखनीय है कि न केवल पिछड़ी जाति के विधायक बल्कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विधायक भी दो प्रति-द्वंद्वियों में बंट गए थे। वास्तव में, अधिकतर पिछड़े लोगों ने पटेल को तुलना में गहाय को मत दिये।¹

8.32 1962 के पश्चात्, उन्नत जातियों के विधायकों की संख्या, कम हो गई और पिछड़े वर्ग के विधायकों की संख्या में वृद्धि हो गई हालांकि उपरोक्त मामले में यह अन्तर बहुत अधिक नहीं है। उस समय राम मनोहर लोहिया ने कांग्रेस को पराजित करने के लिए पिछड़ी जातियों को संगठित करने का विचार किया और सन् 1962 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने उन्हें अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया।² 1967 में कांग्रेस की पराजय से पिछड़ी जातियों की लहर-सी चल पड़ी और एक महत्वपूर्ण चरण की शुरुआत हुई। विधान सभा के इन चुनावों में बनिए, कुर्मी, कोयरी तथा यादव उम्मीदवार बहुत बड़ी संख्या में पुनः विजयी हुए और उनके विधायकों की संख्या 31.6% तक की गई। उनमें से अधिकतर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित थे। यही स्थिति 1962 के मध्यावधि चुनावों में भी हुई। 1972 के चुनावों में, कांग्रेस फिर सत्ता में आ गई और विधान सभा में पिछड़ी जातियों के विधायकों की संख्या 1962 से भी कम हो गई। 1977 में उतनी संख्या जनता पार्टी के जीतने से फिर बढ़ गई।³ जैसा कि बाद की घटनाओं से विदित होगा कि 1977 के चुनावों से बिहार की राजनीति में पिछड़े जातियों की स्थायी तथा अधिक ठहरने वाली स्थिति नहीं बन पाई। 1967 में उनके आविर्भाव के समान, 1977 में उनकी लहर अस्थायी और अस्थिर थी। 1972 तथा 1978 के कर्नाटक चुनावों की तुलना में नई पिछड़ी जातियों के सम्मिलन को स्थायी और अटूट माना गया।⁴

8.33 बिहार में भूमि सुधारों की प्रकृति राजनीति में पिछड़े जातियों के अपूर्ण संगठन का एक मुख्य कारण है सभी मध्यस्थों के उन्मूलन ने वस्तुतः मेहनतवश किसान जातियों जैसे कुर्मी, कोयरी तथा यादवों की निश्चित रूप से सहायता की। छोटे किसान माजिक "अपनी भूमियों पर बहुत मेहनत करते हैं और अपने मजदूरों से कड़ी मेहनत करवाते हैं, और किसान मजदूरों द्वारा किसी प्रकार का विरोध किए जाने से परस्पर झगड़े उत्पन्न होते हैं तथा हरिजनों पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। इसी कारण से, बिहार के ग्रामों में शक्ति संरचना उस प्रकार व्यवस्थित नहीं हुई है जैसी की मध्यम हो चुकी है।" यह स्थिति मतभेदों तथा विवादों की जड़ है।

8.34 कर्पूरी ठाकुर की सरकार ने नवम्बर, 1978 में पिछड़े वर्गों के लिए 20% आरक्षण लागू किया था। (इसका ब्योरा रिपोर्ट के अध्याय 2 में दिया गया है) "ठाकुर पिछड़ी जातियों को और संगठित करने के लिए लोहिया विचारों का अनुसरण कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि वह बिहार में कर्नाटक आदर्श को सफलतापूर्वक लागू कर सकते हैं। उन्नत जातियों में व्याप्त आक्रोश को सरकारी आदेश द्वारा उकसाया गया। विश्वविद्यालय और कालेज बन्द हो गए। रेलगाड़ियों और बसों पर हमले हुए। सरकारी सम्पत्ति को हानि पहुंचायी गई।"⁵

8.35 इकानामिक एंड पालिटिकल बीकली में हाल के एक लेख में,⁶ जैम्स मैन्डर ने देवराज अंस तथा कर्पूरी ठाकुर की उपलब्धियों की तुलना निम्नलिखित रूप में की है।

"ठाकुर ने कार्यभार संभालने के तत्काल बाद "पिछड़ी जातियों" के लिये परोपन्नता की अपनी नीति की घोषणा की थी। उन्होंने ऐसा यह दिखाने के लिए किया था कि पिछड़े लोगों ने बिहार की राजनीति में उन्नत लोगों के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया था।

*ई०पी० डब्लू अनुपुल, नवम्बर 1980।

"द्विजजातियों" का ग्राम से लेकर विधान सभा तथा सार्वजनिक मामलों में प्रभुत्व के दिन अब हमेशा के लिए लाद गए थे। "लेकिन, उन्होंने यह घोषणा पिछड़े वर्ग" की राजनीतिक क्षेत्र में राज्य स्तर पर स्थिति मजबूत बनाने अथवा विकास कार्यक्रमों के माध्यम से "पिछड़े वर्ग" की सरकार से नए आर्थिक और राजनीतिक संसाधन उपलब्ध कराने से पूर्व की थी। परोपन्नता के उनके पहले प्रस्ताव से उच्च जातियों तथा अनुसूचित जातियों दोनों की भावनाओं को ठेस पहुंची जो इससे डर गये और उसके फलस्वरूप मुख्य लक्ष्यों को प्राप्त करने से पहले ही उनका सरकार का पतन हो गया। उनके सरकार के स्थान पर अब "उच्च जातियों" की अर्थात् जन-संघियों की सरकार आ गई देवराज अंस के शब्दों में, "कर्पूरी मुन्केबाजी के दावपेज सीखने से पहले ही अखाड़े में कूद पड़े थे।"

अंस द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कुशल प्रबंध तथा अनुसूचित जातियों के संबंध के बारे में मैन्डर ने बताया है :-

8.36 "यदि अनुसूचित जातियों द्वारा उत्तर भारत में परोपन्नता कार्यक्रम को आयातियों के रूप में देखा गया है, तो अंस द्वारा "पिछड़ी जातियों" तथा अनुसूचित जातियों के मध्य समझौता कैसे बनाए रखा गया? उन्होंने ऐसा छुट्ट और सांकेतिक कार्रवाई के जरिये से किया। उदाहरणार्थ उन्होंने अतिमंडल में (महत्वपूर्ण विभागों सहित) अनुसूचित जाति को चुनने से अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने हेतु सांकेतिक स्तर पर अनुसूचित जाति नेता श्री, वासवलिगण्या, को राजस्व मंत्री के महत्वपूर्ण पद पर रखा और उन्हीं लोगों में से विधान सभा अध्यक्ष को चुनवाया। अंस ने सभी प्रकार से अनुसूचित जातियों को सफलतापूर्वक पुनः आश्वासित किया कि "पिछड़े वर्ग" के लिए आरक्षण का अर्थ उनके सांविधिक कोटे को कम करना नहीं है। उन्होंने इसके लिए अथक प्रयास किए और सरकारी सेवाओं के उच्च पदों में अनुसूचित जातियों का कोटा जो कभी भी पर्याप्त रूप से नहीं भरा गया था वह उनके कार्यकाल में पूर्णतः भरा गया।"

8.37 तमिलनाडु तथा कर्नाटक के विपरीत, बिहार में शहरीकरण और औद्योगिकरण बहुत धीमी गति से हुआ क्योंकि उच्च जातियों के युवा उम्मीदवार अपनी पुराने काम को छोड़ने की स्थिति में नहीं थे और अपनी किस्मत नए क्षेत्रों में अजमाने के पक्ष में नहीं थे। सरकारी सेवाओं में उच्च जातियों के नियंत्रण से वे इतने सक्षम व समर्थ बन गए थे कि जैसे ही पिछड़ी जातियां सिर उठाये वे उन्हें दबा दें।

उत्तर प्रदेश

8.38 जैसा कि बिहार में है, उत्तर प्रदेश में भी जातिप्रथा में वर्ण व्यवस्था की दृष्टि से बहुत अन्तर है। 1931 की जनगणना के अनुसार उच्च द्विज जातियां कुल जनसंख्या का लगभग 20.30%, ब्राह्मण जनसंख्या का 9.23% तथा 7.28% राजपूत थे। यादव, कुर्मी, जाट, लोध तथा कोयरी उच्च किसान जातियां थीं जो जनसंख्या का लगभग 16.4% थीं। उस समय मुलसमानों का प्रतिशत 13.6 था। "उत्तर प्रदेश में आधुनिक शिक्षा का मुख्य लाभ उठाने वालों में ब्राह्मण, कायस्थ और बनिए थे। राजपूतों ने प्रमुख भूमिधारी किसान होने के नाते शिक्षा तथा व्यवसाय में ब्राह्मणों तथा कायस्थों के एकाधिकार पर रोष प्रकट नहीं किया।

8.39 दूसरा मुख्य कारण बिहार की उच्च जातियों में अथवा कर्नाटक और तमिलनाडु की उच्च और पिछड़ी जातियों में मतभेद क्यों नहीं पैदा हुए यह था कि स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान हिन्दू-मुस्लिम और कांग्रेस-लोग मतभेदों ने अन्य मतभेदों को पनपने नहीं दिया।" इससे यह भी सिद्ध होता है कि कोई भी बड़ा मामला उन्ही क्षेत्र में छोटे मामलों को दबा देता था।

8.40 पिछड़े वर्गों के मंच पर आने से "यादवों, कुमियों, कोयरीयों, जाटों, जैसी किसान जातियों के बीच परस्पर संबंध और अधिक घनिष्ठ हो गए।" इस आन्दोलन के आवजूद अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का एक संयुक्त राजनीतिक मोर्चा कायम नहीं कर सका।

8.41 1937 में विभिन्न मंत्रालयों की जाति संरचनाएं पिछड़ी जाति आन्दोलन की कमजोरी की द्योतक हैं। 1937—39 के मंत्रिमंडल में छः पदों में से तीन पर ब्राह्मण थे लेकिन अन्य पिछड़ा वर्गों में से कोई नहीं था। यह प्रवृत्ति 1952 तक चलती रही, जब चरण सिंह को, जोकि एक जाट थे मंत्रिमंडल में लिया गया। सम्पूर्णानन्द, सी० वी० गुप्त तथा सुचेता कृपलानी ने भी इसी प्रणाली को कायम रखा। 1967 में चरण सिंह की अध्यक्षता वाले संयुक्त विधायक दल में तीन मंत्री पद यादवों तथा कुमियों सहित किसान पिछड़ी जातियों को दिए गए थे। ऐसा करना इसलिये भी आवश्यक हो गया था क्योंकि पिछड़े वर्गों ने 1967 के चुनावों में पर्याप्त सफलता प्राप्त की थी। "कांग्रेस के पतन का अर्थ था विधान सभा में उच्च जाति के प्रतिनिधित्व का पतन होना। 1970 की दूसरी चरण सिंह सरकार तथा 1970-71 को टी० एन० सिंह सरकार ने भी उच्च किसान जातियों को अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया और पहली बार दलित जातियों को भी शामिल किया गया।" परन्तु इस प्रवृत्ति से अन्य पिछड़े वर्गों को स्थायी लाभ नहीं मिला, क्योंकि उच्च जातियों का प्रतिनिधित्व लिपाठी, बहुगुणा और तिवारी द्वारा मंडित मंत्रालयों के अन्तर्गत फिर ऊंचा हो गया। जब जनता पार्टी 1977 में सत्ता में आयी तो अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व में पर्याप्त वृद्धि हुई "बिहार में कर्पूरी ठाकुर के समान राम नरेश यादव ने भी इस वृद्धि को पिछले वर्गों का स्थायी उत्थान समझा और गलती की और अगस्त 1977 में प्रसिद्ध सरकारी आदेश जारी किया। 1980 के चुनावों ने अंकित संयुक्तन को इस परिवर्तन धारणा को अस्वीकार कर दिया।"

8.42 बिहार के समान उत्तर प्रदेश की राजनीतिक अव्यवस्था में इसी प्रकार के भूमि सुधारों से परिवर्तन हुए। यादवों, कुमियों, लोघ गुजर, कोयरी, जैसी काश्तकार व खेतीवाड़ी करने वाली जातियां मालिक काश्तकार बन गईं और क्योंकि वे परिश्रमी तो थी हीं। इसलिये उन्होंने आधुनिक कृषि में निवेश का लाभ प्राप्त करने में जली प्रकार से योग्यता दर्शाई.....।

8.43 सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के आधार पर, यादव सरकार ने, अगस्त 1977 में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी पदों में 15% आरक्षण का आदेश दिया। यह स्पष्ट नहीं है कि "पिछड़ा वर्ग आयोग" की बजाए सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन क्यों किया गया था। फिर भी अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 15% के साधारण आरक्षण से उच्च जातियों के मन में बहुत अधिक क्षोभ पैदा हुआ। "यहां तक कि उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में सरकारी कर्मचारी भी उस आन्दोलन में शामिल हो गए। आन्दोलनकारियों की मांग थी कि सामाजिक तथा आर्थिक पिछड़ेपन का मानदंड वर्ग होना चाहिए न कि जाति।"

8.44 इस प्रवृत्ति से विदित होता है कि उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों में कोई राजनीतिक संगठन और तालमेल नहीं है ताकि नौकरियों तथा औद्योगिक संस्थाओं में पिछड़े वर्गों को और अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए भाग रखा जा सके। यहां तक कि राज्य सरकार द्वारा किए गए 15% आरक्षण को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। "कर्पूरी ठाकुर के समान, राम नरेश यादव ने भी एक दशक से कम की अवधि में पिछड़ा वर्ग को संगठित करने का

प्रयत्न किया था। देवराज अर्ष के विपरीत उन्होंने किसी भांति प्रच्छा प्रकार से सोची विचारी योजना से उच्च जातियों को विभाजित करने का प्रयत्न नहीं किया। 1977 की जनता की सफलता ने केवल धक्का के मामले तैयार किए।"

निष्कर्ष

8.45 उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण पर दक्षिण की अपेक्षा उत्तर में जो जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई, वह संक्षेप में निम्नलिखित है :--

- (1) तमिलनाडु और कर्नाटक के पिछड़े वर्ग आन्दोलनों का एक लम्बा इतिहास था और उनके कल्याण के लिए अनेक उपाय विभिन्न चरणबद्ध तरीकों से किये गये थे। उत्तर प्रदेश तथा बिहार में ऐसे उपायों ने जन आन्दोलन को नहीं भड़काया।
- (2) "दक्षिण में उन्नत समुदायों की वर्गीकरण योजनाओं या राजनीति द्वारा अथवा दोनों तरह से विभाजित कर दिया गया था। बिहार तथा उत्तर प्रदेश में, सरकारी आदेश ने उच्च जातियों को विभाजित नहीं किया है।"
- (3) दक्षिण में, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़ी किसान जातियों को बीच संघर्ष कुछ कम हुए हैं। जबकि उत्तर में ये मतभेद काफी तेज रहे और इसके फलस्वरूप हिंसा की वारदातें हुईं। इसने उत्तर में पिछड़े वर्गों की एकता को और कमजोर कर दिया।
- (4) गैर-सांस्कृतिक दक्षिणी क्षेत्र में मूल वर्ग संबंधी भेदभाव प्राणियों तथा गैरब्राह्मणों में था और ब्राह्मण जनसंख्या का केवल 3% के करीब थे। सांस्कृतिक उत्तर क्षेत्र में, उच्च जातियों के बीच कोई तीव्र मतभेद नहीं थे और वे कुल मिलाकर जनसंख्या का लगभग 20% थे। इस कारण उत्तर प्रदेश तथा बिहार में उच्च जातियां पिछड़ा वर्ग आन्दोलन का विरोध करने के लिए मजबूत स्थिति में थीं।
- (5) दक्षिण में अन्य पिछड़ी जातियों का लम्बा इतिहास होने और अच्छी प्रकार से संगठित होने के कारण वे काफी राजनीतिक प्रभाव डालने की स्थिति में थीं। यादवों तथा उच्च किसान जातियों द्वारा पहल करने के आवजूद उत्तर में कोई संगठित और मजबूत अन्य पिछड़ा वर्ग आन्दोलन अभी तक नहीं हो पाया है।
- (6) उत्तर प्रदेश तथा बिहार में अर्थ-सामन्तवाद परम्परा ने उच्च जातियों की छोटी पिछड़ी जातियों पर कठोर नियन्त्रण करने का मौका दिया है तथा उन्हें पिछड़ा वर्ग आन्दोलन का मुख्य धारा में शामिल होने से रोका है जबकि दक्षिण में ऐसा नहीं है।
- (7) "तमिलनाडु तथा कर्नाटक की अर्थ व्यवस्था अपेक्षाकृत बहुत तीव्र गति से विकसित हो रही है। निजी क्षेत्र भी विकसित हो रहा है। यह कई उन्नत जाति के युवकों को सहारा दे सकता है। वे राज्य के बाहर जाने के लिए भी तैयार हैं। बिहार तथा उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र स्थिर है। इन दोनों राज्यों में उन्नत जाति के युवकों को ज्यादातर सरकारी नौकरियों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। निराशा होने पर, उन्होंने हिसारमक प्रतिक्रिया व्यक्त की है।"

**केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के साथ
(एक समीक्षा)**

9.1 अपनी जांच के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से आयोग ने दो प्रश्नावलियां जारी कीं, पहली सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को (अनुबन्ध-2) और दूसरी केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों और विभागों को भेजी गई (अनुबन्ध-3) निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए इन प्रश्नावलियों को बनाया गया था :—

- (1) विभिन्न राज्यों में पिछड़े वर्गों की स्थिति का सुलभतमक चित्र प्राप्त करना और उनके कल्याण के लिए अब तक किए गए उपाय,
- (2) सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के निवारण हेतु प्रश्न पर विभिन्न राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के विचार प्राप्त करना,
- (3) कुछ उपयोगी संकेत प्राप्त करना ताकि आयोग को इन प्रश्नों पर अपने विचार बनाने में मदद मिल सके।

(क) राज्य सरकारों के लिए प्रश्नावलियां

9.2 राज्य सरकारों आदि के लिए बनाई गई प्रश्नावलियों में 86 प्रश्न थे, जिन्हें 7 खण्डों में बांटा गया था अर्थात् (1) मानदण्ड, (2) सुरक्षा, आरक्षण आदि, (3) जनगणना, (4) सामाजिक, (5) शैक्षिक, (6) कल्याण, और (7) रोजगार। यह प्रश्नावलियां राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को 11-4-79 को भेजी गयी थीं और इनका उत्तर प्राप्त होने में एक वर्ष से भी अधिक का समय लगा।

9.3 इन उत्तरों का विश्लेषण करने से पूर्व, यह आवश्यक होगा कि आयोग द्वारा प्राप्त जानकारी के स्वरूप के बारे में कुछ कहा जाए। इससे पूर्व कि राज्य सरकार उपयोगी उत्तर भेज सके, प्रश्नावलियों के कुछ मुख्य प्रश्नों के लिए विभिन्न एजेंसियों से भाकड़ा एकत्र करना और उन्हें संकलित करना जरूरी हो गया। उदाहरणार्थ, आयोग राज्य के विभिन्न स्थानीय निकायों, सरकारी रोजगार आदि में, अन्य पिछड़ा वर्गों के प्रतिनिधित्व को जानने का बहुत इच्छुक था। (प्रश्न सं० 10, 11 और 12) इसी प्रकार हमें राज्य लोक सेवा आयोगों, न्यायपालिकाओं और राज्य प्रशासन में वरिष्ठ पदों पर अन्य पिछड़ा वर्गों के प्रतिनिधित्व की जानकारी भी चाहिए थी (प्रश्न सं० 24) "शिक्षा" और "रोजगार" के संबंध में भी इसी प्रकार की जानकारी चाहिये थी।

9.4 यह बड़ा निराशाजनक था कि कोई भी राज्य वांछित सूचना देने में समर्थ नहीं हो सका। निस्संदेह जिन राज्यों ने अन्य पिछड़ा वर्गों की सूची नहीं बनाई थी, वे वास्तव में उक्त व्योरे देने की स्थिति में नहीं थे। लेकिन इसके बावजूद 16 राज्यों और 2 संघ शासित क्षेत्रों ने ऐसी सूचियां अधिसूचित की हैं और उनमें से कई राज्यों ने अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण के लिए व्यापक कार्यक्रम लागू किए हैं, उनमें से केवल एक या दो ने ही आवश्यक व्योरे दिए हैं। आगे, कई राज्यों ने इस महत्वपूर्ण नीति संबंधी मामलों पर आसन और सीधे-सादे प्रश्नों के उत्तर तक नहीं दिए। निरन्तर स्मरण-पत्रों और व्यक्तिगत सम्पर्क के बावजूद भी स्थिति बेसी ही बनी रही।

9.5 उपरोक्त दिप्पती उनके प्रति किसी प्रकार की दुर्भावना से नहीं की गई है बल्कि आयोग को अपने कार्य में सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों का सहयोग और सीजन्य प्राप्त हुआ है। इन बातों को

कहने का आशय प्रश्नावलियों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तरों का पुनरीक्षण के दौरान विप्लवित विचार प्राप्त करना है।

मानदण्ड

9.6 इस खण्ड में अन्य पिछड़ा वर्गों की पहचान की समस्या के विभिन्न पहलुओं से संबंधित प्रश्न हैं। असम, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और उ० प्र० ने पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए जाति को एक मानदण्ड मानने की सिफारिश की है। दिल्ली, दादरा और नागर हवेली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश ने कहा है कि पिछड़ेपन के लिए जाति को मानदण्ड नहीं मानना चाहिए। बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने सुझाव दिया है कि निम्न आर्थिक स्तर एक महत्वपूर्ण जांच है, जबकि दिल्ली, दादरा और नागर हवेली और हरियाणा ने कहा है कि आर्थिक कारण ही पिछड़ेपन का एकमात्र निश्चित मानदण्ड होना चाहिए।

9.7 असम ने गैर-हिन्दुओं के बारे में कहा है कि उनमें भी सामाजिक भेदभाव से पीड़ित लोग हैं और उनके सामाजिक पिछड़ेपन के निवारण के लिए यह एक आधार होना चाहिये। इसी प्रकार के विचार गुजरात और महाराष्ट्र ने भी व्यक्त किए। मध्य प्रदेश ने गैर-हिन्दुओं के लिए साक्षरता जांच और हरियाणा आर्थिक मानदण्ड के पक्ष में था। केरल ने धर्मपरिवर्तित लोगों के लिए परम्परागत व्यवसाय, आर्थिक पिछड़ापन और निम्न सामाजिक स्थिति को मानदण्ड मानने पर विचार किया। पंजाब और उड़ीसा ने हिन्दू और गैर-हिन्दू समुदायों के लिए इसी प्रकार की जांच का समर्थन किया।

सुरक्षा, आरक्षण आदि

9.8 इस रिपोर्ट के अध्याय 2 में विभिन्न राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों द्वारा अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण के लिए किए गए उपायों का वर्णन है। इस अध्याय में सरकारी नौकरियों में और शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण की मात्रा भी दी गई है। शेष 13 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों ने जैसे—अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, गोवा, अमन और दीव, सक्षीप, मध्य प्रदेश, मणीपुर, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल ने अभी तक न तो अन्य पिछड़ा वर्गों की पहचान की है और न ही उनके उत्थान के लिए कोई कदम उठाए हैं। यहां तक कि उन 18 राज्यों में से, जिन्होंने ऐसा किया है, केवल कुछ ने ही अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए नाम-मात्र की राहत दी है। उदाहरणार्थ, असम, पांडिचेरी, राजस्थान, उड़ीसा, मेघालय और दिल्ली ने संकेतों में या शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण नहीं किया है और गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब ने केवल नाममात्र के लिये आरक्षण किया है। उत्तर प्रदेश, में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 15% आरक्षण इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया है और इस मामले की अपील उच्चतम न्यायालय में विचारधीन है।

9.9 निर्वाचित निकायों, सेवाओं आदि में अन्य पिछड़ा वर्गों का कितना प्रतिनिधित्व है, इससे संबंधित कई प्रश्न, इस खण्ड में हैं। कई राज्यों ने इन प्रश्नों का उत्तर दिया है किन्तु ये उत्तर अपूर्ण और अस्पष्ट हैं।

9.10 केवल गुजरात ने ही स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व के संबंध में सूचना दी है। बड़ोदा, सूरत और राजकोट की तीन नगरपालिकाओं में पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व क्रमशः 6%, 16% और 12% था। न्याय पंचायतों और जिला पंचायतों में अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व 12 से 16% के बीच था और यही आंकड़े पंचायतों के सरपंचों के रूप में चुने जाने के लिये पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार के थे।

9.11 हरियाणा में, अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित कुल 15,005 में से 1,114 (7.4%) मुखिया थे। ग्राम पंचायत के 5,262 सरपंचों में से 204 (लगभग 4%) पिछड़ा वर्ग से संबंधित थे।

दिल्ली में न्याय पंचायत के 22 सरपंचों में से केवल एक अन्य पिछड़ा वर्ग का था।

9.12 गुजरात के आंकड़े यद्यपि राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या के प्रतिशत से बहुत कम हैं, तथापि हमारे विचार में यह कई अन्य राज्यों से काफी अधिक है। यह खेद पूर्ण है कि कई राज्यों विशेषकर उत्तर के राज्यों ने यह जानकारी नहीं भेजी है।

9.13 उच्च सरकारी सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के वास्तविक प्रतिनिधित्व के संबंध में केवल कुछ राज्यों ने ही जानकारी दी है। केरल में राज्य लोक सेवा आयोग के 7 सदस्यों में से 4 सदस्य अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं। असम में यह प्रतिनिधित्व 3 में से 1 और उत्तर प्रदेश में 9 में से 3 था। केरल में 16 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों में से 4 न्यायाधीश, अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं।

असम में यह संख्या 6 में से 2 और महाराष्ट्र में यह 33 में से 1 थी। केरल में 38 जिला और सत्र न्यायाधीशों में 12 और 90 विभागाध्यक्षों में से 19 अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित थे।

9.14 उक्त जानकारी समूचे देश की दृष्टि से कोई भी उचित अनुमान लगाने के लिए अपूर्ण और फुटकर है। केरल में अन्य पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए विशाल और प्रभावशाली उपाय किए गए हैं और फिर भी वहां पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व राज्य में उनकी जनसंख्या के प्रतिशत से बहुत कम है। अन्य अधिकांश राज्यों में, विशेषकर उत्तर में स्थिति अत्यन्त असंतोषजनक है।

9.15 स्वतन्त्रता काल से ही एक दिलचस्प प्रश्न (सं० 9) विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों के वर्ग से संबंधित है। यह जान कर आश्चर्य होगा कि स्वतन्त्रता के तत्काल बाद देश के लगभग सभी राज्यों में केवल कुछ को छोड़कर, मुख्य मंत्री ब्राह्मण थे। जबकि 1977 और 1980 के विधान सभाओं के चुनावों के बाद केवल कुछ राज्यों के मुख्य मंत्री ब्राह्मण थे। ये चुनाव राजनीति के सुदृढ़ शास्य हैं तथा महत्वपूर्ण विधा सूचक हैं कि घटनाएँ किस ओर अभसर हो रही हैं।

जनगणना

9.16 इस खंड में अन्य पिछड़ा वर्ग के विभिन्न जनसांख्यिकी पहलुओं के बारे में जानकारी एकत्र की गई है और विमुक्त जनजातियों, उन्नत जातियों और काका कालेलकर आयोग द्वारा बनाई गई सूचियों की विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित सूचियों से तुलना की गई है। वेी गई जानकारी बहुत ही अधूरी थी।

9.17 विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित अन्य पिछड़े वर्ग की सूची और काका कालेलकर आयोग द्वारा तैयार की गई सूचियों की

तुलना से कई मामलों में व्यापक विसंगति दिखाई देती है जैसा कि निम्नलिखित सारणी से विदित होगा :—

क्रम संख्या	राज्य का नाम	काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट में सम्मिलित जातियों की संख्या	राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित जातियों की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	124	95
2.	असम	44	119
3.	हरियाणा	88	64
4.	हिमाचल प्रदेश	27	48
5.	कर्नाटक	64	181
6.	केरल	48	76
7.	महाराष्ट्र	360	196
8.	उड़ीसा	148	111
(सूची वापस ले ली गयी)			
9.	पंजाब	88	62
10.	तमिलनाडु	156	124
11.	उत्तर प्रदेश	120	56

9.18 इस व्यापक विसंगति का मुख्य कारण दो प्रकार की सूचियां होना है जबकि राज्य सरकारों ने अपनी सूचियों को किसी प्रकार के क्षेत्रीय सर्वेक्षण और जांच-पड़ताल के अधिकार पर तैयार किया था। किन्तु काका कालेलकर आयोग ने अधिकतर शिक्षा मंत्रालय द्वारा मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए बनाई गई सूचियां ही ली थीं। दूसरा, क्षेत्र स्थित और स्थानीय कारण भी राज्य सरकारों को इन सूचियों को तैयार करने में प्रभावित कर सकते हैं।

9.19 सिवाय उत्तर प्रदेश के अन्य और किसी राज्य द्वारा गैर-हिन्दू समुदायों से सम्बन्धित अन्य पिछड़े वर्ग की कोई सूची अलग से तैयार नहीं की गई है जहां कि 21 पिछड़े मुस्लिम समुदाय की सूची अलग से अधिसूचित की गई थी। कुछ अन्य राज्यों ने कुछ पिछड़े मुस्लिम समुदायों को अपनी अन्य पिछड़े वर्ग की समग्र सूची में शामिल किया है। केरल में, सुसलमान, लैटिन कैथोलिक और एंग्लो-इण्डियन तथा ईसाईयों में परिवर्तित अनुसूचित जाति के लिए आठ में से तीन रुपों के लिए अलग से आरक्षण किया गया है।

9.20 कुछ राज्यों ने विमुक्त जनजातियों की सूचियां प्रस्तुत की हैं। लेकिन अधिकांश मामलों में, वे उनकी अनुमानित जनसंख्या नहीं दे पाये हैं। हरियाणा में 9 विमुक्त जनजातियां, हिमाचल प्रदेश-7, जम्मू और काश्मीर-2, कर्नाटक-62, मध्य प्रदेश-21, महाराष्ट्र-14, उड़ीसा-11, तमिलनाडु-70, पश्चिम बंगाल-2, दिल्ली-2 हैं।

सामाजिक

9.21 यह भाग मुख्यतया अन्य पिछड़े वर्गों की सामाजिक रूपरेखा परिभाषित करने तथा उनके द्वारा उठाए गए कदमों व उसके उपचार के लिए किए गए विधान आदि के प्रभाव से सम्बन्धित है।

9.22 नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत किसी वर्ग के नागरिकों के प्रति भेदभाव या सामाजिक, नागरिक या धार्मिक अधिकारों से वंचित करना एक दण्डनीय अपराध है और इसके प्रवर्तन के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। इस कारण किसी राज्य में किसी वर्ग के नागरिकों को सामाजिक, नागरिक व धार्मिक अधिकारों

से बंचित नहीं किया है। लेकिन बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा जम्मू और काश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्गों के प्रति सामाजिक भेदभाव, अलग-अलग, निम्न सामाजिक हैसियत, गन्दे व्यवसाय, सामाजिक दूरी, हेय दृष्टि से रेखना जैसी बातें व्याप्त हैं, जो अन्य पिछड़े वर्गों की सामाजिक स्थिति को दर्शाने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। भौगोलिक विभिन्नता, गन्दे व्यवसायों को अपनाना, शिक्षा और रोजगार की सुविधाएं न होना, रहन-सहन की पुरानी और अस्वच्छ दशाएं, सामाजिक निषेध, आदि कुछ सामाजिक असमानताएं कहीं जा सकती हैं जिनसे अन्य पिछड़े वर्ग पीड़ित रहे हैं।

9.23 सरकारी सेवाओं और शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों का आरक्षण पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए अलग विभाग और सलाहकार संस्थाओं की स्थापना, मकानों के लिए स्थान का आवंटन, अल्प वित्तीय संस्थानों की स्थापना, आदि उपर्युक्त असमानताओं को दूर करने के लिए कुछ राज्यों द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं।

9.24 कुछ राज्यों में कुछ जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में नहीं रखा गया है, किन्तु उनके साथ अछूतों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। उदाहरणार्थ महाराष्ट्र में नव बीड़, उत्तर प्रदेश में मुसलमान, मेहतर आदि, अछूत समझे जाते हैं, यद्यपि उन्हें अनुसूचित जातियों के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। गुजरात में कोलवा, कोलवा, फोतवालिधा और ने जातियां अछूत समझी जाती हैं जबकि उपर्युक्त पहली तीन जातियों को ही अनुसूचित जनजातियों की सूची में रखा गया है। अधिकांश राज्यों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, इसलिए इस पर अधिक गहराई से विचार करने की आवश्यकता है।

9.25 ऐसे अनेक जातिवर्ग हैं जो न तो तीनों वर्गों से सम्बन्धित हैं और न ही इन्हें अनुसूचित जातियों और जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल किया गया है। उदाहरणार्थ कर्नाटक के लिमायल, गुजरात के लौहार, काडिया, सुधार, कुम्हार और दर्जी, हरियाणा के अहीर और जाट, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र की विमुक्त जातियां, पाण्डिचेरी के कर्णिकर, कुरूप, इस्लार, नायर, नम्बियार आदि उल्लेखनीय हैं।

9.26 जहाँ तक भूमिहीन कृषक मजदूरों की जाति संरचना का सम्बन्ध है, आसाम, बिहार, गुजरात, जम्मू और काश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पाण्डिचेरी आदि ने कहा है कि इस श्रमिक दल में लगभग समूची अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य पिछड़े वर्ग शामिल हैं। हरियाणा, पंजाब, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा आदि ने बताया कि उपरोक्त तीन वर्गों के अलावा अन्य जातियों के लोग भी खेतीहर मजदूरों के रूप में कार्य करते हैं।

9.27 जहाँ तक पृथक आवासीय क्वार्टरों का सम्बन्ध है, केरल, मध्य प्रदेश और कर्नाटक राज्यों ने सूचित किया है कि अनुसूचित जातियां और अन्य पिछड़े वर्ग साधारणतया गांव में एक जगह साथ-साथ रहते हैं। लेकिन, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब ने सूचित किया है कि ये दोनों वर्ग साधारणतया एक स्थान पर साथ नहीं रहते।

9.28 विमुक्त जनजातियों का पुनर्वास एक अनवरत प्रक्रिया है और अभी इस सम्बन्ध में काफी कुछ किया जाना है। इनमें से अधिकांश को न तो अनुसूचित जाति और न अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया गया है और इस तरह की जनजातियों की जनसंख्या के विश्वसनीय अनुमान इन राज्यों में उपलब्ध नहीं हैं। उनके उत्थान के लिए कुछ अपनाए गए उपाय जैसे कृषि योग्य भूमि और मकान के लिए भूमि आवंटन, शिक्षा सुविधाओं की व्यवस्था, इस्तकारी, प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना, आवास (आयसीय) स्कूल, छात्रावास आदि हैं।

एच/11 एचए/81-7

9.29 विमुक्त जनजातियों के लिए समस्त कल्याणकारी योजनाएं अब केवल राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं और इस सम्बन्ध में राज्यों को पहले ही गई केन्द्रीय सहायता पांचवी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से बन्द कर दी गई थी।

शैक्षणिक

9.30 कोई भी राज्य सरकार अन्य पिछड़े वर्गों की सहायता और उनमें साक्षरता स्तर के अंकड़े प्रस्तुत नहीं कर सकी हैं। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों में शिक्षा के प्रसार के लिए अपनाए गए विशेष उपायों के बारे में स्थिति निम्नलिखित है:—

आसाम

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां देना, पुस्तकें खरीदने के लिए अनुदान, अध्ययन दौरे, शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों का आरक्षण और राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में प्रौढ़ साक्षरता कक्षाएं शुरू करना।

आन्ध्र प्रदेश

शिक्षा शुल्क की माफी, मैट्रिक पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां, छात्रावास की सुविधाएं, मुफ्त वस्त्र, पाठ्य पुस्तकें आदि देना, शिक्षण संस्थाओं में 25% सीटों का आरक्षण, प्रवेश के समय अंकों में 5% की छूट।

गुजरात

परीक्षा शुल्क की अदायगी, छात्रवृत्तियां, कपड़ों की निःशुल्क आपूर्ति, फीचिंग केन्द्र चलाना, शैक्षणिक संस्थानों में 10% सीटों का आरक्षण और पूरे राज्य में प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम लागू करना। केवल अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए एक आश्रम स्कूल भी आरम्भ किया गया है।

हरियाणा

मैट्रिक पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों की अदायगी, शैक्षणिक संस्थानों में 2 प्रतिशत सीटों का आरक्षण और विभिन्न कालेजों में प्रवेश लेते समय अंकों में 5 प्रतिशत की छूट, आदि और 4,200 रुपये वार्षिक से कम आय वाले माता-पिता के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा।

जम्मू और काश्मीर

गुजर और बकरवाल के लिए 80 अल स्कूलों की स्थापना, विशेष छात्रावास सुविधाएं, छात्रवृत्तियां देना, पुस्तकें और वदियों की निःशुल्क आपूर्ति, शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़े वर्गों की विभिन्न श्रेणियों के लिए सीटों का आरक्षण और 1,100 प्रौढ़ साक्षरता केन्द्र खोलना।

कर्नाटक

स्कूल फीस की माफी, छात्रवृत्तियां देना, छात्रावास की सुविधाएं, मुफ्त वदियां तथा कार्यशालाओं में निःशुल्क प्रशिक्षण, शैक्षणिक संस्थानों में 50 प्रतिशत सीटों का आरक्षण और प्रौढ़ साक्षरता केन्द्रों का संचालन।

केरल

शिक्षण और परीक्षा शुल्क की माफी, विशेष वृत्तिका, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 5 प्रतिशत सीटों का और तकनीकी संस्थानों में 25 प्रतिशत सीटों का आरक्षण, विभिन्न कालेजों में प्रवेश के लिए अंकों में 5 प्रतिशत की छूट आदि।

महाराष्ट्र

जनजातियों के लिए अतीपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों और 10 प्रौढ़ साक्षरता केन्द्रों को चलाना और इनके लिए शैक्षणिक संस्थानों में 10% सीटों का आरक्षण। उन अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए शिक्षण शुल्क में माफी जिनके अभिभावकों की आय प्रतिवर्ष 4,800 रु. से कम है।

पंजाब

शिक्षण शुल्क रियायत, कृषिक, प्रौढ़ साक्षरता कक्षाएं चलाना और शैक्षणिक संस्थानों में 5 प्रतिशत सीटों का आरक्षण।

तमिलनाडु

हायर सेकेंडरी स्तर तक निःशुल्क शिक्षा, उच्च अध्ययन के लिए शैक्षणिक संस्थानों में 50 प्रतिशत सीटों का आरक्षण।

9.31 विश्वविद्यालय सिनेटों, सिण्डिकेटों, विद्या परिषदों, नियुक्ति मण्डलों आदि में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में केवल कर्नाटक और महाराष्ट्र ने सूचित किया है कि उन्होंने अपने-अपने विश्व-विद्यालय अधिनियमों में पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष प्रावधान किया है।

9.32 बिहार, जम्मू और काश्मीर, कर्नाटक और तमिलनाडु ने पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए अलग छात्रावास स्थापित किए हैं। उड़ीसा ने हले ऐसे 134 छात्रावास स्थापित किए थे और अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची को वापस ले लिए जाने के बाद इनका उपयोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए किया जा रहा है। गुजरात में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रावासों में 20 प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हैं।

9.33 पूर्वोक्त से, यह विदित होगा कि केवल दक्षिण को छोड़कर अधिकांश राज्य सरकारों द्वारा, इस समय अमल में लाए गए अन्य पिछड़ा वर्ग के शैक्षिक उत्थान के कार्यक्रम अनियमित, विषम तथा तदर्थ प्रकार के हैं।

कल्याण

9.34 केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए कोई योजना आबंटन नहीं किया जाता है और राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सभी योजनाओं पर धन अपने संसाधनों से लगाएं। इस रिपोर्ट के अध्याय 2 में हमने कहा है कि 18 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों ने अन्य पिछड़ा वर्ग के उत्थान के कार्यक्रम शुरू किए हैं और इन कार्यक्रमों के संक्षिप्त व्यौरे भी दिए हैं। लेकिन यह विदित होगा कि हालांकि वे राज्य भी जो अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रति बहुत सहानुभूति रखते हैं, पिछड़ा वर्गों की दशा सुधारने हेतु समुचित प्रावधान करने में असमर्थ हैं। उदाहरणार्थ कर्नाटक, तमिलनाडु और जम्मू और काश्मीर ने अपने वार्षिक बजट में, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष रूप से बनाई गई योजनाओं पर क्रमशः 2.14%, 0.27% और 0.46% रुपये राशि व्यय की। इससे ज्ञात होगा कि केन्द्र को, अन्य पिछड़ा वर्ग की दशा सुधारने के लिए, प्रभावी योजनाओं को बनाने में, राज्य सरकारों की काफी सहायता करनी होगी।

9.35 अधिकांश राज्यों में पिछड़ा वर्गों की देखभाल राज्य कल्याण या सामाजिक कल्याण विभाग करते हैं। धामतीर पर इन विभागों को आदियासी व हरिजनो के उत्थान की योजनाएं तैयारी जाती हैं।

9.36 कार्यक्रमों के वास्तविक कार्यान्वयन का कार्य कल्याण निदेशालयों को सौंपा जाता है और कई राज्यों जैसे, गुजरात, जम्मू व काश्मीर, कर्नाटक आदि में दलित वर्गों की सभी श्रेणियों के लिए योजनाएं तैयार करने हेतु अपनी-अपनी सरकारों की सहायता के लिए सलाहकार बोर्ड गठित किए हैं। तमिलनाडु में अन्य पिछड़ा वर्ग की देखभाल के लिए एक अलग पिछड़ा वर्ग निदेशालय स्थापित किया गया है।

9.37 प्रत्येक राज्य में व्यावहारिक रूप में पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए कई स्वेच्छिक संघ और एजेंसियां कार्य कर रही हैं जो उनके पक्ष में अनन्तता की राय बनाने और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के कार्यों को सरकार के सम्मुख पेश करती हैं। उदाहरणार्थ, ऐसे 53 संगठन गुजरात में और 61 कर्नाटक में कार्य कर रहे हैं।

9.38 कुछ राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्ग की सहायता के लिए अलग से वित्त संस्थानों को स्थापित करने की शुरुआत की है। उदाहरण के लिए आसाम ने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए एक विकास निगम की स्थापना की है। अन्य पिछड़ा वर्ग जिनके परिवार की आय प्रतिवर्ष 8,000 रुपये से कम है, उनकी सहायता के लिए कर्नाटक पिछड़ा वर्ग और अल्प-संख्यक विकास निगम 1977 में स्थापित हुए हैं। ये कर्जदारों को भी भ्रष्ट ऋण देते हैं और बैंकों से भी दिलवाते हैं। पंजाब राज्य पिछड़ा वर्ग भूमि और वित्त विकास निगम द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में लघु उद्योग लगाने के लिए पिछड़े वर्ग के प्रति प्रार्थी को 30,000 रुपये तक ऋण दिया जाता है। हिमाचल प्रदेश ने एक अल्पोद्यम निगम स्थापित करने का अनुमोदन किया है।

9.39 राज्य सरकारों से यह भी कहा गया है कि नया पिछड़ा वर्ग, अपने मताधिकार का बिना किसी दबाव या प्रमुख जातियों द्वारा हिंसा के डर से प्रयोग करने के लिए मुक्त हैं। असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व काश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान ने कहा है कि चुनाव के समय अन्य पिछड़ा वर्ग किसी भी दबाव के विकार नहीं होते हैं। कर्नाटक ने सूचित किया कि पिछड़ी जातियों में से सर्वाधिक पिछड़े हुए लोगों पर ही इस प्रकार का दबाव डाला गया था। यह वस्तुतः निराशाजनक है कि बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में चुनाव-बूथों पर कब्जा करने की घटनाएं काफी हुई थीं, हालांकि उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

रोजगार

9.40 हमने राज्य सरकारों से पूछा था कि वे अन्य पिछड़े वर्गों के मुख्य व्यवसायों और प्रत्येक व्यवसाय पर निर्भर परिवारों की अनुमानित संख्या की सूची भेजे। परन्तु कोई भी राज्य सरकार इस विषय पर स्पष्ट जानकारी नहीं भेज पाई है। अधिकांश राज्यों ने बताया है कि अन्य पिछड़े वर्गों के लोग लघु कृषकों और भूमिहीन कृषि मजदूरों का काम करते हैं। कुछ राज्यों ने बताया है कि पिछड़े वर्गों द्वारा पशु-पालन, मत्स्य पालन, मृगी पालन, बड़ईगिरी, लोहारगिरी, कताई, बुनाई आदि जैसे पुरानी व्यवसाय किए जाते हैं।

9.41 भूमिहीन कृषि मजदूरों की दशा सुधारने के लिए किए गए विशेष उपार्यों के रूप में अधिकांश राज्यों ने निम्नलिखित उपार्यों के बारे में बताया है:

- (1) कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को पारित करना और उसका प्रवर्तन।
- (2) अधिकतम भूमि कानूनों के अन्तर्गत प्राप्त भूमि का आबंटन।
- (3) गृह स्वलों का आबंटन।

इस सम्बन्ध में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम सम्बन्ध प० बंगाल का प्रामाण्य विशेष उल्लेखनीय है।

9.42 कर्नाटक में उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों तथा पिछड़ी जनजातियों से सम्बन्धित निर्धन भूमिहीन कृषि मजदूर में से प्रत्येक के लिए लगभग 200 एकड़ के खण्ड सुरक्षित रखे जाएं। केरल में खेतियर मजदूरों पर कृषक मजदूर अधिनियम के अन्तर्गत भविष्य निधि योजना लागू कर दी गई है। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान आदि में अल्पोद्यम योजना के अन्तर्गत विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं।

9.43 बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश ने कहा कि "हरित क्रांति" के लिए उन्होंने अपने कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी की है और रोपणार के घबसरा भी बढ़ाए हैं तथा कृषक मजदूर के आय स्तर में सुधार किया है। केवल कर्नाटक और उड़ीसा ने यह लिखा है कि अधिकतम लाभ बड़े

किसानों को ही प्राप्त हुआ है। कर्नाटक ने यह भी कहा कि हरित क्रांति के परिणामस्वरूप उच्च जातियों और कृषक मजदूरों के बीच आर्थिक असमानता फैली है। स्पष्टतः पंजाब इसके साभकारी प्रभावों के प्रति अत्यधिक उत्साही रहा है और इसने उल्लेख किया है कि अस्त-मौसम में मजदूरों की मांग बढ़ जाने के कारण बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा से बड़ी संख्या में मजदूर आते हैं।

9.44 बन्धुआ मजदूरों के प्रचलन के सम्बन्ध में, केवल गुजरात, जम्मू और काश्मीर, कर्नाटक, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश ने इनके कुछ छोटे-छोटे स्थानों में होने के बारे में बताया है। उत्तर प्रदेश में, यह बुराई विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में, थोड़ी अधिक ही व्याप्त है। राज्य सरकार ने बन्धुआ मजदूरों के छोटे-छोटे जनजातीय खण्डों में पुनर्वास की एक योजना तैयार की है और 1979-80 वर्ष में इस मद्द पर 30 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

9.45 अधिकांश राज्यों की शिकायत है कि गांवों में आर्थिक कार्य-कलापों में परिवर्तन होने के कारण ग्रामीण कारीगरों के लिए रोजगार में कमी हुई है। गुजरात में बांस का काम करने वाले मजदूर, लकड़ी मजदूर, हथकरघा बुनकर आदि को इससे काफी नुकसान उठाना पड़ा है। हरियाणा ने बताया है कि उनके यहां बर्दई, कुम्हार, लौहार, बुनकर आदि के रोजगार अवसरों में भी कमी हुई है। पंजाब में भी लौहारों बर्दइयों, कुम्हारों, चमड़ा मजदूरों और बुनकरों को भी इससे धक्का लगा है।

9.46 अन्य पिछड़ा वर्गों का साहूकारों द्वारा शोषण से संरक्षण के सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों द्वारा निम्नलिखित स्थिति बताई गई है:—

असम

अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए बनाए गए राज्य विकास निगम द्वारा अन्य पिछड़ा वर्गों को वित्तीय सहायता दी जाती।

गुजरात

कुटीर उद्योग, लघु व्यापार आदि शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता, दुधारू पशुओं और कुक्कुटों की सन्तर्दाई। अत्यधिक व्याज दरें लेने को रोकने के सम्बन्ध में साहूकारी अधिनियम के अन्तर्गत निगरानी रखना।

हरियाणा

लघु उद्योगों और व्यापार को प्रारम्भ करने के लिए मिनी बैंकों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, साहूकारी समितियों द्वारा छोटे मध्यावधि ऋणों की मंजूरी, कृषि ऋणप्रस्तुता अधिनियम, 1976 के अधीन हरियाणा सहायता के अन्तर्गत कृषि मजदूरों, ग्रामीण दस्तकारों आदि के कुछ वर्गों को ऋण से मुक्त कराया गया है या उनके ऋणों को कम किया गया है।

हिमाचल प्रदेश

गैर-सरकारी साहूकारों द्वारा प्राप्त की जा रही व्याज दरों पर निगरानी रखना और विभिन्न वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण सुविधाएं मंजूर करना।

जम्मू व काश्मीर

कमजोर वर्गों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए निरीक्षण करने हेतु जिला परामर्शदात्री समितियों का गठन करना। व्यथित ऋण राहत अधिनियम और सूदखोरी ऋण अधिनियम से पिछड़ा वर्ग के ऋणियों को सहायता मिली है।

कर्नाटक

कर्नाटक ऋण राहत अधिनियम, 1976 के अधीन 2,400 रुपये से कम वार्षिक आय वाले कमजोर वर्ग अपने ऋणों को समाप्त करवाने के हकदार है।

महाराष्ट्र

साहूकारी अधिनियम के अधीन संरक्षण दिया गया है।

उड़ीसा

संशोधित उड़ीसा साहूकारी अधिनियम, 1939 में कमजोर वर्गों के लिए पर्याप्त संरक्षण की व्यवस्था है और किसी उपबन्ध का उल्लंघन किए जाने पर साहूकारों को भारी सजा दिए जाने की व्यवस्था की गई है।

(ख) केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों आदि के लिए प्रभावशील

9.47 भारत सरकार के अधीन पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों के सभी वर्गों की प्रतिनिधित्व सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करने हेतु एक प्रभावशील 19 मार्च, 1979 को सभी मंत्रालयों, विभागों को भेजी गई थी। चूंकि केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों की कोई सूची नहीं रखी जाती है, और न अलग से उनके ब्योरे सरकारी कार्यालयों में संकलित किए जाते हैं, परन्तु हिन्दू तथा गैर-हिन्दू जातियों, दोनों के अन्य पिछड़ा वर्गों के कर्मचारियों की पहचान के लिए एक मोटा और सुलभ मानदण्ड सम्बन्धित संगठनों को भेजा गया था। इस मानदण्ड के ब्योरे खण्ड 2 में अनुबन्ध 7 के पैरा 4 में दिए गए हैं।

9.48 उपर्युक्त प्रभावशील के उत्तर 30 केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, 31 सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों तथा 14 मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भेज दी गई हैं। इन एजेंसियों द्वारा भेजी गई जानकारी का ब्योरा अनुबन्ध 8, खण्ड 2 में दिया गया है। इस सम्बन्ध में समग्र रोजगार स्थिति का सारांश निम्नलिखित सारणी में दिया गया है:—

कर्मचारियों की श्रेणियां	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति/जनजाति का प्रतिशत	अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिशत
1	2	3	4
श्रेणी-1	174043	5.68	4.69
श्रेणी-2	912786	18.18	10.63
श्रेणी-3 और 4	484646	24.40	24.40
सभी श्रेणियां	1571475	18.71	12.55

9.49 उपर्युक्त सारणी से दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं। पहली, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों का प्रतिशत, और अन्य पिछड़ी जातियों के कर्मचारियों का प्रतिशत, देश में उनकी कुल जनसंख्या के प्रतिशत से बहुत कम है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कुल रोजगार उनकी कुल 22.5% जनसंख्या के मुकाबले 18.71% बनता है, अन्य पिछड़ा वर्गों का कुल रोजगार प्रतिशत उनकी 52 प्रतिशत जनसंख्या की तुलना में 12.55 प्रतिशत बनता है। दूसरे अन्य श्रेणी एक सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है जब इसकी तुलना इन श्रेणियों को समग्र रोजगार प्रतिशत से की जाती है। उदाहरण के तौर पर, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए यह आंकड़े 5.68% हैं और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए यह आंकड़े केवल 4.69% हैं। दूसरे शब्दों में, भारत सरकार की श्रेणी-1 सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व उनकी कुल जनसंख्या का 1/10वां भाग भी नहीं है।

जनता के साथ

10.1 आयोग ने सर्व-साधारण जनता, स्वेच्छिक संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनीतियों, विधायकों आदि के काफी साक्ष्य एकत्रित किए। आयोग ने समूचे देश का दौरा भी किया और राज्य तथा जिला मुख्यालयों और दूर-दराज गांवों में बैठकें भी की ताकि प्रतिवेदन प्राप्त किए जा सकें और जहां तक सम्भव हो, अधिक से अधिक व्यक्तियों के विचार प्राप्त किए जा सकें। इस प्रकार एकत्रित सभी साक्ष्यों को निम्नलिखित तीन खण्डों में वर्गीकृत किया गया है:—

1. सामान्य जनता, स्वेच्छिक संगठनों आदि से प्राप्त प्रस्तावलिपियां

10.2 सर्व-साधारण जनता के लिए अलग से 18 प्रश्नों की प्रस्तावली (परिशिष्ट 4) तैयार की गई और इसे सारे देश में व्यापक रूप से निष्पात किया गया। आयोग द्वारा राज्यों के दौरे के दौरान सभी राज्यों में इसे देशी भाषाओं और अंग्रेजी के दैनिक समाचार-पत्रों में निष्पात किया गया। आयोग ने अपने दौरे के समय आयोजित बैठकों में इसकी प्रतियां भी बांटी। आयोग को प्राप्त उत्तरों का विषयवार संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:—

(1) स्वतन्त्रता काल से जाति-संरचना में परिवर्तन

10.3 स्वतन्त्रता काल से, विभिन्न राज्यों के जाति संरचना में हुए भौतिक परिवर्तनों के सम्बन्ध में, लगभग 63 प्रतिशत उत्तरदाताओं का विचार था कि इस अवधि के दौरान कोई भी भौतिक परिवर्तन नहीं हुआ है और दूसरी तरफ 17 प्रतिशत उत्तरों से यह पता चला कि समय के साथ-साथ जाति मतभेद भी गहरे हो गए हैं। अन्य 17 प्रतिशत का विचार था कि समाज में हुए काफी परिवर्तनों के कारण अनेक जातियों में राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए हैं। शायद ही किसी का यह विचार रहा हो कि जातिवाद का ह्रास हो रहा है।

(2) पिछड़ेपन के निर्धारण का मानदण्ड

10.4 लगभग 78 प्रतिशत उत्तरदाताओं का विचार था कि पिछड़ेपन की पहचान का मानदण्ड जाति होना चाहिए। परन्तु 28 प्रतिशत जाति को मुख्य मानदण्ड मानने के पक्ष में थे। लगभग 70 प्रतिशत, सामाजिक स्तर, राजनैतिक प्रभाव, शिक्षा प्रगति, आर्थिक स्तर, रोजगार स्थिति आदि पर आधारित विभिन्न मानदण्ड अपनाने के पक्ष में थे। अन्य निवास स्थान और वित्तीय स्थिति को मानदण्ड बनाने के पक्ष में थे।

10.5 गैर-हिन्दू धार्मिक वर्गों के लिए, 62 प्रतिशत का विचार था कि मानदण्ड, आर्थिक स्थिति, रोजगार, शैक्षणिक स्तर और निम्न सामाजिक स्थिति से सम्बद्ध पुस्तनी व्यवसाय पर आधारित होना चाहिए। लगभग 18 प्रतिशत का विचार था कि गैर-हिन्दुओं के जीवन में भी जाति एक वास्तविकता है और इसे पिछड़ेपन का एक मानदण्ड स्वीकार किया जाना चाहिए।

(3) राज्य सरकारों को अन्य पिछड़े वर्ग की सूची

10.6 लगभग 82 प्रतिशत उत्तरदाता जो उन राज्यों के थे जहां अन्य पिछड़ा वर्ग की सूचियां अधिसूचित हुई हैं, इस तथ्य से परिचित थे। तथापि, 62 प्रतिशत इस सूची से किसी भी कारण से असन्तुष्ट नहीं थे यह भी उल्लेखनीय है कि कई उन्नत जातियां सूचियों में शामिल की गई हैं और कई पिछड़ी जातियां इसमें शामिल नहीं की गई हैं,

कुछ लोगों का यह भी विचार था कि ये सूचियां बस्तुपरक जांच पर आधारित नहीं थी।

10.7 लगभग 82 प्रतिशत उत्तरों से पता चलता है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को विशेष सुविधाएं दी गई हैं। लगभग 52 प्रतिशत ने बताया कि पिछड़ा वर्ग को शैक्षणिक सुविधाओं के साथ-साथ सेवाओं में आरक्षण भी दिया गया है।

(4) सेवाओं में आरक्षण

10.8 उन राज्यों में जहां, सरकारी और सार्वजनिक उपक्रमों की सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण किया गया है वहां से प्राप्त लगभग 75% उत्तरों से यह पता चलता है कि उन्हें इसकी जानकारी है लेकिन 65 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने आरक्षण मात्रा पर असन्तोष प्रकट किया है।

10.9 सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिक उम्मीदवारों को लेने के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में, 45 प्रतिशत ने सुझाव दिया कि आरक्षण के प्रतिशत को बढ़ाया जाए। लगभग 17 प्रतिशत ने सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में सीटों के लिए जातिवार आरक्षण की बात कही। इस सम्बन्ध में निःशुल्क शैक्षणिक सुविधाएं, उच्चतम आयु सीमा में छूट, प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को विशेष कोचिंग सुविधाएं आदि देने के बारे में कई सुझाव दिए गए।

(5) अन्य पिछड़ा वर्ग द्वारा भोगी गई कठिनाइयां

10.10 लगभग 78 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा है कि कई प्रकार की कठिनाइयां, जैसे सर्व-साधारण हेतु उपयोगी वस्तुओं की कमी, सामाजिक पक्षपात, शिक्षा सुविधाओं की कमी, अलग-अलग और उपेक्षित क्षेत्रों निवास स्थान आदि कुछ ऐसी कठिनाइयां हैं। केवल 9 प्रतिशत उत्तरों से यह संकेत मिलता है कि अन्य पिछड़ा वर्ग किसी भी प्रकार के भेदभाव व कठिनाइयों के शिकार नहीं थे।

10.11 सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने यहां इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों के सम्बन्ध में, लगभग 43 प्रतिशत का विचार था कि अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। दूसरी ओर, 17 प्रतिशत ने देखा कि कुछ कदम इस सम्बन्ध में उठाए गए हैं, लेकिन इसमें से एक तिहाई व्यक्तियों ने महसूस किया कि ये कदम न तो पर्याप्त हैं और न ही कारगर हैं। अन्यो ने लिखा है कि शिक्षा प्रसार और रोजगार भवसर तथा निवास सुविधाओं के प्रावधान आदि जैसे कुछ उपायों से अन्य पिछड़ा वर्ग की कठिनाइयों को दूर करने में कुछ सहायता मिली है।

(6) रोजगार/शिक्षा तक पहुंच

10.12 लगभग 82 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने महसूस किया कि अन्य पिछड़ा वर्ग को रोजगार या उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए, कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इन्होंने आरक्षण के प्रतिशत में वृद्धि, उच्चतम आयु सीमा में छूट, अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए अलग मंत्रालय या आयोग बनाने जैसे कुछ उपाय सुझाए हैं।

(7) ऋणप्रस्तता

10.13 71 प्रतिशत उत्तरों के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकोश लोग ऋणग्रस्त थे। इतनी अधिक ऋणप्रस्तता का कारण निरक्षरता, गरीबी, सामाजिक प्रथाएं आदि हैं।

(8) साक्षरता

10.14 अन्य पिछड़ा वर्ग में साक्षरता को बढ़ाने के लिए लगभग 40 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सिफारिश की है कि पिछड़ा वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना आवश्यक था। लगभग 12 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष प्रीढ़ शिक्षा कार्यक्रम चाहते थे। अन्य पिछड़ा वर्ग में साक्षरता को अधिक बढ़ाने के उद्देश्य से अन्य पिछड़ा वर्ग के शिक्षितों को रोजगार दिलवाने का प्रावधान, उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए सहायता और अधिक शैक्षणिक संस्थान खोलना, निःशुल्क पुस्तकें और स्कूल बर्दी का प्रावधान और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को दी जाने वाली निःशुल्क छातावास और भोजन तथा अन्य शैक्षणिक सुविधाओं आदि के समान कुछ अन्य उपायों की सिफारिश की गई है।

(9) कठिनाइयों को दूर किये जाने के लिये कवम

10.15 अन्य पिछड़ा वर्ग की दशा सुधारने के लिए लगभग 25 प्रतिशत ने सुझाव दिया कि उन्हें कम ब्याज पर या निःशुल्क ब्याज पर ऋण दिया जाए, 10 प्रतिशत इस पक्ष में थे कि कृषि योग्य भूमि तथा भूकानों के लिए स्थान दिए जाएं, 31 प्रतिशत चाहते थे कि शिक्षा संस्थानों और रोजगार में आरक्षण किया जाए और 26 प्रतिशत ने उपरोक्त सभी सुविधाएं को देने का सुझाव दिया।

(10) प्रमुख जातियां

10.16 लगभग 50 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने प्रमुख जातियों को परिभाषित करते हुए कहा कि ये वे जातियां हैं, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक शोषण करती रही हैं। लगभग 74 प्रतिशत का विचार था कि तीन उच्च वर्गों ने प्रमुख जातियां निर्मित कीं। गांव में जाति का प्रभुत्व रहने के कारण, शैक्षणिक, आर्थिक या राजनैतिक स्थिति अथवा ये मिलेजुले कारण थे। 35 प्रतिशत उत्तरों से प्रमुख जातियां और अन्य पिछड़ा वर्ग के बीच तनावपूर्ण सम्बन्धों का संकेत मिलता है।

(11) स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका

10.17 लगभग 72 प्रतिशत, उत्तरदाताओं को स्वैच्छिक संगठनों के बारे में पता था और उनका विचार था कि वे अपनी जाति या वर्ग के कल्याण के लिए काम करते हैं उनके कार्यों के प्रभाव के सम्बन्ध में 17 प्रतिशत ने यह कहा कि ये संगठन केवल अपनी जाति के लोगों की ही सहायता करते थे। लगभग 35 प्रतिशत का विचार था कि कुछ शैक्षणिक, आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक लाभ, इन संगठनों के कार्यकलापों का ही परिणाम है, लेकिन अन्य 20 प्रतिशत का विचार था कि इन कार्यकलापों का असर केवल नाममात्र ही हुआ है।

(12) व्यावसायिक प्रवृत्ति में परिवर्तन

10.18 व्यावसायिक प्रवृत्ति के सम्बन्ध में, लगभग 45 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने महसूस किया कि पिछले तीन दशकों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। लगभग 14 प्रतिशत ने महसूस किया कि यह परिवर्तन बड़े ही खराब हुए हैं तथा उद्योगीकरण व सामाजिक परिवर्तन आदि के कारण बढ़ी मात्रा में लोग बेरोजगार हुए हैं। लगभग 35 प्रतिशत उत्तरदाताओं का विचार था कि यह परिवर्तन भलाई के लिए हुए हैं।

(13) आर्थिक मानवण्ड

10.19 पिछड़ेपन की पहचान के लिए आर्थिक मानवण्ड को उचित मानने के लिए लगभग 36% उत्तरदाता इसके पक्ष में नहीं थे परन्तु 28% का विचार था कि पिछड़ेपन व सीधा सम्बन्ध गरीबी से है।

2. संसद सदस्यों के साक्ष्य

(क) छठी लोक सभा

10.20 प्रायोग ने छठी लोक सभा और राज्य सभा के सदस्यों को विचारार्थ विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया। संसद सदस्यों को 6 दलों में 31 मार्च से 8 मई, 1979 के बीच बुलाया गया था और भाग लेने वालों की सूची परिशिष्ट 9 में है।

10.21 बहुत से संसद सदस्यों, जिसमें सर्वश्री आर० एल० प्रसाद गुप्ता, हुकम देव, नारायण यादव, रामविलास पासवान, एल० आर० नायक, के० राममूर्ति, पी० वी० पेरियास्वामी, वी० आर० महान, गोविन्दरत्न मिरी, नाथू सिंह, आर० एस० यादव, ब्रह्म प्रकाश, वी० पी० मौर्य, मोहन लाल पंथल, दयाराम शाक्य, श्यामलाल यादव, कुंवर महमूद अली खान, आर० एल० कुरील, एम० वी० विशारद, कैहयों, चौतुभाई ममित, एस० एच० लिंगदोह, जी० मलिकार्जुन राव और के० एस० नारायणन ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सरकारी सेवाओं और शैक्षणिक संगठनों में सीटों के आरक्षण के पक्ष में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने इसे उनके उत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार उपाय बताया। आगे सर्वश्री एल० आर० नायक, पी० वी० पेरियास्वामी, गोविन्दरत्न मिरी, ब्रह्म प्रकाश, वी० पी० मौर्य, श्यामलाल यादव, कुंवर महमूद अली खान, मंगल देव विशारद, जी० मलिकार्जुन राव और के० एस० नारायणन ने जोर दिया कि हिन्दू समुदाय में, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों के आधार पर, सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन का मानवण्ड जाति माना जाना चाहिए। सर्वश्री राम विलास पासवान, आर० एल० कुरील और के० एस० नारायणन का विचार था कि अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को मात्रा उनकी जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार होनी चाहिए। दूसरी ओर, सर्वश्री चतुर्भुज और चन्दन सिंह का विचार था कि अन्य पिछड़ा वर्ग की पहचान के लिए आय आंच अथवा आर्थिक मानवण्ड स्वीकार किया जाना चाहिए।

10.22 श्री राममूर्ति और डा० पी० वी० पेरियास्वामी ने प्रायोग का ध्यान कुछ निहित स्वार्थों द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बीच झूठा प्रचार फैलाकर कटुता उत्पन्न करने की ओर दिलाया कि ये प्रचार किया जा रहा है कि यदि अन्य पिछड़ा वर्ग को विशेष रियायतें दी गईं तो ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को दी जाने वाली रियायतों में से दी जाएगी। इन संसद सदस्यों ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि प्रायोग को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कहीं भी अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हितों में परस्पर टकराव न हो, क्योंकि वास्तव में ये दोनों ग्रुप शोषित वर्ग आन्दोलन की दो समानान्तर धाराएं हैं।

10.23 अलग-अलग संसद सदस्यों द्वारा कही गई कुछ अन्य बातें निम्नलिखित हैं :-

10.24 श्री वी० पी० मौर्य ने विस्तार में जाति प्रथा की उत्पत्ति को समझाया और बताया कि भारतीय स्थिति में 'वर्ग' (मार्क्स की दृष्टि से) जाति से उत्पन्न था और न कि इसके विपरीत बना था। इसको ध्यान में रखते हुए सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए मूल मानवण्ड, जाति ही होनी चाहिए। उन्होंने यह भी व्यक्त किया कि अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन लोगों ने पर्याप्त प्रगति कर ली थी उन्हें आरक्षण आदि के लाभ देना अनुचित था। इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि निर्धनता के साथ जाति का मानवण्ड लागू किया जाना चाहिए।

10.25 श्री रामविलास पासवान ने सुझाव दिया कि अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के वर्तमान प्रणालि को बढ़ाया जाना चाहिए और उन्हें अधिकतम शैक्षिक सुविधाएं दी जानी चाहिए। इनके पिछड़े समुदाय

राज्य सूची में शामिल नहीं हैं, इसलिए उनके दावों पर पुनः विचार किया जाना चाहिए। वह यह भी चाहते थे कि अन्य पिछड़ा वर्ग के बारे में व्यापक सामाजिक-आर्थिक और शैक्षणिक आंकड़े भी एकत्रित किए जाएं। वह इस पक्ष में भी थे कि यदि किसी उम्मीदवार के परिवार की आय 10,000 रुपये प्रतिवर्ष से अधिक है तो उन्हें आरक्षण के लाभ नहीं दिए जाने चाहिए।

10.26 श्री राममूर्ति ने कहा कि 25 वर्ष पुरानी काका कालेलकर आयोग की सिफारिशों पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया और वह चाहते थे कि सरकार को इस आयोग की रिपोर्ट पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए।

10.27 श्री एल० आर० नायक ने जोर दिया कि भारत सरकार को अन्य पिछड़ा वर्ग की एक केन्द्रीय सूची बनानी चाहिए और संविधान के विशेष प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए केवल उन वर्गों को सूची में शामिल किया जाना चाहिए जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आयोग द्वारा तैयार मानदण्ड इन्हीं तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने यह भी इच्छा जाहिर की कि आयोग के मार्गदर्शन के लिए इस सम्बन्ध में दिए गए न्यायालयों के निर्णयों का भी पूर्ण अध्ययन किया जाए।

10.28 श्री दयाराम शावक ने विभिन्न लोक सेवा आयोग द्वारा उम्मीदवारों की भर्ती आदि की प्रणाली के लिए अप्रसन्नता जाहिर की, क्योंकि इससे शहरों और सम्पन्न घरों के बच्चों को अनुचित लाभ प्राप्त होता है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची तैयार करते समय, काका कालेलकर आयोग से जो जातियां छूट गई थीं उन्हें वर्तमान आयोग द्वारा शामिल किया जाना चाहिए। दूसरी ओर, उन जातियों को, जिन्होंने काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद उन्नति कर ली है उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची से निकाल देना चाहिए।

10.29 श्री मंगल देव विशारद ने बताया कि सामाजिक पिछड़ापन सीधे जाति से सम्बंधित था और क्योंकि जब कोई सामाजिक दृष्टि से पिछड़ी हुई जाति, आर्थिक दृष्टि से उन्नत हो जाती है तब भी उसकी सामाजिक स्थिति में सुधार नहीं होता। उन्होंने उस घटना का भी उल्लेख किया जब वाराणसी में बाबू जगजीवन राम द्वारा डा० सम्पूर्णानन्द की मूर्ति का अनावरण किया गया था। बाद में उच्च जाति के हिन्दुओं ने उस मूर्ति को 'गंगा जल' से धोया क्योंकि ऐसा समझा गया था कि बाबू जगजीवन राम ने अपने स्पर्श से इसे दूषित कर दिया था।

(ख) सातवीं लोक सभा

10.30 चूँकि छठी लोक सभा समय से पहले ही भंग हो गई थी और 7वीं लोकसभा जनवरी 1980 में बन गई थी इसलिए आयोग ने अपने विचारार्थ विषयों पर नई लोक सभा के सदस्यों को साक्ष्य देने के लिए बुलाया। देश को चार क्षेत्रों में बांटा गया था और प्रत्येक क्षेत्र के सदस्यों को आयोग से विचार-विमर्श हेतु 1 जुलाई से 4 जुलाई 1980 के बीच अलग-अलग बुलाया गया। राज्य सभा के सदस्यों को भी निर्मलण भेजा गया। उन संसद सदस्यों की सूची जो आयोग के निर्मलण पर आये परिशिष्ट 10 पर है।

10.31 सातवीं लोक सभा के अधिकतर सांसदों ने यह भी कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग को विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिए तथा सेवाओं और शैक्षणिक संगठन में उनके लिए आरक्षण किया जाना चाहिए। जिन सांसदों ने ऐसे विचार प्रस्तुत किए उनके नाम हैं: सर्वश्री पी० शिवशंकर, पी० राजगोपाल नाइडू, एन० जी० रंगा, आर० पी० स्वामीनाथन, ई० बालानन्दन, नरसिंह मकवानना, बी० के० मधाली, सुन्दर शर्मा, एस० बी० चम्हान, मधु वण्डवते, जी० आर० कोचक, सुवम सिंह, श्यामलाल यादव, नरेन्द्र सिंह, राम प्यारे पणिकर, जे० एस० कश्यप, एन० ई० होरो,

बी० पी० यादव और सी० एम० पाणिग्रही। इनमें से अधिकांश ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग की पहचान सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर की जानी चाहिए। श्री बी० आर० रेड्डी और प्रो० एन० जी० रंगा का विचार था कि अन्य पिछड़े वर्ग को दी जाने वाली सुविधाएं केवल उन्हीं परिवारों को दी जाएं जिनकी मासिक आय 1000 रुपये से अधिक न हो ताकि पिछड़े वर्ग के सम्पन्न वर्ग को आरक्षण का अनुचित लाभ न हो। श्री एस० बी० चम्हान भी कुछ इसी प्रकार के प्रतिबन्ध के पक्ष में थे ताकि अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची लम्बी न हो जाए, जिससे कि पिछड़े वर्ग के लिए सुविधाएं कम हो जाएं।

10.32 श्री जी० एम० शाह, जनरल राजेन्द्र सिंह स्पेरो, श्रीमती राजेन्द्र कौर और श्री टोमपोक सिंह इस पक्ष में थे कि पिछड़ेपन को पहचानने के लिए आर्थिक मानदण्ड को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

10.33 श्री पी० शिवशंकर (विधि मंत्री) ने सुझाव दिया कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को मानदण्ड मानना उचित होगा, जिसे पहले ही उच्चतम न्यायालय ने कई मामलों में माना है। अन्य मानदण्ड को स्वीकार करना नए विवादों और उलझनों को पैदा करना है। उन्होंने यह भी कहा कि आर्थिक मानदण्ड स्वीकार करने से अन्य पिछड़े वर्ग का नुकसान होगा। अनेक राज्य सरकारों द्वारा पहले ही बनाई गई अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची को अनेक मामलों में न्यायालयों में पहले ही जांचा जा चुका है और जहां तक सम्भव हो आयोग को इसे स्वीकार करने की कोशिश करनी चाहिए। वे इस पक्ष में भी थे कि आरक्षण पहली भर्ती के अलावा पदोन्नति पदों पर भी 3 से 4 प्रतिशत तक होना चाहिए।

10.34 सर्वश्री बी० जे० पुजारी और एन० बी० सिद्धमन ने कहा कि ईसाई धर्म में परिवर्तित अनुसूचित जातियों को भी अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। यही विचार श्री ई० बालानन्दन ने भी व्यक्त किए।

10.35 श्री आर० पी० गायकवाड़ ने कहा कि शिक्षा की कमी पिछड़े वर्ग की मुख्य रुकावट थी और उनको शिक्षा की उन्नति के लिए सभी सुविधाएं दी जानी चाहिए। लेकिन उन्होंने उनके लिए पदों में आरक्षण को न्यायोचित नहीं माना। श्री एन० के० शोजवालकर भी इसी पक्ष में थे कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सेवाओं में आरक्षण करना उचित नहीं होगा। श्री बापू साहिब पेश्लकर ने कहा कि देश का लक्ष्य जाति रहित और वर्ग रहित समाज की स्थापना करना था और इस लक्ष्य को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची बनाते समय भुलाना नहीं चाहिए।

10.36 प्रो० मधु वण्डवते ने कहा कि किसी धर्म में परिवर्तित हो जाने से मनुष्य की सामाजिक-आर्थिक स्थिति नहीं बदलती है। इसलिये जो अनुसूचित जाति से बदल कर बौद्ध और ईसाई आदि बन गए हैं, उन्हें अनुसूचित जाति माना जाना चाहिए। जब तक इस प्रकार का परिवर्तन विधान द्वारा नहीं हो जाता तब तक ऐसे सभी धर्म परिवर्तितों को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में रखा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन से अलग माना जाना चाहिए। उन्होंने उदाहरण देते हुए निम्न जातियों के विरुद्ध एक अन्य पुरोहिता घृणा की एक घटना का उल्लेख किया, जिसमें लाई माउंटवेटन ने अपनी कार्यकारी परिषद् के सदस्य डा० बी० आर० ग्रन्डेडकर को जगन्नाथपुरी मंदिर में उनके साथ चलने के लिए आमन्त्रित किया था। यद्यपि स्थानीय पुरोहितों ने माउंटवेटन के मंदिर में प्रवेश की तो सहर्ष मंजूर किया, किन्तु डा० ग्रन्डेडकर के प्रवेश के लिए उन्होंने इन्कार कर दिया।

10.37 श्री मुबारक शाह ने कहा कि जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति और समस्याएँ होने के कारण इस राज्य पर अखिल भारतीय प्रकार का जाति पर आधारित समाज का नमूना लागू नहीं होता। उन्होंने कहा कि कुछ क्षेत्रों की भौगोलिक और अलग-अलग स्थिति के आधार पर ही जम्मू और कश्मीर के पिछड़ेपन की पहचान होनी चाहिये।

10.38 श्री ज्योतिर्भय वसु ने बताया कि जाति, सामन्तवादी प्रथा की देन है और अब पश्चिमी बंगाल में समाज को देखने के लिए जातीय दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाता। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी आयोग के समक्ष इस मामले पर गहराई से विचार करने के बाद अपने विचार रखेगी।

10.39 श्रीमती गंता मुखर्जी ने भी कहा कि पश्चिम बंगाल में जाति पर आधारित भेदभाव अब तक एक पुरानी बात रह गई है। पुरानी व्यावसायिक प्रवृत्ति में परिवर्तन हो गया है और किसी भी जाति ने अपने पुस्तनी व्यवसाय को नहीं अपनाया है। वह समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को विशेष सहायता देने के पक्ष में थी।

III. आयोग के दौरे

10.40 भोके पर ही साक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से आयोग ने देश के अधिकांश राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के दौरे किए (परिशिष्ट II)। प्रत्येक राज्य में आयोग के दौरे कार्यक्रम की प्रथिम सूचना भेजी गई थी और सर्वसाधारण की जानकारी के लिए देशी भाषाओं के और अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में आयोग की प्रस्तावली भी प्रकाशित की गई थी। राज्यों के मुख्यालयों में आयोग ने मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों, संसद सदस्यों, विधायकों, वरिष्ठ अधिकारियों, सामाजिक तथा जाति संगठनों के प्रतिनिधियों और अन्य विशिष्ट लोगों से भेंट की। गांवों और जिलों के दौरों के दौरान आयोग को बड़ी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त हुए और इतने अपनी बैठक में बक्तारों के साक्ष्य भी लिए। अपने दौरों की प्रवधि में आयोग ने 17 राज्यों 5 संघशासित क्षेत्रों का दौरा किया, 2638 अभ्यावेदन प्राप्त किए और 1539 व्यक्तियों के साक्ष्य लिए।

10.41 मोटे तौर पर आयोग के समक्ष दो तरह के साक्ष्य आये। पहले, अनेक लोगों तथा जाति संस्थाओं ने अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में किसी विशेष जाति को शामिल करने के तर्क दिए। उनमें से कुछ जिनकी जातियाँ संबंधित राज्यों में पिछड़ी घोषित की हुई हैं, चाहते थे कि उनकी जाति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल की जाए। करीब तीन चौथाई उत्तरदाता जो आयोग के समक्ष प्रस्तुत हुए इस वर्ग से संबंधित थे। उनके अभ्यावेदनों को अलग से जांच की गई और जांच के परिणामों को आयोग द्वारा तैयार की गई अन्य पिछड़े वर्गों की राज्यवार सूची में समाविष्ट किया गया। दूसरे, सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के प्रश्न पर अधिक सामान्य शर्तों पर विचारविमर्श करने वाली कुछ संस्थाएँ और व्यक्ति थे जिन्होंने आयोग के विचारार्थ विषयों के सन्दर्भ में विभिन्न सुझाव दिए।

10.42 आयोग के समक्ष उपस्थित अधिकांश लोगों ने कहा कि सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के निर्धारण में जाति का ही आधार होना चाहिए। वे अन्य पिछड़े वर्गों को पर्याप्त रियायत देने के पक्ष में थे ताकि उनके निम्न जातीय स्तर के कारण सदियों तक भोगे गए कष्टों को दूर किया जा सके। कुछ महत्वपूर्ण उपाय थे :—सरकारी सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण, न्यूनतम योग्यता अंकों में छूट और विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए उच्चतम आयु सीमा में छूट और आदि; अन्य शैक्षणिक रियायतें थी, जैसे मुफ्त पुस्तकें, बर्तियों और विशेष कोचिंग सुविधाएँ, भ्रमण बनाने के लिए स्थान देना, कम व्याज पर ऋण देना, लघु उद्योग लगाने के लिए सहायता देना आदि।

10.43 कुछ व्यक्तियों का तर्क था कि अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण उनकी जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए। क्योंकि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में सार्वजनिक सेवाओं में उनकी उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए न्यायोचित है। उनमें से कुछका यह भी कहना था कि संसद और विधान सभाओं में भी अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण होना चाहिए ताकि राजनीतिक क्षेत्र में पर्याप्त अधिकार प्राप्त करने के बाद ही वे अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने की स्थिति में हो सकेंगे। अनेक संस्थानों और व्यक्तियों का सुझाव था कि लोकसेवा आयोगों, चयन बोर्डों तथा अन्य भर्ती एजेंसियों में भी अन्य पिछड़े वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए ताकि अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को इन निकायों में उचित और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार मिल सके। इस बात पर बार-बार जोर दिया गया था कि उनकी समुचित सुरक्षा की दृष्टि से और कानून प्रवर्तक एजेंसियों से न्याय प्राप्त करने हेतु पुलिस में अधिक लोगों की भर्ती समाज के कमजोर वर्गों में से की जाए। इस प्रकार की नीति से शोधित व पिछड़े वर्गों में न केवल दृढ़ विश्वास जागृत होगा बल्कि यह भी सुनिश्चित होगा कि कानून लागू करने वाली एजेंसियों को इन असुरक्षित लोगों की समस्याओं का निकट से जानकारी है।

10.44 कुछ उत्तरदाताओं ने स्पष्ट किया कि अन्य पिछड़े वर्गों की वर्तमान राज्य-सूचियों में कई जातियाँ और समुदायों को शामिल कर लिया गया है जो कि वास्तव में उन्नत हैं और अन्य कुछ को छोड़ दिया गया है जो कि वास्तव में पिछड़े हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पिछड़े वर्गों को उन्नत करने हेतु जो विशेष रियायतें या सुविधाएँ थी, वास्तव में, उनका लाभ अधिक प्रभावशाली और ताकतवार वर्गों ने उठाया है तथा वास्तव में पिछड़े हुए वर्गों की रक्षा के लिए पूर्ण प्रबंध किए जाने चाहिए। अतः इस प्रकार यदि अनुसूचित जातियाँ ईसाई, मुसलमान, बौद्धों प्रादि में परिवर्तित हो जाती हैं तो अनुसूचित जातियों को दिये जाने वाले लाभों से उन्हें वंचित नहीं किया जाना चाहिये और इसी तरह यह अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी होना चाहिये। कई स्थानों पर तो यहां तक कहा गया है कि सभी मुसलमानों और ईसाईयों को भी अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल किया जाना चाहिये क्योंकि वे समुदाय वास्तव में बहुत पिछड़े हुए हैं।

10.45 अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मानदण्ड के संबंध में, कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि समस्त पुस्तनी व्यवसायों को अपनाने के कारण ही निम्न सामाजिक स्तर के कर्लक को ही पिछड़ेपन का आधार माना जाना चाहिये।

10.46 यह सत्य है कि आयोग के समक्ष आने वाले अधिकांश व्यक्तियों ने, जो अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित थे और व्यथित वर्गों के प्रतिनिधि थे, अपना कठिनाइयाँ आयोग के सामने रखने के लिए बहुत उत्सुक थे। परन्तु अनेक स्थानों पर उन्नत वर्गों और जातियों की कुछ संस्थाओं या सदस्यों ने भी आयोग के समक्ष साक्ष्य दिया। इन प्रतिवादियों ने आमतौर पर जाति को सामाजिक पिछड़ेपन से जोड़ने का विरोध किया और कहा कि वे अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी पदों में आरक्षण के विरुद्ध हैं। वे आमतौर पर इस पक्ष में थे कि पिछड़ेपन के मानदण्ड के लिए आय-जांच को अपनाया जाय और कहा कि निर्धनता ही सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन का वास्तविक कारण है। यह बड़ी दिलचस्प बात है कि प्रत्येक राज्य में कुछ ब्रह्मणों ने स्वयं को भी अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल किए जाने का दावा किया क्योंकि न तो वे उच्च सामाजिक स्तर का लाभ उठा पा रहे थे और न ही साधनों के अभाव में अपने बच्चों को शिक्षित हो कर सकते थे।

10.47 सामान्य तौर पर कहा जाय तो यह देखने में आया कि प्रत्येक व्यक्ति, समुदाय और संस्था ने अपने वर्ग के हितों की ही बात कही है और अन्य पिछड़े वर्गों को रियायतें देने का प्रश्न भावनाओं से

परिपूर्ण था। आयोग ने बार-बार देखा कि कुछ बैठकों में वक्ताओं ने इस विषय पर अस्तविरोधी विचार व्यक्त किए हैं और उनकी धारणा के पीछे जाति को ही आधार मानने का अकाद्य तर्क था। उदाहरणार्थ, दिनांक 15-6-1979 को त्रिवेन्द्रम में हुई बैठक में श्री आर० सुन्दरान नायर, विधायक, ने कहा कि केरल में सामाजिक भेदभाव तथा अस्पृश्यता नहीं है और पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए अधिक मानदण्ड रखा जाना चाहिए। अगले वक्ता, श्री ए० एन० नाडार, विधायक, ने बताया कि केरल में जाति व्यवस्था बहुत व्याप्त है और जाति को ही सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन का मानदण्ड माना जाना चाहिए। कुछ ही दिनों बाद, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के त्रिवेन्द्रम जिला समिति के अध्यक्ष, श्री इससूदीन ने अधिक मानदण्ड के पक्ष में विचार व्यक्त किए, जबकि अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा त्रिवेन्द्रम ने श्री के० वासुदेवन इसके विरुद्ध थे। इसी तरह दिनांक 26-5-1979 को सहस्वा (बिहार) की बैठक में श्री जगन्नाथ मिश्र अधिक मानदण्ड के पक्ष में थे जबकि श्री नरेन्द्र नारायण यादव पूर्ण रूप से जाति मानदण्ड के पक्ष में थे। प्रत्येक राज्य से इस प्रकार के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं।

10.48 आयोग द्वारा कुछ राज्यों के निरीक्षण के समय कुछ उत्तरदाताओं द्वारा व्यक्त विचारों का सारांश नीचे दिया गया है। यहाँ इन विचारों को यथासंभव ज्यों का त्यों ही दिये जाने का प्रयास किया गया है।

10.49 श्री जी० लालना, विधायक, हैदराबाद ने संविधान में जाति-प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रावधान न किए जाने के लिए दुःख प्रकट किया और बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में जातीय झगड़ों को देश में बढ़ते हुए जातिवाद का सूचक बताया। निम्न जातियों ने सदियों से भेदभाव का दुःख सहा है तथा उनकी प्रगति के लिए सुधार के उपाय किये जाने चाहिये। उनकी दृष्टि में, गैर-हिन्दू समुदायों में कोई सामाजिक पिछड़ापन नहीं था, क्योंकि वे जातिवाद के प्रतिबन्ध से मुक्त थे। यद्यपि वह आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा किये गए 25% आरक्षण से संतुष्ट थे, फिर भी वह चाहते थे कि अन्य पिछड़ा वर्गों को अधिक सुविधाएँ दी जाएँ।

आन्ध्र प्रदेश

10.50 भूतपूर्व विधायक श्री पी० लक्ष्मण राव ने अमिकुल क्षत्रीय संगम की ओर से बोलते हुए कहा कि उनकी मछुओं की जाति अत्यधिक निधन है, सुदूर ग्रामों में रहती है और उनका जीवन निरंतर चक्रवातों के कारण बहुत अनिश्चित रहता है। उनके अत्यन्त पिछड़ेपन के कारण, 1968 में, उनकी जाति को अनुसूचित जन जातियों की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव था, परन्तु किसी कारण से यह कार्य कार्यान्वित नहीं हुआ। उन्होंने एक श्रुप के रूप में मछुओं के लिए पृथक आरक्षण के लिए अनुरोध किया। वह मछुओं के लिए व्याज रहित, ऋण कम कोमन वाले मकान तथा उन्नत संचार सुविधाएँ भी चाहते थे।

10.51 आन्ध्र प्रदेश पिछड़ा वर्ग छात्र संघ, हैदराबाद के श्री जे० यादगिरि चाहते थे कि अन्य पिछड़ा वर्गों को भारतीय केंद्रीय सेवाओं, संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीयकृत बैंकों, सरकारी निगमों आदि में पर्याप्त प्रतिनिधित्व और आरक्षण दिया जाना चाहिए। आरक्षण की मात्रा उनकी जनसंख्या के अनुपात में होनी चाहिए। आवासीय स्कूलों में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 50% सीटों का आरक्षण किया जाना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा बनाई गई आरक्षण नीति के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक स्थायी सतर्क संस्था होनी चाहिए।

10.52 बिहार के मुख्य मंत्री श्री श्याम सुन्दर दास ने कहा कि अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण देश की प्रगति और विकास से सीधा जुड़ा हुआ है। जब तक राष्ट्र के निर्माण कार्यों में जन समुदाय को शामिल न किया जाएगा तब

तक देश प्रगति नहीं कर सकता। यह तभी सम्भव है जब सरकारी सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को अधिक से अधिक संख्या में भर्ती किया जाए।

10.53 पश्चिमी चौसा (बिहार) के मुखिया, श्री अविनाश चन्द्र ने कहा कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए मानदण्ड जाति ही होना चाहिए। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में 60 प्रतिशत आरक्षण होना चाहिए। भर्ती एजेंसियों में अन्य पिछड़े वर्गों को लिए जाने से ही आरक्षण के प्रावधान को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है। योग्यता के आधार पर अन्य पिछड़े वर्गों के चुने हुए उम्मीदवारों को आरक्षण कोटे से अलग रखा जाना चाहिए। राज्यों की विधान सभाओं में भी अन्य पिछड़े वर्गों के लिए स्थान आरक्षित होने चाहिए। महिलाओं के लिए जाने के लिये भी अलग से प्रावधान होना चाहिये।

10.54 बंगलौर के भूतपूर्व संसद सदस्य श्री वाई० रामचन्द्रन ने कहा कि 1935 से ही पिछड़े वर्गों की मांगों और अधिकारों की अनदेखी की जा रही है और अब यह उचित समय है कि सरकार अन्य पिछड़े वर्गों को पूर्ण राहत दे। भारत की परिस्थितियों के अन्तर्गत केवल जाति ही सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के लिए आधारित मानदण्ड है। नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों को पर्याप्त आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए और इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के फैसलों को ध्यान में रखते हुए आरक्षण की मात्रा निर्धारित की जानी चाहिये।

10.55 समाज विज्ञानी श्री के० आर० एस० नायडू (बंगलौर) ने कहा कि उन्होंने पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए नौ कारकों की पहचान की थी ये थे:— सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पुस्तैनी, ऐतिहासिक, प्राकिकल (?) भौगोलिक और राजनीतिक। उन्होंने इस पर भी जोर दिया कि भारतीय समाज को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है, अर्थात् शारीरिक श्रम करने वाले कामगार, मानसिक कार्य करने वाले कामगार। यह भेद किसी वर्ग के सामाजिक स्तर को जांचने के लिए बहुत उपयुक्त था।

10.56 मैसूर विश्वविद्यालय, की समाजशास्त्र की प्रो० श्रीमती पारवती अम्मा ने कहा कि जहाँ एक ओर जाति का पिछड़ेपन से सीधा संबंध है वहाँ पिछड़ेपन की पहचान के लिए उपजाति को इकाई नहीं माना जाना चाहिए बल्कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए पूरे समुदाय को इकाई माना जाना चाहिये। पिछड़ेपन को दूर करने के लिए शिक्षा सबसे बड़ा उपाय है। अंतः मैट्रिक स्तर तक की शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिये। पिछड़े वर्गों के लिये काम के अवसर जुटाने के लिए अर्थव्यवस्था का तेजी से विस्तार किया जाना चाहिए।

10.57 केरल विधान परिषद के उपाध्यक्ष श्री पी० के० गोपालकृष्णन ने आयोग को त्रिचूर में हुई बैठक में बताया कि जाति हमारे सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण तथ्य है और किसी व्यक्ति के सामाजिक स्तर का निर्धारण चार कारणों के आधार पर किया जाता था जाति परम्परा में किसी समुदाय की स्थिति, राज्य की राजनीति में प्रभाव डालने की योग्यता, उसकी वित्तीय स्थिति और इसकी शैक्षणिक तथा रोजगार की स्थिति।

10.58 कालीकट (केरल) के हरिजन समाज के श्री के० एम० रमन ने विचार व्यक्त किया कि बहुत बड़ी संख्या में जातियों को पिछड़ी जाति के रूप में सूचीबद्ध करने से अछूतों को दी जाने वाली सुविधाओं और रियायतों का लाभ उन वर्गों को नहीं मिल रहा है जो वास्तव में उनके हकदार थे।

10.59 श्री बी० बी० अशुक्ला कोया संसद सदस्य (कालीकट) चाहते थे कि "व्यवसाय" को ही पिछड़ेपन का मानदण्ड माना जाय।

पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को उदारतापूर्वक छात्रवृत्तियां दी जानी चाहिये और उच्चतम श्रेणी सीमा तथा सेवाओं में प्रवेश के लिये निम्नतम शैक्षणिक योग्यता में भी छूट दी जानी चाहिये। वे चाहते थे कि समस्त मुस्लिम समुदाय को ही पिछड़ा घोषित किया जाना चाहिए और उन्होंने सुझाव दिया कि उन्हें समाज के सम्पन्न वर्ग के शोषण से बचाने के लिए मुफ्त कानूनी सहायता दिये जाने का प्रावधान किया जाना चाहिये।

10.60 रायपुर के पत्रकार श्री पन्ना लाल यादु ने कहा कि छत्तिसगढ़ में अनेक जिले हैं और कुर्मी, तेली और यादव जातियों की जनसंख्या क्रमशः लगभग 25 लाख, 20 लाख और 17 लाख है। परन्तु इन जातियों में से कोई विधायक या संसद सदस्य अथवा वरिष्ठ अधिकारी नहीं है। उन्होंने शैक्षणिक संस्थाओं, सरकारी सेवाओं, संसद तथा राज्य विधान पालिकाओं में इनके लिए तथा अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण लागू करने के लिये अनुरोध किया।

10.61 राजपूत जाति के प्रतिनिधि सतना के श्री विश्वनाथ सिंह ने पिछड़ेपन का निर्धारण करने के लिये आर्थिक परीक्षणों को अपनाने की इच्छा व्यक्त की और कहा कि जाति के आधार पर आरक्षण के परिणाम-स्वरूप बिहार तथा उत्तर प्रदेश में दंगे हुए हैं।

10.62 बलभद्रपुर, हंटी (उड़ीसा) के बुनकर समुदाय के प्रतिनिधि, श्री प्रमोद कुमार दास ने कहा कि बिजलीकरणों की बढ़ती हुई महत्ता के कारण उनका समुदाय बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। गांव में बुनकरों के 106 परिवारों में से इस समय केवल 5 परिवार ही अपना यह पुस्तैनी व्यवसाय कर रहे हैं। 22 मैट्रिकुलेट व्यक्तियों में से, 11 सरकारी सेवा में हैं और शेष बिजलीकरणों तकनीक का प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक हैं। वह चाहते थे कि सरकारी सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में उनके समुदाय के लिए आरक्षण किया जाये और मैट्रिक स्तर तक के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति भी दी जाए।

10.63 तेली समुदाय के प्रतिनिधि, श्री हरे कृष्ण साहू, ग्राम बोदाबंदई (उड़ीसा) ने आयोग को बताया कि उनकी जाति के 36 परिवारों में से कोई भी परिवार तेल निकालने का पुस्तैनी व्यवसाय नहीं करता है। तेल निकालने की यंत्र चालित इकाइयों का बाजार पर एकाधिकार है और तेल बीजों की कम आपूर्ति होती है, क्योंकि भूमि का उपयोग धान को खेती के लिए किया जा रहा है। अत्यधिक गरीबी के कारण तेली अपने बच्चों को उच्च शिक्षा नहीं दे सकते हैं। वह चाहते थे कि तेल-बीज खरीदने और तेल निकालने के लिए यंत्र चालित इकाइयों की स्थापना हेतु विशेष सुविधाएं दी जायें।

10.64 श्री बी० एस० मोरे, नवबौद्ध, औरंगाबाद ने सूचित किया कि सदियों से बहिष्कार के पश्चात् हरिजन नवबौद्ध बन गए थे। परन्तु, दुर्भाग्यवश फिर भी उनके साथ अछूतों की तरह सभी प्रकार का भेदभाव किया जाता रहा है। जब तक छूआछूत का चलन समाप्त नहीं होता तब तक नवबौद्धों को रियायतें जारी रखी जानी चाहिए। उन्हें, जो वित्तीय दृष्टि से सम्पन्न हैं और वे जातियां जिन्हें अछूत नहीं समझा जाता है, उन्हें अनुसूचित जाति की सूची से हटा दिया जाना चाहिये।

10.65 मुस्लिम बैकवर्डे क्लासेज एशोसिएशन, नागपुर के सचिव श्री ए० एम० बने ने स्पष्ट किया कि अनेक मुसलमान समुदायों में जातियों की संरचना वैसी ही है जैसी कि हिन्दुओं के यहां है और वे भी वैतुक व्यवसायों को अपनाते हैं। मुसलमान तथा हिन्दू व्यावसायिक समुदायों के बीच समानता होने का उद्धारण देते हुए, उन्होंने कहा कि कसाई और खटीक, जुलाहा तथा हलबा, बुनकर, पिनजारा और धूनिया, लालवेणी और भंगी, रंगरेज तथा रंगारी, तेली और तिरमास समान एस/11 एचए/81—8

है। उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि मुसलमान व्यावसायिक जातियों को उसी तरह रियायतें दी जाएं जैसी कि हिन्दू जातियों को दी जाती हैं।

राजस्थान

10.66 राजस्थान बैकवर्डे क्लासेज फेडरेशन, जयपुर के मंत्री श्री वाऊ लाल ने कहा कि राजस्थान सरकार ने पिछड़े वर्गों को कोई उचित रियायतें प्रदान नहीं की हैं। पिछड़े वर्गों को राज्य विधान सभा में बोलने का कोई अधिकार नहीं है और उन्होंने विधान सभाओं तथा संसद में उनके लिए आरक्षण करने की सिफारिश की। उन्होंने सरकारी सेवाओं में भी आरक्षण चाहा और आयोग को व्यक्त की कि काका कलिलकर आयोग के समान ही इस आयोग की रिपोर्ट का भी परिणाम हो सकता है।

10.67 जोधपुर के श्री शोम प्रकाश परमार ने सुझाव दिया कि जनसंख्या को जातिवार गणना 1981 जनगणना के साथ पुनः शुरू की जानी चाहिये। वह व्यावसायिक जातियों के लिए विशेष रियायतें तथा राजस्थान में एक पिछड़ा वर्ग बोर्ड की स्थापना चाहते थे। वह पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए निःशुल्क शिक्षा तथा निःशुल्क कानूनी सहायता के पक्ष में भी थे।

सिक्किम

10.68 गंगतोक के फादर जोसेफ कैन्थ ने कहा कि सिक्किम में लगभग 5,000 ईसाई हैं और उनमें से अधिकतर मिम्बो तथा राई अनुसूचित जनजातियों के हैं। परन्तु धर्म परिवर्तन के फलस्वरूप उन्हें कोई विशेष सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। उन्होंने अनुरोध किया कि पिछड़ापन निर्धारित करने के लिए जाति का मानदंड नहीं होना चाहिये और यदि आर्थिक स्थिति सुधर जाती है तभी सामाजिक तथा शैक्षणिक पिछड़ापन समाप्त किया जा सकता है। यदि पिछड़ेपन के लिए जाति को मानदंड माना जाता है तो ईसाई जाति को बहुत हानि होगी।

10.69 संसद सदस्य, श्री पी० एम० सुब्बा ने गंगतोक में अन्य वक्ताओं द्वारा प्रस्तुत विचारों की दृष्टि करते हुए कहा कि सिक्किम में अनुसूचित जातियों की तुलना में अनुसूचित जनजातियों को अधिक सुविधाएं और रियायतें मिल रही हैं। अनुसूचित जनजातियों को छात्रावास, पुस्तकें आदि मुफ्त दी जाती हैं। छात्रवृत्तियां, मकान निर्माण के लिए अन्न, सिलाई की मशीनें आदि भी दी जाती हैं जबकि ये सुविधाएं अनुसूचित जातियों को नहीं दी जाती हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सिक्किम में नेपालियों में जाति-अथवा व्याप्त है और उनको निम्न जातियों को अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए।

10.70 श्री आर० गोविन्दा राजन, अध्यक्ष, पारवथाराजाकुल, यूथ एसोसिएशन, कुम्भे कोनम, यंजाबूर चाहते थे कि मछिारों की जातियों को उनके अत्यधिक पिछड़ेपन को देखते हुए अनुसूचित जनजातियों के साथ शामिल कर दिया जाए। उन्होंने इस समुदाय के उत्थान के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने और बेरोजगार लोगों को लघु-उद्योग लगाने और मछली पकड़ने वाली नावों का यंत्रीकरण करने के लिए ऋण मंजूर किए जाने का सुझाव दिया। वह यह भी चाहते थे कि केवल मछुआरा जाति के लोगों को ही मछली पकड़ने के अधिकार दिए जाने चाहिए।

10.71 तुलनलेवनी के विधायक श्री ए० लतीफ ने कहा कि यद्यपि राज्य में मुसलमानों की जनसंख्या 10 प्रतिशत है तथापि सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व केवल 3 प्रतिशत है। इस दृष्टि से सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए प्रयत्न प्रावधान किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य पुलिस दल को विशेष शाखा और खुफिया विभाग में मुसलमान अधिक भर्ती किए जाने चाहिये।

10.72 पश्चिम बंगाल पिछड़े वर्ग फेडरेशन के मंत्री श्री ए० एन० साहा ने कलकत्ता में कहा कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए भारतीय संविधान में प्राथिक मानदण्ड का कोई स्थान नहीं था। उन्होंने विश्वासपूर्वक कहा कि पश्चिम बंगाल में जातिवाद है और यहां तक कि इनमें अन्तर्जातीय विवाह भी नहीं होते। उन्होंने यह भी बताया कि 25 वर्ष बीत जाने के बाद, भी काका कालेसकर आयोग द्वारा पिछड़े वर्गों के रूप में सूचीबद्ध किए गए 105 समुदायों के रहन-सहन में थोड़ा बहुत ही सुधार हुआ है। उन्होंने सुझाव दिया कि कुछ अधिक पिछड़े हुए-वर्गों को विशेष रियायतें देने के लिए अधिकतम आय सीमा होनी चाहिए।

10.73 पश्चिम बंगाल स्वर्णकार सभा के महासचिव श्री गुरु मोहन शार ने कलकत्ता में बताया कि वह राज्य सरकार के इस विचार से सहमत नहीं हैं कि वहां केवल अमीर और गरीब दो जातियां हैं। जाति प्रथा अन्य राज्यों की भांति पश्चिम बंगाल में भी गहराई से प्रवेश किए हुए है उन्होंने आगे कहा कि उनके स्वर्णकार समुदाय के लोग सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हैं और बहुत थोड़े स्वर्णकार ही सरकारी सेवा में हैं। उन्होंने उन्हें पिछड़े हुए के रूप में सूचीबद्ध करने की पेशकश की।

10.74 श्री नारायण चौधरी ने बरदवान में बताया कि पश्चिम बंगाल के लोग जाति-प्रथा के खिलाफ हैं और इसलिये वहां पर उच्च जातियों तथा निम्न जातियों के बीच ज्यादा अन्तर नहीं है। उत्तर प्रदेश और बिहार में आरक्षणों के विरुद्ध आन्दोलनों और असम तथा त्रिपुरा में बिगड़ी हुई स्थितियों का उल्लेख करते हुए उनका विचार था कि

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षणों को भी समाप्त कर दिया जाना चाहिये और आर्थिक मानदंड को ही पिछड़ेपन का आधार बनाया जाना चाहिये। वह महसूस करते थे कि आरक्षण का लाभ निम्न जातियों में केवल अधिक प्रभावशाली व्यक्ति ही प्राप्त कर रहे हैं। इसको दृष्टि में रखते हुए, पिछड़े लोगों को रियायतें देने के लिए आय-जांच ही केवल आधार होना चाहिये।

10.75 श्री रघुवर दयाल वर्मा (नाविक) आगरा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पिछड़े वर्गों की जनसंख्या 56 प्रतिशत थी जबकि उन्हें सरकारी नौकरियों में केवल 15 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया। उन्होंने इसे 60 प्रतिशत तक बढ़ा देने की पेशकश की। उन्होंने यह भी इच्छा प्रकट की कि अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अधिक भारतीय सेवाओं और स्वायत्त संस्थाओं में भी आरक्षण कोटा होना चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि सभी चयन समितियों में अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधि सम्मिलित किये जाएं।

10.76 डा० जे० प्रसाद काछी, प्रोफेसर डिगरी कालेज कानपुर ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पदों में आरक्षण करने के लिए निर्धारित किया गया पिछड़ेपन का मानदंड वृद्धिपूर्ण था, इसलिए वह चाहते थे, कि योग्यता के आधार पर चुने गए उम्मीदवारों को 15 प्रतिशत के थोड़े से आरक्षण कोटा में शामिल नहीं किया जाना चाहिये। उन्होंने यह इच्छा प्रकट की कि पिछड़े वर्गों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु केन्द्रीय सहायता दी जानी चाहिये, शैक्षिक संस्थाओं में उनके लिए स्थान आरक्षित होने चाहिये और उनके सांस्कृतिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए विशेष कार्यक्रम बनाए जाने चाहिये।

सामाजिक-शैक्षणिक क्षेत्र सर्वेक्षण तथा पिछड़ेपन के लिए मानदण्ड

11.1 काफ़ी कालेकर आयोग की रिपोर्ट की जांच के दौरान भारत सरकार ने सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए कोई विषयपरक जांच न किए जाने की बात को विशेष रूप से देखा। उच्चतम न्यायालय के कई निर्णयों में भी क्षेत्रीय अन्वेषणों और अन्य स्वतन्त्र साधनों पर आधारित ऐसा मानदण्ड तैयार करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने अपने आंकड़े एकत्र करने के लिये कई स्रोतों को काम में लेने का निर्णय लिया और इस संबंध में संक्षिप्त विवरण इस रिपोर्ट के अध्याय-3 में दिया गया है।

11.2 इस संबंध में आयोग द्वारा किया गया सामाजिक-शैक्षणिक क्षेत्रीय सर्वेक्षण एक ऐसी व्यापक जांच थी। आरम्भ से ही इस सर्वेक्षण को देश के शीर्ष सामाज शास्त्रियों और विशेषज्ञों की सहायता से तैयार किया गया था और इसकी प्रगति के विभिन्न चरणों से शिक्षण क्षेत्र के कई विशेषज्ञों को सम्बद्ध रखा गया था।

11.3 आरम्भ में, सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को परिभाषित करने तथा वैज्ञानिक तथा विषयपरक तरीके से मानदण्ड निर्धारित करने के लिए 12 जून से 14 जून, 1979 तक प्रसिद्ध समाज-शास्त्रियों के एक अनुसंधान योजना दल की बैठक उन अध्यक्षों और अनुसंधानों की योजना बनाने के लिए दिल्ली में हुई, जो कि पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा किये जाने चाहिए। इस दल की रिपोर्ट परिशिष्ट 12, खंड 2 में है।

11.4 तत्पश्चात् प्रोफेसर एम० एन० श्रीनिवास के नेतृत्व में, विशेषज्ञों के एक पैनल (परिशिष्ट 13, खण्ड-2) की 16 जुलाई से 20 जुलाई, 1979 तक दिल्ली में एक बैठक हुई और विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात् तालिकाओं, नमूना सारणियों तथा अनुदेशों आदि के एक सेट सहित सर्वेक्षण की एक पूरी रूपरेखा तैयार की गई।

11.5 विशेषज्ञों का पैनल, अनुसंधान योजना दल की इस बात से सहमत था कि आयोग के सम्मुख काम "मान्य और स्थाई समुदायों को न कि व्यक्तियों को, पहचानने के लिए एक मानदण्ड निश्चित करना था"। यह भी देखा गया कि "भारतीय संदर्भ में ऐसी सामूहिक जातियाँ या अन्य पुरतनी ग्रुप हो सकते हैं, जो परंपरागत उन विशेष व्यक्तियों से जुड़े रहते हैं जिन्हें घटिया और हीन समझा जाता है और जिनके साथ शैक्षणिक पिछड़ापन और निम्न आय भी संबद्ध रहती है।"

11.6 संचालन स्तर पर लगातार मार्गदर्शन देने की दृष्टि से डा० के० सी० सील० महानिदेशक, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन की अधीनता में, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन तथा राज्य के प्राथिक व सांख्यिकीय ब्यूरो के निदेशकों के प्रतिनिधियों को सदस्यों के रूप में लेकर एक तकनीकी परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया था।

तालिकाएँ

11.7 विशेषज्ञों के पैनल ने क्षेत्रीय सर्वेक्षण के दौरान जांच के लिए निम्नलिखित चार तालिकाएँ तैयार की थीं :-

1. परिवार तालिका (ग्रामीण)
2. परिवार तालिका (शहरी)
3. ग्राम तालिका
4. नगर तालिका।

इन तालिकाओं की पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा के कई ग्रामों में पहले जांच कर ली गई थी और आयोग के अनुसंधान तथा सर्वेक्षण विंग द्वारा इसकी वैधता की जांच की गई थी। निष्कर्षों पर तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया और विस्तृत जांच के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि ग्रामीण तथा शहरी तालिकाओं को ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए दो स्वतन्त्र परस्पर अनन्य खंडों के रूप में एक मिली-जुली तालिका के रूप में बनाया जाय। नगर तालिका को छोड़ देने का भी निर्णय लिया गया। मिली जुली ग्रामीण तथा शहरी परिवार तालिका पूर्ण रूप से पूर्ण सांकेतिक थी ताकि आंकड़ों की इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग की जा सके। इस प्रकार से अन्तिम रूप से बनाई गई और क्षेत्र में भरी गई तालिकाएँ परिशिष्ट 14 व 15, खण्ड-2 में हैं।

11.8 परिवार तालिका को पांच भागों में बांटा गया था अर्थात् परिवार ब्यौरे, प्रत्येक सदस्य के ब्यौरे, 5-15 वर्ष के आयु वाले नैर-छात्रों के ब्यौरे, परिसंपत्तियों और ऋणप्रस्तता का विवरण। प्रत्येक भाग के अन्तर्गत प्रश्नों को इस प्रकार से बनाया गया था ताकि भारतीय दशाओं में सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के लक्षण के रूप में किसी परिवार के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विवरणों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके।

11.9 तालिकाओं में सभी प्रश्न सीधे से और उनमें किसी संभाव्यता को कोई स्थान नहीं दिया गया था। जैसा कि पहले सूचित किया गया था कि चार राज्यों में इन तालिकाओं की पहले जांच कर ली गई थी और मुख्यालय में इनके वैधता की परख की गई थी और उसके परिणाम-स्वरूप कुछ संशोधन किये गए थे।

नमूना, प्रकार तथा जेक

11.10 विशेषज्ञों के पैनल में "पिछड़ा वर्गों के अधिकांश लोगों को पहचानने के लिए जिला स्तर पर 1% उद्देश्यपूर्ण नमूना गांवों की सिफारिश की थी।" तकनीकी सलाहकार समिति का बाव की बैठक में जिसकी अध्यक्षता महानिदेशक केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन ने की थी, यह निर्णय लिया गया था कि हमारे उद्देश्य के लिए देश की जनसंख्या का 1% नमूना, जो कि 65 लाख व्यक्ति होते हैं, बहुत अधिक होगा। खास तौर पर जबकि आयोग के पास बहुत सीमित समय है। इसकी बजाए देश के प्रत्येक जिलों के दो ग्रामों और एक शहरी ब्लॉक के शत प्रतिशत क्षेत्र को लेने को पर्याप्त समझा गया। सर्वेक्षण करने के केन्द्रीय सांख्यिकीय और नमूना सर्वेक्षण संगठनों के गहन अनुभव को दृष्टि में रखते हुए समिति की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया। ग्रामों और शहरी ब्लॉकों के चयन का काम सर्वेक्षण से सम्बद्ध राज्य एजेंसियों पर छोड़ दिया गया था। तथापि, इस पर जोर दिया गया था कि यथासंभव, सर्वेक्षण के लिए चुने गए ग्राम और शहरी ब्लॉक मिश्रित प्रकार के और मध्यम आकार के होने चाहिए और इन्हें संबंधित जिले की विविष्ट ग्रामीण या शहरी स्थितियों को प्रतिबिम्बित करना चाहिये। प्रत्येक राज्य में सर्वेक्षण किए गए ग्रामों और शहरी ब्लॉकों की सूची परिशिष्ट 16, खण्ड-2 में है।

सर्वेक्षण का संगठन

11.11 सर्वेक्षण संचालन का काम संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के सांख्यिकीय संगठनों को सौंपा गया था। ऐसा करना डा० के० सी० सील०,

महानिदेशक केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के अध्यक्ष प्रयत्नों के जरिए ही संभव हो पाया था, जिन्होंने 20 सितम्बर से 24 सितम्बर, 1979 तक लखनऊ में हुए केन्द्रीय और राज्य सांख्यिकीय संगठनों के चौथे सम्मेलन में यह मामला उठाया था और राज्य प्रतिनिधियों को इस चुनौती भरे काम को स्वीकार करने के लिए राजी किया था।

11.12 सभी तालिकाएं सर्वेक्षण हिदायतें आदि केन्द्रीय रूप से दिल्ली में छपवाई गईं और प्रत्येक राज्य द्वारा बताए गए अनेक वितरण केन्द्रों को सीधे भेजी गईं। प्रत्येक राज्य ने राज्य स्तर पर सर्वेक्षण कार्य के तालमेल के लिए एक संपर्क अधिकारी को नामित किया। सर्वेक्षण का वास्तविक कार्य जिला सांख्यिकीय अधिकारियों को सौंपा गया था जिन्होंने क्षेत्र में तालिकाओं को वास्तविक जांच के लिए प्रत्येक ग्राम/शहरी ब्लॉक के लिए दो अन्वेषकों का नियुक्त किया। यह भी निर्णय लिया गया था कि भरी हुई तालिकाओं को आयोग को भेजने से पहले, प्रत्येक जिला मुख्यालय में जांच पड़ताल की जायेगी।

सर्वेक्षण स्टाफ का प्रशिक्षण

11.13 न केवल क्षेत्रीय स्टाफ बल्कि जिला सांख्यिकीय अधिकारियों और राज्य स्तर के संपर्क अधिकारियों को उचित प्रशिक्षण देने पर विशेष जोर दिया गया था। संपर्क अधिकारियों के लिए 9 और 10 जनवरी, 1980 को दिल्ली में एक पुनर्चर्चा पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया और इस बैठक में क्षेत्रीय आपरेशनों को समय-सारिणी पर भी विचार विमर्श किया गया। इस विचार-विमर्श को दृष्टि में रखते हुए तालिकाओं को भरने के लिए अनुदेशों को सविस्तार प्रतिपादित किया गया। (परिशिष्ट 17, खण्ड 2) और इसके पश्चात् तालिकाओं को भरने के लिए अतिरिक्त मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए (परिशिष्ट 18 खण्ड 2) राज्य संपर्क अधिकारियों ने अपने सम्बद्ध जिला सांख्यिकीय अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया, जिन्होंने बाद में क्षेत्रीय अन्वेषकों और संवीक्षकों को प्रशिक्षण दिया। तालिकाओं का संवीक्षण करने के संबंध में विशिष्ट अनुदेश भी जारी किए गए थे (परिशिष्ट 19, खण्ड 2) सर्वेक्षण की प्रगति के दौरान जिला सांख्यिकीय अधिकारियों द्वारा मौके पर जांच करने को सुनिश्चित बना दिया गया था।

सर्वेक्षण की समय-सूची

11.14 9 और 10 जनवरी, 1980 को दिल्ली में हुई राज्य संपर्क अधिकारियों की बैठक में अनुमोदित किए गए क्षेत्रीय आपरेशनों की समय-सारिणी के अनुसार यह निर्णय किया गया था कि आयोग तालिकाएं तत्काल भेजेगा ताकि वे 31 जनवरी, 1980 से पहले-पहले जिला मुख्यालयों में पहुंच जाएं। क्षेत्र सर्वेक्षण आपरेशनों का काम फरवरी के शुरू में आरंभ किया जाना था और महीने के अन्त तक समाप्त किया जाना था। क्षेत्रीय आपरेशनों के साथ-साथ भरी हुई तालिकाओं की जांच भी की जानी थी और 7 मार्च, 1980 तक इस काम को पूरा किया जाना था ताकि जांची गई तालिकाएं दिल्ली में आयोग के कार्यालय में 15 मार्च, 1980 तक पहुंच सकें। कुछ राज्यों द्वारा विधान सभा के चुनावों और विभिन्न कठिनाइयों के कारण इस समय-सारिणी का पालन नहीं किया जा सका, तब भी सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से सभी भरी हुई तालिकाएं वास्तव में मई 1980 के अन्त तक प्राप्त हो गई थी।

ग्रामीणों का संगठन और विश्लेषण

11.15 देश के 406 जिलों में से 405 जिले हमारे सर्वेक्षण के क्षेत्र में लिए गए। इन 405 जिलों में से प्रत्येक जिले के दो ग्रामों और एक शहरी ब्लॉक के संबंध में परिवार तालिकाएं भरी गईं। प्रत्येक परिवार तालिका में 51 प्रश्न थे और प्रत्येक तालिका में परिवार के दस सदस्यों तक के विवरण भरने की व्यवस्था थी।

11.16 इस आकार के ग्रामों की तीव्रता और अर्थपूर्ण ढंग से केवल संगणन द्वारा ही तैयार किया जा सकता था। इन प्रबंधों को इस दृष्टि में रखते हुए, इन ग्रामों की इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग के लिए भारतीय इलेक्ट्रॉनिक कमीशन के राष्ट्रीय सूचना केन्द्र में व्यवस्था की गई थी।

11.17 विभिन्न विषयों अर्थात् सामाजिक, शैक्षणिक, जनसांख्यिकीय आर्थिक व्यावसायिक आदि के संबंध में 156 सारणियों का एक सेट तैयार करने के लिए एक विस्तृत संगणक रूपरेखा तैयार की गई थी। ग्रामों के सारणीकरण की रूपरेखा का उद्देश्य मुख्यतया जाति ग्रुपों के अनुसार और उक्त दिए गए विषयों के संबंध में इसी प्रकार के समुदायों के संबंध में ग्रामों का विश्लेषण करना था। जाति को एक स्वतन्त्र इकाई के रूप में भी लिया गया था।

11.18 तकनीकी समिति ने विशेषज्ञों की एक उप-समिति का गठन किया (परिशिष्ट 20, खंड 2) जिसका काम संगणक सारणियों के ग्रामों का विश्लेषण करने के लिए "पिछड़ेपन के सूचकों" को तैयार करने में आयोग की सहायता करना था। कई बैठकों और सारणीबद्ध ग्रामों पर प्रस्तावित सूचकों की जांच कर लेने के पश्चात् आयोग के काम के लिए वास्तव में अपेक्षित सारणियों की संख्या को 31 तक कम कर दिया गया (परिशिष्ट 21, खण्ड 2)। सूचकों को तैयार करने और उनको ठीक करने हेतु प्रत्येक स्थान पर जांच और वैधता चेक करना शामिल था।

11.19 इस संबंध में यह बताना लाभदायक होगा कि समाज विज्ञान में विभिन्न सामाजिक विशेषताओं के निर्धारण के लिए कोई गणितीय सूत्र या सुस्पष्ट बेंचमार्क उपलब्ध नहीं है। उक्त प्रकार के सर्वेक्षण के लिए बड़ी ही सावधानीपूर्वक एक अपरिचित मार्ग पर फूक-फूक कर पैर रखना पड़ता है और अपने स्वयं के मानदंड और बेंचमार्क बनाने होते हैं। इस प्रक्रिया में कुछ अदृष्ट कठिनाइयां थीं जिसे स्पष्ट करने के लिए नीचे दो सरल उदाहरण दिए गए हैं।

11.20 बाला जी के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह उचित माना था कि यदि किसी विशेष समुदाय को शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ समझा जाता है, तो इसके शैक्षणिक स्तर और राज्य के औसत स्तर के बीच का अन्तर बहुत थोड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि काफी बड़ा होना चाहिए। न्यायालयों ने 50% अन्तर को संतोषजनक माना। अब बिहार की 80% जनसंख्या (जनगणना 1971) अक्षरज्ञ है। 50% के अन्तर के द्वारा इस प्रतिशत को कम कर देने का अर्थ होगा कि शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ेपन के रूप में पहचाने के लिए किसी जाति/वर्ग में 120 प्रतिशत अक्षर व्यक्त होने चाहिए। वास्तव में, यह देखना होगा कि इस मामले में 25 प्रतिशत तक का अन्तर हमें शत प्रतिशत के अधिकतम संतुष्टि स्तर तक खींच लेगा।

11.21 भारत की परिस्थितियों में जहां कि अधिकारी लोग अनपढ़ गरीब या पिछड़े हुए हैं वहां किसी व्यक्ति को मानदण्डों से हटने में बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। जबकि हमारी स्थिति में मानदण्ड स्वयं ही बहुत कम है। उदाहरणार्थ, 1977-78 के प्रचलित मूल्यों के आधार पर प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय 991 रु० प्रतिवर्ष था। जबकि इसी अवधि में गरीबी रेखा शहरी क्षेत्रों के लिए 900 रु० और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 780 रु० प्रतिवर्ष थी। इससे यह विदित होगा कि गरीबी रेखा एक औसत भारतीय के प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय के बहुत नजदीक है। अब यदि बाला जी के मामले के कथन का अनुपालन करें तो "आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों" की पहचान के लिए इस प्रति व्यक्ति औसत उपभोक्ता व्यय से 50 प्रतिशत विचलन को स्वीकार करना होगा और इस प्रकार उनका आय स्तर प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय से 50 प्रतिशत कम अर्थात् 495.5 रु० प्रति वर्ष से कम होगा। ये ग्रामों शहरी

और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में, गरीबी रेखा से हटने नीचे है कि अधिकांश लोगों को इस अन्तर तक पहुँचने से पूर्व भुखपरी के कारण मृत्यु हो सकती है।

11.22 उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए "पिछड़ेपन के सूचकों" की अलग-अलग भिन्नता वाले स्थानों पर जांच की गई थी। ऐसा करने के लिए किसी विशेष राज्य में हमारे सर्वेक्षण के लिए ली गई जातियों में से अपने सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ेपन के लिए विख्यात लगभग एक दर्जन जातियों को चुना गया था। इन्हें "नियंत्रण" के रूप में माना गया और अलग-अलग भिन्नता वाले स्थानों पर इन "सूचकों" के विरुद्ध जांच करके इनकी वैधता की परख की गई। उदाहरण के तौर पर, सामाजिक पिछड़ेपन के "सूचकों" में से एक राज्य औसत की तुलना में 5—15 वर्ष आयु ग्रुप के विद्यार्थियों द्वारा पढ़ना छोड़ देने की दर का सूचक है। उपर्युक्त परीक्षण के परिणामस्वरूप, यह देखा गया था कि शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ी जातियों में यह दर राज्य औसत से कम से कम 25% अधिक है। इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया था कि अधिकांश "सूचकों" के मामले में राज्य औसत से इस 25% के अन्तर से संतोषजनक परिणाम निकले। इसको दृष्टि में रखते हुए जब कभी भी कोई "सूचक" राज्य औसत के अन्तर पर आधारित था, इसे 25% पर निर्धारित किया गया। 50% के अन्तर से विलकुल असंतोषजनक परिणाम निकले और कई बार तो असंगत स्थितियाँ पैदा हुईं।

सामाजिक तथा शैक्षणिक पिछड़ेपन के लिए सूचक (मानदण्ड)

11.23 उक्त अभ्यास के परिणामस्वरूप, आयोग ने सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को निर्धारित करने के लिए ग्यारह "सूचक" या मानदण्ड बनाए। इन 11 "सूचकों" को तीन मुख्य शीर्षों, अर्थात् सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक सूचकों में वर्गीकृत किया गया है। ये हैं:—

(क) सामाजिक

- (1) अन्वेषों द्वारा सामाजिक रूप से पिछड़ी समझी जाने वाली जातियाँ/वर्ग।
- (2) अपनी जीविका के लिए शारीरिक श्रम पर पूर्ण रूप से निर्भर जातियाँ/वर्ग।
- (3) वे जातियाँ/वर्ग जिनमें राज्य औसत से कम से कम 25% महिलायें और 10% अधिक पुरुष ग्रामीण क्षेत्रों में 17 वर्ष से कम की आयु में विवाह कर लेते हैं और शहरों में कम से कम 10% महिलाएँ और 5% पुरुष ऐसा करते हैं।
- (4) वे जातियाँ/वर्ग जिनमें राज्य औसत से कम से कम 25% महिलाएँ काम में अधिक योगदान देती हैं।

(ख) शैक्षणिक

- (5) वे जातियाँ/वर्ग जिनमें 5—15 वर्ष के आयु-ग्रुप वाले बच्चों की संख्या जिन्होंने स्कूल में कभी प्रवेश नहीं लिया, राज्य औसत से कम से कम 25% अधिक है।
- (6) वे जातियाँ/वर्ग जहाँ 5—15 वर्ष के आयु-ग्रुप वाले विद्यार्थियों को बीच में ही पढ़ना छोड़ देने की दर राज्य औसत से कम से कम 25% अधिक है।
- (7) वे जातियाँ/वर्ग जिनमें मैट्रिकुलेटों का अनुपात राज्य औसत से कम से कम 25% कम है।

(ग) आर्थिक

- (8) वे जातियाँ/वर्ग, जिनकी परिवार की सम्पत्ति का औसत मुख्य राज्य औसत से कम से कम 25% कम है।

(9) वे जातियाँ/वर्ग, जहाँ कच्चे घरों में रहने वाले परिवारों की संख्या राज्य औसत से कम से कम 25% अधिक थी।

(10) वे जातियाँ/वर्ग, जहाँ 50% से अधिक परिवारों के लिए पीने के पानी का स्लोन थ्रू किनोमीटर के अधिक दूरी पर है।

(11) वे जातियाँ/वर्ग, जहाँ उपभोक्ता ऋण लेने वाले परिवारों की संख्या राज्य औसत से कम से कम 25% से अधिक है।

11.24 चूंकि उपर्युक्त तीनों ग्रुप हमारे उद्देश्य के लिए समान महत्व के नहीं हैं, इसलिए प्रत्येक ग्रुप में "सूचकों" को अलग-अलग महत्व दिया गया था। सभी सामाजिक "सूचकों" में से प्रत्येक सूचक की 3 अंकों का और शैक्षणिक "सूचकों" में से प्रत्येक सूचक को 2 अंकों का और आर्थिक "सूचकों" में से प्रत्येक सूचक को एक अंक के बराबर महत्व दिया गया था। सामाजिक तथा शैक्षणिक सूचकों के अलावा आर्थिक सूचक को महत्वपूर्ण समझा गया क्योंकि वे सीधे ही सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन से उभर कर सामने आते हैं। इससे इस तथ्य को भी उजागर करने में मदद मिली कि सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग आर्थिक दृष्टि से भी पिछड़े हुए होते हैं।

11.25 इससे यह विदित होगा कि प्रत्येक सूचक को दिए गए मूल्यों की कुल संख्या 22 तक बन जाती है। इन सभी 11 सूचकों की किसी विशेष राज्य के सर्वेक्षण के घेरे में ली गई सभी जातियों पर जांचा गया। इस प्रयोग के परिणामस्वरूप उन सभी जातियों को जिन्होंने 50 प्रतिशत (अर्थात् 11 अंक) या इससे अधिक अंक प्राप्त कर लिये थे, उन्हें सूची में सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ों के रूप में रखा गया और बाकी सभी को "उन्नत" के रूप में माना गया। (यह मात्र संयोग ही है कि पिछड़ेपन हेतु सूचकों की संख्या और न्यूनतम अंकों की संख्या दोनों में 11 हैं) इसके अलावा, किसी जाति विशेष के लिए सर्वेक्षण के घेरे में लिए परिवारों की संख्या यदि 20 से कम बैठती थी तो उस पर विचार नहीं किया गया क्योंकि नमूने की किसी विश्वसनीय निष्कर्ष के लिए बहुत छोटा समझा गया था।

11.26 उनके द्वारा प्राप्तियों के आधार पर सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ी हुई जातियों की सूचियों में रखने की उपर्युक्त प्रणाली कुछ-कुछ एकतरफा दिखाई देती है। ऊपर से देखने पर यह विचार तर्कसंगत है। दूसरी तरफ, उपर्युक्त प्रणाली के अन्तर्गत किसी जाति विशेष द्वारा प्राप्त किए गए अंक वास्तव में पिछड़ेपन के उन सूचकों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं जो कि वास्तव में पूरे उतरते हैं। दूसरे, इस विधि में वास्तविकता बहुत है, क्योंकि अंक प्रणाली में कोई व्यक्ति-परक मूल्यांकन नहीं होता है। तीसरे, इस विधि को व्यावहारिक रूप में भी बहुत विश्वसनीय पाया गया था। उदाहरण के तौर पर इसे प्रयोग में लाने पर, सभी सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ी हुई जातियों को पिछड़ों के रूप में पहचाना गया था।

11.27 अन्त में, यह बात महत्वपूर्ण है कि इस सर्वेक्षण की महत्वाकांक्षा शैक्षिक अनुसंधान करना नहीं रही है। इसका आयोजन सरकार के प्रशासनिक तंत्र द्वारा किया गया है और सामाजिक तथा शैक्षणिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए साधारण मानदण्डों का एक सेट तैयार करने के लिए इसे एक सुलभ और काम चलाऊ उपकरण के रूप में अपनाया गया है। इस पूरे सर्वेक्षण के दौरान, हमारा दृष्टिकोण व्यावहारिक धारणाओं, क्षेत्रीय स्थितियों की वास्तविकताओं, साक्ष्यों और प्रशिक्षित जनशक्ति की कमी और समयाभाव पर निर्भर रही है। देखने से ये सभी बातें तकनीकी दृष्टि से जटिल और शैक्षणिक दृष्टि से समुचित आगरेसन की आवश्यकताओं के विपरीत हैं।

अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान

हिन्दू जातियों के मध्य पिछड़े वर्ग

12.1 पिछड़े अध्याय में हमने पिछड़ेपन के 11 सूचकों अथवा मानदण्ड का उल्लेख किया था जिसके आधार पर सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान की जा सकती है। हमने प्रत्येक राज्य के बारे में संगठित सर्वेक्षण आंकड़ों द्वारा निर्मित प्राथमिक सारणियों पर यह मानदण्ड लागू किया है। यह इस रिपोर्ट के खण्ड 5 में है। किसी जाति को पिछड़ी अथवा हरासे भिन्न की सूची में शामिल करने के लिए आधार का पिछले अध्याय में उल्लेख किया गया है।

12.2 यह भी स्पष्ट किया जा सकता है कि वर्ग, जातियों अथवा समुदाय जिन्हें इस सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप पिछड़े हुए के रूप में पहचाना गया है वे केवल हिन्दू धर्म से संबंधित हैं। चूंकि उपर्युक्त सर्वेक्षण में पहचान के लिए जाति एक इकाई के रूप में है, और जाति केवल हिन्दू धर्म की एक विशिष्ट विशेषता है, इसलिये सर्वेक्षण के परिणाम गैर-हिन्दू समुदायों के लिए कोई वैधता नहीं रख सकते हैं। उनकी पहचान के लिए मानदण्ड अलग से दिया गया है।

12.3 पहचान हेतु जाति को एक इकाई के रूप में स्वीकार करने सम्बन्धी मामले पर इस रिपोर्ट के अध्याय 4 और 7 में पहले ही चर्चा की जा चुकी है। उच्चतम न्यायालय ने यह माना है "..... किन्तु यह नहीं भूलना चाहिए कि जाति नागरिकों का एक वर्ग भी है और यदि सम्पूर्ण जाति सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़ी है तो इस आधार पर कि ऐसी एक जाति के पक्ष में आरक्षण किया जा सकता है कि यह अनुच्छेद 15(4) के अन्तर्गत नागरिकों का सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग है।" * * * "आगे एक जाति को सदैव एक वर्ग..... के रूप में पहचाना गया है। इस बात को कहने का कोई लाभ नहीं कि इस देश में असंख्य जातियाँ हैं जो सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हैं।" * * * और, "..... यदि आवश्यक आंकड़े एकत्र करने के पश्चात् यह पाया जाता है कि सम्पूर्ण जाति सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ी है, तो हमारे मतानुसार ऐसे व्यक्तियों के लिए किया गया आरक्षण इस बात के होते हुए भी कायम रखना पड़ेगा कि उस ग्रुप में कुछ व्यक्ति सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से सामान्य श्रेणी से ऊपर हो सकते हैं।" * * * विशेष दल (अध्याय 11 पैरा 5) ने माना था कि आयोग के समक्ष मुख्य कार्य "अभिज्ञेय व स्याई समूहों के लिए मानदण्ड निर्धारित करना है, न कि अलग-अलग व्यक्तियों के लिए"।

यह देखा गया है कि "भारतीय सन्दर्भ में जातियों अथवा अन्य पुरानी ग्रुप ऐसे समूह हो सकते हैं.....।"

12.4 वास्तव में जाति हिन्दू समाज के सामाजिक संगठन की आधारभूत इकाई होने के नाते केवल जातियाँ ही स्पष्टतः "अभिज्ञेय तथा स्याई समूह हैं।"

12.5 इस रिपोर्ट के खण्ड 3 में दी गयी सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई जातियों की राज्यवार सूचियों के बारे में निम्नलिखित स्पष्टीकरण ध्यान में आ सकता है। जैसा कि पिछले अध्याय में बताया

*ए०आई०आर० 1968 ए०सी० 1012।

**ए०आई०आर० 1971 ए०सी० 2303।

***ए०आई०आर० 1972 ए०सी० 1375।

गया था कि केवल दो ग्राम तथा एक शहरी ब्लॉक सामाजिक-शैक्षणिक सर्वेक्षण के लिए देश के प्रत्येक जिले से चुने गए थे। यद्यपि इस नमूने का आकार सामाजिक-शैक्षणिक पिछड़ेपन का मानदण्ड तैयार करने के लिए विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त रूप से बड़ा था, तथापि यह इतना बड़ा नहीं था कि इसमें देश की हर जाति को सम्मिलित किया जा सके। किन्तु प्रत्येक राज्य की सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियों/वर्गों की पूर्ण सूचियाँ देना भी हमारे लिए आवश्यक था, क्योंकि समुचित रूप से पहचाने गए अन्य पिछड़े वर्गों के अभाव में आयोग की सिफारिशें केवल शैक्षणिक रुचि की होंगी।

12.6 उपर्युक्त उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आयोग ने सामाजिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए निम्न व्यवसाय, अपराधिता, खानाबदोशी, शिक्षावृत्ति और छुआछूत जैसी हीन बातों को ध्यान में रखकर कुछ अन्य परीक्षण किए। अन्य महत्वपूर्ण परीक्षण सरकारी सेवाओं में कम प्रतिनिधित्व होना था।

12.7 इस प्रकार आयोग ने सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के लिए अन्य पिछड़े वर्गों की व्यापक सूचियाँ तैयार करने के लिए बहुमुखी दृष्टिकोण अपनाया है। इन सूचियों की तैयारी के लिए निम्न साधनों को अपनाया गया:—

1. सामाजिक शैक्षिक क्षेत्र सर्वेक्षण ;
2. 1961 की जनगणना रिपोर्ट (विशेषकर आदिम जनजातियाँ, आदिवासी जनजातियाँ, पर्वतीय जनजातियाँ, वन्य जनजातियाँ और देशी जनजातियों की पहचान के लिए) ;
3. देश का व्यापक दौरा करने के बाद प्राप्त निजी जानकारी तथा विशाल जन साक्ष्यों की प्राप्ति, जैसा कि इस रिपोर्ट के अध्याय 10 में वर्णित है; और
4. विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित अन्य पिछड़े वर्गों की सूचियाँ।

12.8 यह उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त ढंग से आयोग द्वारा वैयक्तिक जानकारी के प्रयोग का उच्चतम न्यायालय द्वारा ए० सी० बी० बलराम बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य* के मामले में अनुमोदन किया गया है। इस मामले में न्यायालय ने "आयोग को इसके लिए की गयी आलोचना का हवाला दिया कि इसने एक विशेष वर्ग को पिछड़ा हुआ मानने के लिए अपनी वैयक्तिक जानकारी का प्रयोग किया था। मामले की परिस्थितियों को देखते हुए यह अनिवार्य है और इसमें कुछ भी अनुचित अथवा गैर-कानूनी नहीं है। आयोग का मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करने और उनकी शीपडियों तथा बस्तियों में जाकर उनके वास्तविक रहन-सहन का पता लगाना है।"

12.9 इस सन्दर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि कुछ मामलों में, सामाजिक शैक्षणिक क्षेत्रीय सर्वेक्षण पर आधारित निष्कर्ष विद्यमान सामाजिक वास्तविकताओं के परस्पर विरोधी रहे हैं। उदाहरण के लिए, बिहार में कसेरा जाति का सामाजिक स्तर लगभग अनुसूचित जातियों के समान है और यह अत्यन्त निर्धन एवं पिछड़ी हुई है। परन्तु क्षेत्रीय सर्वेक्षण में इसने केवल तीन अंक प्राप्त किए थे और इस प्रकार अत्यधिक

*ए०आई०आर० 1972 ए०सी० 1375।

सम्पन्न जाति के रूप में रखा गया था। ऐसी वृद्धियाँ किसी भी सामाजिक सर्वोत्थान में होने की सम्भावनाएँ हैं जो किसी भी लिए गए नमूने का एकतरफा होने के कारण आधारित हो। सांख्यिकीय प्रणाली पर इन वृद्धियों को सुधारने के लिए स्थानीय दशाओं की पर्याप्त निजी जानकारी तथा आयोग के समक्ष प्रस्तुत व्यापक जन साक्ष्य हैं। क्षेत्रीय सर्वेक्षण के परिणामों की जांच सावधानीपूर्वक कर ली गई है और ऐसी सभी वृद्धियों को यथासम्भव ठीक कर लिया गया है।

12.10 हालांकि आयोग ने अन्य पिछड़े वर्गों की राज्यवार सूचियों को यथासम्भव व्यापक बनाने का प्रयत्न किया है तथापि इसकी पूरी सम्भावना है कि पिछड़ी जाति के रूप में रखी गयी कुछ समान जातियाँ छूट गई हों। कुछ जातियाँ अनेक नामों से जानी जाती हैं, जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न हैं और उनको सम्पूर्णतः सम्मिलित करना अशक्य है। इसकी दृष्टि में रखकर, आयोग सिफारिश करता है कि यदि कोई विशेष जाति पिछड़ी जाति के रूप में सूचीबद्ध की गई है तो उसके सभी पर्याय, चाहे वह राज्य सूचियों में बताए गए हों प्रयत्न नहीं उनको भी पिछड़ी जाति के रूप में माना जाना चाहिए।

गैर-हिन्दू समुदायों में अन्य पिछड़े वर्ग

12.11 इसमें लेशमात्र सन्देह नहीं है कि गैर-हिन्दू समुदायों के बीच सामाजिक तथा शैक्षणिक पिछड़ापन लगभग वैसा ही है जैसा कि हिन्दू समुदायों में। यद्यपि जाति प्रथा हिन्दू समाज के लिए एक विशिष्टता है तथापि वास्तविक व्यवहार में भारत में यह गैर-हिन्दू समुदायों में भी व्याप्त है। इस तथ्य के दो मुख्य कारण हैं, पहला जाति प्रथा जो मस्तिष्क की एक बहुत बड़ी उपज है और व्यक्ति की सामाजिक चेतना तथा सांस्कृतिक लोकप्रथा पर अभिष्ट छाप छोड़ती है। यहाँ तक कि धर्म परिवर्तन के बाद भूतपूर्व हिन्दू समाज के धर्माधिकारी-वर्ग तथा स्तर विन्यास सम्बन्धी गहरे विचार मन में रखे रहे। इसके परिणामस्वरूप जो हिन्दू जनजाने में इस्लाम, ईसाई, सिख आदि जैसे प्रत्यक्ष समतावादी धर्मों में परिवर्तित हो गए उनमें जाति प्रथा के प्रति मन में संघर्ष चलता रहा। दूसरा, हिन्दू प्रधान भारत में रह रहे गैर-हिन्दू अल्पसंख्यक वर्ग इसके मुख्य सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रभावों से बच नहीं सके। इस प्रकार इसके साथ तथा इसके बिना दोनों ओर से गैर-हिन्दू समुदायों में जाति का लगातार पोषण होता रहा तथा प्रेरणा मिलती रही।

12.12 "सैयद और शेख ब्राह्मणों के समान पुरोहित जातियाँ हैं जैसे मुगल तथा पठान अपने शीर्ष के लिए क्षत्रियों के समान प्रतिष्ठ हैं। व्यावसायिक जातियाँ, जो धर्म तन्त्र में निम्न जातियाँ मानी जाती हैं। इस प्रकार, जातियों के अपने व्यवसायों पर आधारित नाम बंशानुगत हैं और उनके बीच सजातीय विवाह करने की प्रारम्भिक प्रवृत्ति है। वे उन स्वच्छ हिन्दू जातियों के वंशज हैं, जो विभिन्न जातियों से दलों में या पूरी जातियों के रूप में इस्लाम धर्म में परिवर्तित हो गये हैं।"*

12.13 उसी बात पर, डा० इम्तिआज अहमद ने देखा कि "मुसलमानों में धर्मसंज्ञीय धारणा है, यद्यपि यह कहना कठिन है कि उनके बीच श्रेणी का मापदण्ड कितना हिन्दू आदर्श के अनुरूप है। यह स्पष्ट है कि जातियाँ उनके मध्य (मुसलमानों) सामाजिक सम्बन्धों के आधार के रूप में मौजूद रहती हैं परन्तु उसका आकार बहुत कमजोर और संशोधित हो चुका है क्योंकि यह कुछ अर्थों में हिन्दू आदर्श से भिन्न है।"***

*भारत में गैर-हिन्दुओं में जाति डा० हरजिन्दर सिंह द्वारा सम्पादित, नेशनल, 1977।

**मनोहर प्रकाशन, 1978 में डा० इम्तिआज अहमद द्वारा सम्पादित "भारत में मुसलमानों के मध्य जाति तथा सामाजिक स्तर"।

12.14 इसी तरह से भारतीय ईसाईयों के मध्य स्थिति है। "केरल में विश्वास एवं धर्मविधियों के आधार पर ईसाई अपनी जाति भूमिका के आधार पर विभिन्न जातीय दलों में विभाजित हैं। यद्यपि परिवर्तन के बाद भी, निम्न जातियाँ, चाहे परिवर्तन से उनके हरिजन एवं अस्पृश्य होने का अन्त हो जाए। सिरियन ईसाईयों सहित समाज के सभी वर्गों द्वारा हरिजनों के रूप में ही मानी जाती रही है। सिरिया के धनी ईसाइयों की उपस्थिति में हरिजन ईसाईयों को जबकि वह अपने सिरियावासी ईसाई मालिकों से बात कर रहे होते थे तो उन्हें अपने सर से कपड़ा हटाना पड़ता था। उन्हें हाथ से अपना मूँह बन्द रखना पड़ता था। यह भी पाया गया था कि एक ही चर्च के सिरियावासी तथा पूजावासी सदस्य पृथक-पृथक धार्मिक विधियाँ अलग-अलग भवनों में करते हैं। इस प्रकार से निम्न जातियाँ बहुत ही समतावादी धर्म ईसाई में परिवर्तित हो गए जो कि हमेशा अपनी सदस्यता बढ़ाने के इच्छुक रहते हैं, वे भी जाति के पृष्ठभूमि प्रभाव को मिटाने में असमर्थ रहे।" (ए)

12.15 सिखों के बारे में, हिन्दू जाति का रूप लगभग समान ही है और इस पर विस्तार से करने की आवश्यकता नहीं है।

12.16 परन्तु गैर-हिन्दू समुदायों के मध्य विभिन्न श्रेणियों में जाति प्रथा की व्यापकता के बावजूद, मामले की सत्यता यह है कि वे सभी धर्म अपने दृष्टिकोण में पूर्णतः समतावादी हैं, वे अपने सभी सह-धर्मियों के प्रति पूर्ण समानता जतलाते हैं और जाति पर आधारित किसी प्रकार का सामाजिक भेदभाव उनके लिए अभिशाप है। इसको ध्यान में रखकर जाति को गैर-हिन्दू समुदायों के मध्य सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को पहचानने के लिए आधार नहीं बनाया जा सकता है। अतः हमें गैर-हिन्दू अन्य पिछड़े वर्गों को पहचानने के लिए कुछ अन्य कच्चे तथा तैयार मापदण्ड तैयार करने पड़ेंगे।

12.17 इसके आधार पर, निर्धनता का मापदण्ड बहुत अधिक विश्वसनीय दिखायी पड़ता है, परन्तु यह वृद्धियों से भरपूर है। उदाहरणार्थ, बहुत ऊँचे सम्माननीय तथा सुशिक्षित सैयद तथा सिरियायी ईसाई भी निर्धन हो सकते हैं। इस प्रकार वह "सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ेपन" की संवैधानिक व्यवस्था से सन्तुष्ट नहीं होगा। दूसरे, आर्थिक मापदण्ड लागू करना बहुत कठिन है। एक व्यक्ति जो आज निर्धन है कल धनाढ्य तथा इसके विपरीत हो सकता है। और आर्थिक स्थिति की जांच करना भी बहुत पेचीदा है।

12.18 इन कठिनाइयों पर भली प्रकार से विचार करने के बाद, आयोग ने गैर-हिन्दू अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए निम्नलिखित कच्चे तथा सुलभ मापदण्ड तैयार किए हैं:—

- (1) किसी गैर-हिन्दू धर्म में परिवर्तित सभी अछूत, तथा
- (2) ऐसे व्यवसायी समुदाय जो अपने परम्परागत और वंशागत व्यवसायों के नाम से जाने जाते हैं और जिनके हिन्दू प्रतिरूप हिन्दुओं के अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल कर लिए गए हैं (उदाहरणार्थ धोबी, तेली, धीमर, नाई, गुजर, कुम्हार, लोहार, दर्जी, बढ़ई आदि आदि), और

अन्य पिछड़े वर्गों की अनुमानित जनसंख्या

12.19 जनसंख्या की क्रमबद्ध जातिवार गणना 1881 में भारत के महाजनगणना द्वारा शुरू की गयी थी और 1931 में इसे छोड़ दिया

(ए) डा० हरजिन्दर सिंह द्वारा सम्पादित "कास्ट एमंग नॉन-हिन्दू इन इण्डिया", के० सी० एलैकजैडर।

गया था। इसलिए 1931 के आगे जातिवार जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। परन्तु यह मानकर, कि पिछड़ी आर्या धर्माब्दी के आदि से विभिन्न जातियों, समुदायों तथा धार्मिक वर्गों की जनसंख्या की वृद्धि की दर लगभग समान रही होगी। इसलिए इनका प्रतिशत निकालना सम्भव है क्योंकि ये सभी ग्रुप देश की कुल जनसंख्या का निर्माण करते हैं।

12.20 उपर्युक्त आधार पर कार्य करते हुए, आयोग ने 1931 की जनगणना रिकार्डों से जाति/समुदायवार जनसंख्या के आंकड़े चुने थे और तब उनका जाति तथा धार्मिक समूहों के रूप में ग्रुप बनाया था। बाद के ये समूह पांच मुख्य श्रेणियों के अन्तर्गत शामिल किए गए थे, अर्थात् (i) अनुसूचित जातियाँ तथा अनुसूचित जनजातियाँ, (ii) गैर-हिन्दू समुदाय, धार्मिक वर्ग, आदि, (iii) उन्नत हिन्दू जातियाँ तथा समुदाय, और, (iv) पिछड़ी हिन्दू जातियाँ तथा समुदाय और (v) पिछड़ा गैर-हिन्दू समुदाय। इस अभ्यास के परिणाम नीचे की सारणी में दिए गए हैं और उस पर दृष्टिपात करने पर आयोग द्वारा अपनाए गए व्यापक वर्गीकरण का पता चलेगा।

12.21 जबकि हिन्दुओं के अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या हिन्दुओं की कुल जनसंख्या में से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा उन्नत हिन्दू जातियों तथा समुदायों की जनसंख्या को घटाकर निकाली जा सकती है और यह 52% बैठती है, किन्तु यही दृष्टिकोण गैर-हिन्दुओं के अन्य पिछड़े वर्गों के बारे में नहीं अपनाया जा सकता है। यह मानकर कि आमतौर पर गैर-हिन्दुओं के मध्य अन्य पिछड़े वर्गों का अनुपात उसी क्रम में था, जैसा कि हिन्दुओं के बीच था, अर्थात् 52 प्रतिशत (83.84 में से 43.70) गैर-हिन्दू अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या को भी उनके 16.16 प्रतिशत अथवा 8.40 प्रतिशत जनसंख्या के वास्तविक अनुपात की तुलना में 52 प्रतिशत मान लिया गया था। इस प्रकार हिन्दू और गैर-हिन्दू अन्य पिछड़े वर्गों की कुल जनसंख्या लगभग 52 प्रतिशत (43.70%—8.40%) तक शामिल की गई थी।

12.22 उक्त बातों से यह विदित होगा कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिशत भारतीय जनसंख्या का लगभग 52 प्रतिशत होता है।

जाति तथा धार्मिक ग्रुपों के आधार पर भारतीय जनसंख्या का प्रतिशत वितरण

क्रम संख्या	ग्रुप का नाम	कुल जनसंख्या का प्रतिशत
1	2	3
(1) अनुसूचित जातियाँ तथा अनुसूचित जनजातियाँ		
क-1	अनुसूचित जातियाँ	15.05
क-2	अनुसूचित जनजातियाँ	7.51
"क" का योग		22.56

1	2	3
(2) गैर-हिन्दू समुदाय, धार्मिक ग्रुप आदि		
ख-1	मुसलमान (अनुसूचित जनजातियों के अलावा)	11.19 (0.02)*
ख-2	ईसाई (अनुसूचित जातियों के अलावा)	2.16 (0.44)*
ख-3	सिख (अनु० जातियों तथा अनु० जनजातियों के अलावा)	1.67 (0.22)*
ख-4	बौद्ध (अनुसूचित जनजातियों के अलावा)	0.67 (0.03)*
ख-5	जैन	0.47
"ख" का योग		16.16
(3) उन्नत हिन्दू जातियाँ तथा समुदाय		
ग-1	ब्राह्मण (भूमिहारों को मिलाकर)	5.52
ग-2	राजपूत	3.90
ग-3	मराठे	2.21
ग-4	जाट	1.00
ग-5	वैश्य बनिया, धारि	1.88
ग-6	कायस्थ	1.07
ग-7	अन्य उन्नत हिन्दू जातियाँ/ग्रुप	2.00
"ग" का योग		17.58
"क", "ख" और "ग" का योग		56.30
(4) पिछड़ी हिन्दू जातियाँ तथा समुदाय		
घ	ये ग्रुप हिन्दू जातियाँ/ग्रुप जो "अन्य पिछड़े वर्गों" की श्रेणी में आते हैं	43.70**
(5) पिछड़े गैर-हिन्दू समुदाय		
ङ	वर्ग "ख" के अन्तर्गत धार्मिक ग्रुपों का 52% अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में माना जा सकता है	8.40
च	गैर-हिन्दू समुदायों सहित अन्य पिछड़े वर्गों की प्राप्त की गयी लगभग जनसंख्या	52% ("ग" और "ङ" के पूर्णों का कुल जोड़ लगभग)

*यह एक प्राप्त की गयी संख्या है।

**कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े इन गैर-हिन्दू समुदायों में से अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या को बताते हैं।

13.1 ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य पिछड़ा वर्गों का उत्थान, अत्यधिक गरीबी उन्मूलन जैसी व्यापक राष्ट्रीय समस्या का एक अंग है। यह केवल आंशिक रूप से सही है। अन्य पिछड़ा वर्गों को वंचित रखना एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय समस्या है, यहाँ मूल प्रश्न सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ेपन का है और गरीबी तो केवल इनको पंगु बना देने वाले जाति पर आधारित इन प्रतिबन्धों का प्रत्यक्ष परिणाम है। चूंकि ये प्रतिबन्ध हमारे सामाजिक ढांचे में जुड़ चुके हैं, इसलिए उन्हें समाप्त करने के लिए ढांचे में व्यापक परिवर्तन करने होंगे। देश के शासक वर्गों द्वारा अन्य पिछड़ा वर्गों की समस्याओं के बोध के सम्बन्ध में किए गए परिवर्तन भी कम महत्वपूर्ण नहीं होंगे।

भारक्षण

13.2 विशिष्ट शासक वर्ग के दृष्टिकोण में एक ऐसे ही परिवर्तन का सम्बन्ध अन्य पिछड़ा वर्गों के उम्मीदवारों के लिए सरकारी सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में भारक्षण की व्यवस्था का किया जाना है। सामान्यतया यह तर्क दिया जाता है कि अन्य पिछड़ा वर्गों की बहुत बड़ी जनसंख्या (52%) को देखते हुए, भारक्षित रिकित्तियों पर प्रत्येक वर्ष कुछ हजार अन्य पिछड़े वर्ग की भर्तियों से उनकी आम स्थिति पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके विपरीत, भारक्षित रिकित्तियों में बड़े अनुपात में कर्मचारियों को रख लेने से सरकारी सेवाओं के स्तर और कार्य-कुशलता को काफी नुकसान पहुंचेगा। यह भी कहा जाता है कि ऐसे भारक्षणों का लाभ अन्य पिछड़ा वर्गों के उन व्यक्तियों द्वारा उठाया जायेगा जो कि पहले ही सम्पन्न हैं और वास्तविक रूप से पिछड़े हुए व्यक्ति निस्सहाय ही रह जायेंगे। इस विचार के विरुद्ध एक दूसरा तर्क यह दिया गया है कि बड़े पैमाने पर भारक्षण नीति से उन योग्य उम्मीदवारों के मन गहरी ईर्ष्या से भर जायेंगे जिनका सेवाओं में प्रवेश इसके फलस्वरूप रोक दिया जायेगा।

13.3 उक्त सभी तर्क पूर्ण रूप से युक्तियुक्त विवेचन पर आधारित हैं। किन्तु ये तर्क भी उन विशिष्ट प्रशासकों द्वारा दिए गए हैं, जो अपनी सुविधाओं को बरकरार रखना चाहते हैं। इसलिए, ऐसे सभी तर्क किसी एकपक्षीय दृष्टिकोण पर आधारित हैं। इसी प्रकार कुछ तात्कालिक महत्व वाले क्षेत्रों पर विचार करते समय, इसी प्रकार के संकेतों द्वारा राष्ट्रीय महत्व वाली अधिक बड़ी समस्याओं की उपेक्षा की जाती है।

13.4 हमारा यह दावा कभी नहीं रहा है कि अन्य पिछड़ा वर्गों के उम्मीदवारों को कुछ हजार नौकरियां दे देने भर से हम भारतीय जनसंख्या के 52% को उन्नत करने में समर्थ हो जायेंगे। लेकिन हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि सामाजिक पिछड़ेपन के विरुद्ध लड़ाई पिछड़े लोगों के मन में लड़ी जानी है। भारत में, सरकारी सेवा को हमेशा प्रतिष्ठा और शक्ति के प्रतीक के रूप में माना गया है। सरकारी सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्गों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाकर हम उन्हें इस देश के शासन में शामिल होने का अनुभव कराते हैं। जब कोई पिछड़ा वर्ग का उम्मीदवार एक क्लैक्टर या पुलिस अधीक्षक बन जाता है, तो उस पद से प्राप्त होने वाले फायदे केवल उसके परिवार के सदस्यों तक ही सीमित रहते हैं। लेकिन इस बात का मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत ज्यादा होता है कि उक्त पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार का सम्ूचा समुदाय

अपने आपको सामाजिक रूप से उन्नत महसूस करने लगता है। सामान्यतः जब कोई स्याई लाभ समुदाय को नहीं मिलते हैं, तब यह भावना कि "शक्ति के गलियारे" में अब उनका "अपना आदमी" है, एक साहस-वर्धक के रूप में कार्य करती है।

13.5 किसी लोकतांत्रिक ढांचे में प्रत्येक व्यक्ति और समुदाय को, इस देश के शासन में भाग लेने के लिए, नैद्य अधिकार और आकांक्षाएं प्राप्त हैं। कोई भी स्थिति, जिसके परिणामस्वरूप देश की जनसंख्या के लगभग 52% उक्त अधिकार से वंचित हो जाते हैं, तो उसमें कौशल सुधार करने की जरूरत है।

13.6 भारक्षित पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के उम्मीदवारों को बड़े पैमाने पर ले लेने से सरकारी सेवाओं के स्तर के गिरने की आशंका भी केवल एक सीमा तक न्यायोचित लगती है। किन्तु, क्या यह मानना सम्भव है कि योग्यता के आधार पर चुने गए सभी उम्मीदवार ईमानदार, कुशल, परिश्रमी और निष्ठावान साबित होते हैं? इस समय सभी सरकारी सेवाओं के शीर्ष पदों पर मुख्यतया खुली प्रतियोगिता द्वारा लिए गए उम्मीदवार हैं और यदि यह निष्पादन हमारी नौकरशाही का कोई सूचक है, तो इसने वास्तव में अपने आपको सही अर्थों में गौरवान्वित नहीं किया है। तथापि, इसका मतलब यह नहीं है कि भारक्षित पदों पर चुने गए उम्मीदवार अच्छा कर पाएंगे। लेकिन इस बात की सम्भावना है कि अपनी सामाजिक तथा सांस्कृतिक बाधाओं के कारण वे सामान्यतया निरपेक्ष और सक्षम हो सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत, उनके पास समाज के पिछड़ा वर्गों की कठिनाइयों और समस्याओं की प्रत्यक्ष जानकारी होने का बहुत लाभ होगा। सर्वोच्च स्तर पर क्षेत्र कार्यकर्ताओं और नीति-निर्माताओं के लिए यह कम महत्व की बात नहीं है।

13.7 निस्सन्देह यह सच है कि अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए भारक्षण तथा अन्य कल्याणकारी उपायों के अधिकांश लाभों को पिछड़ा समुदायों के अधिक उन्नत वर्गों द्वारा समेट लिया जायेगा। किन्तु क्या यह एक सार्वभौम तथ्य नहीं है? धर्मतंत्रीय व्यवस्था के साथ-साथ सभी सुधार-वादी उपायों का प्रभाव धीमा होता है और सामाजिक सुधारों की कोई मात्रा नहीं होती। चूंकि मानव प्रवृत्ति उत्तुक्ता प्रधान होती है, इसलिए वर्गहीन समाज में भी उन्तः एक "नया वर्ग" बन जाता है। भारक्षण की मुख्य विशेषता यह नहीं है कि अन्य पिछड़े वर्गों में इसके द्वारा समता-वाद भा जायेगा, जबकि शेष भारतीय समाज सभी प्रकार की असमानताओं से घिरा हुआ है। किन्तु, भारक्षण के द्वारा, सेवाओं पर से उच्च जातियों की जकड़ निश्चित रूप से समाप्त हो जायेगी और आमतौर पर अन्य पिछड़ा वर्गों में अपने देश के कार्य संचालन में भाग लेने की भावना जागृत होगी।

13.8 वास्तव में यह सच है कि अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए भारक्षण किए जाने से अर्थों के मन में काफी ईर्ष्या पैदा होगी। लेकिन क्या केवल इस ईर्ष्या को सामाजिक सुधार के विरुद्ध नैतिक निवेधाधिकार के रूप में प्रयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए। अर्थियों को, भारत छोड़ने पर, काफी ईर्ष्या हुई थी। सभी गोरों के मन ईर्ष्या पैदा होती है जब काले लोग दक्षिणी अफ्रीका में रंग भेद के विरुद्ध विरोध प्रकट करते हैं।

जबकि उच्च जातियाँ, जो कि देश की जनसंख्या के 20% से भी कम हैं, बीच-बीचों के साथ सभी प्रकार के सामाजिक अन्याय करती रही हैं, इससे निम्न जातियों के मन में भी बहुत ईर्ष्या हुई होगी। किन्तु, अब जबकि निम्न जातियाँ शक्ति और प्रतिष्ठा के राष्ट्रीय अंश में से थोड़े से हिस्से की मांग कर रही हैं तो यह तर्क दिया जा रहा है कि इससे विशिष्ट शासकों के मन में ईर्ष्या होगी। पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण के विरुद्ध दिए गए सभी निरर्थक तर्कों में कोई भी ऐसा तर्क नहीं है जो "ईर्ष्या" की स्थिति होने को साबित करता है।

13.9 वास्तव में, हिन्दू समाज ने हमेशा से आरक्षण की एक बहुत ही कठोर योजना चलायी है जिसे जातिप्रथा के जरिए आन्तरिक रूप दिया गया था। आरक्षण के जाति नियमों का उल्लंघन करने के लिए एकलव्य ने अपना अंगूठा खोया और शम्भूक ने अपनी गर्दन। अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण के विरुद्ध मौजूदा आक्रोश स्वयं सिद्धान्त के विरुद्ध नहीं हैं, परन्तु लाभ पाने वालों के नए वर्ग के विरुद्ध हैं, क्योंकि अब वे उन अवसरों की मांग कर रहे हैं जिन पर उच्च जातियों ने अपना एकाधिकार जमाया हुआ है।

आरक्षण की मात्रा और योजना

13.10 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियाँ देश की जनसंख्या का 22.5% हैं। तदनुसार, केन्द्रीय सरकार के अधीन सभी सेवाओं में और सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों में उनके लिए 22.5 प्रतिशत का यथानुपात आरक्षण किया गया है। राज्यों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण प्रत्येक राज्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया गया है।

13.11 जैसाकि पिछले अध्याय (पैरा 12.23) में बताया गया था कि हिन्दू और गैर-हिन्दू दोनों को मिलाकर अन्य पिछड़ा वर्गों की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का लगभग 52% है। तदनुसार, केन्द्रीय सरकार के अधीन 52 प्रतिशत पद उनके लिए आरक्षित होने चाहिए। लेकिन यह प्रावधान उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए अनेक निर्णयों में निर्धारित कानून के विरुद्ध जाता है, जिसमें यह माना गया है कि संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के अन्तर्गत आरक्षण की मात्रा 50 प्रतिशत से कम होनी चाहिए। इस प्रकार अन्य पिछड़े वर्गों के लिए प्रस्तावित आरक्षण उस संख्या तक सीमित रखना होगा, जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के 22.5 प्रतिशत आरक्षण जोड़ने से यह 50 प्रतिशत से कम रहे। इस कानूनी अड़चन के कारण, आयोग केवल 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश करता है, जबकि उनकी जनसंख्या उक्त संख्या से लगभग दुगुनी है।

13.12 वे राज्य, जिन्होंने अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 27 प्रतिशत से अधिक आरक्षण किया हुआ है, उन पर इस सिफारिश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

13.13 आरक्षण की मात्रा के सम्बन्ध में उपर्युक्त सामान्य सिफारिश के साथ, आयोग अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की निम्नलिखित समग्र योजना का प्रस्ताव रखता है:—

1. खूली प्रतियोगिता में योग्यता के आधार पर भर्ती किए गए अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को उनके 27% के आरक्षण कोटा के साथ समायोजित नहीं किया जाना चाहिए।
2. उपर्युक्त आरक्षण को सभी स्तरों पर पदोन्नति कोटा में भी ग्राह्य बनाया जाना चाहिए।
3. न भरे गए आरक्षण कोटा को तीन साल की अवधि तक के लिए जारी रखा जाना चाहिए और उसके पश्चात् धाराबद्ध किया जाए।

4. सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु-सीमा में छूट उसी प्रकार से अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को भी दी जानी चाहिए, जिस प्रकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मामले में दी जाती है।

5. पदों के प्रत्येक वर्ग के लिए सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा उसी प्रकार से रोस्टर प्रणाली अपनाई जानी चाहिए जिस प्रकार से वर्तमान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के सम्बन्ध में अपनाई जाती है।

13.14 आरक्षण की उपर्युक्त योजना को, पूर्ण रूप में, राष्ट्रीयकृत क्षेत्रों के साथ-साथ, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सभी भर्तियों में, भी लागू किया जाना चाहिए।

13.15 सरकार से किसी न किसी रूप में वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में भी उपर्युक्त के आधार पर कामियों की भर्ती करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए।

13.16 सभी विश्वविद्यालयों तथा सम्बद्ध कालिजों को भी आरक्षण की उपर्युक्त योजना के बारे में लिखा जाना चाहिए।

13.17 इन सिफारिशों को समुचित रूप से प्रभावी बनाने के लिए इस बात की अत्यावश्यकता है कि वर्तमान अधिनियमों, कानूनों, कार्य-विधियों आदि को संशोधित करने के लिए सरकार द्वारा पर्याप्त सांविधिक प्रावधान उस सीमा तक करने चाहिए जब तक कि वे इन सिफारिशों के अनुरूप न बन जाएं।

शैक्षणिक रियायतें

13.18 हमारी शैक्षणिक प्रणाली का स्वरूप एक विशिष्ट प्रकार का है, जिसके परिणामस्वरूप काफी अप्रत्यक्ष होता है और यह किसी अधिक जनसंख्या वाले तथा विकासशील देश की प्राथमिकताओं के मुनासिब कम उपयुक्त है। यह ब्रिटिश शासन की देन है जिसकी स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान काफी निन्दा की गई थी, किन्तु अभी भी इसमें कोई संरचनात्मक परिवर्तन नहीं हुआ है। यद्यपि यह पिछड़ा वर्गों की आवश्यकताओं के लिए कम-से-कम उपयुक्त है, तथापि उन्हें पद्यों के माध्यम से तेज होड़ लगानी पड़ती है, क्योंकि इसके विद्यार्थियों के पास कोई और विकल्प नहीं है। चूंकि, "शिक्षा सुधार" इस आयोग के विचारार्थ विषय के अन्तर्गत नहीं है, इसलिए हमें उक्त मार्ग पर पैर फूँक-फूँक कर चलना पड़ता है और वर्तमान ढाँचे के अन्तर्गत छोटे-छोटे उपायों का ही मुताबिक देने के लिए विवक होना पड़ता है।

13.19 विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अन्य पिछड़ा वर्गों के विद्यार्थियों (अध्याय 9, पैरा 9.30—9.33) को दृष्टान्त फीज से छूट, किताबों और बस्त्रों की मुफ्त पूर्ति, दोगहर का भोजन, विशेष छात्रावास सुविधाएं, बर्जीफा आदि जैसी अनेक शैक्षणिक रियायतें दे रही हैं। ये रियायतें ठीक हैं जब तक वे दी जाती हैं। किन्तु, वे अधिक पर्याप्त नहीं हैं। धरोक्षित यह है कि जायद अनिश्चित भत्त की व्यवस्था कर देना ही पर्याप्त नहीं है धरिन्तु वास्तविक तथा उद्देश्यपूर्ण शिक्षा के लिए उचित वातावरण बनाने तथा प्रोत्साहन देने के लिए एकीकृत योजनाएं बनवाई जाएं।

13.20 यह सच जानने हैं कि सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग के बच्चे अनियमित और उदामीन छात्र होते हैं और उनकी बीच में शिक्षा छोड़ देने की दर बहुत अधिक होती है। इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, ये बच्चे सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अति अनुपयुक्त वातावरण में पलते हैं, जिसके परिणामस्वरूप स्कूल जाने सम्बन्धी प्रेरणा की धारणा पर कमी पड़ती है। दूसरे, अधिकांश वे बच्चे बहुत ही गरीब वर्ग के होते हैं और उनके माता-पिता उन पर बहुत ही छोटी धार में छोटा-मोटा कामकाज करने के लिए जोर डालने लग जाते हैं।

13.21 सांस्कृतिक वातावरण को उन्नत बनाने की प्रक्रिया बड़ी धीमी होती है। इन बच्चों को कृत्रिम रूप से ऊंचे किए गए वातावरण में रखने का काम इस समय देश में उपलब्ध साधनों से सम्भव नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह सिफारिश की जाती है कि इस समस्या को, दो मोर्चों पर सीमित और चुनौती आधार पर हल किया जाए।

13.22 पहला, अन्य पिछड़े वर्गों की अत्यधिक घनी आबादी वाले चुने गए पोकेट्स में प्रौढ़ शिक्षा के गहन तथा समयबद्ध कार्यक्रम प्रारम्भ किए जाने चाहिए। यह मूलतः एक प्रेरणादायक दृष्टिकोण है, क्योंकि पर्याप्त रूप से प्रेरित माता-पिता ही अपने बच्चों को पढ़ाने में वास्तविक रुचि दिखाएंगे। दूसरे, इन क्षेत्रों में पिछड़ा वर्ग छात्रों के लिए वास्तविक पढ़ाई के लिए विशेष प्रेरणादायक वातावरण उपलब्ध करने की दृष्टि से प्रांतीय स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए। गरीब और पिछड़ा घरों के छात्रों को आकर्षित करने के लिए इन स्कूलों में सभी सुविधाएं, जिनमें खान-पान, रहन-सहन शामिल हैं, मुफ्त उपलब्ध करनी होंगी। अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त सुविधाओं वाले पृथक सरकारी छात्रावास स्थापित करना उचित दिशा में एक सही कदम होगा।

13.23 इन दोनों मोर्चों पर शुरूआत सीमित पैमाने तथा चुनौती आधार पर करनी होगी। किन्तु, इन गतिविधियों के क्षेत्र को, साधनों के अनुरूप तीव्रता से बढ़ाया जाना चाहिए। चुनौती आधार पर शुरू किए गए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम और प्रांतीय स्कूलों से समूचे समुदाय की चेतना को बढ़ावा मिलेगा और उसका बहुमुखी प्रभाव भी काफी होगा। जहाँ कई राज्यों द्वारा पिछड़ा वर्ग के छात्रों को अनेक तदर्थ रियायतें दी जा रही हैं, वहीं अन्य पिछड़ा वर्गों के छात्रों को उपलब्ध शैक्षणिक वातावरण के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए एक विशाल योजना के रूप में इन सुविधाओं को एकीकृत करने के लिए कुठेक गम्भीर प्रयास भी किए गए हैं।

13.24 आखिरकार, शिक्षा परिवर्तन का सबसे प्रच्छा उत्प्रेरक है और पिछड़ा वर्गों को शिक्षित करना ही, उनमें आत्मसम्मान जगाने और उनके सामाजिक स्तर को बढ़ाने का एक निश्चित तरीका है। चूंकि अन्य पिछड़ा वर्ग हमारी शिक्षा प्रणाली की ऊंचा फिजूल-खर्चों को सहन नहीं कर सकता है, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि उनकी शिक्षा पर्याप्त रूप से व्यावसायिक प्रशिक्षणोन्मुखी हो। अन्ततः सेवाओं में आरक्षण के द्वारा शिक्षित पिछड़ा वर्गों का बहुत थोड़ा-सा प्रतिशत ही उसमें समाविष्ट हो पायेगा और शेष की व्यावसायिक दस्तकारियों में निपुण किया जाना चाहिए ताकि वे शिक्षा में कई वर्ष लगाने के पश्चात् लाभ प्राप्त कर सकें।

13.25 यह भी स्पष्ट है कि यदि उपर्युक्त सभी सुविधाएं अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को दी जाएं, तो भी वे तकनीकी तथा व्यावसायिक संस्थानों में दाखिले के लिए अन्यो के साथ समान रूप से प्रतियोगिता में नहीं भा सकेंगे। इसको दृष्टि में रखते हुए यह सिफारिश की जाती है कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे सभी वैज्ञानिक, तकनीकी तथा व्यावसायिक संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए स्थान आरक्षित होने चाहिए। यह आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 15(4) के अन्तर्गत प्राणा और आरक्षण का कोटा सरकारी सेवाओं के समान अर्थात्, 27 प्रतिशत होना चाहिए। उन राज्यों पर, जिन्होंने अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए पहले से ही 27 प्रतिशत से अधिक सीटों के लिए आरक्षण किया हुआ है, इस सिफारिश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

13.26 तथापि, आरक्षण के प्रायधान को कार्यान्वित करते समय यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वे उम्मीदवार जिन्हें आरक्षित कोटा में

प्रवेश दिया जाता है, वे उच्च अध्ययन का पूरा लाभ उठा सकें। आमतौर पर यह देखा गया है कि वे अन्य पिछड़े वर्गों के छात्र-निर्धन व गैर-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले परिवारों से आते हैं, इसलिए वे अन्य छात्रों की बराबरी नहीं कर पाते हैं। अतः यह बहुत जरूरी है कि ऐसे सभी छात्रों के लिए हमारे तकनीकी तथा व्यावसायिक संस्थानों में विशेष कोचिंग सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। सम्बन्धित प्राधिकारियों को स्पष्ट रूप से यह जानना चाहिए कि उनका काम केवल उम्मीदवारों को आरक्षित कोटा में विभिन्न स्थानों में दाखिला वे देने से समाप्त नहीं हो जाता है बल्कि उनका काम तो वास्तव में इसके बाद शुरू होता है। जब तक इन छात्रों को विशेष कोचिंग सहायता देने के लिए पर्याप्त अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक ये युवक न केवल निराशा और कुठित रहेंगे बल्कि देश साधनहीन और घटिया इंजीनियरों, डाक्टरों तथा अन्य व्यवसायियों से भी भर जाएगा।

वित्तीय सहायता

13.27 उद्योगीकरण के फलस्वरूप पुर्वीनी व्यवसाय अपनाते वाले व्यावसायिक समुदायों को काफी हानि पहुंची है। मशीनी उत्पादन तथा कृत्रिम सामग्री की शुरूआत ने ग्रामीण कुम्हार, तेल निकालने वाले, लौहार, बढ़ई आदि को उनके जीवनयापन के पुर्वीनी साधनों से वंचित कर दिया और गांवों में इन वर्गों की निर्धनता के बारे में सब भली भांति जानते हैं।

13.28 इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक हो गया कि गांव के उन व्यावसायिक समुदायों के लोगों को समुचित वित्त तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध करायी जाए, जो अपने स्वयं के लघु उद्योग लगाना चाहते हैं। इसी प्रकार की सहायता अन्य पिछड़े वर्गों के उन होनहार उम्मीदवारों को भी दी जानी चाहिए जिन्होंने विशेष व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

13.29 वास्तव में, बहुत सी राज्य सरकारों ने लघु तथा मझोले उद्योगों के विकास के लिए विभिन्न वित्तीय तथा तकनीकी एजेंसियां बनायी हैं। परन्तु यह भली-भांति विदित है कि समुदाय के केवल अधिक प्रभावशाली व्यक्ति ही इन एजेंसियों से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसको दृष्टि में रखकर, यह बहुत आवश्यक है कि पिछड़े वर्गों के लिए वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु पृथक वित्तीय संस्थाएं स्थापित की जाएं। कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश जैसी कुछ राज्य सरकारों ने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अलग से पहले ही वित्तीय नियम आदि स्थापित किए हुए हैं।

13.30 व्यावसायिक गुणों की सहकारी समितियां भी बहुत सहायक होंगी। इसकी पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए कि इन समितियों के सभी पदाधिकारीयग और सदस्य पृथक व्यावसायिक गुणों से सम्बन्धित होने चाहिए और बाहरी लोगों को इन समितियों में घुसकर उनका शोषण नहीं करने देना चाहिए।

13.31 देश के औद्योगिक तथा व्यापारिक जीवन में अन्य पिछड़े वर्गों का हिस्सा नगण्य है और यह अंशतः उनके न्यूनतम आय स्तर का चोतक है। पिछड़े वर्गों के सकल विकास के लिए यह आवश्यक है कि सभी राज्य सरकारों को अन्य पिछड़े वर्गों में व्यापारिक तथा औद्योगिक उद्यमों को विकसित करने के लिए पृथक वित्तीय तथा तकनीकी संस्थाओं का एक जाल बिछाने हेतु सनाह और बढ़ावा दिया जाए।

संरचना सम्बन्धी परिवर्तन

13.32 सरकारी रोजगार तथा शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण और सभी सम्भव वित्तीय सहायता भी उस समय तक बहुत ही थोड़ी समझी

आएगी जब तक कि पिछड़ेपन की समस्या को उसकी जड़ से न सुलझाया जाए। छोटे भूमिधारी, काएतकार, किसान मजदूर, असहाय श्रमिक कारीगर, श्रमिक मजदूर आदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित हैं। "सामाजिक परम्पराओं के अलावा, उच्च किसान वर्ग गरीब किसानों को अपना उधार देकर, पट्टे पर भूमि के छोटे-छोटे टुकड़े देकर, घरों के लिए तथा रहने के लिए भूमि देकर और अनौपचारिक बेगार करा कर उन पर शासन करता है। चूंकि सरकारी पदाधिकारी अधिकांश उच्च किसान वर्ग से होते हैं, इसलिए पदाधिकारियों तथा उच्च किसान वर्गों के बीच वर्ग तथा जाति सम्बन्ध भूट रहे हैं। यह सामाजिक तथा राजनीति सन्तुलन उच्च किसान वर्ग के पक्ष में कर देता है और दूसरों पर उनका प्रभुत्व रखने में उनकी सहायता करता है।"*

13.33 उपर्युक्त परिस्थिति का निश्चित परिणाम यह होता है कि उनकी अधिक संख्या होने के बावजूद भी, पिछड़ा वर्ग उच्च जातियों तथा सम्पन्न कृषक वर्ग का मानसिक तथा शारीरिक रूप से बन्धक बना रहता है। देश को लगभग तीन चौथाई जनसंख्या होने के बावजूद, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्ग एक बहुत ही थोड़ी सी राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर पाए हैं, जबकि ब्यस्क मताधिकार पिछले तीन दशकों से अधिक समय से पूर्व शुरू किया गया था। उत्पादन के साधनों पर अपने एकाधिकार से उच्च जातियां पिछड़े वर्ग को अपनी इच्छाओं के विरुद्ध कार्य करने के लिए किसी न किसी तरह बाध्य कर देती हैं। इस को दृष्टि में रखते हुए, जब तक कि वर्तमान उत्पादन सम्बन्धों की रूपावतों को नवीन भूमि सुधारों द्वारा दूर नहीं किया जाता है, तब तक शोषित वर्ग अनिश्चित काल तक प्रभुता सम्पन्न उच्च जातियों पर निर्भर रहेंगे। वास्तव में जमींदारी उन्मूलन के लिए संवैधानिक पुस्तकों में, भूमिधारण की अधिकतम सीमा निश्चित करने, तथा भूमिहीनों को जमीन देने आदि के बारे में पहले से ही व्यापक कानून हैं। लेकिन वास्तविक रूप से इसका कार्यान्वयन रुका हुआ, निरुत्साही तथा बनावटी है। कर्नाटक, केरल तथा पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने बहुत ईमानदारी से उनके लिए कार्य किया है, वे न केवल पिछड़े वर्गों की वास्तविक मदद कर पाए हैं, बल्कि उन्होंने इससे पर्याप्त राजनीतिक लाभ भी प्राप्त किया है।

13.34 आयोग का यह दृढ़ विश्वास है कि वर्तमान उत्पादन सम्बन्धों में नवीन परिवर्तन करना एक महत्वपूर्ण कदम होगा जो पिछड़े वर्गों के कल्याण तथा उत्थान के लिए किया जा सकता है। यदि विभिन्न कारणों से औद्योगिक क्षेत्र में ऐसा सम्भव नहीं है तो इस तरह का परिवर्तन कृषि क्षेत्र में सम्भव भी है तथा लाजिमी भी है।

13.35 अतः आयोग यह जोरदार सिफारिश करता है कि सभी राज्य सरकारों को प्रगतिशील भूमि कानून बनाने चाहिए और उन्हें कार्यान्वित करना चाहिए ताकि गांवों में मौजूदा उपज सम्बन्धों में आधार-भूत परिवर्तन हो सकें।

13.36 फिलहाल फालतू भूमि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को आवंटित की जा रही है। अधिकतम भूमि सीमा कानून आदि के कार्यान्वित करने के परिणामस्वरूप भविष्य में उपलब्ध होने

*प्रधान एम० प्रसाद द्वारा राईजिंग मिडिल पीजेन्टरी इन नार्थ गिड्या, इकोनोमिक एण्ड पालीटीकल बीकली, अनुग्रह नम्बर, 1980.

वाली फालतू भूमि का एक भाग अन्य पिछड़ा वर्ग के भूमिहीन मजदूरों को आवंटित किया जाना चाहिए।

विषय

13.37 1. देश के कुछ भागों में मछुआरों, बनजारों, बांसफोड़, खटवे आदि जैसे व्यावसायिक समुदाय अभी भी छुआछूत के कलंक से पीड़ित हैं। उन्हें आयोग द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, किन्तु उनको अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के बारे में सरकार द्वारा विचार किया जा सकता है।

2. उनके उत्थान के लिए विभिन्न सामाजिक-शैक्षणिक और आर्थिक उपाय केन्द्र और राज्य दोनों स्तरों पर किए जाने के लिए पिछड़ा वर्ग विकास निगम स्थापित किए जाने चाहिए।

3. उनके हितों की रक्षा के लिए केन्द्र तथा राज्यों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए एक पृथक मंत्रालय विभाग स्थापित किया जाना चाहिए।

4. अन्य पिछड़े वर्गों के कुछ बहुत पिछड़े हुए वर्गों को जैसे हिमाचल प्रदेश में गद्दी, महाराष्ट्र में नव-बौद्ध, तटीय क्षेत्रों में मछुआरे, जम्मू-काश्मीर में गूजर आदि को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए यह सिफारिश की जाती है कि परिसीमन के समय उनके गहन क्षेत्रों को पृथक क्षेत्र के रूप में निर्मित किया जाए।

केन्द्रीय सहायता

13.38 इस समय, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कोई कल्याणकारी उपायों को कार्यान्वित करने के लिए किसी राज्य सरकार के पास कोई केन्द्रीय सहायता उपलब्ध नहीं है। 18 राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों ने जिन्होंने उक्त उपाय अपनाए हैं उन्होंने अपने साधनों से धन जुटाया है। आयोग के दौरों के समय लगभग सभी राज्य सरकारों ने कहा कि जब तक केन्द्र अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए विशेष योजनाओं के लिए उदारता के धन देने में तैयार नहीं होगा तब तक अन्य पिछड़े वर्गों के फायदे की कोई लाभकारी योजना पर कार्य करना राज्यों के उपलब्ध साधनों से सम्भव नहीं होगा।

13.39 आयोग इस मामले में राज्य सरकारों के विचारों से पूर्णतया सहमत है और जोरदार सिफारिश करता है कि अन्य पिछड़े वर्गों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए सभी विकासशील कार्यक्रमों को उसी ढंग से और उसी सीमा तक केन्द्रीय सरकार द्वारा धन दिया जाना चाहिए, जैसा कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए दिया जाता है।

13.40 आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वयन अवधि के बारे में आयोग की सिफारिश है कि समूची योजना की बीस वर्ष बाद समीक्षा की जानी चाहिए। हमने सोच-विचार कर इस अवधि का सुझाव दिया है, क्योंकि सामाजिक जागरूकता के उत्थान में इतनी अवधि लग जाती है। थोड़े समय बाद की ऐसी समीक्षा वस्तुतः उचित नहीं होगी और हमारी सिफारिशें अन्य पिछड़े वर्ग के वर्तमान स्तर और जीवन पद्धति पर सही प्रभाव नहीं दिखा पाएंगी।

रिपोर्ट का सारांश

अध्याय 1—प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग

पहला पिछड़ा वर्ग आयोग 29 जनवरी, 1953 को स्थापित किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट 31 मार्च, 1955 को प्रस्तुत कर दी थी। इसके द्वारा बनाए गए मानदण्ड के आधार पर आयोग ने 2,399 जातियों की सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए के रूप में पहचान की थी। इसने कई कल्याणकारी उपायों की सिफारिश की थी, जिनमें अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण करना भी शामिल था।

केन्द्रीय सरकार ने आयोग की सिफारिशों को इस कारण से स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि पिछड़ा वर्गों की पहचान करने में इसने कोई विषयपरक परीक्षण और मानदण्ड का प्रयोग नहीं किया था। आयोग के 11 सदस्यों में से पांच ने विमत की टिप्पणियाँ भी दी थीं। सरकार ने यह भी महसूस किया था कि आयोग ने जनसंख्या के एक बहुत बड़े भाग को पिछड़े हुए के रूप में वर्गीकृत किया था। और यदि इन सभी लोगों को विशेष सहायता दी गई तो "वास्तव में अरुणतमन्व व्यक्ति बहुसंख्या के कारण नजरअन्दाज हो जायेंगे।" सरकार ने पिछड़ेपन के लिए मानदण्ड के रूप में जाति को माने जाने का भी विरोध किया और आर्थिक परीक्षणों को लागू किए जाने को पसन्द किया। जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 340 में "सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों" को बताया गया है, उनके वर्गीकरण के लिए आर्थिक परीक्षणों को प्रयोग में लाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता।

अध्याय 2—कुछ राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्गों की स्थिति

लगभग 100 वर्षों से भारत में प्रांतीय सरकारें बलित तथा पिछड़ा वर्गों के कल्याण के लिए विशेष कार्यक्रम कार्यान्वित करती रही हैं। मद्रास सरकार (तमिलनाडु) ने शैक्षिक संस्थाओं में पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता विनियमित करने के लिए 1885 में अनुदान सहायता संहिता बनाने में पहल की थी। मैसूर राज्य ऐसा करने वाला दूसरा राज्य था, और अब सभी दक्षिणी राज्य अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए शैली-भांति व्यापक कार्यक्रम लागू कर रहे हैं। अब तक 16 राज्य और 2 संघ शासित क्षेत्र अन्य पिछड़ा वर्गों को भिन्न-भिन्न मात्रा में विशेष सहायता प्रदान कर रहे हैं। इस राज्य सरकारें ऐसा उनके द्वारा विशेष रूप से इस सम्बन्ध में गठित किए गए पिछड़ा वर्ग आयोगों की सिफारिशों के आधार पर कर रही हैं और अन्य ऐसा तदर्थ रूप में कर रहे हैं।

सरकारी रोजगार और शैक्षिक संस्थाओं में सीटों का आरक्षण, शैक्षिक सुविधाएँ, वित्तीय सहायता आदि, सहायक शैक्षिक सुविधाओं जैसी विशेष रिवायतें अन्य पिछड़ा वर्गों को अनेक राज्य सरकारों द्वारा दी जा रही हैं। इस सम्बन्ध में देश के शेष भाग की तुलना में, दक्षिणी राज्यों ने बहुत अधिक काम किया है। कर्नाटक ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 18% आरक्षण के प्रतिरिक्त, सभी सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 48% का आरक्षण किया है। तमिलनाडु के मामले में, ये आंकड़े क्रमशः 18% और 30% हैं।

अध्याय 3—वर्गीकरण और आंकड़ा आधार

एक गम्भीर त्रुटि जो सरकार ने प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में पाई थी, वह यह थी कि अन्य पिछड़ा वर्गों के वर्गीकरण के लिए इसने कोई विषयपरक मानदण्ड या परीक्षण तैयार नहीं किया था। कई मामलों में उच्चतम न्यायालय ने भी क्षेत्रीय सर्वेक्षण और विषयपरक मानदण्ड तैयार करने की आवश्यकता पर बार-बार जोर दिया है। इस बात को दृष्टि में रखते हुए, आयोग ने मूल आंकड़े एकत्र करने के लिए अनेक स्वतन्त्र साधनों का उपयोग करने की तरफ विशेष ध्यान दिया है। इस सम्बन्ध में किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय थे: 'सामाजिक पिछड़ेपन के सम्बन्ध में समाजशास्त्रियों की गोष्ठियाँ, राज्य सरकारों, केन्द्रीय सरकार और जनता के लिए प्रभावशालियों के तीन सेटों का जारी करना; आयोग द्वारा समूचे देश का व्यापक दौरा, विधायकों, प्रसिद्ध जन नेताओं और समाज शास्त्रियों आदि के साक्ष्य लेना, देशव्यापी सामाजिक-शैक्षिक सर्वेक्षण करना, कुछ महत्वपूर्ण एजेंसियों द्वारा कुछ महत्वपूर्ण मामलों के सम्बन्ध में विशेष रिपोर्टों का तैयार किया जाना, जनसंख्या आंकड़ों आदि का विश्लेषण आदि। इस प्रकार का बहुमुखी कार्यक्रम अपनाकर आयोग दूर-दराज क्षेत्रों तक अपना जाल बिछा पाया था और अपनी रिपोर्ट के लिए बहुत ही ठोस तथा विषयसन्धीय आंकड़ा आधार तैयार किया था।

अध्याय 4—सामाजिक पिछड़ेपन और जाति

जातियाँ हिन्दू सामाजिक ढाँचे की इमारतों की हैं। इन्होंने हिन्दू समाज को सवियों से एक धर्मतन्त्रीय परम्परा में विभाजित कर रखा है। इसके फलस्वरूप एक व्यक्ति की जातीय स्थिति और उसके सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक स्थिति के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो गया है।

समाज के इस प्रकार के स्तरविन्यास ने उच्च जातियों के निहित-स्वार्थों के कारण इस प्रणाली को स्थायी रूप देने में सहायता की। पुरोहिती जातियों ने वैदिक पौराणिक कथाओं और कुछ योजनाओं को बनाया और अपना स्थायी आधिपत्य बनाए रखने तथा स्थायी अधिकार के लिए निम्न जातियों को गुलाम बनाए रखा। हमारे अधिकांश शास्त्र चार वर्गों वाली प्रणाली का समर्थन करते हैं और इस धार्मिक स्वीकृति के कारण जाति-प्रथा, असमानता और पक्षपात पर आधारित अधिकांश अन्य सामाजिक संस्थाओं की तुलना में समाप्त न हो पायी है।

धर्मतन्त्रीय जाति परम्परा में समाज के स्थायी स्तर-विन्यास को दृष्टि में रखते हुए, निम्न जातियों के सदस्य हमेशा जीवन के सभी पहलुओं में भेदभाव सहन करते आए हैं और इसके परिणामस्वरूप वे सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। अतः भारत में किसी व्यक्ति के धर्म विधि अनुसार निम्न जाति स्तर उसके सामाजिक पिछड़ेपन पर सीधे प्रभाव डालता है।

अध्याय 5—जाति का सामाजिक परिवर्तन

जाति-प्रथा अपने लक्ष्यलेपन तथा सदैव परिवर्तनशील सामाजिक वास्तविकता के साथ समायोजन करने की अपनी योग्यता के कारण कई सदियों तक जीवित बनी रही है। जाति-प्रथा का परम्परागत दृष्टिकोण, जैसा कि अध्याय 4 में उल्लिखित है, सामाजिक वास्तविकता के वास्तविक अध्ययन की अपेक्षा हिन्दू शास्त्रों पर अधिक आधारित है। तथापि,

धर्रेजों द्वारा लागू किए गए कानूनों, शहरीकरण, औद्योगीकरण, जन-शिक्षा का प्रसार तथा इन सबसे बढ़कर स्वतन्त्रता के बाद प्रौढ़ मताधिकार के लागू किए जाने के परिणामस्वरूप जातीय प्रतिद्वन्द्व काफ़ी हद तक ठीले पड़ गए हैं। किन्तु उक्त सभी परिवर्तन केवल प्रभाव में आई तब्दीली को बताते हैं और न कि जाति के मूल ढांचे में किसी मूल परिवर्तन को।

सामान्यतया, इस बात पर महमति है कि जहाँ उपर्युक्त परिवर्तनों के कारण कुछ जाति निषेध कमजोर पड़े हैं, वहाँ भारतीय राजनीति में जातिवाद का महत्व बढ़ा है। शायद ऐसा होना अनिवार्य था। जाति-प्रथा से राजनीतिक नेतृत्व की संचार तथा गतिशीलता के मुलभ रास्ते उपलब्ध होते थे इसलिए भारतीय राजनीति में जाति के महत्व का बढ़ना आवश्यक था। जैसाकि रजनी कोठारी ने कहा है कि "भारत में वे लोग जो राजनीति में 'जातिवाद' की शिकायत करते हैं, वे वास्तव में उस प्रकार की राजनीति की तुलना में हैं जिसका समाज में कोई आधार नहीं है।"

इसमें कोई सन्देह नहीं कि सामाजिक गतिशीलता का अन्तराल बढ़ता जा रहा है और जाति-प्रथा के कुछ परम्परागत लक्षण अनिवार्य रूप से कमजोर पड़ गए हैं। किन्तु, जाति ने धर्म विधि मोर्चे में जो कुछ खोया है, उससे कहीं ज्यादा इनके राजनीतिक मोर्चे में पाया है। इसको देखते हुए यह मान लेना अवास्तविक नहीं होगा कि सन्धि में जाति-प्रथा शिथिल पड़ जायेगी।

अध्याय 6—सामाजिक न्याय, योग्यता और विशेषाधिकार

कानून के समझ समानता एक मौलिक अधिकार है जिसकी गारन्टी संविधान के अनुच्छेद 14 में दी गई है किन्तु 'समानता' का सिद्धान्त एक दो धार वाला हथियार है, यह वास्तविक जीवन की धारा में एक ही स्थान पर मजबूत भी और कमजोर भी है। सामाजिक न्याय की उक्ति है कि केवल बराबरी में ही समानता होती है। असमानों को समान समझना असमानता को कायम रखना है। किसी समाज की सहृदयता इस बात से निर्धारित की जाती है वह अपने कमजोर, अल्पंग और कम प्रतिभाशाली सदस्यों को कितनी मात्रा तक संरक्षण दे पाता है।

अक्सर की 'समानता' और व्यवहार की समानता दोनों कमजोर और मजबूत की एक ही स्थान पर खड़ा कर देते हैं और उस सीमा तक इसका मतलब है कि सामाजिक न्याय को नकारना। वास्तव में, यह परिणामों की 'समानता' ही है जो किसी समाज के समानतावादी दावे का कसौटी है। हमारे जैसे अत्यधिक असमानता वाले समाज में समाज के शोषित वर्ग को विशेष संरक्षण और रियायतें देकर ही हद कमजोर को बलवान द्वारा शोषण किए जाने के विरुद्ध लड़ने योग्य बना सकते हैं।

इन्हीं धारणाओं के कारण अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के संरक्षण के लिए हमारे संविधान में अनुच्छेद 15(4), 16(4), 46 आदि में विशेष व्यवस्था की गई थी। कुछ लोग पिछड़ा वर्गों आदि के लिए पदों में आरक्षण जैसी व्यवस्था को अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के रूप में मानते हैं और किसी योग्य व्यक्ति को उसका समुचित वेत से उसे बंभित करना मानते हैं। वास्तव में 'योग्यता' स्वयं मोटे तौर पर अनुकूल पर्यावरण सम्बन्धी रियायतों का नतीजा है और किसी परीक्षा में उच्च दर्जा निश्चित रूप से किसी परीक्षार्थी की ऊँची प्रतिभा की प्रतिबिम्बित नहीं करता है। सामीय पृष्ठभूमि वाले सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए माता-पिता के बच्चे सम्पन्न परिवारों के बच्चों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसको दृष्टि में रखते हुए 'योग्यता' और 'समानता' पर उचित परिश्रम में विचार किया जाना चाहिए और सुविधा की बात को समुचित

रूप से माना जाना चाहिए और जब "असमानों" को समान ढीड़ में भेजा जाए तो उन्हें रियायत ही जनी चाहिए।

अध्याय 7—सामाजिक न्याय, संविधान और कानून

मूल अधिकारों और सरकारी नीति के निदेशक सिद्धान्तों के बीच विवाद तब अनेक संसदीय बहुसं और न्यायिक निर्णयों का विषय-बस्तु रहा है। अनुच्छेद 15(4) और 16(4) का अनुपालन करते हुए, कई राज्य सरकारों ने सरकारी सेवाओं और शैक्षिक संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है और ऐसे प्रादेशों के विरुद्ध उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में अनेक अपीलें दायर की गई हैं। धीरे-धीरे इस विषय में एक अच्छी खासी निर्णय विधि बन गयी है जिसका सारांश नीचे दिया गया है।

हिन्दू समुदायों के बीच अन्य पिछड़ा वर्गों को पहचानने में जाति एक महत्वपूर्ण तत्व है। पिछड़ापन सामाजिक तथा शैक्षिक दोनों तरह का होना चाहिए और न कि सामाजिक या शैक्षिक। जाति नागरिकों का एक वर्ग भी है और यदि कोई जाति पूर्ण रूप से सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ी है तो ऐसी जाति के पक्ष में आरक्षण इस आधार पर किया जा सकता है कि अनुच्छेद 15(4) के अन्तर्गत यह सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों का एक वर्ग है। पिछड़ा वर्गों का 'पिछड़ा' और 'सर्वाधिक पिछड़ा' वर्ग में अपने विभाजन अनुच्छेद 15(4) के अन्तरूप नहीं है। अनुच्छेद 15(4) के अधीन पदों का कुल आरक्षण 50% से कम होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्गों की पहचान के लिए क्षेत्रीय सर्वेक्षण पर आधारित विषयपरक मानदण्ड बनाया जाना चाहिए।

अध्याय 8—उत्तर व दक्षिण में अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण कार्य की तुलना

उत्तरी राज्यों की तुलना में अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण की विधा में दक्षिणी राज्यों ने अधिक काम किया है। इसके प्रतिरुक्त, दक्षिण में यह सारी कार्यवाही शान्तिपूर्वक की गई, जबकि उत्तर में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए किए गए साधारण कल्याणकारी उपार्यों का भी तीव्र विरोध किया गया है। आयोग ने चार राज्यों अर्थात्, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार और उत्तर प्रदेश का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए टाटा समाज विज्ञान संस्थान, बम्बई से सम्पर्क किया था, ताकि इस तथ्य पर अच्छा मूल्यांकन प्राप्त किया जा सके।

टाटा संस्थान अध्ययन ने इस सम्बन्ध में कई परिकल्पनाएँ तैयार कीं। वे इस प्रकार हैं: आरक्षण योजना का दक्षिण में काफी अधिक विस्तृत इतिहास है; दक्षिण में उन्नत जातियों स्वयं में अधिक विभाजित थी; उत्तर में अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के साथ बहुत अधिक सहयोग नहीं कर रहे थे और इसीलिए पिछड़ा वर्ग आन्दोलन विभाजित हो गया; दक्षिण में पिछड़े वर्ग ज्यादा राजनीतिकवादी थे; आरक्षण योजना को उत्तर में अचानक ही लागू कर दिया गया था; पिछड़ा वर्गों की विरोध करने की क्षमता, उनकी संख्या, राजनीतिक जागरूकता, प्रभुत्व और वैकल्पिक अवसरों के लिए समझ की कमी पर निर्भर करती है; तीसरे क्षेत्र के प्रति तीव्र विकास से दक्षिण में सम्पन्न जातियों को विकल्प मिस गया जो कि उत्तर में उसी मात्रा में उपलब्ध नहीं था।

टाटा संस्थान ने अध्ययन में उपर्युक्त परिकल्पनाओं पर कई उदाहरण देकर और विचारशील 4 राज्यों में हुई ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख करके प्रकाश डाला है।

अध्याय 9—केंद्रीय तथा राज्य सरकार के साथ

हमारी जांच के विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए सभी राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों तथा मंत्रालयों व केंद्रीय सरकार के विभागों की प्रभावशालियों के दो सेट भेजे गए थे। ये प्रभावशालियां, विभिन्न राज्यों में पिछड़े वर्ग की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करने, उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय, सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन के प्रश्न पर विभिन्न सरकारी एजेंसियों के विचार जानने और आयोग के विचारार्थ विषयों के संबंध में उपयोगी सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से बनाई गई थी।

अधिकतर राज्य सरकारों ने सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए जाति को ही मुख्य मानदण्ड बनाने के लिए कहा है। कुछ राज्यों ने आर्थिक मानदण्ड को और कुछ ने जाति और आय जांच के सम्मिश्रण को प्राथमिकता दी है। 18 राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों ने अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए विशेष कदम उठाए, हालांकि उनके द्वारा दी गई सहायता की मात्रा में काफी अन्तर है। उदाहरणार्थ, सरकारी सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का बर्गीकरण तमिलनाडु और कर्नाटक में 50 प्रतिशत, पंजाब में 5 प्रतिशत और राजस्थान, उड़ीसा, दिल्ली आदि में शून्य है। स्थानीय निकायों, राज्य लोक सेवा आयोग, उच्च पदों आदि में अन्य पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व शून्य है। अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ अभी भी सामाजिक भेदभाव देखने को मिलता है और कई जातियां और समुदाय ऐसे हैं जिन्हें अछूत माना जाता है हालांकि इन्हें अनुसूचित जाति की सूची में शामिल नहीं किया गया है। सभी राज्य सरकारों द्वारा, जिन्होंने पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए कार्यक्रम शुरू किए हैं अपने साधनों से उन्हें चलाना पड़ता है क्योंकि इसके लिए केन्द्र द्वारा कोई अलग योजना आवंटन नहीं किया जाता है।

अधिकतर राज्यों ने सूचित किया है कि मशीनों की शुरुआत और खपत प्रवृत्ति में परिवर्तन होने के कारण ग्रामीण कारीगरों के रोजगार में कमी हुई है।

केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों और विभागों द्वारा भेजी गई सूचना से पता चलता है कि अन्य पिछड़े वर्ग कुल सरकारी कर्मचारियों की संख्या का 12.55 प्रतिशत है। जबकि उनकी समग्र जनसंख्या 52 प्रतिशत है। श्रेणी I के पदों से उनका प्रतिनिधित्व केवल 4.69 प्रतिशत है, अर्थात् यह देश से उनकी कुल जनसंख्या के अनुपात का 1/10 भाग से भी कम है।

अध्याय 10—जनता के साथ

जनसाधारण से प्राप्त प्रश्नावलियों के अनुसार दो-तिहाई उत्तरदाताओं ने कहा है कि आजादी के बाद से देश के जाति ढांचे में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। पिछड़ेपन की पहचान के लिए मानदण्ड निर्धारित करने के बारे में लगभग तीन-चौथाई उत्तरदाता जाति के पक्ष में थे। जिन राज्यों ने अन्य पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए उपाय किए हैं उनके उत्तरों से पता चलता है कि अधिकांश को उचित उपायों की जानकारी है किन्तु वे उन उपायों की पर्याप्तता से सन्तुष्ट नहीं हैं। लगभग तीन-चौथाई से अधिक उत्तरदाताओं ने पिछड़े वर्गों द्वारा भोगी गई विभिन्न कठिनाइयों की भी बात कही है और कईयों ने कहा है कि इनको दूर करने के लिए कोई कारगर उपाय नहीं किए गए हैं। वे चाहते थे कि सेवाओं में आरक्षण का कोटा बढ़ाया जाए और अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों को अधिक शैक्षणिक रियायतें दी जाएं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सुझाए गए अनुकरणीय उपाय थे सरकारी संस्थाओं व सरकारी रोजगार में आरक्षण, व्याज मुक्त ऋण देना, कृषि योग्य भूमि और मकान बनाने के लिए भूमि का मुक्त आवंटन आदि।

आयोग के समक्ष अपने साक्ष्यों में छठी और सातवीं लोकसभा के सदस्यों ने भी जो विचार व्यक्त किये वे भी उन्हीं विचारों के समान थे जिनका सारांश ऊपर दिया गया है। उनमें से अधिकांश सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन का मानदण्ड जाति मानने, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए सरकारी सेवाओं, सरकारी संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्ग हेतु और आरक्षण कोटा, आर्थिक सहायता देना आदि के पक्ष में थे। कुछ संसद सदस्यों ने कहा कि कुछ निहित स्वार्थी द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बीच दोषपूर्ण प्रचार और मतभेद पैदा किए जा रहे हैं, इनके लिए सावधान रहने की जरूरत है, कुछ ने कहा कि आयोग के पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए उन मापदण्डों को स्वीकार करना चाहिए जिनको न्यायालय द्वारा परखा जा चुका है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि राज्य सरकारों द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग की तैयारी की गई सूचियों को, जिन्हें न्यायालय द्वारा परखा जा चुका है पूर्णतः न लिया जाना चाहिए।

आयोग, द्वारा विभिन्न राज्यों के दौरे के दौरान, कुछ विशेष जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने के लिए काफी बड़ी संख्या में प्रत्यावेदन प्राप्त हुए। अधिकांशतः अन्य उत्तरदाताओं ने भी पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए मानदण्ड और उनके उत्थान के उपायों पर जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है, समान विचार व्यक्त किए हैं।

अध्याय 11—सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्र सर्वेक्षण—पिछड़ेपन के लिए मानदण्ड

फरवरी से जून 1980 तक 407 जिलों में से 405 जिलों का एक देशव्यापी सामाजिक शैक्षणिक सर्वेक्षण, विभिन्न राज्यों के आर्थिक और सांख्यिकीय व्यूरी के सहयोग से किया गया। सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त विस्तृत आंकड़ों की संगणित किया गया, और इन आंकड़ों से प्रत्येक राज्य और संघ शासित क्षेत्र के लिए 31 प्राथमिक सारणियां बनाई गईं। इन सारणियों के आधार पर सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के लिए 11 सूचक या मानदण्ड बनाए गए और इन्हें तीन विस्तृत शीर्षों के अन्तर्गत रखा गया अर्थात् सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक। इनके महत्व को ध्यान में रखते हुए सामाजिक सूचकों में से प्रत्येक को 3 अंक, शैक्षणिक सूचक को 2 अंक और आर्थिक सूचक को 1 अंक दिया गया। इस प्रकार इसकी कुल संख्या 22 अंक तक पहुंच गई। इन सभी 11 सूचकों को संगण द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए बनाई गई सूचीबद्ध जाति के लिए लागू किया गया। जिन जातियों को इस मापक के आधार पर निम्नतम अंक मिले उन्हें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए के रूप में सूचीबद्ध किया गया।

अध्याय 12—अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान

प्रत्येक राज्य में सामाजिक, शैक्षणिक सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप अनेक जातियों को पिछड़ी जातियों के रूप में पहचाना गया है। चूंकि इस सर्वेक्षण के घेरे में केवल दो गांवों तथा एक शहरी खण्ड को लिया गया था तो यह स्वाभाविक था कि काफी जातियां इसमें से छूट गयीं। कुछ मामलों में, नमूने का आकार इतना छोटा था कि नतीजे विश्वसनीय नहीं थे।

इसकी देखते हुए प्रत्येक राज्य में अन्य पिछड़े वर्गों की पूरी सूचियां बनाने के लिए 2 अनुपूरक दृष्टिकोण लिए गए थे। पहला भारत के महापंजीयक के 1961 के संकलन में निहित आदिम जनजातियां, बाह्य जनजातियां, आपराधिक जातियां आदि के 11 श्रेणियों की राज्यवार सूची को लिया गया और आयोग को अन्य पिछड़े वर्गों की सूचियों में शामिल किया गया। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि इन जातियों तथा

समुदायों का सामाजिक तथा शैक्षणिक स्तर करीब-करीब अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के समान था। दूसरा जन साध्य तथा आयोग के सदस्यों को व्यक्तिगत जानकारी पर आधारित, उन अन्य पिछड़े वर्गों की राज्यवार सूची बनायी गयी थी जो सामाजिक, शैक्षणिक सर्वेक्षण में सम्मिलित नहीं किए जा सके थे।

इस त्रिमुखी दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप अन्य पिछड़े वर्गों की राज्य सूचियां (खण्ड 3) तैयार की गयी थीं।

क्षेत्र के परिणामों से यह देखा गया कि कुछ ज्ञात अन्य पिछड़े वर्गों को, जिन्हें विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्गों की सूचियों में भी शामिल किया गया था, सर्वेक्षण में "पिछड़े" के रूप में नहीं रखा गया था। यह सांख्यिकीय प्रणाली पर आधारित किसी सामाजिक सर्वेक्षण में अनिवार्य है। ऐसी दृष्टियों को आयोग के पास उपलब्ध उपयुक्त साध्य के आधार पर ठीक किया गया।

ग्यारह सूचकों के सैट (मानदण्ड) को, जाति पर आधारित होने के नाते गैर-हिन्दू समुदायों पर लागू नहीं किया जा सका। इसको दृष्टि में रखते हुए गैर-हिन्दू पिछड़ा समुदायों की पहचान करने के लिए तीन मानदण्डों का अलग सैट तैयार किया गया।

उपलब्ध जनगणना आंकड़ों के आधार पर हिन्दू तथा गैर-हिन्दू पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुमान भारत की कुल जनसंख्या का 52 प्रतिशत लगाया गया था। यह अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अलावा है जो 22.5 प्रतिशत है।

अध्याय 13—सिफारिशें

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण उनकी आबादी के अनुपात में है, अर्थात् 22.5 प्रतिशत। किन्तु चूंकि संविधान के अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) के अधीन आरक्षणों को 50 प्रतिशत से नीचे रखने की कानूनी बाधयता है, इसलिए आयोग अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश करता है। यह आरक्षण केन्द्र और राज्य सरकारों की सभी सरकारी सेवाओं, तकनीकी और व्यावसायिक संस्थानों पर लागू होगा।


छात्रों के सांस्कृतिक वातावरण को उन्नत करने हेतु जुटायी गई विशेष शैक्षणिक सुविधाएं अन्य पिछड़े वर्गों के पर्याप्त जनसंख्या वाले चुनीदा क्षेत्रों में चरणबद्ध रूप से उपलब्ध करायी जानी चाहिए। व्यावसायिक प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को तकनीकी तथा व्यावसायिक संस्थानों में अलग से विशेष कोचिंग सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए ताकि वे खुले कोटे से आने वाले छात्रों के बराबर आ सकें।

ग्रामीण कारीगरों की कार्यकुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से विशेष कार्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए और लघु उद्योग लगाने के लिए उनको वित्तीय संस्थानों से सहाय्यतायुक्त ऋण उपलब्ध कराए जाने चाहिए। देश के श्रौद्योगिक तथा व्यावसायिक जीवन में अन्य पिछड़े वर्गों को सम्मिलित करने के लिए सभी राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय तथा तकनीकी संस्थानों का पृथक जाल बिछाया जाना चाहिए।

उत्पादन सम्बन्धों की विद्यमान योजना के अन्तर्गत, मुख्यतः कम भूमि-धारक, कृषक, कृषि मजदूर, ग्रामीण कारीगर आदि जैसे पिछड़े वर्ग अपने भरण-पोषण के लिए धनी किसानों पर अत्यधिक निर्भर रहते हैं। इस दृष्टि से, अन्य पिछड़े वर्ग प्रभुता प्राप्त जातियों व वर्गों के मानसिक तथा भौतिक रूप से बन्धक बने रहते हैं। जब तक संरचनात्मक परिवर्तनों के द्वारा मूलभूत परिवर्तन नहीं किया जाएगा और देश में प्रगतिशील भूमि सुधारों को कठोरता से लागू नहीं किया जाएगा तब तक अन्य पिछड़े वर्ग कभी भी सही अर्थों में स्वतन्त्र नहीं होंगे। अतः सभी राज्यों द्वारा मूलभूत भूमि सुधारों को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

इस समय किसी राज्य सरकार को अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कल्याण के उपाय किए जाने हेतु केन्द्रीय सहायता उपलब्ध नहीं है। अनेक राज्य सरकारों ने साधनों की कमी को ध्यान में रखते हुए पिछड़े वर्गों के लिए अधिक उद्देश्यपूर्ण विकासशील कार्यक्रम अपनाते में अपनी असमर्थता प्रकट की थी। अतः सिफारिश की जाती है कि अन्य पिछड़े वर्गों के लिए विशेष रूप से बनाए गए कल्याण कार्यक्रमों को केन्द्रीय सरकार द्वारा उसी ढंग और उसी तरह से धन दिया जाना चाहिए जैसा कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के मामले में किया जाता है।

खण्ड 2



प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन और विचारार्थ विषय

गठन :

1. श्री काकासाहेब कालेलकर, संसद सदस्य, अध्यक्ष
2. श्री नारायण सडोबा कजरोलकर, संसद सदस्य
3. श्री भीष्मा भाई, संसद सदस्य
4. श्री शिव दयाल सिंह चौरसिया
5. श्री राजेश्वर पटेल, संसद सदस्य
6. श्री अब्दुल क़यूम अंसारी, विधायक (बिहार)
7. श्री टी० मरिहय्या, विधायक (मैसूर)
8. लाला जगन्नाथ
9. श्री आरमा सिंह नामधारी, संसद सदस्य
10. श्री एन० आर० एम० स्वामी, संसद सदस्य
11. श्री असूनंगशू डे (सदस्य-सचिव)

विचारार्थ विषय :

पिछड़ा वर्ग आयोग :

- (क) भारतीय क्षेत्र में रहने वाली जनता के किन वर्गों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ माना जाए (संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के अन्तर्गत जारी अधिसूचनाओं में उल्लिखित अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अलावा) पर विचार करते हुए एक मापदण्ड निर्धारित करेगा, तथा उक्त मापदण्ड के अनुसार ऐसे वर्गों की एक सूची तैयार करेगा तथा उनकी अनुमानित संख्या और उनका क्षेत्रवार वितरण के बारे में बताएगा;
- (ख) ऐसे सभी सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की स्थितियों और कठिनाइयों की जांच करेगा जिनके अधीन वे काम करते हैं;

(1) कि ऐसी कठिनाइयों को समाप्त करने या उनकी स्थितियों को सुधारने के लिये संघ या किसी राज्य द्वारा कौन-सी कार्रवाई की जानी चाहिए; और

(2) इस उद्देश्य के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा कितना अनुदान दिया जाए और इन अनुदानों के लिए कौन-सी शर्तें रखी जानी चाहिये;

(ग) इसके पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा जो भी अन्य मामले भेजे जायेंगे उनकी जांच करेगा; और

(घ) अपने द्वारा खोजे गए तथ्यों को बताते हुए और ऐसी सिफारिशें करते हुए जो वे उचित समझते हैं, एक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा।

आयोग:—

- (क) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और ऐसे अन्य प्राधिकरणों, संगठनों या व्यक्तियों से, जो भी आयोग की दृष्टि में, उनके लिए सहायक हैं, ऐसी सूचना जो कि वे अपने उद्देश्य के लिए आवश्यक या उचित समझते हैं उसे ऐसे रूप में या ऐसे तरीके से जैसे वे उचित समझे, प्राप्त कर सकता है;
- (ख) अपनी बैठकें या अध्यक्ष के प्राधिकार के अधीन अपने ही सब्स्थों में से नियुक्त की गई ऐसी उप-समितियों की बैठकें करवा सकता है; और
- (ग) भारतीय क्षेत्र के उन भागों का, जिन्हें वे आवश्यक या सुविधाजनक समझते हैं, दौरा कर सकता है या अपनी उप-समितियों को दौरे पर भेज सकता है।

पिछड़ा वर्ग आयोग

राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रस्तावली

नोट:—(क) जब तक अन्यथा उल्लेख न हो, अन्य पिछड़े वर्गों के बारे में जानकारी देते समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को शामिल न किया जाए।

(ख) उत्तर संक्षिप्त और सही हों, व्याख्या न की जाए।

(ग) जहाँ संभव हो, आंकड़े दिए जाएं।

(घ) प्रत्येक प्रश्न के लिए अलग शीट प्रयोग की जाए ताकि आयोग के कार्यालय में संकलन कार्य में सुविधा रहे। शीट के के बायीं ओर हाशिये में ऊपर प्रश्न का नम्बर दिया जाए; पूरा प्रश्न लिखने की आवश्यकता नहीं है।

9. कृपया आजादी से लेकर अब तक अपने राज्य के मुख्य मंत्रियों की सूची दें, और प्रत्येक के नाम के सामने उसका 'वर्ग' (अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र) लिख दें।

10. राज्य के विभिन्न स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़े वर्ग के कुने हुए सदस्यों की कुल संख्या और प्रतिशत बताएं (यदि ग्रामीण स्तर तक के आंकड़े तत्काल सुलभ न हों तो जिला स्तर से नीचे के जिन स्तरों तक के आंकड़े यथासंभव सुलभ हों, दे दिये जाएं। प्रत्येक स्तर के बारे में अलग-अलग आंकड़े दिए जाएं)।

11. अपने राज्य में ग्राम प्रधान/मुखिया और सरपंचों के बारे में क्या निम्नलिखित जानकारी दें:

कुल संख्या	अनु० जाति और अनु० जनजाति की संख्या	अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों की संख्या
------------	------------------------------------	---------------------------------------

- (1) ग्राम प्रधान/मुखिया
- (2) ग्राम पंचायतों के सरपंच
- (3) न्याय पंचायतों के सरपंच

I. मानदंड

1. क्या आपकी राज्य सरकार ने अब 'अन्य पिछड़े वर्ग' को अलग ईकाई के रूप में मान्यता दी है और उसका इस रूप में निर्धारण किया है ?

2. यदि हां, तो ऐसा किन मानदंडों के आधार पर किया गया है ?

3. निम्नलिखित के निर्धारण के लिए क्या उद्देश्य और विशिष्ट मानदंड होना चाहिये।

- (क) सामाजिक पिछड़ापन; और
- (ख) शैक्षिक पिछड़ापन।

4. क्या पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए जाति को मानदंड माना जा सकता है ? अपने उत्तर के समर्थन में कारण बताएं।

5. हिन्दू समाज में जाति की विशिष्टता को देखते हुए, गैर-हिन्दू समुदायों के सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए क्या मानदंड अपनाया जाए ?

6. क्या पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए आप कोई सार्थक और व्यावहारिक मानदंड बता सकते हैं ?

यदि हां, तो कृपया बताएं।

7. अन्य पिछड़े वर्ग के संदर्भ में संविधान में केवल सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन का उल्लेख है। मानदंड के रूप में आर्थिक पिछड़ेपन को शामिल न करने की सलाह दी गई है; इस बारे में आपकी राज्य सरकार के क्या विचार हैं ?

12. क्या आपकी राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्गों, अनु० जातियों, अनु० जनजातियों के लिए पदों का कोई कोटा निर्धारित किया है ?

यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित सारणी में जानकारी दें:

नियोजता	राजपन्नित	अराजपन्नित	श्रेणी-4
	(अनु० जा० और अनु० जनजाति)	(अनु० जा० और अनु० जनजाति)	(अनु० जा० और अनु० जनजाति)

- (1) राज्य सरकार
- (2) स्थानीय निकाय
- (3) सरकारी उद्यम

नोट:—स्थानीय निकायों और सरकारी उद्यमों के बारे में उनके यहाँ राजपन्नित और अराजपन्नित पदों के समकक्ष पदों की जानकारी दें।

13. उपर्युक्त तीनों श्रेणियों में हर साल सामान्यतः कुल कितने पद खाली होते हैं ?

14. यदि आपकी राज्य सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की नीति अपनाई है तो क्या इन वर्गों को पुनः 'पिछड़े' तथा 'अत्यन्त पिछड़े' रूप से बांटा हुआ है ?

यदि हां, तो ऐसा करने का क्या आधार है ?

II. आरक्षण, सुरक्षा आदि

8. आपके राज्य के पिछले तीन ग्राम चुनावों के दौरान संसद के दोनों सदनों और विधान मंडल के दोनों सदनों के चुने गए सदस्यों के बारे में कृपया निम्नलिखित ब्योरा दें:

लोक सभा राज्य सभा विधान मंडल

- (1) सदस्यों की कुल संख्या
- (2) अनु० जाति और अनु० जनजाति के सदस्यों की संख्या
- (3) अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों की संख्या

15. आपके राज्य में सर्वप्रथम अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों में आरक्षण कब शुरू हुआ था ?
16. (क) क्या अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों द्वारा उनके लिए आरक्षित कोटा का पूरी तरह उपयोग किया जाता है ?
(ख) प्रश्न संख्या 12 में उल्लिखित सभी तीनों श्रेणियों में 'अन्य पिछड़े वर्ग' के लिए आरक्षित पदों की संख्या और ऐसे वास्तविक रूप से भरे हुए पदों की संख्या के बारे में लगातार तीन वर्षों के आंकड़े दें।
17. किसी पद-वर्ग के लिए उम्मीदवारों के खुले चयन में अन्य पिछड़े वर्ग के कुछ उम्मीदवारों की केवल योग्यता के आधार पर भी चुने जाने की संभावना होती है। क्या 'अन्य पिछड़े वर्ग' के उम्मीदवारों में से इस प्रकार भरे गए अर्थात् व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर भरे गए पदों की संख्या को 'अन्य पिछड़े वर्गों' के उम्मीदवारों के लिए विशेषतया आरक्षित पदों के कोटा में से घटा दिया जाता है ?
18. अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित कोटे का यदि किसी साल विशेष में इन वर्गों के उम्मीदवारों द्वारा पूरी तरह उपयोग नहीं हो पाता है तो उस अप्रयुक्त कोटे का आपकी राज्य सरकार क्या करती है ?
19. क्या 'अन्य पिछड़े वर्गों' के लिए नौकरियों के आरक्षण का राज्य में अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या तथा कुल जनसंख्या से कोई संबंध है ?
यदि नहीं, तो कारण बताएं ?
20. क्या अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों का आरक्षण अनिवार्य और समान है ?
यदि हां, तो आरक्षित पदों के कोटा निर्धारण का क्या आधार होना चाहिए ?
21. (क) राज्य की कुल जनसंख्या में ऊपर के तीन जाति समूहों (अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य) का क्या प्रतिशत है ?
(ख) राज्य में कुल राजपत्रित पदों में से कितने प्रतिशत पदों पर इन तीन जाति-समूहों के व्यक्ति नियुक्त हैं ? कृपया प्रत्येक समूह के बारे में अलग-अलग आंकड़े दें।
22. क्या अन्य पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों में आरक्षण के किसी निर्णय को किसी न्यायालय में चुनौती दी गई है ?
यदि हां, तो इन चुनौतियों का क्या परिणाम हुआ है ? कृपया संबंधित न्यायालयों-केसों की प्रतिलिपि संलग्न करें।
23. सरकारी नौकरियों की विभिन्न सैनिकों में अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए क्या विशेष उपाय किए जाने चाहिए ?
24. (क) कृपया निम्नलिखित जानकारी दें :-

कुल संख्या	अनु० जाति तथा अनु० जन जाति से संबंधित	अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित
------------	---------------------------------------	-------------------------------

- (1) राज्य लोक सेवा आयोग (केवल अध्यक्ष और सदस्य)
- (2) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
- (3) जिला एवं सब न्यायाधीश
- (3) कलक्टर/जिला मजिस्ट्रेट
- (5) सरकार के सचिव
- (6) विभागाध्यक्ष

(ख) कृपया यह भी बताएं कि क्या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग के हैं ?

III. जनगणना

(25) कृपया लिखें :

1931 की जनगणना के अनुसार	नवीनतम अनुमान
--------------------------	---------------

- (1) राज्य की जनसंख्या
 - (2) अनु० जाति और अनु० जनजाति की जनसंख्या
 - (3) अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या
- (26) 1953 में नियुक्त प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के बारे में तैयार सूची संलग्न है (अनुबन्ध-1)।
- (क) क्या यह आपके राज्य द्वारा तैयार सूची से मिलती है ?
(ख) यदि नहीं, उन अन्य पिछड़े वर्गों के नाम बताएं जो आपकी सूची में शामिल हैं किन्तु प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा तैयार सूची में शामिल नहीं हैं अथवा जो आपकी सूची में शामिल नहीं किन्तु प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की सूची में शामिल हैं।
(ग) कृपया उन बातों का भी उल्लेख करें जिस कारण आपकी राज्य सरकार प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा तैयार सूची का अनुसरण नहीं कर रही है।
27. क्या गैर-हिन्दू पिछड़े हुए वर्गों की कोई सूची तैयार की गई है ?
यदि हां, तो कृपया ऐसा करने के आधार बताएं।
28. कृपया अन्य पिछड़े वर्गों की जातियों/वर्गों की जनसंख्या के अलग-अलग अनुमानित आंकड़े दें जो राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई सूची में सम्मिलित हैं तथा वह पद्धति भी बताएं जिसके आधार पर यह आंकड़े निकाले गए हैं।
29. यदि आपकी राज्य सरकार ने ऐसी सूची तैयार नहीं की है तो अन्य पिछड़े वर्गों की संलग्न सूची (अनुबन्ध-1) में सम्मिलित जाति/वर्ग समूह की अनुमानित जनसंख्या के आंकड़े दें।
30. आपके राज्य के कौन-कौन से उन्नत जाति/वर्ग समूह हैं ? प्रत्येक समूह की जनसंख्या सहित सूची संलग्न की जाए।
31. क्या उन्नत जाति/वर्ग समूह के बारे में आपकी सूची प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा तैयार सूची से मिलती है (यह सूची बाद में भेजी जाएगी)।
यदि नहीं, तो अन्तर के कारण बताएं।
32. आपके राज्य में रह रहे पुराने अपराधियों या डीनोटीफाइड जनजातियों की सूची दें और साथ में प्रत्येक जनजाति की अनुमानित जनसंख्या लिखें।

IV. सामाजिक

33. वे कौन सी सामाजिक, नागरिक और धार्मिक असमर्थताएं हैं जिनसे आपके राज्य में अन्य पिछड़ा वर्गों के लोग पिड़ित हैं ?
34. इन असमर्थताओं को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन से ठोस उपाय किए गए हैं ?
क्या राज्य सरकार ने इन कुरितियों को दूर करने के लिए कोई कानून बनाया है ?

35. इन उपायों से इन असमर्थताओं को दूर करने में कहां तक सफलता मिली है ?
36. क्या आपके राज्य में कोई ऐसी गैर-अनुसूचित जातियां हैं जिन्हें अछूत माना जाता है ?
यदि हां, तो उनकी सूची दें और साथ में उनकी अनुमानित जनसंख्या का भी उल्लेख करें।
37. क्या आपके राज्य में ऊपर के तीन वर्गों (अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य) में से कोई ऐसी जाति समूह है जो 'अन्य पिछड़े वर्ग' से संबंधित है ?
38. क्या आपके राज्य में कोई ऐसी जाति समूह भी है जो न तो ऊपर के तीन 'वर्गों' और न अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों से संबंधित है और न ही अन्य पिछड़े वर्ग के हैं ?
यदि हां, तो कृपया उनकी जनसंख्या सहित सूची दें।
39. (क) क्या भूमिहीन खेतिहर मजदूरों का हिन्दू वर्ग पूरी तरह अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और 'अन्य पिछड़ा वर्ग' से संबंधित है ?
(ख) यदि नहीं, तो कृपया वास्तविक जातियों/वर्गों की सूची उनकी जनसंख्या के आंकड़ों सहित संलग्न करें।
40. आपके राज्य की प्रमुख जातियां कौन-कौन सी हैं ? कृपया उनकी अनुमानित जनसंख्या सहित सूची दें।
41. क्या अनुसूचित जातियों और 'अन्य पिछड़ा वर्ग' के लोग सामान्यतः एक ही क्षेत्र में बसे हुए हैं ?
42. आपके राज्य के किस क्षेत्र में 'अन्य पिछड़ा वर्ग' की जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है।
43. (क) आपके राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या 'गरीबी रेखा' से नीचे के स्तर पर गुजर-बसर करती है ?
(ख) इस आबादी में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और 'अन्य पिछड़ा वर्ग' का क्या अनुपात है ?
44. आपकी राज्य सरकार ने डिमोटीफाइड (भूतपूर्व अपराधी) जातियों के पुनर्वास के लिए क्या व्यवस्था की है ?
कृपया अनुमानित जनसंख्या सहित उनकी सूची दें।

V. शैक्षिक

45. कृपया, 1951, 1961 और 1971 की जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित के बारे में पुरुष और महिलाओं के लिए अलग-अलग साक्षरता प्रतिशत दें :—
(क) सामान्य साक्षरता।
(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों में साक्षरता;
(ग) 'अन्य पिछड़ा वर्ग' के बीच साक्षरता।
46. अन्य पिछड़ा वर्ग के साक्षरों में कितने :—
(क) प्राइमरी पास ;
(ख) मैट्रिक/हायर सेकेंडरी पास ;
(ग) स्नातक ; और
(घ) तकनीकी योग्यताधारी, हैं ?
47. अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों में शिक्षा के प्रसार के लिए आपकी सरकार ने क्या विशेष उपाय किए हैं ?
48. क्या अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों को कोई विशेष शिक्षा छात्र वृत्ति यदि दी जाती है ?
कृपया ब्यौरा दें।

49. क्या राज्य सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों के लिए कोई अलग स्कूल आदि खोले हैं ?
यदि हां, तो ब्यौरा दें।
50. क्या राज्य सरकार ने तकनीकी संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों के लिए सीटें आरक्षित की हैं ?
यदि हां, तो कितने प्रतिशत ?
51. क्या राज्य सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए कोई प्रौद्योगिकी शिक्षा अभियान चलाया है ?
यदि हां, तो इस अभियान में इन वर्गों के कितने प्रतिशत प्रौद्योगिकी शामिल किए गए हैं ?
52. (क) आपके राज्य में कितने विश्वविद्यालय, डिग्री कालेज, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इंटरमीडियट शिक्षा बोर्ड आदि हैं ?
(ख) इन संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और उन्नत वर्गों का कृपया अलग-अलग प्रतिनिधित्व बताएं।
(ग) विभिन्न संस्थाओं के अध्यापन कर्मचारियों के आंकड़े भी किए जाएं।
53. क्या अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को कालेजों तथा तकनीकी संस्थाओं में प्रवेश में कोई रियायत दी जाती है ?
यदि हां, तो कृपया ब्यौरा दें।
54. क्या कालेजों और तकनीकी संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए विशेष कोटा और स्थानों का आरक्षण किया गया है ?
यदि हां, तो ब्यौरा दें।
55. यदि उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर हां में हैं, तो क्या पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों का जिन्होंने योग्यता के आधार पर प्रवेश प्राप्त किया है, आरक्षण कोटा कम कर दिया गया है ?
56. (क) क्या अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पृथक होस्टलों का निर्माण किया गया है ?
(ख) इन होस्टलों की कुल आबासीय क्षमता कितनी है ?
(ग) अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों द्वारा वास्तव में कितनी प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया गया है ?
57. क्या अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों का फीस में कोई रियायत दी जाती है ?
कृपया ब्यौरा दें।
58. क्या राज्य सरकार द्वारा उन पिछड़े वर्ग की छात्राओं में शिक्षा के प्रसार के लिए कोई विशेष प्रभावी उपाय किये गये हैं ?
कृपया ब्यौरा दें।
59. आप अपने राज्य की छात्र वर्ग की जनसंख्या के बारे में निम्नलिखित जानकारी दें :—

स्कूलों में कालेजों में

- (1) कुल विद्यार्थी
(2) अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति से संबंधित
(3) अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित

कल्याण

60. राज्य के कुल बजट में से अन्य पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है ?

कृपया विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत आवंटन का ब्यौरा दें।

61. योजना तथा गैर-योजना अनुदानों के अधीन अन्य पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए आपके राज्य को कितनी केन्द्रीय सहायता मिल रही है ?

62. (क) आपके राज्य में अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के कल्याण कार्य कौन-सा विभाग कर रहा है ?

(ख) इस काम में लगी अन्य सरकारी एजेंसियां कौन-सी हैं ?

63. आपके राज्य में अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण में लगी सभी सक्रिय और ऐच्छिक एजेंसियों की एक सूची दें।

64. क्या आपकी राज्य सरकार ने आपके राज्य में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए एक अलग वित्त निगम का गठन किया है ?

यदि नहीं, तो कारण बताएं।

65. यदि हां, तो इस वित्त निगम द्वारा अपनाई गई सहायता की प्रक्रिया क्या है और इसके क्रियाकलापों का स्वरूप क्या है ?

66. अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यावसायिक वर्गों, जैसे मछियारों, चर्मकारों, चरवाहों और बुनकरों आदि में कर्जदारी कितनी है ?

67. क्या आपकी राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु रिफारिशें करने के लिए किसी विशेष आयोग और समिति का गठन किया गया है ?

यदि हां, तो इसकी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई है ?

[इसकी विशेष सिफारिशों तथा आपके राज्य द्वारा उन पर की गई कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण भी दें।

68. क्या आपके राज्य में अन्य पिछड़े वर्ग के लोग स्वतन्त्रता पूर्व तथा प्रमुख जातियों के दबाव के बिना मतदान करते हैं ?

यदि नहीं, तो ब्यौरा दें।

रोजगार

69. आपके राज्य में अन्य पिछड़े वर्ग के मुख्य व्यवसाय क्या हैं। अन्य व्यवसायों पर निर्भर परिवारों की अनुमानतः संख्या बताएं।

70. आपके राज्य में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की कुल संख्या कितनी है ?

71. इन भूमिहीन खेतिहर मजदूरों में कितने अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित हैं ?

72. भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की दशा सुधारने के लिए राज्य सरकार द्वारा क्या उपाय किये गए हैं ?

73. अन्य पिछड़े वर्गों के भूमिहीन खेतिहर मजदूरों पर 'हरित क्रांति' का क्या प्रभाव पड़ा है ?

74. यदि हरित क्रांति का प्रभाव नाममात्र है; तो उसके कारण बताएं।

75. अन्य पिछड़े वर्ग के कितने मजदूरों के भूमि सुधार के फलस्वरूप काश्तकारी और मालिकाना हक प्राप्त किए हैं और उनका प्रतिशत क्या है ?

76. पिछड़े वर्ग के कितने भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को फालतू भूमि के बंटवारे से लाभ पहुंचा है ? और उनका प्रतिशत क्या है ?

77. अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों का माय-स्तर अनुमानतः कितना है ?

78. अन्य पिछड़े वर्ग के कितने व्यक्ति लघु उद्योग, ग्रामीण और कुटीर उद्योगों में लगे हैं और अन्य पिछड़े वर्ग की कुल जनसंख्या में इनका क्या प्रतिशत है ?

79. क्या पिछड़े वर्ग की कोई जाति/श्रेणी ऐसी है जो न तो भूमिहीन खेतिहर मजदूर है, न लघु किसान है और न लघु कारीगर है ? यदि हां, तो कृपया उनकी सूची और अनुमानित संख्या बताएं।

80. अन्य वर्ग क्या भूमिहीन खेतिहर मजदूर या लघु कृषक या लघु कारीगर की कोई जाति/श्रेणी ऐसी है जो अन्य पिछड़े वर्ग अथवा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं है ? यदि हां, तो उनकी सूची दें जिनमें प्रत्येक जाति/वर्गों की अनुमानित जनसंख्या बताई गई हो।

81. (क) क्या आपके राज्य में बंधक मजदूरी की प्रथा है ?

(ख) आपने बंधक मजदूरी प्रथा को समाप्त करने के लिए क्या उपाय किए हैं ?

82. क्या अन्य पिछड़ी जाति से कुछ वर्ग ग्रामों में आर्थिक क्रिया-कलापों के फलस्वरूप रोजगार में नहीं रहे हैं।

यदि हां, तो रोजगार के वे कौन-से क्षेत्र हैं जो बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।

83. राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग को साहुकारों के शोषण से बचाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

84. (क) आपके राज्य के स्थानीय रोजगार कार्यालयों में कुल कितने बेरोजगार व्यक्ति पंजीकृत हैं ?

(ख) उनमें कितने बेरोजगार निम्नलिखित से संबंधित हैं :—

(1) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा

(2) अन्य पिछड़ा वर्ग।

85. उन जातियों को नाम की सूची लगाएं जो निम्नलिखित व्यवसाय से पराम्परागत रूप से संबद्ध हों। यदि इन जातियों में से कुछ आपके राज्य में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के रूप में पहले से ही सूची बद्ध हों तो कृपया ऐसी जातियों के आगे कोष्ठक में अनु० जाति अथवा अनुसूचित जनजाति लिख दें।

- (1) अपनी भूमि की खेती
- (2) किराए पर काश्तकारी
- (3) कृषि मजदूर
- (4) शाक-सब्जी की खेती
- (5) वागवानी
- (6) पशुपालन
- (7) भेड़-पालन
- (8) मछली पालन
- (9) मुर्गर पालन
- (10) शिकार
- (11) कमाईमिरी
- (12) चर्मकारी
- (13) चमड़ा निर्माण
- (14) सूत बुनाई
- (15) ऊत बुनाई
- (16) रेशम-बुनाई
- (17) रंगाई

- (18) चट्टाई निर्माण
- (19) टोकरी निर्माण
- (20) रस्सी बुनाई
- (21) बर्जोगिरी
- (22) कपड़ा धुलाई
- (23) बवई-गिरी
- (24) लोहारगिरी
- (25) बाल बनाना (नाई)
- (26) तेल पिराई
- (27) बर्तन बनाना
- (28) ताड़ी निकालना
- (29) बर्तन बनाना
- (30) सफाई (स्वीपर)
- (31) परिचर्या

- (32) बाईगिरी
- (33) नौका चालक
- (34) नमक बनाना
- (35) पान की खेती
- (36) चूना भट्टी
- (37) ज्योतिष
- (38) नट, सवारी
- (39) नाच-गाना
- (40) भविष्य वक्ता

86. उच्च सामाजिक दर्जा प्राप्त करने के अपने प्रयासों के कारण कुछ निम्न जातियों ने उच्च जातियों के नाम अपना लिए हैं। अपने राज्य के ऐसे कुछ उदाहरण दीजिए जिनमें यह बताया गया हो कि किन मूल जातियों ने नई उच्च जातियों के नाम अपना लिए हैं ?

केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों के लिये प्रस्तावना

सं० 8/3/79-पि० व० धा०

भारत सरकार

पिछड़े वर्ग आयोग

एस० एस० गिल
सचिव

25 अप्रैल, 1979

विषय:—अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों के बारे में जानकारी।

संदर्भ:—प्र० म० पत्र सं० 17020/5/79-एस० सी० एंड पी० सी० डी०-1,
दिनांक 19 मार्च, 1979

प्रिय श्री

मैंने अपने संदर्भाधीन अर्ध सरकारी पत्र में, अनुरोध किया था कि आपके मंत्रालय में कार्य कर रहे अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों की कुल संख्या के बारे में जानकारी भेजें।

2. यद्यपि कुछ राज्यों ने अन्य पिछड़े वर्गों की सूचियां तैयार कर ली हैं, किन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी कोई सूची संकलित नहीं की गई है। वास्तव में, पिछड़ा वर्ग आयोग का पहला विचारार्थ विषय, पिछड़े वर्ग के निर्धारण के लिए मापदंड की परिभाषा से संबंधित है। चूंकि वांछित मापदंड व्यापक क्षेत्रीय सर्वेक्षणों तथा एजेंसियों से मांगे गए प्रांकड़ों के बाद ही तैयार हो सकता है और स्वयं आयोग भी पिछड़े वर्गों की परिभाषा देने के लिए विनिर्दिष्ट तथा भली प्रकार से विचारता गया मापदंड बताने की स्थिति में नहीं है।

3. उपर्युक्त कठिनाइयों को दृष्टि में रखकर तथा केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत पिछड़े वर्गों के सदस्यों की रोजगार के बारे में सूचना प्राप्त करने की आवश्यकता को देखकर, आयोग ने पूर्णतः तदर्थ आधार पर निम्नलिखित मोटे-मोटे तथा सुलभ मापदंड तैयार करने का निर्णय किया है।

4. संविधान के अनुच्छेद 340 में 'सामाजिक तथा शैक्षणिक' रूप से पिछड़े हुए वर्गों का उल्लेख के रूप में किया गया है। अतः, निम्नलिखित परीक्षण सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग का निर्धारण करने के लिए किया जाए:—

(क) हिन्दू जातियों के कर्मचारियों के बारे में

- (i) वह कर्मचारी सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ माना जाएगा यदि वह तीन वर्गों में से किसी में नहीं आता है अर्थात् वह न तो ब्राह्मण है न वह क्षत्रीय है और न वह वैश्य है; तथा

- (ii) वह शैक्षणिक रूप से पिछड़ा माना जाएगा यदि न तो उसके पिता तथा न दादा ने प्राइमरी स्तर से आगे शिक्षा प्राप्त की थी।

(ख) गैर-हिन्दू जातियों के बारे में

- (i) वह कर्मचारी सामाजिक रूप से पिछड़ा माना जाएगा यदि वह या तो:—

- (1) उन हिन्दू जातियों से परिवर्तित हो जो उपर्युक्त पैरा 4(क)(i) में उल्लिखित सामाजिक रूप से पिछड़ी बतायी गयी हो, या
- (2) यदि वह ऐसा परिवर्तित नहीं है तो उसकी पैतृक आय प्रचलित निर्धन रेखा से नीचे है, अर्थात् प्रतिमाह प्रति व्यक्ति 71 रुपए।

- (ii) वह शैक्षणिक रूप से पिछड़ा माना जायेगा यदि न तो उसके पिता तथा न उसके दादा ने प्राइमरी स्तर से आगे शिक्षा प्राप्त की थी।

5. कृपया यह नोट किया जाए कि केवल वह कर्मचारी अन्य पिछड़े वर्गों की सदस्यता के लिए योग्य होगा यदि, वह सामाजिक तथा शैक्षणिक दोनों रूप में, उपर्युक्त मापदंड के अनुसार पिछड़ा हुआ पाया जाता है।

6. आगे अनुरोध है कि, संकलन का कार्य शीघ्र करने के लिये, अपेक्षित सूचना दो किस्तों में भेजी जाए, अर्थात्:—

- (1) अपने मंत्रालय/विभाग के बारे में सूचना एक माह की अवधि के अन्दर भेजी जाए; और
- (2) आपके मंत्रालय के अधीन तथा सम्बद्ध कार्यालयों तथा अन्य संगठनों, और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में सूचना जून 1979 के अंत तक भेज दी जाए।

7. वांछित सूचना संकलित करने के लिए थोड़ा सा संशोधित किया गया प्रारम्भ संलग्न है।

संलग्नक:

केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

आपका

ह०/एस०एस० गिल

प्रकार्णा

कार्य कर रहे अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों की संख्या

- नाम : (1) मंत्रालय/विभाग
 या
 (2) अधीनस्थ तथा सम्बद्ध कार्यालय तथा अन्य संगठन
 या
 (3) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या	'अन्य पिछड़े वर्गों' (अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को छोड़ कर) के कर्मचारियों की संख्या
---------------------------	--	--

1. अधिकारीगण/पर्यवेक्षकगण
2. कार्यालय के कर्मचारी/कुशल कामगार आदि
3. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/अकुशल कामगार

पिछड़ा वर्ग आयोग

सब साधारण के लिए प्रस्तावली

टिप्पणी :—इस प्रस्तावली का संबंध केवल अन्य पिछड़े वर्गों से ही है तथा अनुसूचित और अनुसूचित जन जाति को इसमें विचार हेतु सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिये।

1. आपकी राय में आजादी के बाद से आपके राज्य में जाति व्यवस्थाओं में क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं ?
2. सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की परिभाषा करते का क्या मानदण्ड होना चाहिये ?
3. क्या पिछड़ेपन के निवारण हेतु जाति को मानदण्ड माना जाना चाहिए ?
4. चूंकि जाति हिन्दू समुदाय के लिए विशेषता रही है, इसलिए गैर हिन्दू समुदायों में सामाजिक तथा शैक्षिक पिछड़ेपन के निर्धारण हेतु क्या मानदण्ड अपनाया जाना चाहिये ?
5. (क) क्या आपकी राज्य सरकार ने सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की सूची प्रकाशित की है ?
(ख) क्या आप इस सूची से सन्तुष्ट हैं ?
(ग) यदि नहीं, तो कारण बताएं।
6. (क) क्या आपको राज्य सरकार द्वारा सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को विशेष सुविधाएं प्रदान की हैं ?
(ख) यदि हां, तो सुविधाएं क्या हैं ?
(ग) क्या आप इन सुविधाओं को पर्याप्त समझते हैं ?
(घ) यदि नहीं, तो कारण बताएं।
7. (क) क्या आपको राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये सरकारी सेवा और सरकारी क्षेत्रों के उद्यमों के पदों में विशेष आरक्षण किया गया है ?
(ख) यदि हां, तो क्या आप इस आरक्षण को पर्याप्त समझते हैं ?
(ग) क्या इन आरक्षित पदों को आमतौर से सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों से भरा जाता है ?
8. सरकारी सेवाओं में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को अधिक संख्या में लेने के लिये क्या व्यावहारिक उपाय किये जा सकते हैं ?
9. (क) आपके राज्य में अन्य पिछड़े वर्ग के लागू किन सामाजिक, सांसारिक और आर्थिक असमर्थताओं से पीड़ित हुए हैं ?

- (ख) इन असमर्थताओं को दूर करने के लिए क्या उपाय किये गए हैं ?
- (ग) किस सीमा तक ये उपाय प्रभावकारी रहे हैं ?
10. (क) अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा निम्नलिखित में आने के लिये किन विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ?
(1) उच्च सरकारी पदों तथा
(2) उच्च शैक्षिक संस्थाएं (विशेष रूप से तकनीकी) ?
(ख) यदि हां तो इन मामलों को सुधारने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए ?
11. (क) अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों में ऋणग्रस्तता कितनी है ?
(ख) इसके क्या कारण हैं ?
12. अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों में साक्षरता के प्रसार के लिये क्या कारगर उपाय किये जाने चाहिये ?
13. अन्य पिछड़े वर्गों को सामाजिक तथा वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए क्या विशेष उपाय किये जा सकते हैं ?
14. (क) आपके राज्य में प्रमुख जातियां कौन सी हैं ?
(ख) इनको प्रमुखता की स्थिति में पहुंचाने के क्या कारण हैं ?
(ग) आप किसी प्रमुख जाति को कैसे परिभाषित करते ?
15. प्रमुख जातियों का अन्य पिछड़े वर्गों के साथ क्या संबंध है ?
16. (क) आपके राज्य में विभिन्न जातियों, समूहों और वर्गों के कल्याण के लिए कौन से स्वेच्छिक संगठन कार्य कर रहे हैं ?
(ख) उनके कार्यकलापों का क्या प्रभाव रहा है ?
17. (क) आपके राज्य में गत तीन दशकों में पिछड़े वर्गों की व्यावसायिक प्रवृत्ति में क्या परिवर्तन हुआ है ?
(ख) अपने उत्तर के सम्बन्ध में कारण बताएं।
18. भारत के संविधान में सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की स्थिति सुधारने के लिये विशेष उपायों की परिकल्पना की गई है, जबकि कुछ व्यक्ति यह समझते हैं कि पिछड़े वर्गों का अभिनिर्धारण "आर्थिक" मानदण्ड अपनाकर किया जाना चाहिये।
इस संबंध में आपके क्या विचार हैं ?
प्रस्तावली को सचिव, पिछड़ा वर्ग आयोग, 5, डा० राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली को भेजा जाए।

आयोग के समक्ष, साक्ष्य के लिए उपस्थित हुए संसद सदस्य, जन साधारण और विशेषज्ञों की सूची

क. छठी लोक सभा और राज्य सभा के सदस्यों की सूची

	बैठक की तारीख	सिद्धिकर्म	
प्रान्त प्रवेश	(1) 15-5-1979 (2) 18-5-1979	30. श्री सी० बी० छतारी	17-5-1979
1. श्री एस० आर० ए० एस० अपलानायडु		तमिलनाडु	27-4-1979
2. श्री एम० नगेण्वर राव		31. श्री के० राममूर्ति	
3. श्री जी० मलिकार्जुन राव		32. श्री के० टी० कोमलराम	
4. श्री के० एस० नारयण		33. डा० पी० वी० पोरियास्वामी	
प्रसम	17-5-1979	उत्तर प्रदेश	7-5-1979
5. श्री आ० एस० खान		34. श्री पी० एल० कुरील	
बिहार	31-3-1979	35. श्री श्याम लाल यादव	
6. श्री हुक्मदेव नारायण यादव		36. श्री बी० पी० मीय	
7. श्री रामलखन प्रसाद गुप्ता		37. श्री मनोहर लाल	
8. श्री रामानन्द यादव		38. श्री दया राम शाक्य	
9. श्री विनायक प्रसाद यादव		39. श्रीमती हमीदा हबीबुल्ला	
गुजरात	17-5-1979	40. श्री मोहन लाल पीपल	
10. श्री चित्तुमाई गमित		41. श्री राम लाल कुरमी	
हरियाणा	10-5-1979	42. श्री आर० डी० शास्त्री	
11. श्रीमती चन्द्रावती		43. श्री चन्वन सिंह	
12. श्री मनोहर लाल सीनी		44. श्री कंबर महमूद अलीखां	
झारखू और करमौर	17-5-1979	45. श्री आर० एस० वर्मा	
13. श्रीमती पार्वती देवी		46. श्री रूपनाथ सिंह यादव	
कर्नाटक	27-4-1979	47. श्री सुरेन्द्र विक्रम	
14. श्री बी० जनार्दन पुजारी		48. श्री मंगलदेव विशारद	
15. श्री एल० आर० नायक		पश्चिम बंगाल	17-5-1979
16. श्री के० बी० चौधरी		49. श्री के० बी० क्षेत्री	
मध्य प्रदेश	10-5-1979	बिहारी	10-5-1979
17. श्री नरहरि प्रसाद साही		50. श्री ब्रह्म प्रकाश चौधरी	
18. श्रीमती जमुना देवी		ख. सातवीं लोक सभा तथा राज्य सभा के सदस्यों की सूची	
19. श्री बी० आर० मनहर		बैठक की तारीख	
20. श्री गोविन्द राम मिरी		राष्ट्र प्रवेश	1-7-1980
21. श्री भरत सिंह चौहान		1. श्री पी० शिवशंकर	
महाराष्ट्र	17-5-1979	2. श्री एस० आर० ए० एस० अपलानायडु	
22. श्री बी० पी० नायक		3. प्रो० एन० जी० रंगा	
मणिपुर	17-5-1979	4. श्री पी० राजगोपाल नायडु	
23. श्री कैहो		बिहार	4-7-1980
मेघालय	17-5-1979	5. श्री एम० ई० होरो	
24. श्री पी० आर० संगमा		6. श्री डी० पी० यादव	
25. श्री एच० एस० लिगदेह		7. श्री आर० एल० पी० वर्मा	
मागालेश्वर	17-5-1979	8. श्री ए० के० राय	
26. श्रीमती रानी एम० शिराज		9. श्री डी० एल० बैथा	
राजस्थान	10-5-1979	10. श्री राम अचतार शास्त्री	
27. श्री नाथू सिंह			
28. श्री एन० आर० मिर्धा			
29. श्री चन्मोज			

गुजरात	2-7-1980
11. श्री नरसिंह मन्वाना	
12. श्री बी० के० गड्ढाजी	
13. श्री आ० पी० गायकवाड़	
14. श्री नवीन खानी	
जम्मू और कश्मीर	3-7-1980
15. श्री जी० आर० कोचक	
16. श्री मुबारक शाह	
17. श्री जी० एम० शाल	
कर्नाटक	1-7-1980
18. श्री बी० जनार्दन पुजारी	
19. श्री एस० बी० सिद्धनाथ	
केरल	1-7-1980
20. श्री ई० बालानन्दन	
मध्य प्रदेश	2-7-1980
21. श्री एन० के० शोबवालकर	
22. श्री अरवन्दि नेताम	
23. श्री सुन्दर शर्मा	
महाराष्ट्र	(i) 2-7-1980 (ii) 4-7-1980
24. श्री एस० बी० चवहाण	
25. श्री मधु दण्डवते	
26. श्री बापू साहेब परलकर	
27. श्री एस० बी० धोरेट	
28. श्री जी० एस० कुचान	
मणिपुर	4-7-1980
29. श्री टम्पोक सिंह	
उड़ीसा	4-7-1980
30. श्री सी० एम० पाणीग्रही	
पंजाब	3-7-1980
31. जनरल राजेन्द्र सिंह सौरो	
32. श्री हरकिशन सिंह सुरजीत	
33. श्रीमती राजिन्द्र कौर	
34. श्रीमती अमरजीत कौर	
35. श्री हकम सिंह	
सिक्किम	4-7-1980
36. श्री पी० एम० सुब्बा	
तमिलनाडु	1-7-1980
37. श्री आर० बी० स्वामीनाथन	
38. श्री इरा एनबरासु	
उत्तर प्रदेश	3-7-1980
39. श्री श्याम लाल यादव	
40. श्री बी० डी० सिंह	
41. श्री नरेन्द्र सिंह	
42. श्री राम प्यारे पणिका	
43. श्री जयपाल सिंह कश्यप	
44. श्री जयराम वर्मा	

पश्चिम बंगाल	4-7-1980
45. श्री ज्योतिमय बसु	
46. श्रीमती गीता मुखर्जी	
गोवा, दमन और वियु	2-7-1980
47. श्री इन्द्रमारडी फुलारो	

ग---जन-साधारण की सूची

आन्ध्र प्रदेश	26-7-1980 से 30-7-1980 तक
1. श्री टी० नगेश्वर राय	
2. श्री ए० चक्रपाणे	
3. श्रीमती गुनदूर बपानीया	
4. श्री वेंकटास्वामी	
5. श्री लक्ष्मण राय	
6. श्री वेंकटेश्वरलू	
7. डा० जल्लू राम राय	
8. श्री नागराला वेंकट राय	
9. श्री कनकला यादव	
10. श्री प्रकाशा राय	
11. श्री अगुसटीन	
12. श्री कोटीया	
13. श्री बी०, वेंकटेश्वरलू	
14. श्री के० सत्यानारायणा मूर्ति	
15. श्री लक्ष्मीबा	
16. श्री प्रसाव	
17. श्री वरदा राजू	
18. श्री केसव राय	
19. श्री श्रीराम मूर्ति	
20. श्री राम राय	
21. श्री राम सुब्बा राय	
22. श्री पोदीना चोन्ना	
23. श्री श्रीनिवास राय	
24. श्री विठ्ठल रेड्डी	
25. श्री के० वेंकटेशाम	
26. श्री सुन्दर निर्माया	
27. श्री माधव राय	
28. श्री बालकृष्ण	
29. श्री अगमास्या	
30. श्री टी० नरसैया	
31. श्री टी० बलराज	
32. श्री बबैरा	
33. श्री नारायण	
34. श्रीमती विजय	
35. श्री वेंकटैया	
36. महम्मद जहांगीर	
37. श्री मल्लाय्या	
38. श्री गीतम लक्षना	
39. श्री परशुराम नायडु	
40. श्री वाई सत्यानारायण	
41. श्री ए० एल० मल्लीया	
42. श्री बालसन्धू बहुषी	
43. श्री सूर्य नारायण	
44. श्री लक्ष्मी नारायण	

45. श्री श्रीरामूलू
46. श्री मया राय
47. श्री प्रभाकर राय
48. श्री ऐलाप्पा
49. श्री वलप्पा
50. श्री के० नारायण राजू
51. श्री लक्ष्मी नारायण
52. श्री दोला राम कृष्ण राय
53. श्री एम० रंगैया
54. श्री वाई० राजकुमार
55. श्री वेंकटानारायणा यादव
56. श्री कांटेस्वर राय यादव
57. श्री ज० वीरास्वामी
58. डा० पटनायक
59. श्री पी० वैकुण्ठाम
60. श्री श्याम सुन्दर राय
61. श्री ए० वीरप्पा
62. श्री श्याम सुन्दर राय
63. श्री श्रीरामूलू
64. डा० एम० चन्ना रेड्डी
65. श्री बी० एन० रमन
66. श्री जोशी
67. श्री शेषम राजू
68. श्री आर० कृष्णाया
69. श्री पी० श्रीराम मूर्ति
70. श्री अकबर अली खान
71. श्री जी० लटवना
72. श्री के० रंगादास
73. श्री एम० मनीक राय
74. श्री के० बी० नरसप्पा
75. श्री जी० नरोमउलू नायडू
76. श्री जी० सिद्धीया
77. श्री पी० समसोन
78. श्री चन्द्र प्रकाश वर्मा
79. श्री द्वारिका प्रसाद
80. श्री मनमोहन प्रसाद
81. श्री नरसिंह प्रसाद
82. श्री मधुसूदन
83. श्री आनन्द राज वर्मा
84. श्री प्रह्लाद नारायण
85. श्री जन प्रकाश
86. श्री शंकर सिंह
87. श्री जय राज सिधी
88. श्री विजय सिंह (मृत्यु)
89. श्री एस० के० एम० राणा
90. श्री उदय सिंह
91. श्री कृष्ण सिंह
92. श्री वीरेन्द्र सिंह
93. श्री सुश्रजा सिंह
94. श्री रघुनाथ सिंह
95. श्री सोमेश्वर सिंह
96. श्री बी० प्रभाकर राय
97. श्री लक्ष्मी नारायण
98. श्री डी० वी० सुब्बा राय

99. श्री पी० बेलाप्पा
100. श्री बालू राय वर्मा
101. श्री ए० राजाराम
102. श्री ज० यादगीरी
103. श्री जी० कुमारस्वामी
104. श्री रामूलू
105. श्री कल्याण दास गदले
106. श्री टी० लोही दास
107. श्री एम० रामचन्द्ररन
108. श्री पी० ई० विजयाम
109. श्री एम० सूर्य प्रकाश राय
110. श्री एन० ए० अनसारी

टिप्पणी:—55 व्यक्ति जिन्होंने साक्ष्य दिया किन्तु अपने नाम की गिनाबत नहीं की।

बिहार

26-5-1979

से 30-5-1979 तक

11-9-1979 से

18-9-1979 तक

1. श्री विनायक प्रसाद यादव
2. श्री बरार लाल
3. श्री जगन्नाथ मिश्रा
4. श्री नरेन्द्र नारायण यादव
5. श्री भोला प्रसाद मेहता
6. श्री कपिल देव मण्डल
7. श्री राजेन्द्र बाबू
8. श्री कलेश्वर नारायण मण्डल
9. श्री लक्ष्मी नारायण मण्डल
10. श्री सया
11. श्री नगेश्वर यादव
12. श्री राजेन्द्र विपदास
13. श्री जयनन्दन यादव
14. श्री यदुवंश कुमार यादव
15. श्री राम विलास यादव
16. श्री देव नारायण
17. श्री राम जयन पासवान
18. श्री मुधुसूदन
19. श्री नरेन्द्र नारायण यादव
20. श्री महम्मद इस्लाम
21. श्री रामेश्वर यादव
22. श्री महावीर सिंह
23. श्री ब्रह्म मदेव मण्डल
24. श्री शिवनन्द सिंह
25. श्री राम अंबतार
26. श्री नन्द लाल गोयल
27. श्री राम चन्द्र यादव
28. श्री चमन लाल मेहता
29. श्री भरत प्रसाद मण्डल
30. श्री रविन्द्र यादव
31. श्री राजेन्द्र कुमार सिंह
32. श्री गौरीशंकर मण्डल
33. श्री कान्ता प्रसाद यादव
34. श्री शशि नाथ झा

35. श्री रामचन्द्र साह
36. श्री दयानन्द साह
37. श्री राजेन्द्र प्र० यादव
38. श्री सुधा ल कुमार
39. श्री मोती लाल शर्मा
40. श्री श्रीज किशोर यादव
41. श्री सिता राम यादव
42. श्री जयकिशन यादव
43. श्री राम चन्द्र चौधरी
44. श्री बजरंग चौधरी
45. श्री अनन्त प्रसाद मण्डल
46. श्री सूरज नारायण यादव
47. श्री कुशेश्वर यादव
48. श्री सुरेश चन्द यादव
49. श्री हरी कृष्णन
50. श्री रामजी कामत
51. श्री मिश्री लाल चन्द्र
52. श्री लक्ष्मी नारायण मण्डल
53. श्री सुरेश प्रसाद यादव
54. श्री तेज नारायण यादव
55. श्री पारसमणी मण्डल
56. श्री शम्भू नाथ भग
57. श्री भोला चौधरी
58. श्री चन्द्रशेखर यादव
59. श्री गोस्वामी प्रसाद यादव
60. श्री चुन्नी लाल साह
61. श्री लक्ष्मी प्रसाद यादव
62. श्री अनन्त प्रसाद सिंह
63. श्री भूपेन्द्र यादव
64. श्री राम कृष्ण मण्डल
65. श्री सियाराम यादव
66. श्री नरहरी मोदी
67. श्री सत्य नारायण मण्डल
68. श्री राम कृष्ण पोदार
69. श्री इरीगा प्रसाद मण्डल
70. श्री योगानन्द मण्डल
71. श्री जगदीश प्रसाद
72. श्री दीन बन्धु यादव
73. श्री महावीर प्रसाद यादव
74. श्री नन्द किशोर प्रसाद मण्डल
75. श्री सच्चिदानन्द यादव
76. श्री अर्जुन प्रसाद सिंह
77. श्री भोमी प्रसाद मण्डल
78. श्री नारायण प्रसाद सिंह
79. श्री जय कृष्ण यादव
80. श्री महेश चन्द यादव
81. श्री रामेश्वर प्रसाद यादव
82. श्रीमती मधुरी जयसवाल
83. श्री कपिल देव मण्डल
84. श्री अक्षिकलाल पोदार
85. श्री शिवनेश्वरी प्रसाद यादव
86. श्री महावीर प्रसाद मण्डल
87. श्री गोविन्द प्रसाद यादव
88. प्रो० कौशल किशोर मण्डल
89. श्री हजी महम्मद उसमानी
90. श्री जुगल शर्मा
91. श्री त्रिभुवन सिंह
92. श्री हरी प्रसाद यादव
93. श्री नारायण प्र० यादव
94. श्री उपेन्द्र यादव
95. श्री वीरेन्द्र कु० सिंह
96. श्री महेश यादव
97. श्री जगदीश यादव
98. श्री सहीतानन्द यादव
99. श्री राजेन्द्र चौधरी
100. श्री रमेश्वरी मेहता
101. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव
102. श्री आनन्द प्रसाद यादव
103. श्री जनार्दन प्र० यादव
104. श्री कदम लाल साह
105. श्री अक्षयार रहमान
106. श्री किशोर यादव
107. श्री गोविन्द प्र० यादव
108. श्री विन्देश्वरी यादव
109. श्री जय कुमार सिंह
110. श्री मधुरी मंडल
111. श्री अयोध्या साह
112. श्री सी० आर० राम यादव
113. श्री भन्नुग्रह राम
114. श्री हरी प्रसाद यादव
115. श्री नगेश्वर प्रसाद
116. श्री अनन्त प्र० मंडल
117. श्री सूरज नारायण यादव
118. श्री सुरेन्द्र प्रसाद
119. श्री तेज नारायण यादव
120. श्री पारसमणी मंडल
121. श्री राम कृष्ण मंडल
122. श्री योगानन्द मंडल
123. श्री महावीर प्र० अचार्य
124. श्री नारायण प्र० सिंह
125. श्री इश्वरी प्रसाद
126. श्रीमती किशोरी देवी
127. श्री रामकुन्दर दास
128. श्री मिथलेश कुमार
129. श्री उपेन्द्र नारायण यादव
130. श्री वीरेन्द्र सिंह
131. श्री सच्चिदानन्द यादव
132. पं० कुलानन्द
133. प्रो० सच्चिदानन्द
134. श्री के० के० मंडल
135. श्री सुधीर प्र० यादव
136. श्री सन्त कुमार सिंह
137. श्री प्रमानन्द मंडल
138. श्री हारा किशोर यादव
139. श्री आर० पी० विश्वास
140. श्री अशुल मजिद
141. श्री बलदेव सराफ
142. श्री रघुनाथ मंडल
143. श्री कलीकान्त चौधरी
144. श्री हरी शंकर यादव

15-5-1979 से
16-5-1979

145. श्री सहदेव महतो
146. श्री महम्मद इलोयाम
147. श्री बासुदेव साहनी
148. श्री मुजबूल रहमान
149. श्री राजकुमार साहनी
150. श्री शिवनन्दन साहू
151. श्री सिता राम
152. श्री मधुसूदन राम
153. श्री नरेन्द्र प्र० यादव
154. श्रीमती रजनीबाला जुल्का
155. श्री राम बहादुर यादव
156. श्री महावीर राय
157. श्री राम शंकर मिश्रा
158. श्री सतनाम प्रसाद
159. श्री जगदीश पाठक
160. श्री रघुनाथ महतो
161. श्री निरखान चौधरी
162. श्री शिवकुमार प्रसाद
163. श्री रमेश प्रसाद सिंह
164. श्री हरिहर चौधरी
165. श्री राम बाबू श्रीवास्तव
166. श्री कामता प्र० गुप्ता
167. श्री अधिक लाल खारवा
168. प्री० भार० के० ठाकुर
169. श्री भोला प्र० मेहता
170. श्री श्रीकिशन बेनी
171. श्री अविनाश चन्द्र
172. श्री जगदीश महतो
173. श्री योगेन्द्र प्र० यादव
174. श्री फुलेश्वर यादव
175. श्री जगदीश प्र० मंडल
176. श्री राजेन्द्र प्र० सिंह
177. श्री दमोदर प्र० यादव
178. श्री देवनारायण यादव
179. श्री कैनाश पति मिश्रा
180. श्री ए० एन० सिन्हा
181. श्री सुरेन्द्र कु० चौधरी
182. श्री जर्नादन राय

टिप्पणी :—4 व्यक्ति जिन्होंने साक्ष्य दिया किन्तु अपने नाम की शिनाखत नहीं की।

18-9-1980 से
21-9-1980

गुजरात

1. श्री साहक अब्दुल रसीद
2. श्री एन० डी० आवेरी
3. श्री सी० डी० मोदी
4. श्री मोहन भाई गुरजर
5. श्री दया सिंह लोध
6. श्री जासफ मकवाना
7. श्री बाबू-भाई ईश्वरभाई पोलना
8. श्री रामानन्दी बाबा
9. श्री कानाबाई लक्ष्मीबाई अहीर

टिप्पणी :—47 व्यक्ति जिन्होंने साक्ष्य दिया किन्तु अपने नाम की शिनाखत नहीं की।

हरियाणा

1. श्री दरसन लाल
2. श्री महावीर ठाकुर
3. श्री ओम प्रकाश
4. श्री अनन्त राम कश्यप
5. श्री नेकी राम
6. श्री जे०एन० वर्मा
7. श्री जगी नारायण लोहार
8. श्री राम पंचल लोहार
9. श्री चन्द्रभान
10. श्री धीचन्द
11. श्री देव चन्द
12. श्री मान सिंह
13. श्री जय नारायण
14. श्री हरी गोपाल
15. श्री चतर सिंह
16. श्री अनन्द स्वरूप भारद्वाज
17. श्री मत्वीर सिंह ठूडा
18. श्री चेत राम सेनी
19. श्री राधा कृष्ण
20. श्री हरि कुमार पंचाल
21. श्री शान्ति राठी
22. श्री राम चन्द्र
23. श्री दुलीचन्द
24. श्री फूल सिंह
25. श्री हरी सिंह डकोट
26. श्री बरिजिन्द्र सिंह टरस्कन
27. श्री राम वीरेन्द्र सिंह

टिप्पणी :—6 व्यक्ति जिन्होंने साक्ष्य दिया किन्तु अपने नाम की शिनाखत नहीं की।

19-9-80 से
2-9-80

हिमाचल प्रदेश

1. श्रीमती सुनीता मुखर्जी
2. श्री ज्ञान कश्यप
3. श्री अमर सिंह
4. श्री राम चन्द
5. श्री रतन चन्द होजे
6. श्री इतवारी लाल बाल्मीकी
7. श्री किशन लाल
8. श्री मेव राम
9. श्री विजय बगर
10. श्री यादव
11. श्री मोजी राम
12. श्री मलयदेव बुवाहरी
13. श्री चन्दर कुमार
14. श्री मदन चौधरी
15. श्री विजय भूषण
16. श्री बृज लाल
17. श्री स्वहप सिंह ठाकुर
18. श्री ठाकुर कमल सिंह

19. श्री मिथा रामजी
20. श्री हरी यत्त
21. श्री धन श्याम
22. श्री गाडेय
23. श्री मेहर चन्द
24. श्री राज किशोर गौड
25. श्री रोशन लाल
26. श्री सुरिन्दर कुमार
27. श्री राम नाथ
28. श्री सिता राम
29. श्री राज किशोर
30. श्री जोगी राम
31. श्री नवल ठाकुर
32. श्री राज किशोर
33. श्री केशव राम
34. श्री अमर चन्द
35. श्री सत्य पाल

अब्दू शीर करमीर

14-10-79 से
17-10-79

1. श्री चुन्नी लाल दीवान
2. श्री धर्मपाल शर्मा
3. श्री प्रमानन्द
4. श्री वजीर मसाससी
5. श्री छज्जू राम
6. श्री चमन लाल
7. श्री मदन लाल
8. श्री नत्थी राम
9. श्री समुल पेटर
10. श्री राणा महमूद
11. श्री सन्जु राम
12. श्री मुर महम्मद
13. श्री जीत सिंह सांगतर
14. श्री कुन्दा राम
15. श्री ताराचन्द मंहगेतर
16. श्री बलराज पाल
17. श्री कृष्ण लाल
18. श्री तारा चन्द केशरी
19. डा० आर० एस० मोदी
20. श्री भोकारे सेठ
21. श्री मिल्की राम
22. श्री हजी नुलन्द खान
23. श्री भीम सिंह
24. श्री बनारसी लाल
25. श्री बालक राम
26. श्री ग्राम प्रकाश
27. श्री मुन्शी राम
28. श्री राम चन्द्रर
29. श्री कृष्ण लाल
30. श्री जल्का राम
31. श्री शन्डा सिंह
32. श्री सतीश बकशी
33. श्री बकील सिंह
34. श्री बलराज कुमार

एस/11 एचए/81-12

35. श्री ठाकुर दास चनोत्तम
36. चौ० सुकरवी अजाद
37. श्रीमती वजीर बेगम
38. श्री अब्दुल वहीद
39. श्री भीम सिंह
40. चौ० महम्मद सफी कुरेशी
41. अब्दुल सलीम कदेव
42. श्री गुलाम बवादी गर्सो
43. श्री महम्मद सफी
44. श्री अजाद हुला मर्सी हरीम
45. श्री अब्दुल गफुर
46. श्री गुलाम बवादी टन्डरा
47. कुमारी सुषमा चन्दुरी
48. श्री अली महम्मद सेख
49. श्री रहीम साइख
50. श्री मलिक गुलाम दीन
51. श्री महम्मद खलील बोहर
52. श्री महम्मद वीलवर लोदी
53. श्री गुलाम महीम दीवान
54. चौ० कनवर दीप
55. श्री कुजाहीद म० अबदुल्ला
56. श्री अब्दुल रसोद
57. श्री अजाद कपूर
58. श्री गुलाम महम्मद
59. श्री गुलाम महम्मद
60. श्री महम्मद अहमद जाफर
61. श्री अब्दुल गनी सिर्रेज
62. श्री गुलाम महम्मद
63. श्री महम्मद अमीन
64. श्री ठाकुर सिंह जोषी
65. श्री जी० एम० साह
66. श्री डी० डी० ठाकुर

टिप्पणी :—2 व्यक्ति जिन्होंने साक्ष्य दिया किन्तु अपने की शिनाख्त नहीं की।

कनिष्ठक

9-4-1980 से 13-4-1980

1. श्री कृष्णमूर्ति
2. श्री बी० एल० चौधरी
3. श्री एम० के० निमबारगी
4. श्री शिव शेरतप्पा
5. श्री के० एफ० अनकलागी
6. श्री एच० ए० बैगसकोट
7. श्री एस० डी० बराकर
8. श्री एस० बी० खेदरी
9. श्री यू० बी० रामदुरगकार
10. श्री जन्पापा
11. श्री एम० एम० हुन्दकर
12. श्री एन० एल० चन्दरकर
13. श्री एल० आर० मिसरी कोसी
14. श्री बसन्त गौलेर
15. श्री एम० बी० पाटील
16. श्री अम्बी
17. श्री आई० एम० राजनालकर

18. श्री एम० पी० बाबली
19. श्री नरबट
20. श्री जी० एस० भट्ट
21. श्री पी० टी० हुबीब
22. श्री वी० एन० गोरपदा
23. श्री वी० सी० डैमबल
24. श्री वी० जे० काम्मर
25. श्री ए० एम० पटनाकर
26. श्री एल० वी० लिंगानोदर
27. श्री वी० एम० मत्ती
28. प्रो० ए० एम० धरमहद
29. श्री एस० एम० बोंदयर
30. श्री के० पी० जटनी
31. श्री हवनुर
32. श्री मुलाम महम्मद
33. श्री डी० वी० नागमीर
34. श्री एम० राजु
35. श्री राय
36. श्री पुत्तवाली
37. श्री एम० श्रीनिवास
38. श्री नरसिगप्पा
39. श्री किरवेदी
40. श्री यू० आर० कुलकर्णी
41. श्री हनुमन्त राय सिन्धा
42. श्री आर० नारायण
43. श्री विश्वनाथ निमलिसा
44. श्रीमती मैना
45. श्री श्री रामा
46. श्री बोरे गनडा
47. श्री आर० एल० वासुकेवा
48. डा० के० जजीर अहमद
49. श्री वी० के० पटोस्वामी
50. श्री लक्ष्मी नरसिम्हसि
51. श्री ई० एल० चिकरम
52. श्री देवराज
53. डा० (श्रीमती) पार्वती ब्रम्हा
54. श्री सेट्टी
55. श्री वाई० रामचन्द्रन
56. श्री एन० राजिया
57. श्री हनुमन्थैया
58. श्री कुरवीना सेथी
59. श्री प्रभाकर टेल्कर
60. श्री एल० जी० पटरन
61. श्री के० पी० सी० नायडु
62. श्री राजेखर सेथी
63. श्री वी० वी० पेंत्तर
64. श्री मनोहर मनी
65. श्री एम० एम० वेंगोपालन
66. श्री सिद्रेण्ये
67. श्री एम० एस० राजचार्वा
68. श्री वी० आर० कृष्णामूर्ति
69. श्री जी० पी० गांधी
70. श्री अण्ण कुमार
71. श्रीमती चन्द्रवाई नारायण

72. श्री ए० एस० चन्द्रदरे
73. श्री एस० एल० बरुजा

टिप्पणी:—14 व्यक्ति जिन्होंने साक्ष्य दिया किन्तु अपने नाम की शिनाख्त नहीं की।

केरल

23-6-79 से 25-6-79

1. श्री वी० वी० अबुल्लाह कोया
2. श्री पी० एम० अबुवाकर
3. डा० पी० सुब्रमणियन
4. श्री पी० विजयन पिलाई
5. श्री ए० के० कृष्णा मास्टर
6. श्री पी० के० मसूकोया
7. श्री सदानन्दन
8. श्री टी० गोविन्दान
9. श्री वी० एन० गनपति
10. श्री वेन्गोपालन
11. श्री फायर मेथथ पलथोटम
12. श्री के० एम० रमण
13. श्री सी० पी० बहून वैदयान
14. श्री पी० के० गोपालकृष्णन
15. श्री के० टी० संभूखान
16. श्री एन० के० कुडरामन
17. श्री श्री० एस० रामकृष्णन
18. कुमांगी स्वरसती
19. श्री ए० एस० वेलयूधाम
20. श्री एम० ए० कृष्णामूर्ति
21. श्री पदम स्टेफन
22. श्री टी० के० वासुदेवन
23. श्री कामलासनम
24. श्री कुटी
25. श्री डीनकरन
26. श्री के० के० रामकृष्णन
27. श्री पटवलाम
28. श्रीमती डी० पी० राजमा
29. श्री के० वी० विजयामा
30. श्री रघुबर
31. श्री सुब्रह्मण्य नेय्यर
32. श्री ए० एन० नादर
33. श्री के० पी० संकरन नेय्यर
34. श्री ए० ईसूदीन
35. श्री के० वासुदेवन
36. पी० पी० एस० अबुतन पिल्लाई
37. श्री के० मूरलीधन
38. श्री एम० सी० चेतीयर
39. श्री पी० सुब्रामानियन

टिप्पणी:—5 व्यक्ति, जिन्होंने साक्ष्य दिया किन्तु अपने नाम की शिनाख्त नहीं की।

मध्य प्रदेश

15-8-1980 से

20-8-80

4-10-1980 से

8-10-1980

1. श्री भंवर लाल
2. श्री भगवत साहू
3. श्री पन्ना पत्र सोनगर
4. श्री गौतम प्रधान
5. श्री हरि सिंह
6. श्री गुलसर अहमद
7. श्री दादुल महीर
8. श्री रामूली
9. श्री निहीलाल
10. श्री नन्दा
11. श्री जगू
12. श्री बाबू लाल
13. श्री बाबू
14. श्री बालाजी
15. श्री मंगला
16. श्री जगदीश प्र० तिषारी
17. श्री टान्ता
18. श्री छेदी लाल
19. श्री गोपाल
20. श्री किशोर लाल
21. श्री गोविन्द प्रसाद
22. श्री जी० एस० सचदेव
23. श्री के० के० सेठी
24. श्री प्रकाश नामसुन्दर
25. श्री चेत राम यादव
26. श्री गौतम सिंह ठाकुर
27. श्री नरिसिंह मण्डल
28. श्री श्री ठाकुर
29. डा० बी० डी० शर्मा
30. श्री रघुनाथ प्र० अग्रवाल
31. श्री विश्वनाथ सिंह
32. श्री तसान सिंह
33. श्री नूरमहम्मद मनसूरी
34. श्री भरत प्रसाद जैन
35. श्री विशेश्वर प्रसाद
36. श्री राम नारायण सिंह
37. श्री जगन्नाथ यादव
38. श्री पी० डी० सोर्धिया
39. श्री राजेन्द्र सिंह
40. श्री ज्ञान सिंह सरपंच
41. श्री प्रियालाल नाग
42. श्री जयराम सिंह जय
43. श्री ब्रजे प्रेम कुमवाहा
44. श्री मान मोहन दास
45. श्री सतातीन
46. श्री जमील अहमद
47. श्री लक्ष्मी
48. श्री देवी प्रसाद चौधरी
49. श्री गोपाल प्रसाद
50. श्री राम चरण भोरा
51. श्री रामपाल

52. श्री गुलाब सिंह मणि
53. श्री श्याम भोरे
54. श्री के० एल० गोरिलिया
55. श्री रमन पटेल
56. श्री अक्षयेश मनिफुरी
57. श्री छोटे लाल कनौजिया
58. श्री जयराम सिंह जैन
59. श्री भोजराम
60. श्री भवानी लाल सोनी
61. श्री राम चौरसिया
62. श्री रामचरन
63. श्री गणेश प्र० चौरसिया
64. श्री शारदा प्रसाद
65. श्री बिहारी दास
66. श्रीमती बानू
67. श्री बाबू लाल
68. श्री सुदा राम
69. श्री काबू राम
70. श्री जउरा
71. श्री शिवपुजन
72. श्री बसंत लाल
73. श्री मोती लाल मालवीय
74. श्री ईश्वर दास सोरिया
75. श्री जाबू लाल सोलंकी
76. श्री सरनाम सिंह धूरिया
77. श्री कन्हैया लाल अहोसिया
78. श्री बी० एन० खोटोविया
79. श्री श्याम लाल
80. श्री श्रीराम पटेल
81. श्री मोहराज सिंह
82. श्री राम प्रसाद
83. श्री साहब लाल कोदल
84. श्री मोपा प्र० बसौर
85. कुमारी गोमती
86. श्री लक्ष्मण पटेल
87. श्री रामगोपाल वर्मा
88. श्री नारायण सिंह यादव
89. श्री नजिर अहमद
90. श्री राम सिंह सौर
91. श्री रतन लाल पनीक
92. श्रीमती कान्ति देवी
93. डा० बी० डी० शर्मा
94. श्री चौक
95. श्री रामचन्दर सोरवाल
96. श्रीमती मुनी बाई चौहान
97. श्री संभूषणलाल वर्मा
98. श्री सुन्दर लाल चौहान
99. श्री कृष्णलाल कुनहर
100. श्री गोपी कृष्ण गौर
101. श्री राधाकृष्ण बाल्मिकी
102. श्री रमेश चन्द कश्यप
103. श्री चन्दुलाल चौधरी
104. श्री मधुकर मरमप
105. श्री कन्हैया लाल खायोवाल
106. श्री सन्त योगीराज दास

107. श्री मदन सिंह शास्त्री
108. श्री भट्ट
109. श्री गग० मी० बंसल
110. श्री वर्मा
111. श्री मुसताफा
112. श्री अमर० सिंह अहीर
113. श्री श्रींकार लाल
114. श्री रामा
115. श्री शोम प्रकाश वैद्यनाथ
116. श्री किशन
117. श्री टीकका राम यादव
118. श्री रामजी महाजन
119. श्री राम सिंह सरपंच
120. श्री कुन्बी लाल
121. श्री मांगी लाल पटेल
122. श्री नथू लाल
123. श्री प्रेम सिंह गौरी
124. श्री किशन लाल
125. श्री नरसिंह चरण
126. श्री राम किशन
127. श्री गोपाल
128. श्री उमराव
129. श्री भगनाथ
130. श्री बीसा लाल
131. श्री भागीरथ
132. श्री लालू सिंह शरण
133. श्री कन्हैया लाल
134. श्री हरिश् चन्द्र
135. श्री अम्बा राम
136. श्री शंकर लाल राथौर
137. श्री घनश्याम
138. श्री जगन्नाथ
139. श्री मूलचन्द गौरा
140. श्री बलबन्त सिंह
141. श्री मुकुन्द
142. श्री किशन लाल शर्मा
143. श्री काजी अजमतुल्लाह
144. श्री महम्मद शरीफ खान
145. श्री मैना लाल
146. श्री बी० डी० शुक्ला

टिप्पणी:—22 व्यक्ति जिन्होंने साक्ष्य दिया किन्तु अपने नाम की शिनाख्त नहीं की।

20-7-1980 से 23-7-1980

महाराष्ट्र

1. श्री आत्मा राम जाधव
2. श्री शिव सिंह दौलत सिंह
3. श्री गांगुड
4. श्री कदम
5. श्री हरिश् मोरे
6. श्री नेवहले
7. डा० बेज
8. श्री ए० पी० राउत
9. श्रीमती अम्बरे
10. श्री दौलत राम भोनेल

11. श्री बी० एस० मोरे
12. प्रो० जी० एल० बाहरे
13. श्री आर० एम० पापरे
14. श्री आर० एम० सांगव
15. श्री पी० सी० लोहत
16. श्री आर० एन० बिलोसिकर
17. श्री कृष्णा राय मारुति
18. श्री एम० सी० महलकर
19. श्री एन० जी० प्रदेशी
20. श्री के० जे० राणा
21. श्री एम० एम० यासम
22. प्रो० सूमा चीतनीस
23. श्रीमती टेराबाई एन० बरटक
24. श्री प्रनील कुमार
25. प्रो० डी० बी० बीजवे
26. श्री ए० बी० बैंग
27. श्री डी० बी० कदम
28. श्री आर० एस० बण्डल
29. श्री एस० एस० देवराज

टिप्पणी:—55 व्यक्ति, जिन्होंने साक्ष्य दिया किन्तु अपने नाम की शिनाख्त नहीं की।

20-8-1980 से 22-8-1980

उड़ीसा

1. श्री राजेन्द्र प्रसाद साहु
2. श्री विद्याधर साहु
3. श्री सूर्यनारायण साहु
4. श्री गन्धर्व बारीक
5. श्री बंधोधर बारीक
6. श्री प्रमोद कुमार बास
7. श्री सुवर्धन दास
8. श्री उमेश चन्दर चन्द
9. श्री प्रफुल्ल कुमार बेहरा
10. श्री अक्रुलानन्द बेहरा
11. श्री सुलब मेहराना
12. श्री सुभाष चन्द्र पांडे
13. श्री बाल राम साहु
14. श्री नगेश्वर बास
15. श्री केशव चन्द्र बास
16. श्री हरिकृष्ण साहु
17. श्री प्रमानन्द पिलाई
18. श्री तरेश्वर साहु
19. श्री अक्रुलानन्द बेहरा
20. श्री दिव्या सिंह बेहरा
21. श्री डोला गोविन्द प्रधान
22. श्री श्रीकान्त पांडे
23. श्री एम० जी० बिहारी
24. श्री केदार नाथ शोभा
25. श्री नवल किशोर मेहराणा
26. श्री बंजुर सेठी
27. श्री दीनबन्धु साहु
28. श्री पूरण चन्द्र साहु
29. श्री ईश्वर साहु
30. श्री फकीर चरण बेहरा

31. श्री बोरा मंडाली
32. श्री धनश्याम दाइक
33. श्री धनश्याम सेनापति
34. श्री भीमसेन बारीक
35. श्री महादेव महाराणा
36. श्री राज किशोर माइक
37. श्री पीतबैस नाई
38. श्री रघुनाथ बेहरा
39. श्री बंशीधर मेकप
40. श्री भाषकर साहु
41. श्री कालू साहु
42. श्री राजन बारीक
43. श्री सुदर्शन मिश्रा
44. श्री हरि राय सम्पत
45. श्री मिश्रा
46. श्री के० एस० दाय
47. श्री मोहन नाइक
48. श्री बीर भदर सिंह
49. श्री आर० के० बत्ता
50. श्री वसन्त महारा
51. श्री राम चन्द्र बालका
52. श्री मिश्रा

पंजाब

1. श्री भगत सिंह
2. श्रीमती रूपनी देवी बजाज
3. श्री जोशी
4. श्री दरबारा सिंह
5. श्री हरबंस सिंह निर्मल
6. श्री हंस राज
7. श्री सोहन सिंह प्रबाना
8. श्री निर्मल सिंह
9. श्री साहू सिंह
10. डा० प्रकाश सिंह
11. श्री भगत सिंह
12. श्री धरभजन सिंह रतन
13. श्री मोहिन्दर सिंह
14. श्री बत्तर पोल्ल
15. श्री छञ्जु राम
16. श्री निर्मल सिंह निर्मल
17. श्री हरि देव
18. श्री भाल चन्द कश्यप
19. श्री प्रेम सिंह काने
20. श्री सुजान सिंह मेहरा
21. श्रीमती अहांगीर कौर
22. श्री लाखे सिंह
23. श्री उमा कान्त तिशारी
24. श्री रामजी दास
25. श्री नलदेव सिंह भाटी
26. श्री स्वरूप सिंह
27. श्री महेन्द्र सिंह
28. डा० जहीरा
29. श्री मेहताब सिंह

30. श्री मुखी लाल
31. श्री सरदा राम
32. श्री पौरा राम मुतवालिया
33. श्री पीभरा सिंह
34. श्री बन्त राम
35. श्री मंगल राम भुसकीन
36. श्री हरभजन सिंह
37. श्री राम लुभाया
38. श्री जे० एम० भाटी
39. श्री कृष्ण चन्द्र
40. डा० आर० एल० जोशी
41. श्री दालचन्द
42. श्री कृष्ण
43. श्री सुरत सिंह
44. श्री श्याम लाल कनौजिया
45. श्री फावर गुलाम पेटर
46. श्री वैष्णु भारद्वाज
47. श्री सुरिन्द्र सिंह प्रधान
48. श्री हंसराज कश्यप
49. श्री अमृत सिंह
50. श्री मोम प्रकाश
51. श्री गुरमुख सिंह
52. श्री चौधरी प्रभाती राम
53. श्री मोम प्रकाश
54. श्री चौधरी राम सिंह
55. श्री अमर सिंह
56. श्री जसवन्त सिंह बरपाल
57. श्री अखतार सिंह
58. डा० जाखेरिया

टिप्पणी :—8 व्यक्तित्व, जिन्होंने साक्ष्य दिया किन्तु अपने नाम की शिनाकत नहीं की।

राजस्थान

26-8-1980 से 30-8-1980

1. श्री दीलाल
2. श्री माली राम
3. श्री० कमल
4. श्री सामन्त सिंह भारद्वाज
5. श्री माली राम सैन
6. श्री गंगा सिंह कववर
7. मास्टर राम सिंह
8. कैप्टन सम्पूर्ण सिंह
9. श्री घना राम
10. श्री तेजपाल ग्रहीर
11. श्री रामगोपाल यावव
12. श्री प्रह्लाद सिंह रायीर
13. श्री ममूवीन
14. श्री महादेव बर्मा
15. श्री राम स्वरूप जसेल
16. श्री मोहन लाल डेढरवाल
17. श्री दीनेश कुमार
18. श्री गुलछ चन्द
19. श्री कनवर लाल

20. श्री गोकु
21. श्री मिना राम
22. श्री व्यासी लाल
23. श्री मदन लाल पारीख
24. श्री हनुमान प्रसाद रैगर
25. श्री यादव
26. श्री राम स्वरूप नाथी
27. श्री मदन सिंह
28. श्री गोपी चन्द कलान
29. श्री नाथी सिंह
30. श्री कृष्ण लाल रामरोह
31. श्री साधु राम सैन
32. श्री बालाजी पात्रा कोहोलन्य
33. श्री जितेन्द्र नाथ यादव
34. श्री पृथ्वी सिंह
35. श्री कल्याण चौधरी/या
36. श्री धनिया राम
37. श्री बजीर
38. श्री पवन चौहान
39. श्री भागीरथ बहूस
40. श्री श्रीम प्रकाश प्रमार
41. श्री शंकर लाल
42. श्री खम्भा राम
43. श्री असो राम धबल
44. श्री धनराज वर्मा
45. श्री राम किशोर
46. श्री भमूत राम बकौल
47. श्री वात्र लाल
48. श्री सुन्शीलाल भारी
49. श्री उमेद राम कुशवा
50. श्री हिम्मत मालवी
51. श्री सुन्दर सिंह
52. श्री अभय सिंह
53. श्री श्रीम प्रकाश प्रमार
54. श्री बचन सिंह सोलकी
55. श्री केशू राम
56. श्री राम सिंह
57. श्री सुरिन्दर दिवरे
58. श्री सोम दत्त
59. श्री भमूत लाल
60. श्री मूल चन्द
61. श्री कृष्ण गोरी गोस्वामी
62. श्री गोवर्धन सैमी
63. श्री जयदीप प्रसाद
64. श्री हरिदास
65. श्री भीम राज तेलफ
66. श्री हरि राम बेदी
67. श्री राम चन्द्र
68. श्री माधो प्रकाश
69. श्री बोध राज
70. श्री पारममणि जंगरा
71. श्री मोती सिंह
72. श्री चम्पा लाल डाकर
73. श्री रतन लाल
74. श्री मंगल प्रसाद

75. श्री बंशी लाल
76. श्री माधो प्रकाश पटेल
77. श्री आर० एस० धरीवाल
78. श्री गोविन्द सिंह
79. श्री जोगी
80. श्री माहाय
81. श्री प्रमार
82. श्री जोगी

टिप्पणी :—3 व्यक्ति, जिन्होंने साक्ष्य दिया किन्तु अपने नाम की शिनाहत नहीं की ।

सिक्किम

21-5-1980 से 23-5-1980

1. श्री डी० पी० राजन
2. श्री सुभा
3. श्री जोहर मल राय
4. श्री अबीरमन तर्मग
5. श्री चेत कुमार प्रधान
6. श्री एम्पी थाङ्गु
7. श्री मारके बहादुर गुरंग
8. श्री मोतीलाल राम
9. श्री बिलवेटमनी
10. फावर जोसेफ कासथ
11. श्री सेम चमन लिम्बो
12. श्री प्रदीप योग-जंग
13. श्री प्रधार

टिप्पणी :—5 व्यक्ति जिन्होंने साक्ष्य दिया किन्तु अपने नाम की शिनाहत नहीं की ।

तमिलनाडु

26-6-1979 से 30-6-1979

1. श्री लतीफ
2. श्री के० कासलाराम
3. श्री अरुनाचलम
4. श्री मुथुसामी कन्यालर
5. श्री अनबालगम
6. श्री लक्ष्मीनारायण
7. श्री बालकृष्णन
8. श्री ए० आर० राघवन
9. श्री छीदावरम
10. श्री सुन्दर राजन
11. श्री एस० एम० वीरामणि
12. प्रो० देव राजन
13. श्री वी० पी० छेत्तीयर
14. श्री सुन्दर मूर्थि
15. श्री एस० गणेशन
16. श्री वीरभद्रमल मूथु
17. श्री त्यागराजन
18. श्री कृष्ण स्वामी
19. श्री पी० विष्णुनाथन
20. श्री एस० भागवन्धु
21. श्री ए० के० अरंगानाथन
22. श्री चन्द्रण
23. श्री अन्नामलाई
24. श्री वी० के० मुथुसामी

25. श्री पी० सी० एम० भैयापुरी
26. श्री एम० पाठ्याराज
27. श्री आर० गोविन्दाराज
28. श्री सुन्दर राज
29. श्री प्रिया स्वामी
30. श्री गोविन्दन
31. श्री स्वयं प्रकाश
32. श्री ई० देराराज
33. श्री कोंदापिलार्ड
34. श्री एम० आनन्दराज
35. श्री गोविन्दराज
36. श्री पी० वी० समंगल
37. श्री सूर्यनारायण
38. श्री के० सुब्बा कोनर

टिप्पणी :— 15 व्यक्ति, जिन्होंने साक्ष्य दिया किन्तु अपने नाम की शिनाख्त नहीं की।

उत्तर प्रदेश

6-9-1980 से 12-9-1980

1. श्री छेदी लाल सेठी
2. श्री रूप नाथ सिंह यादव
3. श्री वी० पी० यादव
4. श्री चरन सिंह मोहनिया
5. श्री शंकर लाल प्रजापति
6. श्री चन्द्रावल भारती
7. श्री रघुबर दयाल वर्मा
8. श्री वी० डी० खान
9. श्री अली महमद रबी
10. श्री बाबूलाल
11. श्री राम स्वरूप
12. श्री राम किशन वर्मा
13. श्री डी० एन० सिंह वर्मा
14. श्री बदन सिंह
15. श्री नत्थी लाल भाउरी
16. आचार्य दिवाकर प्रोहित
17. श्री महीपाल सिंह
18. श्री एम० सी० रस्तोगी
19. श्री आई० सी० बत्सा
20. श्री मोहन स्वरूप
21. डा० डी० एन० गुप्ता
22. डा० ए० एन० मेहरोत्रा
23. डा० आर० पी० पांडे
24. श्री राजेश्वर प्रसाद
25. डा० कुमुम पाठक
26. श्रीमती मुषीला रस्तोगी
27. डा० के० प्रसाद
28. श्री तारा चन्द रोह्रा
29. श्री जगदीश अबस्थी
30. श्री सिया राम सिंह
31. श्री राम नारायण त्रिपाठी
32. श्री जगदीश वर्मा
33. श्री राम गुलाम भाहु
34. श्री बदरी प्रसाद
35. श्री वेद प्रकाश आर्य

36. श्री महावीर प्रसाद
37. श्री बनवारी लाल
38. श्री श्याम लाल शर्मा
39. श्री देवकी मन्त्र
40. श्री राजन
41. श्री एम० वी० वर्मा
42. श्री राम अबनार शर्मा
43. श्री मोली लाल देहलवी
44. श्री राम प्रसाद
45. श्री गुरु प्रसाद
46. श्री राजेन्द्र कुशवाहा
47. श्री रामस्वरूप नाइक
48. श्री अष्टुल ज्ञानी
49. श्री डी० आर० सिंह पान
50. श्री भजन लाल किकर
51. श्री मांगे सिंह कोस्था
52. श्री भगवती प्रसाद
53. श्री मांगली प्रसाद
54. श्री गंगा राम
55. श्री राम गोपाल
56. श्री माल्लू
57. श्री कामता प्रसाद
58. श्री राजा राम
59. श्री सी० एल० साहु
60. श्री राम सिंह
61. श्री शिव प्रसाद
62. श्री महावीर प्रसाद
63. डा० राम कमल यादव
64. श्री मदन कुमार त्रिपाठी
65. श्री मधु प्रसाद
66. श्री बनवारी लाल यादव
67. श्री राम देव प्रसाद
68. श्री आर० के० प्रसाद
69. श्री दीनेश मिश्रा
70. श्री लाल चन्द निशेद
71. श्री सफ़ीउल्लाह
72. श्री सुर्म प्रसाद
73. श्री श्रीकान्त त्रिपाठी
74. श्री श्रीकृष्ण यादव
75. श्री अश्या प्रसाद यादव
76. श्री राजेन्द्र नाथ मिश्रा
77. श्री श्याम सुन्दर
78. श्री सेवक राम
79. श्रीमती किशोरी शर्मा
80. श्री हरिहर प्रसाद
81. श्री गणेश नाथ
82. श्री घनश्याम यादव
83. श्री रामशरनार
84. श्री नन्द लाल
85. श्री दीना नाथ ट्टेरा
86. श्री लखान
87. श्री सुवेश
88. श्री शिव शंकर पांडे
89. श्री बल राम
90. श्री रामकान्त

91. श्री पी० एल० शुक्ला
92. श्री ए० के० मिश्रा
93. श्री एस० के० खरे
94. श्री राम लखन
95. श्री एस० एस० यादव
96. श्री प्रमानन्द यादव
97. श्री लोकनाथ सिंह
98. श्री चेत नारायण प्रसाद
99. श्री ललता प्रसाद
100. श्री राम लखन सेठ शास्त्र
101. श्री राम रतन बिन्द
102. श्री विजय कुमार विश्वकर्मा
103. श्री अक्षय नन्द सिंह
104. श्री बाबूलाल
105. श्री कैलास नाथ
106. श्री रामजी गुप्ता डीराज
107. डा० वेद प्रकाश
108. श्री जगन नाथ यादव
109. श्री मदन लाल
110. श्री के० सी० बंसल
111. श्री हरिश्चन्द्र
112. श्रीमती जे० चन्द्र
113. श्री सी० पी० सिंह
114. श्री धैरी प्रसाद
115. श्री के० सी० गुप्ता
116. श्री श्याम लाल
117. श्री राजेन्द्र कुमार
118. श्री एम० जुबेदी
119. श्री राम बचन यादव
120. श्री जलवील अहमद
121. श्री वादर राम रसिया
122. श्री एस० डी० सिंह चीरसिया
123. श्री अशोक यादव
124. श्री केशव राम वर्मा
125. श्री नेपाल सिंह कश्यप
126. श्री सोम नाथ
127. श्री रामावेद
128. श्रीमती कमला साहनी
129. श्री मलिक कुरेशी
130. श्री वेनाथ पाल
131. श्री निरंकर नाथ सावित
132. श्री गोपाल दास पतवा
133. श्री मिया राम यादव
134. श्री राम अचतार पाल
135. श्री चन्दन सिंह लुनिया
136. श्री शिव प्रसाद यादव
137. श्री रमेश कु० पाल
138. श्री महेंद्र सिंह
139. श्री अशोक खुराना
140. श्री एम० पी० सिंह
141. श्री आर० बी० सक्सेना
142. श्री इन्दु प्रकाश अरोड़ा
143. श्री कुमार इमकलाबी
144. श्री नन्द प्रसाद
145. श्री नूर अहमद
146. श्री महम्मद यासीन
147. श्री शिव राज गौरी
148. श्री लक्षन सिंह
149. श्री रामस्वरूप सहदेव
150. श्री शिव नारायण सिंह नेगी
151. श्री बी० रहमान
152. श्री सैयद अहमद
153. श्री भागी राम
154. श्री अब्दुल गफूर
155. श्री अब्दुल हमीद अन्सारी
156. श्री साकोर भारती
157. श्री श्याम लाल वर्मा
158. श्री बिहारी लाल
159. श्री शिवकुमार वर्मा
160. श्री रमेश दत्त शर्मा
161. श्री सुदेश पन्त
162. श्री एन० एस० नेपालचयाल
163. श्री डी० डी० कपरी
164. श्री के० सी० शर्मा
165. श्री बी० आर० गुप्ता
166. श्री एन० एस० माथुर
167. श्री जमीर जाफर अली
168. श्री वाफाजुरहमान
169. श्री रूप नाथ
170. श्री देवी लाल साह
171. श्री हिमायत हुसैन
172. श्री गोविन्द लाल
173. श्री जगदीश
174. श्री मथुरा नाथ
175. श्री बसौर अहमद अंसारी
176. श्री जीवन नाथ गोस्वामी
177. श्री दया शंकर टमटा
178. श्री हरि चरन बालमीकी
179. श्रीमती स्वरसती टमटा
180. श्री डी० के० वर्मा
181. श्री बी० पी० सिंह
182. श्री आर० एन० एल० गुप्ता
183. श्री आर० सी० पन्त
184. श्री एल० एन० अग्रवाल
185. डा० डी० एस० कर्नाटक
186. श्री आर० एस० भण्डारी
187. श्री एस० के० दास
188. श्री बनवीर सिंह
189. श्री महेश चन्द्र जिवेदी
190. श्री आर० आर० गुप्ता

पश्चिम बंगाल

23-6-1980 से 26-6-1980

1. श्री सुबेन्दु मण्डल
2. श्री एम० साह
3. श्री शंभुपति मिश्रा
4. श्री पी० महतो
5. श्री एच० के० साह
6. श्री एम० सी० सरकार
7. श्री एम० के० सरकार

8. श्री राजा राम सिंह
9. श्री डी० एन० मण्डल
10. श्री आसूलोस तोप
11. श्री विजय मण्डल
12. श्री लुकी राम महतो
13. श्री ज्ञानेन्दर नाथ महतो
14. श्री पशुपति महतो
15. श्री गौर चन्द मण्डल
16. श्री ईश्वर मांजी
17. डा० के० सी० चौधरी
18. पंडित सी० सी० पांडा
19. श्री मोहिनी मोहन पांडेय
20. श्री उदासीन महाजन
21. श्री ए० राय
22. श्री नवानी गौर
23. श्री राम कुन्दु
24. श्री पवन चन्द डे
25. श्री नारायण चौधरी
26. श्री तरुण कान्ति घोष
27. श्री शंभु नाथ घोष
28. श्री भोला नाथ लईक
29. श्री ए० के० साधुकन
30. श्री गोपाल साधुकन
31. श्री दुर्गा दास सिने
32. श्री देवेन्द्र कुमार लाही
33. श्री एन० के० करमकर
34. श्री सत्य साधु डे
35. श्री सुभा चन्द्र लईक
36. श्री सेवा दास
37. श्री विमल कुमार मण्डल
38. श्री मानिक चन्द हजारा
39. श्री पंचु राम पुरोहित
40. श्री राम प्रसाद मण्डल
41. श्री युलाम मुस्ताफा मण्डल
42. श्री जलराम प्रमाणिक
43. श्री सुप्र रोती कुमार घोष
44. श्रीमती खातून
45. श्री अब्दुल किम्बूला
46. श्री सेठ बीलत अली
47. श्री जमन
48. श्री अब्दुल कमल जमाल
49. श्री ए० एन० साह
50. श्री सरत मलिक
51. श्री बी० नाथ
52. श्री कृष्णा स्वामी
53. श्री नील रतन सिंहा
54. श्री सुतराजन दास
55. श्री बैष्यो कपिल
56. श्री गौर मोहन सैर
57. श्री राम कृष्ण
58. श्री उनी कुमार
59. श्री विद्याचरण
60. श्री समर हजरत
61. श्री ए० के० मैत्रा
62. श्री सम्भुनाथ पाल

एस/11 एचए/81—13

63. श्री एन० जी० सिंहा
64. श्री असन्त कुमार विष्ट
65. श्री ऋषि कुमार हलधर
66. श्री गोपी कृष्ण मजूमदार
67. श्री प्रफुला कुमार भारती
68. श्री भवनी मित्रा
69. श्री महम्मद अब्दुल मलिक
70. श्री देव प्रकाश राय
71. श्री पी० आर० प्रधान
72. श्री प्रेम अलेय
73. डा० जी० एस० खोंजा
74. प्रो० ई० बी० राय
75. श्रीमती स्नेहलता महतो
76. श्री रमेश महतो
77. श्री पंकज कुमार मण्डल
78. श्री सुखदेव भीमिक
79. श्री ए० एन० साह
80. श्री पशुपति महतो
81. श्री राजाराम सिंह
82. श्री पी० आर० महतो
83. श्री रेनुपदा गरो
84. श्री रतजीत मण्डल
85. श्री अनील कुमार साधुकन
86. श्री मनोरंजन राय
87. श्री मनमोहन देव नाथ
88. श्री भूपति मजूमदार
89. श्री नगेन्द्र कुमार भीमिक
90. श्री पशुपति महतो
91. श्री सत्य रंजन दास
92. श्री गौर मोहन सरकार
93. श्री पवन लछन डे
94. श्री शश्वी चरण

टिप्पणी :— 2 व्यक्ति, जिन्होंने साक्ष्य दिया किन्तु अपने नाम की तिनाक्ष नहीं की।

अपेक्षित

14-5-1979

1. श्री वीरेन्द्र सिंह
2. श्री वर्मा
3. श्री शंकर लाल
4. श्री आर० के० सैनी
5. श्री राम निवास वर्मा
6. श्री कुन्दन लाल वर्मा
7. श्री एस० डी० मांभरी
8. श्री वीरेन्द्र नाथ
9. श्री कटारिया
10. श्री कृष्ण लाल
11. श्री एम० पी० वर्मा
12. श्री आर० के० वर्मा
13. श्री बास कृष्ण

टिप्पणी:— 2 व्यक्ति, जिन्होंने साक्ष्य दिया, अपने नामों की तिनाक्ष नहीं की।

विहली

18-5-1979

1. श्री सत्य नारायण बंसल
2. श्री प्रमिया राम
3. श्री राम लाल
4. श्री मोहर चन्द यादव
5. श्री राधा कृष्ण गुप्त
6. श्री विजय कुमार जैन
7. श्री माम राज
8. श्री रामजी लाल
9. श्री राधेश्याम खन्ना
10. चौधरी ब्रह्म प्रकाश
11. श्री मदन लाल खुराना
12. डा० प्रशान्त कुमार
13. श्री सिसोदिया
14. श्री ए० के० जैन
15. चौधरी भारत सिंह
16. श्री प्रेम सुख
17. श्री श्याम चरण गुप्ता

25-7-1980

गोबा दमन घीप

1. श्री आगाप्रभारफ
2. श्री फेरडीनो रेबेलों
3. श्री गुरु शिरोडकर
4. श्री जोधाक्यूम फर्नांडिज
5. श्री राव
6. श्री बलराम निपव्यनकर
7. श्री नारायण वी० भंडरेकर
8. श्री एडवाड फेलोकी
9. श्री जे० सी० घलमेईडा

28-6-1979

पांडीचेरी

1. श्री सुगनन्दम्
2. श्री धमलोरपवन
3. श्री रामलिंगम्
4. श्री कबीर दास
5. श्री मोहमद हुसैन
6. श्री सुब्रह्मण्यम्
7. श्री नीलकान्तन्
8. श्री गणेशन्
9. श्री प्रसाद
10. श्री तटराजन्
11. श्री दुराईसामी अंसारी
12. श्री सी० नारायण सामी

धन्य

1. श्री समर ब्रह्मा चौधरी
2. श्री चरन तरजारी
3. ले० वासुमतारी
4. श्री के० सी० वासुमतारी

बैठक की तारीख

- (1) 10-3-1980
- (2) 11-3-1980
- (1) 10-3-1980
- (2) 11-3-1980
- (1) 10-3-1980
- (2) 11-3-1980
- (1) 10-3-1980
- (2) 11-3-1980

बैठक की तारीख

5. श्री पी० ब्रह्मा (1) 10-3-1980
- (2) 11-3-1980
6. श्री श्याम मनोहर (1) 10-3-1980
- (2) 11-3-1980
7. श्री बसंत कुमार पाटी 24-9-1980
8. श्री राम दयाल मीजा 24-9-1980
9. श्री प्रमो प्रकाश बधाम 24-9-1980
10. श्री हीरा लाल मीणा 24-9-1980
11. श्री एम० सी० मीणा 24-9-1980
12. श्री कैलाशी लाल भगत 24-9-1980
13. श्री जोहरी मल 23-9-1980
15. श्री महावीर प्रसाव 23-9-1980
16. श्री केवल कृष्ण 23-9-1980
17. श्री शफीक अहमद 23-9-1980
18. श्री तोता राम 23-9-1980
19. श्री गोवर्धन दास 23-9-1980
20. श्री मोहमद सादिक 23-9-1980
21. श्री भातादीन 23-9-1980
22. श्री बालकर चन्द 23-9-1980
23. श्री बोध राम 23-9-1980
24. श्री राम पाल सिंह 23-9-1980
25. श्री देवी सिंह जाडोदिया 23-9-1980
26. श्री जोछाई प्रसाव 23-9-1980
27. श्री जीवन प्रसाव 23-9-1980
28. श्री जगन्नाथ 23-9-1980
29. श्री प्यारा सिंह 23-9-1980
30. श्री युद्ध राम 23-9-1980
31. श्री मेहफूज अहमद 23-9-1980
32. श्री अजीज अहमद 23-9-1980
33. श्री मोहमद ताहिर 23-9-1980
34. श्री खलीफ अहमद 33-9-1980
35. श्री शौकत मली 23-9-1980
36. श्री हुनम चन्द 23-9-1980
37. श्री चन्द्र भान 23-9-1980
38. श्री छेवा 23-9-1980
39. श्री भगवान दास 23-9-1980
40. श्री बाल कृष्ण 23-9-1980
41. श्री विसंभर 23-9-1980
42. श्री मंजूर अहमद 23-9-1980
43. श्री सागर मल 23-9-1980
44. श्री सम्पत राम 23-9-1980
45. श्री सुरज भान 23-9-1980
46. श्री लछमन दास सेठी 23-9-1980
47. श्री प्रसाद सिंह 23-9-1980
48. श्री प्यारा सिंह 23-9-1980
49. श्री प्रह्लाद् सिंह 23-9-1980
50. श्री श्रींकार मल 23-9-1980
51. श्री लक्ष्मण दास शास्त्री 23-9-1980
52. डा० एस० बी० सुब्रह्मण्यम् 8-10-1980
53. श्री टी० मणिदानम् 8-10-1980
54. श्री पी० वी० एस० मणि 8-10-1980
55. श्री सी० के० जामुगम 8-10-1980
56. श्री वी० जी० रामदास 8-10-1980
57. श्री टी० अय्यासामी 8-10-1980

बैठक की तारीख		ब. विद्योपयोगी की सूची	बैठक की तारीख
58. श्रीमती लक्ष्मी कन्धाश्मल	8-10-1980		
59. श्रीमती लक्ष्मी धुन्नहणियम्	8-10-1980		
60. श्री सी० के० चिन्नासामी	8-10-1980	1. प्रो० एम० एस० ए० राव	18-4-1979
61. श्री भार० दक्षिण भूति	8-10-1980	2. प्रो० एस० एन० रानाडे	18-4-1979
62. श्री वी० मुधु	8-10-1980	3. डा० के० वी० गंगाराडे	18-4-1979
63. श्री सी० वेनुसामी	8-10-1980	4. डा० वी० वी० वरिस्कर	18-4-1979
64. श्री वी० प्रसाद राव	8-10-1980	5. डा० बडगुड्या	18-4-1979
65. श्री एम० बी० कुमार	8-10-1980	6. डा० वी० सी० खानना	18-4-1979
66. श्री वी० एम० रमेश	8-10-1980	7. प्रो० मरवाह	18-4-1979
67. श्री एम० एस० नारासिम्हा	8-10-1980	8. प्रो० जे० एस० भंडारी	18-4-1979
68. श्री के० बेंकट स्वामी	8-10-1980	9. प्रो० जे० वी० मेहरा	18-4-1979
69. डा० निर्मला	8-10-1980	10. प्रो० वी० वी० जॉन	18-4-1979
70. श्री च० गोपाय्या	8-10-1980	11. प्रो० मल्ला	18-4-1979
71. श्री के० वेल्सथ्या	8-10-1980	12. श्री वी० भार० गोयल	18-4-1979
72. श्री जे० नरसिम्हा	8-10-1980	13. श्री एस० पी० कौल	18-4-1979
73. क० मल्लय्या	8-10-1980	14. श्री के० गुहा	18-4-1979
74. श्री ई० जुंयय्या	8-10-1980	15. श्री वी० वी० खंडा	21-4-1979
75. श्री टी० शंकरय्या	8-10-1980	16. श्री जे० एस० यादव	21-4-1979
76. श्री पी० वेल्सथ्या	8-10-1980	17. प्रो० एम० एन० श्रीनिवासम्	16-7-1979 से
77. श्री एम० मायसथ्या	8-10-1980		20-7-1979
78. श्री ए० ए० नरहारी राव	8-10-1980	18. डा० इन्द्र खेवा	16-7-1979 से
79. श्री के० रामुलु	8-10-1980		20-7-1979
80. श्री वी० सायलु	8-10-1980	19. डा० एम० एस० ए० राव	16-7-1979 से
81. श्री टी० सिधलियम्	8-10-1980		20-7-1979
82. श्री टी० भार० रायु	8-10-1980	20. डा० राय बर्मेन	16-7-1979 से
83. श्री भार० संजीवी	8-10-1980		20-7-1979
84. श्री कृष्ण कुमार गिरियेलकर	8-10-1980	21. श्री एल० जी० हवालूर	16-7-1979 से
85. श्री एम० विजयगोपाल	8-10-1980		20-7-1979
86. श्री एम० शाम्भुगम	8-10-1980	22. प्रो० प्रधान प्रसाद	16-7-1979 से
87. श्री एम० एस० नरोत्तम	8-10-1980		20-7-1979
88. श्री० वी० बेंकटेश्वरम्	8-10-1980	23. डा० एस० भीमघण्या	(1) 12-5-1980 से
89. श्री एस० के० जेयरहाज	8-10-1980		14-5-1980
90. श्रीमती टी० भार० रायु	8-10-1980		(2) 18-11-1980

1969—78 में योग्यता के आधार पर भा० प्र० से०/भा० पु० से० के लिये चुने गए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार

पिछड़ा वर्ग आयोग के सचिव श्री एस० एस० गिल को भेजे गए कार्यात्मक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के निदेशक श्री डी० सी० मिश्रा के दिनांक 30-6-1980 के अर्ध-सरकारी पत्र सं० 13011/18/80-ए० आई० एच० (I) की प्रतिलिपि :—

कृपया, पिछले दस वर्षों के दौरान प्रचलित भारतीय सेवाओं में अनु० जातियों/अनु० जनजातियों के उम्मीदवारों के प्रतिनिधित्व के संबंध में, अपना तारीख 20 जून, 1980 का अ० स० पत्र सं० 5/10/79-पि० व० प्रा० देखें। भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के संबंध में आपके द्वारा मांगी गई सूचना निम्नलिखित है :—

1. भारतीय प्रशासन सेवा

परीक्षा का वर्ष	नाम	क्या अनु० जाति/अनु० जनजाति है	भारतीय प्रशासनिक सेवा में रैंक	पिछले सामान्य उम्मीदवार का रैंक
1969	श्री ए० के० आधव	अनु० जाति	28	81-सी
1970	—	—	—	—
1971	श्रीमती सी०टी० झानूद कुमारी सुषमा दयाल	अनु० जनजाति	67	122-ए
1972	श्री जे० पी० बांगे	अनु० जाति	91	106-सी
	श्री सुख विलास वर्मा	अनु० जाति	102	106-सी
1973	श्री च्यारा राम	अनु० जाति	53	135
	श्री एस० एस० कपूर	अनु० जनजाति	117	135
1974	श्री० वी० गुणसेकरन	अनु० जाति	110	118-बी
1975	श्री डी० सी० सकर	अनु० जाति	81	136-बी
1976	—	—	—	—
1977	—	—	—	—
1978	कुमारी हमिली दास	अनु० जाति	48	111-ए

2. भारतीय पुलिस सेवा

परीक्षा का वर्ष	नाम	क्या अनु० जाति/अनु० जनजाति है	भारतीय पुलिस सेवा रैंक	भारतीय पुलिस सेवा में आबंधित किए गए पिछले सामान्य उम्मीदवार का रैंक
1969	श्री डी०भार० षट्टी	अनु० जाति	96	86
1970	—	—	—	—
1971	श्री एस० पी० काजल	अनु० जाति	97	136
1972	—	—	—	—
1973	साल थारा	अनु० जनजाति	20	152
1974	—	—	—	—
1975	श्री के० वी० एस० मूति	अनु० जाति	31	पूरक-12
	श्री अशोक ठाकुर	अनु० जनजाति	83	पूरक-12
1976	—	—	—	—
1977	—	—	—	—
1978	श्री सी० थांगथुम	अनु० जनजाति	111	92

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के हिन्दू और गैर-हिन्दू समुदाय के अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों को पहचान के लिये भेजा गया आपदंड

सं० 8/3/79-पि० ब० आ०

भारत सरकार
पिछड़ा वर्ग आयोग

एस० एस० गिल
सचिव

25 अप्रैल, 1979

विषय:—अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों के बारे में जानकारी।

संदर्भ:—अ०स० पत्र सं० 17020/5/79-एस० सी० एंड बी० सी० डी-1,
दिनांक 19 मार्च, 1979।

प्रिय श्री

मैंने अपने संबन्धीन अर्थ सरकारी पत्र में, अनुरोध किया था कि आपके मंत्रालय में कार्य कर रहे अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों की कुल संख्या के बारे में जानकारी भेजें।

2. यद्यपि कुछ राज्यों ने अन्य पिछड़े वर्गों की सूचियाँ तैयार कर ली हैं, किन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी कोई सूची संकलित नहीं की गई है। वास्तव में, पिछड़ा वर्ग आयोग का पहला विचारार्थ विषय, पिछड़े वर्ग के निर्धारण के लिए मापदंड की परिभाषा से संबंधित है। चूंकि वांछित मापदंड व्यापक क्षेत्रीय सर्वेक्षणों तथा एजेंसियों से मांगे गए आंकड़ों के बाद ही तैयार हो सकता है और स्वयं आयोग भी पिछड़े वर्गों की परिभाषा देने के लिए विनिश्चित तथा भली प्रकार से विचारण गया मापदंड बताने की स्थिति में नहीं है।

3. उपर्युक्त कठिनाइयों को दृष्टि में रखकर तथा केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत पिछड़े वर्गों के सदस्यों को रोजगार के बारे में सूचना प्राप्त करने की आवश्यकता को देखकर, आयोग ने पूर्णता तदर्थ आधार पर निम्न-लिखित मोटे-मोटे तथा सुलभ मापदंड तैयार करने का निर्णय किया है।

4. संविधान के अनुच्छेद 340 में 'सामाजिक तथा शैक्षणिक' रूप से पिछड़े हुए वर्गों का उल्लेख के रूप में किया गया है। अतः निम्न-लिखित परीक्षण सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का निर्धारण करने के लिए किया जाय:—

(क) हिन्दू जातियों के कर्मचारियों के बारे में

(i) वह कर्मचारी सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ माना जाएगा, यदि वह तीन डिग्री वर्गों में से किसी में नहीं आता है

अर्थात् वह न तो ब्राह्मण है न बड़ अत्रिय है और न वह वैश्य है; तथा

(ii) वह शैक्षणिक रूप से पिछड़ा माना जाएगा यदि न तो उसके पिता तथा न दादा ने प्राइमरी स्तर से आगे शिक्षा प्राप्त की थी।

(ख) गैर-हिन्दू जातियों के बारे में

(i) वह कर्मचारी सामाजिक रूप से पिछड़ा माना जाएगा यदि वह या तो:—

(1) उन हिन्दू जातियों से परिवर्तित हो जो उपर्युक्त पैरा 4(क)(i) में उल्लिखित सामाजिक रूप से पिछड़ी बतायी गयी हों, या

(2) यदि वह ऐसा परिवर्तित नहीं है तो उसकी पैतृक भाग्य प्रचलित निर्धन रेखा से नीचे है, अर्थात् प्रतिमाह प्रति व्यक्ति 71 रुपए।

(ii) वह शैक्षणिक रूप से पिछड़ा माना जायगा यदि न तो उसके पिता तथा न उसके दादा ने प्राइमरी स्तर से आगे शिक्षा प्राप्त की थी।

5. कृपया यह नोट किया जाए कि केवल वह कर्मचारी अन्य पिछड़े वर्गों की सदस्यता के लिए योग्य होगा यदि, वह सामाजिक तथा शैक्षणिक दोनों रूप में, उपर्युक्त मापदंड के अनुसार पिछड़ा हुआ पाया जाता है।

6. आगे अनुरोध है कि, संकलन का कार्य शीघ्र करने के लिए, अपेक्षित सूचना दो किस्तों में भेजी जाए, अर्थात्

(1) अपने मंत्रालय/विभाग के बारे में सूचना एक माह की अवधि के अन्दर भेजी जाए; और

(2) आपके मंत्रालय के अधीन तथा सम्बद्ध कार्यालयों तथा अन्य संगठनों, और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में सूचना जून, 1979 के अंत तक भेज दी जाए।

7. वांछित सूचना संकलित करने के लिये थोड़ा-सा संशोधित किया गया प्रारम्भ संलग्न है।

आपका
ह०/

एस० एस० गिल

संलग्नक:

केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

विवरण सं० 1

केन्द्रीय सरकारी सेवाओं में प्रत्येक पिछड़े वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व

	श्रेणी 1			श्रेणी 2			श्रेणी 3 और 4			सभी श्रेणियाँ		
	कुल	अनु० जाति/अनु० जनजाति	अन्य पिछड़े वर्ग	कुल	अनु० जाति/अनु० जनजाति	अन्य पिछड़े वर्ग	कुल	अनु० जाति/अनु० जनजाति	अन्य पिछड़े वर्ग	कुल	अनु० जाति/अनु० जनजाति	अन्य पिछड़े वर्ग
1. मंत्रालय/विभाग	11707	840 (7.18)	303 (2.59)	43803	5985 (13.66)	1742 (3.98)	17829	5518 (30.95)	1500 (8.41)	73339	12343 (16.83)	3545 (4.83)
2. स्वयत्त निकाय संबन्ध और मधीनस्थ कार्यालय	81325	5399 (6.64)	4147 (5.09)	503337	91431 (18.16)	59079 (11.74)	322948	67118 (20.78)	67786 (20.98)	907610	163948 (18.06)	131012 (14.43)
3. सार्वजनिक उपक्रम	80994	3652 (4.51)	3719 (4.59)	365785	68566 (18.74)	36242 (9.91)	143910	45646 (31.72)	22689 (15.77)	590689	117864 (19.95)	62650 (10.61)
4. जोड़	174026	9891 (5.68)	8169 (4.69)	912925	165982 (18.18)	97063 (10.63)	484687	118282 (24.40)	91975 (18.98)	1571638	294155 (18.72)	197207 (12.55)

नोट :—कोष्ठों के आंकड़े प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26. मातरिख	19	—	—	49	3	7	20	10	3	88	13	10
27. ह्यात और डात	128	11	3	370	31	—	131	49	4	629	91	7
28. पूति और दुबसि	103	6	1	426	66	3	143	43	1	672	115	5
29. फाँटन और तिबिल विमान	1187	61	20	4820	845	231	3178	1275	290	9185	2181	541
30. निर्माण और मावात	218	10	—	807	78	9	156	32	80	1181	120	89
जोड़	11707	840	303	43803	5985	1742	17829	5518	1500	73339	12343	3545

स्वायत्त निकाय, सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों से अन्य पिछड़े वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व

मंत्रालय/विभाग	श्रेणी 3 और 4											
	श्रेणी 1						श्रेणी 2					
	कुल	अनु० जाति/अनु० जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल	अनु० जाति/अनु० जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल	अनु० जाति/अनु० जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल	अनु० जाति/अनु० जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. महालेखापाल केंद्रीय राजस्व	12457	1330	844	37967	9030	3288	7534	2236	831	57958	12596	4963
2. ऋषि और सिचाई	4274	353	173	8786	1604	773	7816	2399	1423	20876	4356	2369
3. परमाणु ऊर्जा	658	4	11	228	2	11	1581	353	88	2467	359	110
4. केंद्रीय सतर्कता आयोग	75	8	13	40	6	16	34	17	15	149	31	44
5. वाणिज्य, नागरिक अपूर्ति तथा सहकारिता	702	80	6	3215	495	75	1697	339	38	5614	914	119
6. संचार	474	39	6	2293	517	166	616	238	134	3383	794	306
7. शिक्षा और समाज कल्याण	6722	283	218	16594	1399	1371	14676	4107	1838	37992	5789	3427
8. इलेक्ट्रॉनिक्स	101	1	2	137	25	4	15	6	—	253	32	6
9. भारत का निर्वाचन आयोग	26	—	1	134	21	1	54	21	—	214	42	2
10. ऊर्जा	589	24	10	708	73	20	173	33	12	1470	130	42
11. विदेश मंत्रालय	90	3	4	799	143	37	187	73	37	1076	219	78
12. वित्त	9155	754	379	55546	9309	3722	22858	5243	3805	87559	15316	7906
13. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3550	179	47	13820	1175	498	16693	3720	720	34063	5074	1265
14. गृह मंत्रालय	5187	334	113	189250	34407	20593	19538	7723	2650	213975	42464	23356
15. उद्योग	6721	197	641	49332	16103	14718	120982	15862	36188	177035	32162	51547
16. सूचना और प्रसारण	1745	212	124	6694	1358	746	3481	1346	491	11920	2916	1361
17. श्रम	2373	214	118	9869	1363	1013	4553	1345	691	16795	2922	1822
18. पेट्रोलियम और रसायन	802	23	7	1842	133	78	653	150	71	3297	306	156
19. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति आयोग	10	1	—	16	1	—	5	3	—	31	7	—
20. विज्ञान और प्रौद्योगिकी	7390	202	242	21805	3117	1897	11445	3250	1928	40640	6569	4087
21. जहाजरानी और परिवहन	4092	271	705	27295	2722	5918	56484	10126	12925	87871	13119	19548
22. आंतरिक्ष	3193	14	184	5044	294	764	1336	363	183	9573	671	1131
23. रसायन और खान	2495	121	73	9510	1299	434	5375	783	455	17380	2203	962
24. शक्ति एवं पुनर्वास	1238	99	42	9873	1371	544	4091	991	442	15202	2461	1028
25. पर्यटन एवं सिविल विमान	1553	208	38	4136	705	442	1585	531	224	7274	1424	704
26. संघ लोक सेवा आयोग	163	12	3	732	134	18	256	113	22	1151	259	43
27. निर्माण और आवास	5490	423	143	27672	4625	1932	19230	5745	2675	52392	10793	4650
जोड़	81325	5399	4147	503337	91431	59079	322948	67118	67786	907610	163948	131012

सार्वजनिक उपकरणों से अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जातजाति का प्रतिनिधित्व

मंत्रालय/विभाग	श्रेणी 3 और 4											
	श्रेणी 1						श्रेणी 2					
	कुल	अनु. जाति/ अनु. जन-जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल	अनु. जाति/ अनु. जन-जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल	अनु. जाति/ अनु. जन-जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल	अनु. जाति/ अनु. जन-जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. कृषि और सिंचाई	1146	77	66	4258	521	428	3405	838	518	8809	1436	1012
2. परमाणु ऊर्जा	58	2	—	107	—	1	2390	1059	171	2555	1061	172
3. वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता	1724	95	66	4375	536	558	1130	234	180	7229	865	804
4. संचार	4474	260	373	12143	2223	2333	4806	1798	419	21423	4281	3125
5. शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण	707	12	125	1297	110	325	603	192	218	2607	314	668
6. ऊर्जा	5070	178	41	13086	672	920	9258	1934	767	27414	2789	1728
7. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	35	2	—	480	72	—	222	61	—	737	135	—
8. उद्योग	2041	161	88	6054	781	551	2709	781	371	10804	1723	1010
9. पेट्रोलियम एवं रसायन	16217	785	323	41464	4307	3204	16326	4082	1856	74007	9174	5383
10. विज्ञान और प्रौद्योगिकी	148	3	2	509	82	30	93	30	10	750	115	42
11. जहाजरानी एवं परिवहन	3044	142	116	11536	1365	1150	47516	6310	9228	62096	7817	10494
12. हस्तात और खात	37877	1297	2451	250164	54843	26390	43403	24010	8714	331444	80150	37555
13. पर्यटन एवं सितिल विमानन	7923	605	59	18995	2801	341	11305	4084	237	38223	7490	637
14. निर्माण एवं आवास	530	33	9	1317	248	11	744	233	—	2591	514	20
जोड़	80994	3652	3719	365785	68566	36242	143910	45646	22689	590689	177864	62650

दिनांक 31 मार्च से 18 मई, 1979 तक हुई बैठक में उपस्थित संसद सदस्यों की सूची

आन्ध्र प्रदेश

1. श्रीमती बी० राधाबाई आनन्द राव
2. श्री चाडलावडा वेंकट राव
3. श्री के० एम० नारायण
4. श्री जी० मल्लिकार्जुन राव
5. श्री बी० पी० भीर्य
6. श्री एम० नागेश्वर राव
7. श्री एस० आर० ए० एल० अम्पलानायडू
8. श्री टी० बालकृष्णय्या

असम

9. श्री आई० एच० जान

बिहार

10. श्री हुकमदेव नारायण यादव
11. श्री रामलखन प्रसाद गुप्ता
12. श्री रामानन्द यादव
13. श्री विनायक प्रसाद यादव

गुजरात

14. श्री अहसान जाफरी
15. श्री चित्तुभाई ममित
16. श्री एच० बी० माहिदा

हरियाणा

17. श्रीमती चन्द्रावती
18. श्री मनोहर लाल सैनी

झारखण्ड

19. श्रीमती पार्वती देवी

कर्नाटक

20. श्री बी० जनार्दन पुजारी
21. श्री के० बी० चौधरी
22. श्री एल० आर० नायक
23. श्री जी० बाई० कृष्णन्

मध्य प्रदेश

24. श्री बी० आर० मनहर
25. श्री भारत सिंह चौहान
26. श्री गोविन्दम गिरि
27. श्रीमती जमना देवी
28. श्री नरहरि प्रसाद साई
29. श्री डी० पी० साह

महाराष्ट्र

30. श्री बी० पी० नाईक

मणिपुर

31. श्री कैह्यो

मेघालय

32. श्री एलेक्जेंडर बारजरी
33. श्री एच० एस० सिंगधीह
34. श्री पी० ए० संगमा

नागालैण्ड

35. श्री रब्योमो लोथा
36. श्रीमती रानो एम० बीजा

उड़ीसा

37. श्री सी० एम० सिन्हा
38. श्री के० प्रधानी

राजस्थान

39. श्री चतुर्भुज
40. श्री नाथु सिंह
41. श्री एन० आर० मिर्धा

सिक्किम

42. श्री सी० बी० छेत्री
43. श्री एल० एस० सारिंग

तमिलनाडु

44. श्री के० राममूर्ति
45. श्री के० टी० कोशलराम
46. डा० पी० वी० वैरियास्वामी
47. श्री आर० कोलनचाईवेलु

त्रिपुरा

48. श्री सी० सी० देव बरमन
49. श्री एस० एल० सिंघा

उत्तर प्रदेश

50. श्रीमती हमिदा हबिबुल्ला
51. श्री चन्दन सिंह
52. श्री दया राम शाक्य
53. श्री एफ० ए० अन्सारी
54. श्री मनोहर लाल
55. श्री मंगल देव बिहारद
56. श्री कुंवर महमूद अली खान
57. श्री मोहन लाल पिपिल
58. श्री पी० एल० कुरील
59. श्री राम लाल कुरील
60. श्री आर० डी० शास्त्री
61. श्री राम किकर
62. श्रीमती मोहसिना किबबाई
63. श्री आर० एस० वर्मा
64. श्री रूप नाथ सिंह यादव
65. श्री श्याम लाल यादव
66. श्री सुरेन्द्र विक्रम

पश्चिम बंगाल

67. श्री कृष्ण चन्द्र हलधर
68. श्री के० बी० प्रेमी
69. श्री मुकुन्द मण्डल

बिस्वी

70. श्री ब्रह्म प्रकाश चौधरी

गोवा, वनम और दीव

71. श्री अमृत कंसर

पाण्डीचेरी

72. श्री बी० पी० मनुस्वामी

दिनांक 1 जुलाई से 4 जुलाई, 1980 तक हुई बैठक में उपस्थित संसद सदस्यों की सूची

प्रदेश

1. श्री पी० राजगोपाल-राव
2. श्री वी० सत्यनारायण रेड्डी
3. श्री जी० स्वामी नायक
4. श्री एन० जी० रंगा
5. श्री पी० राजगोपाल नायडु
6. श्री पी० शिव शंकर
7. श्री एस० आर० ए० एस० अम्पलानायडु

बिहार

8. श्री ए० के० राय
9. प्रो० भजित कुमार महता
10. श्री सी० एस० सिंह
11. श्री डी० एल० वैधा
12. श्री डी० पी० यादव
13. श्री एन० ई० होरो
14. श्री राम भवतार शास्त्री
15. श्री आर० एल० पी० वर्मा
16. श्री सेठ हेमचन्द्र

गुजरात

17. श्री धर्मर सिंह रथावा
18. श्री वी० के० गुधावी
19. श्री ईश्वर भाई के० छाबड़ा
20. श्री मोती भाई चौधरी
21. श्री नरसिंह मकवाना
22. श्री नवीन रवानी
23. श्री आर० पी० गायकवाड

जम्मू और कश्मीर

24. श्री जी० एम० शाल
25. श्री जी० आर० कोषक
26. श्री मुबारक शाह

कर्नाटक

27. श्री वी० जनार्दन पुजारी
28. श्री ए० पी० सिद्धनाल

केरल

29. श्री आर० बालामन्दन
30. श्री ई० के० ईन्दीदीबाबा
31. श्री आर्जे जोसफ मुंडाकाळ
32. श्री जी० एम० बनाटवाला
33. श्री एम० रामशा राय
34. श्रीमती सुशीला गोपालन
35. श्री वी० एस० विजयराघवन

मध्य प्रदेश

36. श्री भरविन्द नेताम
37. श्री बालेश्वर दयाल
38. श्री सुन्दर शर्मा
39. श्री एन० के० होजवालकर
40. श्री परम राम भारद्वाज
41. श्री आर० पी० निरवारा

महाराष्ट्र

42. श्री ए० टी० पाटिल
43. श्री बापू साहब पारुलकर
44. श्री जी० एस० कुचान
45. श्री मधु वण्डवते
46. श्री आर० के० महालगी
47. श्री रत्न सिंह राजवा.
48. श्री एस० वी० चव्हाण
49. श्री एस० वी० थोरटे
50. श्री शिवराज वी० पाटिल
51. श्री विलास मुद्दमवार

मणिपुर

52. श्री टोमपोक सिंह

उड़ीसा

53. श्री सी० एम० पाणिग्रही

पंजाब

54. श्रीमती धर्मजीत कौर
55. श्री हृदय सिंह
56. श्री हर किशन सिंह सुरजीत
57. श्रीमती रजिन्दर कौर
58. जयरल आर० एस० स्वैरो

राजस्थान

59. श्री जयनारायण राउद
60. श्री सतीश अग्रवाल

सिक्किम

61. श्री पी० एम० सुब्बा

तमिलनाडु

62. श्री सी० पालानियाप्पाल
63. श्री ईरा अनवरराजु
64. श्री के० अर्जुनन्
65. श्री एम० कंडास्वामी
66. श्री आर० वी० स्वामीनाथन्

उत्तर प्रदेश

67. श्री असफाक हुसैन
68. श्री बी० डी० सिंह
69. श्री हुंगर सिंह
70. श्री जयपाल सिंह कश्यप
71. श्री जय राम वर्मा
72. श्री नरेन्द्र सिंह
73. श्री राम प्यारे पाणिका
74. श्री रघुनाथ सिंह वर्मा
75. श्री श्याम लाल यादव
76. श्रीमती ऊषा वर्मा

पश्चिम बंगाल

77. श्री ए० के० शाह
78. श्री वासुदेव आचार्य
79. श्रीमती विष्णु घोष गोस्वामी
80. श्रीमती गीता मुखर्जी
81. श्री ज्योतिर्मय बभु
82. श्री मुकुन्द मंडल
83. श्री रूप चन्द पाल
84. श्री सत्य सदन चक्रवर्ती

गोवा, दमन और दीव

85. श्री इंदुभारडो पलैरो

आयोग द्वारा दौरा किए गए राज्यों व संघ शासित क्षेत्रों की सूची

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	दौरा करने की तारीख	क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	दौरा करने की तारीख
1.	आन्ध्र प्रदेश	26-7-1980 से 30-7-1980	11.	उड़ीसा	20-6-1980 से 22-6-1980
2.	बिहार	(i) 26-5-1979 से 30-5-1979 (ii) 11-9-1979 से 18-9-1979	12.	पंजाब	4-10-1980 से 7-10-1980
3.	गुजरात	18-9-1980 से 21-9-1980	13.	राजस्थान	26-8-1980 से 30-8-1980
4.	हरियाणा	15-5-1979 से 16-5-1979	14.	सिक्किम	21-5-1980 से 23-5-1980
5.	हिमाचल प्रदेश	29-9-1980 से 2-10-1980	15.	तमिलनाडु	26-6-1979 से 30-6-1979
6.	जम्मू और कश्मीर	14-10-1979 से 19-10-1979	16.	उत्तर प्रदेश	6-9-1980 से 12-9-1980
7.	कर्नाटक	9-4-1980 से 13-4-1980	17.	पश्चिमी बंगाल	23-6-1980 से 26-6-1980
8.	केरल	23-6-1979 से 25-6-1979	18.	चण्डीगढ़	14-5-1979
9.	मध्य प्रदेश	(i) 15-8-1980 से 20-8-1980 (ii) 4-10-1980 से 8-10-1980	19.	दिल्ली	18-5-1979
10.	महाराष्ट्र	20-7-1980 से 23-7-1980	20.	गोवा, दमन, दियू	25-7-1980
			21.	पाण्डिचेरी	28-6-1979

समाजशास्त्रियों के अनुसंधान योजना दल की रिपोर्ट

निम्नलिखित सदस्यों से गठित अनुसंधान योजना दल की दिल्ली में 12 जून से 14 जून, 1979 को, सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की परिभाषित करने हेतु एक वैज्ञानिक तथा वस्तुपूरक माप-दण्ड निर्धारित करने के लिए अध्ययनों और अनुसंधानों, जो कि पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा किए जाने/आयोजित किए जाने चाहिए, की योजना तैयार करने के लिए एक बैठक हुई।

सदस्यों की सूची :—

1. प्रो० एल० के० महापात्र
2. प्रो० एन० एस० रेड्डी
3. प्रो० लीला दुबे
4. डा० ए० के० डांडा
5. श्री एन० के० बनर्जी
6. श्री एस० एस० गिल
7. प्रो० बी० के० राम बर्मन

1. अध्ययन दल ने सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के सम्बन्ध में संविधान में किए गए प्रावधानों के सन्दर्भ में और संविधान की वास्तविक शब्दावली पर विचार करने के पश्चात् महसूस किया कि इनका सम्बन्ध सामाजिक स्वीकृति तथा स्थाई समूहों से है, न कि व्यक्ति विशेष से है।

2. उपर्युक्त के परिणामस्वरूप यह अर्थ निकलता है कि सामाजिक पिछड़ेपन का स्वरूप, वर्तमान जांच से ज्यादा सम्बद्ध है, जो कि आरोपित हैसियत से सम्बन्धित है न कि प्राप्त की गई हैसियत से।

3. अध्ययन दल ने महसूस किया कि सामाजिक पिछड़ेपन और शैक्षणिक पिछड़ेपन के बीच सम्बन्धों की समस्या पर विचार करना आवश्यक है। जबकि सामाजिक पिछड़ेपन का सम्बन्ध हैसियत के आरोपणा से है, वहाँ शैक्षणिक पिछड़ेपन का सम्बन्ध प्राप्त की गई हैसियत से है। यह स्पष्ट है कि प्रथम केवल समय के साथ-साथ परिवर्तित हो सकता है—जबकि बाद वाले के मामले में तीव्र परिवर्तन सम्भव है। इसलिए सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का मानदण्ड निर्धारित करते समय सामाजिक पिछड़ेपन पर गम्भीर तत्व के रूप में और शैक्षणिक पिछड़ेपन पर सम्बद्ध तत्व, हालांकि यह जरूरी नहीं कि यह प्रथम से उत्पन्न हुआ हो, के रूप में विचार किया जाना चाहिए।

4. भारतीय सन्दर्भ में आरोपण सामाजिक दृष्टि से पिछड़ी हुई स्थिति के साथ सामूहिकता को पहचानने का काम दो उत्कृष्ट स्थितियों के द्वारा किया जा सकता है, चाहे वे अति तीव्रता से परस्पर व्याप्त हो जाते हैं। प्रथम उन जातियों या जातीय ग्रुपों को पहचानना है, जिन्हें परम्परागत निम्न स्थित दी गई है (अनुसूचित जातियों को छोड़कर)। दूसरे, उन परम्परागत व्यवसायों की पहचान करना है, जिन्हें निम्न हैसियत प्राप्त है किन्तु जो विशिष्ट जातियों या जातीय ग्रुपों से भी सम्बद्ध हैं। ये जातीय ग्रुप किसी भी धर्म से सम्बन्धित हो सकते हैं। परम्परागत ढाँचे के रूप में सामूहिकता की एक बार पहचान कर

लेने पर कोई भी जांच कर सकता है कि आधुनिक समाज में विभिन्न मान्यताओं के प्रभाव के अधीन उनके सामाजिक तथा शैक्षणिक स्थितियों में क्या परिवर्तन आए हैं।

5. परम्परागत निम्न हैसियत वाली जातियों को पहचान के सम्बन्ध में 1931 तक की जनगणना रिपोर्टों में काफी मात्रा में आंकड़े उपलब्ध हैं। इसी प्रकार व्यवसायों की आरोपित स्थितियों के बारे में भी पहले की जनगणना रिपोर्टों में काफी सूचना उपलब्ध है। 1891 की जाति-सूची में साठ व्यवसायिक वर्गों में विभिन्न जातियों के विभाजन के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होती है। 1901 की जनगणना से जातियों की रैकिंग स्थिति और साथ-साथ उनको प्राप्त सामाजिक सुविधाओं और उनसे सम्बन्धित अयोग्यताओं के बारे में सूचना मिलती है। 1931 तक की बाद की जनगणनाओं में जातियों के बीच सामाजिक परिवर्तन सम्बन्धी आन्दोलनों और उनकी अपनी स्थितियों में परिवर्तन की प्रक्रिया के सम्बन्ध में सूचना मिलती है। यदि, 1891 और 1901 की जनगणनाओं में उपलब्ध बुनियादी आंकड़ों और बाद में हुए परिवर्तनों को दर्शाते हुए एक तुलनात्मक विवरण तैयार की जाती है तो उससे उस स्वरूप का सुस्पष्ट चित्र प्राप्त होगा जोकि स्वतन्त्रता-पूर्व अवधि में उभर कर आया था।

6. जातियों या जातीय ग्रुपों या स्वतन्त्रता-पूर्व अवधि में मिश्र-भिन्न परम्परागत व्यवसायों में लगी जनसंख्या की शैक्षणिक स्थिति के सम्बन्ध में कुछ सूचना पूर्व की जनगणना रिपोर्टों में उपलब्ध है। चाहे यह माना जाता है कि विभिन्न जातियों से सम्बन्धित अधिकांश लोग इस समय अपने परम्परागत व्यवसाय या व्यवसायों में नहीं लगे हुए हैं, तब भी यह माना गया है कि अधिकांश मामलों में उद्योग प्रौद्योगिकी पूर्व परम्परागत व्यवसायों में लगी हुई अधिकांश जनसंख्या अब भी वे जातियाँ या जातीय ग्रुप है जो सचियों से ऐसे व्यवसायों से सम्बद्ध रहे हैं। विभिन्न परम्परागत व्यवसायों में लगे हुए व्यक्तियों के शैक्षणिक स्तर के बारे में कुछ सूचना पहले की जनसंख्या रिपोर्टों में उपलब्ध है। इसका संकलन किया जाना अपेक्षित है।

7. (क) सामूहिक रूप से वर्तमान सामाजिक और शैक्षणिक स्तर निर्धारण की समस्याओं, जिन्हें पहले की साधन सामग्री के द्वारा जांच के आधार पर पिछड़े के रूप में पहचाना गया है, पर दोनों को धारणाओं और अनुभव तथा सांख्यिकीय स्तरों को आधार बनाकर विचार किया जा सकता है।

(ख) वैचारिक स्तर पर दृष्टिकोण सम्बन्धी समस्याओं पर बाद में विचार किया जायेगा। अनुभव तथा सांख्यिकीय स्तर पर निम्नलिखित साधनों और प्रक्रियाओं को देखा गया :—

- (i) जनगणना के व्यवसाय सम्बन्धी आंकड़ों की क्रम सारणियाँ बनाना।
- (ii) जनगणना, कृषि-आर्थिक अनुसंधान केन्द्रों और कई अन्य संस्थानों और विद्वानों के ग्रामीण तथा शहरी अध्ययन और दस्तावेजों सम्बन्धी अध्ययन।

- (iii) जनसंख्या के कमजोर वर्गों के सम्बन्ध में भारत के मानवशास्त्रीय सर्वेक्षण द्वारा विगण रूप से किए गए अध्ययन ।
- (iv) आई०सी०एस०एस०आर० द्वारा प्रायोजित अध्ययन ।
- (v) पिछड़ा वर्ग फ़ंडरेशन तथा अन्य एजेंसियों द्वारा प्रायोजित की गई अध्ययन गोटियों की रिपोर्ट ।
- (vi) पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा विशेष रूप से प्रायोजित नमूना सर्वेक्षण ।

(ग) जनसंख्या आंकड़ों के क्रम सारणीयन और पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा प्रायोजित किए जाने वाले नमूना सर्वेक्षणों के सम्बन्ध में समस्याओं के बारे में विशेष उल्लेख किया जाएगा। जहां तक व्यवसाय और शैक्षणिक आंकड़ों के क्रम सारणीयन का सम्बन्ध है, यह उल्लेखनीय है कि आजकल ऐसे आंकड़ एन०सी०ओ० के केवल तीन अंकीय संकेत तक ही उपलब्ध हैं। किन्तु निम्न आरोपण स्थिति वाले अधिकांश परम्परागत व्यवसाय तीन अंकीय संकेतों में नहीं आयेगे। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर संगणन की गई एक प्रतिशत नमूना स्लिपों, शहरी क्षेत्रों के सम्बन्ध में कम्प्यूटराइज्ड की गई 10 प्रतिशत स्लिपों और देश के कुछ भागों के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कम्प्यूटराइज्ड की गई 5 प्रतिशत स्लिपों पर आधारित पांच अंकीय संकेतों के रूप में तैयार की गई विशेष क्रम सारणीयन को लेना आवश्यक होगा।

8. पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा प्रायोजित नमूना सर्वेक्षणों के सम्बन्ध में इकाई का प्रश्न महत्वपूर्ण है। रिसले ने भारत में 5,000 से अधिक जातियों को सूचीबद्ध किया है; प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग ने 2,000 से अधिक अन्य पिछड़ा वर्गों को सूचीबद्ध किया है। यदि केवल क्षेत्रीय इकाईयों के सम्बन्ध में नमूना सर्वेक्षण किया जाता है, तो अधिकांश कम संख्या वाली जातियाँ, जो कि अधिक पिछड़ी हो सकती हैं, सम्मिलित न हो पाएंगी। यदि ऐसे सर्वेक्षण जाति को एक इकाई के रूप में लेकर किए जाते हैं तो समूचे देश में सभी जातियों की परिगणना में लगने वाले अधिक समय और खर्चीली प्रक्रिया के बिना नमूना ढांचा उपलब्ध नहीं हो पायेगा।

9. ऐसा प्रतीत होता है कि एकल माप नमूना सर्वेक्षण करना सम्भव नहीं हो पायेगा, फिर भी सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के रूप में समझे जाने वाले पात्र सभी विशिष्ट समूहों की वास्तविक स्थितियों को पहचानने की बजाए साधारण तौर पर स्थिति की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुमुखी दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक होगा। बहुमुखी दृष्टिकोणों की उत्कृष्ट बातें निम्न प्रकार होंगी:—

- (क) तालुक स्तर तक जनगणना आंकड़ों के एक विश्लेषण से, वे क्षेत्र पहचानना सम्भव हो गया जहाँ अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का नगण्य अनुपात बनता है और जहाँ उसी समय साक्षरता का स्तर गिरा हुआ है। शैक्षणिक पिछड़ापन के तत्वों की जांच करने के लिए और यह भी पता लगाने के लिए कि किस सीमा तक सामाजिक पिछड़ापन उससे सम्बद्ध है। ऐसे क्षेत्रों में नमूना सर्वेक्षण किए जाएंगे।
- (ख) गांव सर्वेक्षण प्रबन्धों की जांच से, उन समुदायों की एक सूची तैयार करना सम्भव होगा जिन्होंने सामाजिक बाधाओं के कारण कष्ट उठाया और जो साथ-साथ शैक्षणिक रूप से भी पिछड़े हैं। उद्देश्यपूर्ण नमूने के आधार पर इन क्षेत्रों में नमूने सर्वेक्षण किए जा सकते हैं।
- (ग) पुस्तैनी दस्तकारी सर्वेक्षण रिपोर्टों तथा हस्तकला बोर्ड और खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग के साथ परामर्श से इन

पुस्तैनी दस्तकारियों और उद्योगों में लगी जनसंख्या की सामाजिक, आर्थिक दशाओं के बारे में और परिवर्तन में लगी जनसंख्या के बारे में, जिसे पिछड़ों के रूप में रखा जाता है, जानकारी प्राप्त की जा सकती है। 1961 की जनगणना की जिला जनगणना पुस्तिकाओं में भी ग्राम स्तर पर विभिन्न श्रेणी उद्योगों के बारे में भी जानकारी मिलती है। उद्देश्यपूर्ण नमूना के आधार पर उनमें से कुछ का अध्ययन किया जा सकता है।

(घ) भूतपूर्व आपराधिक आदिवासी जांच समिति तथा धूमन्तु आदिवासी जांच समिति ने जातियों की अनुसूचित संख्या के बारे में और उन क्षेत्रों के बारे में जहाँ वे सागन्ध रूप से पाई जाती हैं, के बारे में सूचना दी है। उनमें से कुछ को सर्वेक्षण के धरे में लिया जाना चाहिए।

(ङ) गृह मंत्रालय द्वारा गठित लोकर समिति ने जातियों की एक सूची दी है जिन्हें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित करने के लिए अभ्यावेदन किया था परन्तु, जिन्हें छोड़ दिया था रिपोर्ट इन बहुत सी जातियों के सामाजिक स्तर का संकेत देती है। समय समय पर इसी प्रकार के अभ्यावेदन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के रूप में माने जाने के लिए गृह मंत्रालय और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति आयुक्त तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति आयोग को प्राप्त हुए थे जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों की इन श्रेणियों की किसी की श्रेणी में शामिल करने हेतु माप दंड के अनुसार नहीं पाए गए किन्तु इन्हें उनके सामाजिक तथा शैक्षणिक स्तर के बारे में जांच करने के लिये लिया जा सकता है।

(च) कुछ राज्यों में अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में सूचीबद्ध अनेक जातियों का उनका वास्तविक सामाजिक तथा शैक्षणिक स्तर का निर्माण करने के लिए नमूना अध्ययन किया जा सकता है और उनकी उन्नति के लिए अपनाए विभिन्न उपायों के प्रभाव का भी अध्ययन किया जा सकता है।

10. दल ने यह विचार किया कि कमजोर वर्गों पर भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण द्वारा किये गए अध्ययन पिछड़ेपन की उत्पत्ति की प्रक्रिया अथवा उसकी स्थिरता या परिवर्तन को समझने के संबंध में वैचारिक अन्तर्दृष्टि प्राप्त करने में अत्यधिक सहायक होगी। इन अध्ययनों की रिपोर्टों की सावधानीपूर्वक जांच की जाए।

11. जबकि पूर्वलिखित तरीके से प्राप्त किये गये अनुभव तथा सांख्यिकीय आंकड़े उनके जातियों और समुदायों तथा अन्य समूहों (पुस्तैनी व्यवसाय ग्रुपों) के चालू सामाजिक तथा शैक्षणिक स्तर की पहचान करने में सहायक सिद्ध होंगे किन्तु दीर्घकालीन प्रवृत्ति और भविष्य के बारे में उसका सापेक्ष महत्व भी आवश्यक होगा। इस प्रयोजन के लिए एक वैचारिक ढांचा बनाना भी निवार्य दिखाई पड़ता है।

(क) यह माना जा सकता है पिछड़ेपन की उत्पत्ति स्थिरता तथा परिवर्तन विभिन्न ऐतिहासिक बनावटों तथा सामाजिक परिस्थितियों में भिन्न रहती है। उदाहरणार्थ, वे क्षेत्र जिसमें मुख्यतः आदिवासी रहते हैं, वहाँ पर रह रहे गैर आदिवासी अल्पसंख्यकों के लिए पिछड़ापन निर्धारण करने के लिए कर्मकाण्डी बाधाएं महत्वपूर्ण मापदंड नहीं हो सकती। उनके मामले में राजनीतिक शक्ति केन्द्रों तक पहुंच एक अति महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। इसी प्रकार के मतभेद अर्ध-सामन्ती या पूंजी पर आधारित अर्थ-व्यवस्था के क्षेत्र में देखे जा सकते हैं।

(क) सामाजिक तथा औद्योगिक पिछड़ेपन के प्रभावित कारणों का महत्व उन क्षेत्रों में जहाँ विभिन्न जातियों तथा समुदायों तथा पुरस्ती व्यवसाय धरने वाली जातियों में सामाजिक परिवर्तन हो चुके हैं, उन क्षेत्रों की अपेक्षा बहुत अधिक होगा जहाँ कि ऐसे परिवर्तन नहीं हुए हैं।

12. अनुभवजन्य अध्ययन करते हुए निम्नलिखित चिन्ताओं को भी ध्यान में रखा जाए :—

- (ख) अन्य जाति दूधों द्वारा सामाजिक कर्मकाण्डी केबाद।
- (ग) संबंधित वर्ग के व्यवसायों की "निम्न" स्तर।

(ग) क्षेत्र (ग्राम पंचायत/ब्लॉक/तालुका) में जाति दूधों की तुलना में "निम्न" स्वयं-मूल्यांकन।

(घ) ग्राम पंचायत/ब्लॉक/तालुका में अन्य पड़ोसी दूधों के बारे में साक्षरता दर। ॥

(ङ) बाल-श्रम (15 वर्ष की आयु तक) को वे व्यवसाय जिनमें इन लगाने की आवश्यकता है।

(च) जातियों तथा समुदायों के आर्थिक स्तर।

(छ) सरकार प्रवर्षा निजी क्षेत्र की सेवाओं में वा व्यवसायों में प्रतिनिधित्व।

	1	2	3	4	5	6	7	8
25. If working whether working within the village/town or outside the village/town (within-1. Outside-2) यदि कार्य कर रहे हैं तो क्या गाँव/शहर के भीतर अथवा गाँव/शहर के बाहर कार्य कर रहे (भीतर-1, बाहर-2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 613-620
26. Place of work (Code) कार्य करने का स्थान (कोड)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 621-628
27. If not attended School, Why ? (Code) यदि स्कूल नहीं गए तो क्यों ? (कोड)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 629-636

PART IV/ भाग 4

DESCRIPTION OF ASSETS/ परिचय का विवरण

(Actual number and value to be recorded in the squares provided)
(वास्तविक संख्या और मूल्य स्थानों में भरें)

A :- (To be filled in the case of Rural areas only)
(शहरी इलाकों के मामलों में भरें)

Number/ संख्या

Current value/ (in Rupees)
वर्तमान मूल्य (रुपयों में)

28 House/ मकान	<input type="checkbox"/>	637	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	638-643
29 Agricultural tools/ कृषि के औजार								
Mostly wooden/ अधिकतर लकड़ी के	<input type="checkbox"/>	644-645	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	646-648
Mostly Iron अधिकतर लोहे के	<input type="checkbox"/>	649-650	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	651-653
30 Fodder Chopper/ चारा काटने की मशीन	<input type="checkbox"/>	654-655	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	656-658
31 Thresher/ धेरा	<input type="checkbox"/>	659-660	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	661-664
32 Pump Sets/ पम्प सेट	<input type="checkbox"/>	665	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	666-669
33 Tractor/ ट्रैक्टर	<input type="checkbox"/>	670	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	671-675
34 Draught animals मार-बाही पशु	<input type="checkbox"/>	676-677	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	678-682
35 Milch animals/ दुधारू पशु	<input type="checkbox"/>	683-684	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	685-689
36 Sheep & goat/ भेड़ और बकरी	<input type="checkbox"/>	690-692	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	693-697
37 Poultry/ मुर्गीपालन	<input type="checkbox"/>	698-700	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	701-705
38 Bullock Cart/ बैलगाड़ी	<input type="checkbox"/>	706	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	707-711
39 Pigs/ सुअर	<input type="checkbox"/>	712-713	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	714-717
40 Tools used by artisan & servicing Class (List the items & give total value only) कारीगरों के काम आने वाले औजार और उनकी मरम्मत करने वाला वर्ग (केवल सर्वों की सूची और कुल मूल्य बतायें)								
(i) _____								
(ii) _____								
(iii) _____								
(iv) _____								
								<input type="checkbox"/> 718-722

41 Other Material Objects/अन्य सामान सामग्री	Number संख्या	Current Value (in Rupees.....) वर्तमान मूल्य (रुपया.....)
(i) Cycle/ साईकिल	<input type="checkbox"/> 722	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 724-727
(ii) Radio/Transistor/ रेडियो/ट्रान्जिस्टर	<input type="checkbox"/> 728	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 729-732
(iii) Scooter/Motor Cycle/ स्कुटर/मोटर साईकिल	<input type="checkbox"/> 733	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 734-737
(iv) Others/अन्य	<input type="checkbox"/> 738	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 739-742
42 Assets of Trade & Commerce/ व्यापार और वाणिज्य परिसम्पत्तियां		
(i) Shop/ दुकान	<input type="checkbox"/> 743	
(ii) Kind of shop/ दुकान की किस्म (Owned-1 Rented-2) (निजी-1 किराये की-2)	<input type="checkbox"/> 744	
B. (To be filled in the case of urban areas only) (केवल शहरी क्षेत्र के मामलों में भरें)		
43 House/ मकान	<input type="checkbox"/> 745	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 747-751
44 Furniture & other material objects/ फर्नीचर एवं अन्य सामान सामग्री		
(i) Cycle/Motor Cycle/Car साईकिल/मोटर साईकिल/कार	<input type="checkbox"/> 752	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 753-757
(ii) Radio/Transistor/T.V. रेडियो/ट्रान्जिस्टर/टी.वी.	<input type="checkbox"/> 758	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 759-763
(iii) Dining Table/ खाने की मेज	<input type="checkbox"/> 764	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 765-769
(iv) Sofa Set/ सोफा सेट	<input type="checkbox"/> 770	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 771-775
(v) Refrigerator/ रेफ्रिजरेटर	<input type="checkbox"/> 776	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 777-781
(vi) Telephones/ टेलीफोन	<input type="checkbox"/> 782	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 783-787
45 Assets of Trade & Commerce व्यापार और वाणिज्य परिसम्पत्तियां		
(i) Shop/ दुकान	<input type="checkbox"/> 788	
(ii) Kind of Shop/ दुकान की किस्म (owned-1, Rented-2)(निजी-1 किराये की 2)	<input type="checkbox"/> 789	
46 Other Assets/ अन्य परिसम्पत्तियां		
(i) Milch animals/ दुग्धक पशु	<input type="text"/> <input type="text"/> 790-791	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 792-796
(ii) Pigs/ पुंखर	<input type="text"/> <input type="text"/> 797-798	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 799-802
(iii) Other animals/ अन्य पशु	<input type="text"/> <input type="text"/> 803-804	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 805-808

PART V/भाग पाँच**INDEBTEDNESS ऋणप्रसूता**

47 Have you taken any loan during the last 3 years
(Yes-1, No-2)

क्या आपने पिछले तीन वर्षों में कोई ऋण लिया है ?
(हां-1, नहीं-2)

 809

48 If yes, Total amount of loan taken (in Rs.)
यदि हां, तो लिये गये ऋण की कुल राशि (रुपयों में)

 810-815

49 Main reasons for taking loan (Code)
ऋण लेने का मुख्य कारण (कोड)

 816

50 From whom taken (Code)
किससे लिया गया (कोड)

 817

51 Amount of loan outstanding (in Rs.)
बकाया ऋण की राशि (रुपयों में)

 818-823

Date _____
दिनांक

(Name of the Investigator)
अन्वेषक का नाम

BACKWARD CLASSES COMMISSION GOVERNMENT OF INDIA

परिशिष्ट-15

पिछड़ा वर्ग आयोग

भारत सरकार

VILLAGE SCHEDULE

ग्राम—संज्ञिका

Part—I GENERAL भाग—1 सामान्य

Name of the Village.....

ग्राम का नाम

District

जिला

Population of village

on the date of Survey covered.....

किंग गए सर्वेक्षण की तारीख को ग्राम की जनसंख्या

Part—II VILLAGE AMENITIES भाग—2 ग्राम सुविधाएँ

Tehsil/Taluka.....

तहसील/तालुका

Population (1971 Census).....

जनसंख्या (1971 की जनगणना)

No. of hamlets.....

पुरवों की संख्या

A.	Distance from nearest निकट स्थान से दूरी	In respect of the main village (Give Code) मुख्य ग्राम के बारे में (कोड लिखें)	In respect of the Hamlets if any give their names (Give Codes) पुरवों के बारे में यदि कोई है तो उनके नाम बताएं (कोड लिखें)				
Sl. No. क्रम सं०	2	3	4	5	6	7	8
1.	Railway Station रेलवे स्टेशन						
2.	Metalled Road पक्की सड़क						
3.	Bus Stop बस स्थान						
4.	Post Office डाक घर						
5.	Telegraph Office तार घर						
6.	Telephone/Public Call Office टेलीफोन/पब्लिक काल ऑफिस						
7.	Hospital/Dispensary अस्पताल/चिकित्सालय						
8.	Primary Health Centre प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र						
9.	Primary School प्राथमिक स्कूल						
10.	Middle School मिडिल स्कूल						
11.	High/Higher Secondary School/ Intermediate College उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूल/इंटरमीडिएट कॉलेज						
12.	College कॉलेज						

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	Temple मंदिर						
14.	Mosque मस्जिद						
15.	Church चर्च						
16.	Gurudwara गुरुद्वारा						
17.	Other places of worship (Specify) पूजा के अन्य स्थल (लिखें)						
18.	Bank बैंक						
19.	Cooperative Society सहकारिता समिति						
20.	Main source of drinking water पानी के पानी का मुख्य स्रोत						
21.	Veterinary dispensary पशु चिकित्सालय						

Codes for indicating the distance :—

दूरी बताते के लिये कोई कोड लिखें	0	1	2
Within the village ग्राम के भीतर	—	—	—
1.0 to 2.0 Km. 1.0 से 2.0 कि०मी०	3	4	5
More than 5 Km. 5 कि०मी० से अधिक	6	—	—
		Within 0.5 Km. 0.5 कि०मी० के भीतर	0.5 to 1.0 Km. 0.5 से 1.0 कि०मी०
		2.0 to 3.0 Km. 2.0 से 3.0 कि०मी०	3.0 to 5 Km. 3.0 से 5 कि०मी०

B. Is there any place of worship exclusively meant for any specific 'group of people' if so, give details.

क्या केवल किसी विशेष "वर्ग के लोग" के लिये कोई पूजा स्थल है, यदि ऐसा है तो ब्योरा लिखें।

(a) In the Main Village :

मुख्य ग्राम में

(b) In the Hamlets :

पुस्तकों में

1

2

3

4

5

(b) Organisations/Associations active in the village (to be filled in for voluntary/non-official organisations/associations engaged in social work/upliftment of economic/educational conditions/safeguarding of interests of particular groups/running of Institutions.
 संगठनों/गोठों में सक्रिय एसेसिएशनों/स्वैच्छिक/नै-सरकारी संगठनों/सामाजिक कार्यों में सक्रिय एसेसिएशनों/सामाजिक उत्थान/विकासिक दशा/किसी विशेष वर्ग के हितों को रक्षा तथा सम्भार चलाने के बारे में भरा जाए।

Sl. No. क्र. सं.	Name of Organisation संगठन का नाम	Whether local to the village or branch of a larger body क्या गांव का स्थानीय संगठन है अथवा किसी बड़े संगठन की शाखा है	Main function मुख्य कार्य	Group/community catered to or for a particular community/caste and/or for women/children/destitutes/occupation etc. जाति/समुदाय जिसके लिए खान-पान का प्रबंध करते हैं क्या वह किसी विशेष समुदाय/जाति अथवा महलाश्रा/बच्चों/निराश्रितों/व्यवसाय इत्यादि के लिये है (लिखें)	Whether running as any institute such as school/dispensary/place of worship etc. (specify) क्या स्कूल/दियासरी/पूजा के स्थान इत्यादि जैसी किसी संस्थान को चला रहे हैं (लिखें)	If running an Institution specify group/class/caste/community/women/children/destitutes etc. for which the institution is being run यदि कोई संस्थान चला रहे हों तो लिखें कि यह किसी विशेष समूह/वर्ग/जाति/समुदाय/महिला/बच्चों/निराश्रितों के लिये चलाया जा रहा है

सर्वेक्षण किए गए ग्राम और शहरी खंडों की सूची

क्रम० संख्या	जिले का नाम	ग्राम का नाम	शहरी खंडों का नाम	क्रम संख्या	जिले का नाम	ग्राम का नाम	शहरी खंडों का नाम
प्रान्त प्रदेश							
1.	श्रीकाकुलम	(1) वांकिली (2) पेंडाकलम	श्रीकाकुलम	18.	करीम नगर	(1) टककाल्लुपल्ली (2) मेस्थापाह	करीमनगर
2.	विशाखापत्तनम	(1) जगन्नापाटा (2) गोब्बारु	विशाखापत्तनम	19.	बारंगल	(1) काञ्चिकल (2) नासेपुर	बारंगल
3.	पूर्वी गोदावरी	(1) सावेरम (2) बमावारम	काकिनाडा	20.	खम्माम	(1) ग्राम्मापेल्ली (2) लक्ष्मीनगर	खम्माम
4.	पश्चिमी गोदावरी	(1) नौऊडीगम्पाडु (2) कावसेलेलटिपुडी	ईसुलु	21.	नालगोंडा	(1) पेडुपेवली सीऊररगु (2) मैनिल्ली मेडुवे	नालगोंडा
5.	कृष्ण	(1) भलुरुपाडु (2) रापारले	मछलीपालम	22.	हैदराबाद	—	हैदराबाद शहर
6.	गुंटूर	(1) कावेली (2) डांटालपुर	गुंटूर	भ्रतम			
7.	प्रकाशम	(1) धीइनश्रीबेल (2) सेल्लोपल्ली	धंगोले	1.	खालपाड़ा	(1) लेला (2) मेत्या	खालपाड़ा
8.	नैल्लोर	(1) मल्लिबेवि (2) बुबागुन्टा	नैल्लोर	2.	कामरूप	(1) गोबरधनाना (2) चेंगा	बारपेट रोड
9.	चित्तूर	(1) केल्लापल्ली (2) माडुसुर	चित्तूर	3.	दारांग	(1) बेहाली (2) मसुरई	तेजपुर
10.	कुडापेह	(1) गुडेमुक्क (2) के० धेनरिचेरेका	कुडापेह	4.	मोगोंग	(1) कुमारगांव (2) कावतीमारी	मोगोंग
11.	धनन्तपुर	(1) बेलडुरथी (2) बेलवकार	धनन्तपुर	5.	सिबसागर	(1) सरारगाग्रोन (2) कोटिकखोली	गोलाघाट
12.	कुरनूल	(1) चैकपल्ली (2) इडुरुपाडु	कुरनूल	6.	लक्ष्मीपुर	(1) वानचेनिया (2) नोरलेखिपाव	धामोजी
13.	महबूबनगर	(1) आर० के० पुरम (2) पुलांडोडुडी	महबूबनगर	7.	मिकिरहिल्ल (कासिगलोग)	(1) वाउथालानगो (2) वुलीपाथैर	डिपह
14.	रंगारेड्डी	(1) येनाकेपल्ली (2) सेथाम्माई	किफाराबाद	8.	नार्थ काचर हिल्ल	(1) मेलोगप्रोमर (2) मोहरखाजार	हापलोग
15.	मेडक	(1) सुरपल्ली (2) बेईरिडबुवा	सानगेरेडू	9.	काचन	(1) बोरोरामपुर (2) पलेरटाल पूर्जा	मिलचर
16.	निजामाबाद	(1) जगन्नीयाल (2) पंचेरम	निजामाबाद	10.	डिब्रुगढ़	(1) लापहीदकिटे केचोनी (2) मधुयाकि तिया बंगाली	डिब्रुगढ़

क्रम	जिले का नाम	गांव का नाम	शहरी खंडों का नाम	क्रम	जिले का नाम	ग्राम का नाम	शहरी खंडों का नाम
		बिहार					
1.	सिवान	(1) हरिहरपुर (2) बरासो	महाराजगंज	22.	सीतामढ़ी	(1) सींगराहिया (2) बाराबेजीया	सीतामढ़ी
2.	रोहतास	(1) कुसाही (2) सोनवारसां	देहरी	23.	बेगूसराय	(1) जकमूजफर (2) सांखू	राधारा
3.	भोरंगावादा	(1) हेमला (2) नयाराम्बा	भोरंगावादा	24.	हजारीबाग	(1) भंभाडीह (2) जराहिया	रामगढ़घंत
4.	नवादा	(1) मंडीला (2) राजमथ	नवादा	25.	रांची	(1) कुनबुदगा (2) गोने	खंजी
5.	नालंदा	(1) इगाकपुर (2) बसवान	बिहारशीरी	26.	धनबाद	(1) नयाडीह (2) कोराडीह	करकेन्व
6.	पटना	(1) चायमपुर (2) फतेहपुर	धानापुर	27.	सिंहभूम	(1) बगराई साई (2) जारमो	बायबासा
7.	गया	(1) दरियापुर (2) अमोरा	गया	28.	मधुबनी	(1) दुर्गापल्ली (2) गंगोली	मधुबनी
8.	भोजपुर	(1) बरुना (2) कुसम्बा	दुनराबों	29.	कटिहार	(1) रतनीमा खुई (2) वेदानल	मोइहारी
9.	सारण	(1) परमानन्वचपरा (2) मामपुर	रावलगंज	30.	मिरिडीह	(1) गोदी (2) जारडेवानी	कारंगडी
10.	चंपारण	(1) महुआ (2) रूपडीह	मोताही (मुजफ्फरपुर)	31.	गोपालगंज	(1) देवापुर टोला मोहरसिंह (2) बल्लहादरा पेरोसा	बरासी
11.	मुजफ्फरपुर	(1) परसावनीनाथ (2) जगदीशकान्तल	गन्नीपुर			गुजरात	
12.	दरभंगा	(1) गदारी (2) कीरतपुर	अलीनगर	1.	जामनगर	(1) सिबरजपुर (2) चुडेववर	कालावाड
13.	मुंगेर	(1) खजुरिया (2) खररं	जमालपुर	2.	राजकोट	(1) बलघोई (2) भालगोन	बंकावेर
14.	भागलपुर	(1) पहाड़पुर (2) गरवाधीनील्क	भागलपुर	3.	मुरेन्द्रनगर	(1) वाडला (2) श्रोदीगाटी	धनगोध
15.	सहारसा	(1) बेलदारा (2) लौकाही	माधीपुरा	4.	भावनगर	(1) कोन्नाला (2) भूटववर	वायोदा
16.	पुर्णिया	(1) सिकतीहार (2) लेहवाञ्जा	पुर्णिया	5.	धमरेली	(1) बारी (2) जमादिशाला	धमरेली
17.	संथालपरगना	(1) बहादुर चुह (2) बरुवा	दुमका	6.	जूनागढ़	(1) रामगाडली (2) पामेहाला	मोहाहादार
18.	पलामू	(1) खाप (2) दुलहार	डेलटनगंज	7.	कच्छ	(1) लाजागोध (2) भरादिया	गांधीधा
19.	समस्तीपुर	(1) खरीहरा (2) ईतमासनगर	समस्तीपुर	8.	बानसकांथा	(1) कोल्हाला (2) सदारपुर	मलीबास
20.	बैशाली	(1) अखतरपुर (2) रणपुरझरीया	मोहनास	9.	साबरकांथा	(1) मोती बेफार (2) अमोदोरा	ईबर
21.	बम्भारण (पश्चिम)	(1) हरदिया (2) पतलेनहौली	नयाटोला	10.	माहंगाणा	(1) इरावाई (2) जेलानी	मानसा

क्रम संख्या	जिले का नाम	ग्राम का नाम	शहरी खंड का नाम	क्रम संख्या	जिले का नाम	ग्राम का नाम	शहरी खंड का नाम
11.	गांधी नगर	(1) भोयाम राथोड (2) फलपजपुर	गांधीनगर			हिमाचल प्रदेश	
12.	अहमदाबाद	(1) वसना सोधथी (2) राहतालाऊ	बवाला	1.	चंबा	(1) बदरोलखे (2) यालसुर	चंबा
13.	खेडा	(1) बत्ताऊ (2) पोरबा	सजीला	2.	कांगड़ा	(1) कोहरा (2) कोडियारा	शरीर सोला
14.	पंच महल	(1) गोली (2) लिम्बादिया	कालोल	3.	मंडी	(1) नेताला (2) आऊजी	मंडी
15.	बडोदरा	(1) कारनेट (2) सुरखेदा	डेभी	4.	कुलु	(1) बेसाई (2) जीरी	कुलु
16.	भारूच	(1) श्रीपेश्वर (2) रायवाडी	राजपिपला	5.	लाहौल और स्पिती	—	—
17.	सुरत	(1) उंभेऊ (2) पानीयरी	बरदोरी	6.	बिलासपुर	(1) खनलामी (2) गलासिम	दियरा
18.	बलसाह	(1) भडेली (2) अभाली	पारडी	7.	सोलन	(1) भूनाकाव (2) जबाल जेमोटी	सोलन
19.	रि डंग	(1) गोवाल विहार (2) गधावी	—	8.	सिमला	(1) रचौली (2) मंडलोई	पिथोग
		हरयाणा		9.	सिरमौर	(1) करीपुर (2) दांगी	नहान
1.	भिवानी	(1) गिमनाऊ (2) भदरा	दादरी	10.	किन्नौर	(1) परवानी (2) रमानी	—
2.	फरीदाबाद	(1) मंझावाली (2) अंधोप	फलवल	11.	हमीरपुर	(1) सवाहाल (2) वारी	हमीरपुर
3.	अम्बाला	(1) सफेरा (2) मरोग	कालका ब्लाक	12.	उना	(1) बागरी (2) दधुसा	उना
4.	करनाल	(1) फुसगढ़ (2) काबरी	करनाल ब्लाक			जम्मू और कश्मीर	
5.	रोहतक	(1) लडियां (2) खरक जाटान	बहादुरगढ़	1.	अनन्तनाग	(1) तरायल (2) चेंगनाम	दाजीगढ़
6.	गुड़गांव	(1) सिलम (2) जमालपुर	नह	2.	बडगाम	(1) वाटा काटा (2) नथरू	बडगांव
7.	महेन्द्रगढ़	(1) भालखी (2) रीवासा	नारनौल	3.	बारामूला	(1) डंगरेपुर (2) गिगमल	बामदी पुरा
8.	हिसार	(1) मयार (2) चमारखेड़ा	हिसार ब्लाक	4.	सेह	(1) तगसमाचिक (2) तेवरजगाम	चोवियानसी
9.	जीन्द	(1) पोली (2) सच्चाखेड़ा	नरवाना ब्लाक	5.	दोदा	(1) सेरीपाली (2) थोपाल	दोदा
10.	सोनीपत	(1) बरीली (2) कसांधी	गोहाना	6.	श्रीनगर	(1) चिरवां (2) बकोरा	श्रीनगर
11.	कुरुक्षेत्र	(1) खुहार माजरा (2) धुराला	कैथल	7.	करगिल	(1) करमा (2) संजाली	करगिल
12.	सिरसा	(1) पोहराकन (2) खुरीयां मालकन	डबवाली	8.	कुपवारा	(1) कछावा (2) इम्रोतिना	कुपवारा
				9.	ऊधमपुर	(1) गोनादाली (2) बरवदी	ऊधमपुर

क्रम संख्या	जिले का नाम	ग्राम का नाम	शहरी खंड का नाम	क्रम संख्या	जिले का नाम	ग्राम का नाम	शहरी खंड का नाम
10.	जम्मू	(1) दीदीकाबे (2) गवनियलना	जम्मू	17.	शिमोगा	(1) कोलीमेल्लूर (2) मवीराकेर	रोलर
11.	कथुआ	(1) वीगरीली (2) बेकछला	कथुआ	18.	डूमकूर	(1) धालापुर (2) माहापुरा	दूरेवेकेरे
12.	राजादूरी	(1) बबलेन (2) राजनगर	नोषहेरा	19.	जसर कनारा	(1) बाकुईमाडला (2) तलवानी	कारवार
13.	पोंच	(1) भ्राछाद (2) मंगनेर	सुरनकोते			केरल	
14.	पुलवाना	(1) पोहामा (2) बारापोरा	तराल	1.	ईडुक्की	(1) इलाप्पेरा (2) सोमुपीने	मावाक्काड
		कर्नाटक		2.	कोजीकोडे	(1) चिथ्यार (2) फेरोके	बापावांशुगी
1.	नंगलौर	(1) डोडालेकालसासावेर (2) कागागीरनावल	हुस्कोली	3.	मलापुरम	(1) वाजाय्युर (2) रारोवेल्लूर	मलापुरम
2.	बेलगाम	(1) यल्लापुर (2) तुम्मुगारडी	दुमिगोले धनिगोल	4.	पलघाट	(1) पुडूकोड (2) अट्टायाम्मेशी	मोनारघाट
3.	बेल्तारी	(1) नोसापुर (2) गुपीगांव	बीरकुमुप्पा	5.	त्रिचूर	(1) मनुली (2) मामपिल्ली	कुन्नाकुकाम
4.	बिहार	(1) हन्नाली (2) ईल्हाल्ल	बिहार	6.	इर्नाकुलम	(1) विक्काकुन्नु (2) पिरामेनडोन	कोचूईकोर्प
5.	बीजापुर	(1) चेनागुरी (2) हाचयाल	बीजापुर	7.	कोट्टायाम	(1) मेल्लोर (2) वेकेल्हेनाई	कोट्टायाम
6.	चिकमंगलूर	(1) गोहरे (2) कापावकल्ली	काडूर	8.	मल्लेप्पी	(1) कोइलनुधु (2) पेचीथोर थोटिस	चिगान्नोर
7.	चिबादुर्गा	(1) काधगुड्डू (2) परेहाल्ली	कोलाटकरा	9.	क्यूल्लन	(1) पून्नाखंड (2) चीनामुचेर	क्यूल्लन
8.	दक्षिण करनारा	(1) बालगोडू (2) वेन्नेडी	मंगलूर	10.	त्रिवेन्द्रम	(1) त्रिवेल्लाम (2) कुलाथूर	नेय्यथरजुर
9.	धारवाड़	(1) कोटनूर (2) हीरेमंगलूर	कुडागल	11.	कन्नानोर	(1) थरीक्कानाराप (2) चेमानी	थरीक्कानाराप
10.	गुलबर्गा	(1) मंडारवाड़ (2) कंडागाल	गुलबर्गा			मध्य प्रदेश	
11.	हसन	(1) चुईलावाहली (2) मेरूर	मलूर	1.	मोरेना	(1) तोरकुवले (2) गायपारा	मुरैना
12.	कोडागू (कुर्ग)	(1) कोवेवालाडालू (2) निलिवागिलू	विराजपाट	2.	भिड	(1) चिलोल (2) चोराई	भिड
13.	कोलार	(1) मुडुवाडी (2) पदमधल्ली	कोलार	3.	ग्वालियर	(1) समुदन (2) बडेरा फुटकर	ग्वालियर शहर
14.	मांडया	(1) किरैगासूर (2) चेडगाल	मांडया	4.	दतिया	(1) कोलारा (2) चिटवा	दतिया
15.	मैसूर	(1) कोरबूर (2) कराथू	मंजीगुड	5.	शिवपुरी	(1) भाक्षेरा (2) ऐसवाया	शिवपुरी
16.	रायचूर	(1) खोलावाल (2) भाईराप्पू	शम्भोदुर्गा	6.	गुना	(1) बेहताभाट (2) बनसेरवास	गुना

क्रम संख्या	जिले का नाम	ग्राम का नाम	शहरी खंड का नाम	क्रम संख्या	जिले का नाम	ग्राम का नाम	शहरी खंड का नाम
4.	रत्नगिरी	(1) विवेकी (2) सदाया	रत्नगिरी			मणिपुर	
5.	नासिक	(1) मंभालेश्वर (2) टिटोली	नासिक	1.	मणिपुर उत्तर	(1) सलाम पत्तोंग (2) उटोंगलोक	---
6.	बुलिया	(1) भककलपाडी (2) सरावडे	बुलिया	2.	मणिपुर पूर्व	(1) फुईलॉंग (2) मांगीजरींग	---
7.	जलगांव	(1) विलवाडी (2) बावलदेसी	जलगांव	3.	मणिपुर दक्षिण	(1) पी० मेंटी (2) दुस्लायोन	द्विभाषटम संका
8.	अहमद नगर	(1) इंस्लाक (2) कलवाडी	अहमद नगर	4.	मणिपुर केन्द्रीय	(1) आंगजिग भान-2 (2) भरींग	इफाल
9.	पूना	(1) पटाऊ (2) कोडिट	पूना	5.	मणिपुर पूर्वी	(1) लमलाई खेगाऊ (2) चमुई	---
10.	सतारा	(1) सरासी (2) भटमडी	सतारा	6.	बेंगनोपाल	(1) बोंगसी (2) आईमोलकिंग-दंग	
11.	सांगली	(1) भनवाडी (2) कमलापुर	सांगली			मेघालय	
12.	शोलापुर	(1) सावगभनेर (2) शिंगली	शोलापुर	1.	पूर्वी खासी हिल्स	(1) पहाम रिओह (2) पीनटम	बिर्सांग
13.	कोल्हापुर	(1) जयलाट (2) सासगांव	कोल्हापुर	2.	पश्चिमी खासी हिल्स	(1) लुगिरी (2) मवालनखिनीर	पिडींभरा
14.	धीरंगाबाद	(1) चित्तेशूपालनर (2) सराय	धीरंगाबाद	3.	जंयतिया हिल्स	(1) जलजीह (2) मूम्यूट	जोमर ग्लाक
15.	परमानी	(1) पाचैगांव (2) रहाटी	परमानी	4.	पूर्वी गारो हिल्स	(1) बेंगेसी (2) अनेराई	जोम कलपीर
16.	भीर	(1) मेंड (2) कोलवाडी	भीर (ब्लक 30)	5.	पश्चिमी गारो हिल्स	(1) रंमागिरि (2) प्ररीगिरि	दूरा
17.	ननदेव	(1) डेरला (2) घनोरा	ननदेव			नागालैण्ड	
18.	उस्मानाबाद	(1) सरोलह (2) शौकापुर	उस्मानाबाद	1.	जुम्बेडोटो	(1) सटाखा (2) ---	---
19.	बुलधामा	(1) पलसाखंड नीगे (2) धीरगनबाबु	बुलधामा	2.	कोहिमा	(1) चेडेगा	कोहिमा
20.	भकोला	(1) यावल खेड (2) बडगांव	भकोला	3.	बोखा	(1) पींगीटोंग	---
21.	भमरावती	(1) रुंड रुवाडं (2) भवेड सुंगापुर	भमरावती	4.	मोको-कुचुंग	(1) शलिबा (2) मोंगेहेन	मोको-कुचुंग
22.	योडमाल	(1) कोंगहराय (2) भोरा	योडमाल	5.	ट्यूनसांग	(1) नोकियान (2) सोंगसोबोंग	---
23.	बर्धा	(1) डिधी (2) कोल्हापुर	बर्धा	6.	फेक	(1) न्यू फेक नाँब (2) के० बोले	---
24.	नागपुर	(1) बिबोली (2) रायबासा	नागपुर	7.	मोन	(1) चूई (2) शियोंग	---
25.	पंढारा	(1) बवहायूई (2) पालाडी	पंढारा			उड़ीसा	
26.	चन्द्रपुर	(1) चकनीईवासा (2) मेसा	चन्द्रपुर	1.	सम्बलपुर	(1) बाररांकी (2) फासानापुटी	सम्बलपुर
				2.	सुपेरगड	(1) रंगसेमरखा (2) सिखीपानी	सुपेरगड

क्रम संख्या	जिले का नाम	ग्राम का नाम	शहरी क्षेत्र का नाम	क्रम सं०	जिले का नाम	ग्राम का नाम	शहरी क्षेत्रों का नाम
3.	श्यामपुर	(1) बिसवेपाल (2) कुमुलबहली	टोडा	11.	भटिण्डा	(1) नरैन्द्रपुरा (2) करतारसिंह वासा	राजपुरा
4.	मजुरांज	(1) कैसीबाबा (2) बांदाभुषीर	बारीपोडा	12.	करीबकोट	(1) नांगल (2) गोगाई	मोथा
5.	बाशासोर	(1) टारटबा (2) जनागबाहे	बांसुवेवपुर	राजस्थान			
6.	कठक	(1) हिलभाने (2) टिकनपुरा	कठक	1.	गंगानगर	(1) 37 जी० ए० (2) 8 जी० बी०	गंगानगर
7.	वेनकमाल	(1) जारोकपुर (2) विगम्बर	इमकनाल	2.	बीकानेर	(1) नोकीडिग्रो (2) बसलामसरले	बीकानेर
8.	फूलवापी	(1) पटंगिया (2) गडेगम	बोड	3.	भरु	(1) बड़ा सरवाड़ा (2) धोजा सोड	भुरु
9.	बोलनगीर	(1) भिमती किगा (2) देसोरी	बोलनगीर	4.	झुगुं	(1) भालसर (2) गोथ	झुगुं
10.	कालाहांडी	(1) कालीमिट्टी (2) छरभती	कवापी पठना	5.	झलवर	(1) जड़ोली (2) मोस्तादाबाद	झलवर
11.	कोरापुट	(1) गाजीगांव (2) पेकोडाकुसुगदा	गुहारी	6.	भरतपुर	(1) नागलाभुआ (2) नौहारक	भरतपुर
12.	गंजाम	(1) सोने सोदेरा (2) पंगीडी	भजनगर	7.	सवाई माधोपुर	(1) मकोडा (2) गिस्ताबाद	सवाई माधोपुर
13.	पुरी	(1) झेल (2) झालसी	बेटापी	8.	जयपुर	(1) सोमावलहक (2) पलड़ी	जयपुर
पंजाब							
1.	गुरुदासपुर	(1) मेकीधी (2) छास्नी	झमेपुरा	9.	सिकर	(1) हूरवास (2) तयासर खेरोली	सिकर
2.	अमृतसर	(1) फेमोका (2) उध प्रोमख	तरल सारम	10.	अजमेर	(1) शिवनगर (2) मंगला	अजमेर
3.	फिरोजपुर	(1) मछी भुगारा (2) खुज दाल सिंह	काजिनका	11.	टीक	(1) भरखंडीपुर (2) रामचन्द्र	टीक
4.	झुझयाना	(1) खेमानी खुर्द (2) जसपुर	किला भोहस्ता	12.	जैसलमेर	(1) बलारार (2) मेरोजोध	जैसलमेर
5.	जलंधर	(1) चोक केलन (2) सोसरो	नेकोशर	13.	जोधपुर	(1) सावनता (2) धीरुई	जोधपुर
6.	कपूरथला	(1) अकाला (2) गुजाकसिया	कपूरथला	14.	जागीर	(1) थानु (2) करकेरी	जागीर
7.	होशियारपुर	(1) सटका (2) गासीमिटियो	मुभावनगर	15.	पाली	(1) सुन्दरबी (2) पीलराले त्वाला	पाली
8.	रोपड़	(1) मनाला (2) रायपुर	रुपनगर	16.	बाड़मेरी	(1) खुदसाग (2) सजीमामी	बाड़मेरी
9.	पटियाला	(1) हाजीपुर (2) फतेहगढ़	राजपुरा	17.	जांसीर	(1) कोराबा (2) मोहपुर	जांसीर
10.	संगरूर	(1) माचलबाद (2) कालागढ़	धुरीखण्ड	18.	सिरोही	(1) रेवा (2) केर	सिरोही
				19.	धीलवाड़ा	(1) गोकुलपुरा (2) गनराना	धीलवाड़ा

क्रम सं०	जिले का नाम	ग्राम का नाम	शहरी खंडों का नाम	क्रम सं०	जिले का नाम	ग्राम का नाम	शहरी खंडों का नाम
8.	बिजनौर	(1) जाहावाबाद (2) मोदेरा	बिजनौर	30.	आलीन	(1) भदाज (2) कुशमरा	उरई
9.	मुरादाबाद	(1) डावर खंड (2) शाहपुर	मुरादाबाद	31.	झांसी	(1) रामनगर (2) सिधोने खंड	झांसी
10.	बदायूं	(1) करनपुर (2) छट्थभा	उन्नाव	32.	हमीरपुर	(1) मारखामी (2) पञ्चारा	महोबा
11.	रामपुर	(1) हर नगला (2) चिकना	रामपुर बेस्ट-253	33.	बांदा	(1) धोमिलहिया (2) कुराखुद	बान्दा
12.	बरेली	(1) नगरिया सावल (2) गजरीला	बरेली	34.	बोरी	(1) बड़ागांव (2) सुन्दरबल	बख्शीपुर
13.	पीली-भीत	(1) मगरासा (2) जेधोरा कल्याणपुर	पीली-भीत	35.	सीतापुर	(1) नरायणपुर (2) बीबीपुर	सीतापुर
14.	शाहजहांपुर	(1) रामपुर (2) सतवाल खुरद	शाहजहांपुर	36.	हरदोई	(1) खाखनपुर (2) रहीमपुर	हरदोई
15.	देहरादून	(1) सेम्मी (2) सूधीनाला	देहरादून	37.	उन्नाव	(1) प्रताप (2) उंचागांव	उन्नाव
16.	सहारनपुर	(1) खाटाखेरी (2) रहमानपुर	गौगढ़	38.	लखनऊ	(1) मंडोली (2) बरगदी कोला	लखनऊ
17.	मुजफ्फरनगर	(1) नगला मुबारक (2) बिजौरपुरा	मुजफ्फर नगर	39.	रायबरेली	(1) लधु बामू (2) बोगवाई	जैल
18.	मेरठ	(1) कस्तनाद (2) मसौर	मेरठ	40.	बहराइच	(1) देवलाखा (2) चिचरी	बाँदापुरा
19.	बुधगढ़सहर	(1) इब्राहिमपुर (2) बहादुरपुर	बुरजा	41.	गौडा	(1) नौडोह (2) कोहार गोड्डी	मोरबोटुयन
20.	अलीगढ़	(1) रल्लाऊ गढ़ी (2) तिपास	अलीगढ़	42.	बाराबंकी	(1) धमडाहाक (2) लालगंज	पोर बतन
21.	मथुरा	(1) बाकमपुर (2) सारस	मथुरा	43.	फैजाबाद	(1) श्यामपुर (2) उधई	फैजाबाद
22.	भारगढ़	(1) गुड की मंडी (2) बसई	भारगढ़	44.	सुल्तानपुर	(1) दुर्गापुर (2) बथुपाड़ा	सुल्तानपुर
23.	एटा	(1) वरीलिया (2) मारगया	कामगंज	45.	प्रताप गढ़	(1) सोभाषा (2) जोगापुर	मल्लौ
24.	मैनपुरी	(1) बिलोन (2) ओजाबा	मैनपुरी	46.	इस्ती	(1) माहघाट (2) जंगल कला	बरती
25.	फर्रुखाबाद	(1) भारीली (2) फरीदपुर	कनौज	47.	गोरखपुर	(1) बंकट (2) सेनबसेरा	गोरखपुर
26.	इटावा	(1) किरातपुर (2) मुराजय	जमशतनगर	48.	विधौरिया	(1) कोटवा (2) बभनानली	विधौरिया
27.	कानपुर	(1) केवरिया (2) बरोखेड़ा	कानपुर	49.	धामगढ़	(1) सोडीपुर (2) भावनपुर	धामगढ़
28.	फतहपुर	(1) सिमरा (2) हरमाया	फतहपुर	50.	जौनपुर	(1) कलवारी (2) भगवानपुर	जौनपुर
29.	इलाहाबाद	(1) उसराली (2) जौरनात	इलाहाबाद	51.	बलिया	(1) पैधारिया (2) चारिका	बलिया
				52.	गान्धीपुर	(1) बरबारा कला (2) भदरासिंह	गान्धीपुर

क्रम सं०	जिले का नाम	ग्राम का नाम	कट्टरी संघों का नाम	क्रम सं०	जिले का नाम	ग्राम का नाम	कट्टरी संघों का नाम
53.	बाराणसी	(1) फुटिया (2) कुसेरा	बाराणसी	14.	बंकरा	(1) लक्ष्मण काटा (2) डकसुई कमलपुर	बंडरा
54.	मिर्जापुर	(1) परछा (2) बारासुर	मिर्जापुर	15.	मिदनापुर	(1) धंगरी (2) शास मूलवा	धमसागोड़ा
55.	कलितपुर	(1) खिलवपऊया (2) तराई	कलितपुर	16.	पुर्बिया	(1) नना (2) गोवाली कोल्हा	रफूनाबपुर
56.	गांधीवाबाब	(1) फाखिलपुर (2) खोरा	हापुड ब्लॉक	बलराम धीर निकोबार द्वीप समूह			
		पश्चिम बंगाल		1.	बंकरमान	(1) भुगापुर (2) फरारंग	दिलानोपुर
1.	बाबिलिन	(1) पत्रगंग बास महल (2) पबिषाट	बाबिलिन	2.	निकोबार	(1) गांधी नगर (2) असयती अचलाचल प्रदेस	
2.	जलपाई गुड़ी	(1) पश्चिम सतीली (2) उत्तर घस्टायाम	जोनोहारी	1.	कानंग	(1) लोपुर डियोग (2) बाभीबोक	बोखिया
3.	कूच बिहार	(1) डी० के० गोपालपुर (2) तुफान गंज	डोक्कबीगंज	2.	सुमानभी	(1) टोगा (2) सीरी	—
4.	पश्चिम विनासपुर	(1) बोहरा (2) पबंतपुर	गंगरामपुर	3.	सियांग	(1) जोमसोभागमूर्ई (2) पोषडी	अखोंग
5.	भामदा	(1) सिकातोई (2) तैसानी	इंगलिक बाजार	4.	बोहित	(1) जैको (2) मनमार	ताकू
6.	सुर्जीवाबाब	(1) सुई गाइका (2) पसाई	कृमुइल बाजार	5.	तिराप	(1) भोपमल (2) जैल्पा	—
7.	बाडिया	(1) इच्छापुर (2) बहादुरपुर	बगुल्पा	कच्छीपट्ट			
8.	24-ब्रगणा	(1) श्रीकृष्णपुर (2) सरवैरिया	कृष्णपुर	1.	कंठीपट्ट	(1) सुद्वो पखीसाह (2) बादू माथपा	कंठीपट्ट
9.	झाकड़ा	(1) कोमुया (2) गंगारामपुर	मनिकपुर	बाबरा धीर नागर हुबेकी			
10.	कलकला		1. आई०यू०सं० 129—ब्लाक 6 2. आई०यू०सं० 21—ब्लाक 6 3. आई०यू०सं० 47—ब्लाक 19 4. आई० य० सं० — 120 ब्लाक—13 5. आई० यू० सं० — 75 ब्लाक—6	1.	बाबरा धीर नगर हुबेकी	(1) अन्वीषी (2) धोरखाल	
				दिल्ली			
11.	हुगली	(1) गोपीनाथपुर (2) हुगली	धरानबाब	1.	दिल्ली	(1) चन्दन मोयका (2) कामपुर	1. फैलाक नगर 2. माया नगर 3. सनसाइट कालोनी 4. सफदरखंभ कलोनी 5. पांखी चौक
12.	बरकमान	(1) किघोटसा (2) कामालबैसा	बोईहल	गोवा, कनक धीर धीर			
13.	बीबूम	(1) दुलतीमुरी (2) बिधोमुरी	तखिया	1.	गोवा	(1) इमामपुर (2) मोफिगुरिण	बास्को
				2.	दमन	(1) नारायरी	—
				3.	दीव	(2) मुन्धकाका	

क्रम सं०	जिले का नाम	ग्राम का नाम	सहरी खंडों का नाम
		सलाहोप	
1.	सलाहोप	(1) छेटलढ (2) भगादटी	—
		दिजोरम	
1.	बिम्बुरपुर	(1) बुलापार्थ (2) लुंगफर	—
2.	एवबाल	(1) हैमेन (2) लुंगलंग	उबर

क्रम सं०	जिले का नाम	ग्राम का नाम	सहरी खंडों का नाम
3.	लुलेई	(1) लुनबुंग (2) बेलरत	लुलेई
		पांजिचेरी	
1.	कराईकल	(1) पेट्टिया (2) आरमबागरे श्रीर	कराईकल
2.	माहे	—	माहे
3.	पांजिचेरी	(1) मेपारो कपाल्ल (2) मोळीग्रामपेट	पांजिचेरी
4.	यालाम	—	यालाम

पिछवा भर्ग आयोग

भारत सरकार

सामाजिक-शैक्षिक सर्वेक्षण

(सील)

परिवार तालिका भरने के लिए दिशावर्त

ए—सामान्य

1. इस सर्वेक्षण के अन्तर्गत देश के प्रत्येक जिले में से दो नमूना गांव और एक शहरी ब्लॉक लिया जायेगा। चुने हुए क्षेत्र के सभी परिवारों का सर्वेक्षण किया जायेगा।

2. तालिका को यथासंभव अंग्रेजी से ही भरें। यदि ग्रन्थकों को अंग्रेजी न आती हो तो वे तालिका हिन्दी में भर सकते हैं।

3. सभी प्रविष्टियों को स्पष्टी से बड़े-बड़े और स्पष्ट अक्षरों में भरें।

4. अंकों की केवल जरेबहि अंकों में लिखें।

5. "परिवार तालिका" "ग्रामीण" और "शहरी" क्षेत्रों के लिए तैयार की गई है। "ग्रामीण" और "शहरी" शब्द तालिका के पहले पृष्ठ पर (बाईं ओर ऊपर कोने में) छपे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तालिका भरते समय "शहरी" शब्द को और शहरी क्षेत्रों के लिए तालिका भरते समय "ग्रामीण" शब्द को काट दें। तालिका का भाग 4-ए केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और भाग 4 बी केवल शहरी क्षेत्रों के लिये है।

6. इस सर्वेक्षण के अन्तर्गत "परिवार" से तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति समूह से है जो सामान्यतः एकट्ठे रहते हैं और आमतौर से एक ही रसोई में खाना खाते हैं। यदि परिवार का कोई सेवक भी उक्त वर्गीकरण में आता है तो वह भी परिवार का सदस्य माना जायेगा। गांव के प्रत्येक परिवार को, चाहे वह "जनगणना ग्रह" के अन्तर्गत आता है अथवा नहीं, भी इसमें सम्मिलित किया जायेगा।

7. यह मानकर कि सामान्यतः एक परिवार में 10 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, मदों के सामने 10 खाने दिये गये हैं। जिनमें प्रत्येक सदस्य का व्यौरा अलग-अलग भरा जायेगा। इन सबों के अन्तर्गत कुछ संभावित उत्तर की कोड संख्या एक खाने में दी गई है। प्रत्येक संख्या पर लागू कोड संख्या को चुनकर उसे संबंधित खाने में लिखें। इस बात की तालिका के भाग 2 की मद संख्या 11, 12, 17, 18 और 19 में स्पष्ट कर दिया गया है।

8. यदि परिवार के सदस्यों की संख्या 10 से अधिक हो तो उसके लिए एक अन्य तालिका भरकर मुख्य तालिका के साथ संलग्न कर दें।

9. राज्य, जिला, तहसील, गांव अथवा टाउन के लिए कोड वहीं रहेंगे जो राज्य की आर्थिक जनगणना में दिये गए हैं। इन्हें तालिका के आरम्भ में दी गई मदों के सामने दिये गये खानों में भरा जाये।

10. ग्रामीण तथा शहरी ब्लॉकों की तालिकाओं को भरकर सभी संबंधित जातियों के बारे में एक सूची तैयार की जाये और उन्हें भरी हुई तालिकाओं के साथ भेजा जाये।

(टिप्पणी :—इन दिशावर्तों में पैरा संख्याएं परिवार तालिकाओं की मद संख्याओं के समान हैं।)

बी—भाग 1—परिवार का विवरण

1. यदि एक से अधिक अन्वेषक एक गांव अथवा एक शहरी ब्लॉक के लिए रखे जाते हैं, तो "परिवार की क्रम संख्या" से संबंधित मद 1 को आरम्भ में खाली छोड़ दिया जाये। गांव अथवा शहरी ब्लॉकों में सभी परिवारों को लेने के बाद तालिकाओं पर क्रम संख्या एक से शुरू करने क्रमानुसार संख्या दी जानी चाहिये।

मद 2 (बी) तथा 2 (ई) के अन्तर्गत जातियों/पुस्तनी गुणों/उप-जातियों को प्रत्येक मद के सामने दिये गए खानों की लाइनों में बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा जाए। ऐसा करने समय, प्रत्येक खाने में केवल एक-एक अक्षर लिखा जाय।

2 (बी) (1) "पुस्तनी गुण" केवल गैर-हिन्दू परिवारों के लिये लागू है। इसे एक पृथक गुण समझा जाए जिसमें सामान्यतः कुछ आम सामाजिक परम्पराएं अथवा परम्परागत व्यवसायों को अपनाया जाता है।

2 (ई) (1) उप-जाति केवल हिन्दू परिवारों के लिए लागू होगी।

2 (बी) (2) इस मद के अन्तर्गत उन एक, दो अथवा तीन व्यवसायों के वास्तविक नामों का, जैसी भी स्थिति हो, उल्लेख किया जाय जो संबंधित परिवार की जाति से परम्परागत रूप से संबद्ध हों। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि परिवार का कोई सदस्य इस समय इनमें से किसी व्यवसाय में नहीं लगा है।

अनुबंध एक में सामान्य परम्परागत व्यवसायों की सूची कोड संख्याओं सहित दी गई है। इस अनुबंध से संबंधित कोड संख्या लेकर मद के सामने दिये गए खानों में भरी जाए।

4 (ए) "बोपड़ी" एक स्थायी कच्चा ढांचा भी हो सकती है। मकान दोनों प्रकार का यानी कच्चा या पक्का हो सकता है लेकिन उसका स्वरूप स्थायी होगा।

4 (बी) "पक्का मकान" यह होगा जो ईंट, पत्थर, टिम्बर और चूने से बनाया जाता है और जिसमें सीमेंट और गारे आदि सामान का प्रयोग किया जाता है।

मद संख्या 2 (सी), 2 (एफ), 4 (एफ), (1), 4 (एफ), (2), 4 (जी), 4 (एच), 4 (आई), 11, 12, 17, 18, 19, 24 (की), 26, 27, 49 और 50 के संबंध में कोड को प्रत्येक मद के सामने अनुबंध दो में दिया गया है। हर मद के सामने दिये गए कोड में केवल संबंधित कोड संख्या ही दी जानी चाहिये।

इनमें निम्नलिखित उदाहरण महत्वपूर्ण होगा। मद संख्या 4 (एफ) (1) का संबंध पीने के पानी के साधन की पूर्ति से है और सात संभावित साधनों की कोड संख्याओं को इस मद के अन्तर्गत दिया गया है। यदि साधन "हिन्दूपन्य" है तो कोड संख्या 4 को इस मद के सामने दिये गये खाने में भरा जाये।

ती—भाग दो—परिवार के सदस्यों का विवरण

10. आय केवल पूरे वर्षों में दी जानी चाहिये। सभी व्यक्तियों के लिए जो 99 वर्ष से अधिक हैं उनकी आय 99 लिखी जाये क्योंकि केवल दो खाने इस मद के सामने दिये गए हैं।

14. "कामगार" वह व्यक्ति है जो शारीरिक श्रमवा, मानसिक कार्य के जरिये आर्थिक रूप में उत्पादक कार्य करता है।

"मुख्य" तथा "सहायक" कार्य के अन्तर्गत अनुबन्ध 3 में दिया गया दो संख्या वाला कोड अपनाया जाए। किसी भी व्यक्ति द्वारा अपनाए गए व्यवसाय का कोड नम्बर अलग-अलग खाने में भरा जाए जो परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिये दिया गया है। (दो खाने परिवार के दस सदस्यों में से प्रत्येक सदस्य के लिये दिये गए हैं क्योंकि कोड दो संख्या वाला है)।

16. (ए) वेतन भोगियों के मामले में, वास्तविक दैनिक वेतन "मुख्य" तथा "सहायक" व्यवसाय के लिये अलग-अलग रूपों और पैतों में दिया जाए। दो खाने दस सदस्यों वाले परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिये दिए गए हैं। आमदनी रूपों में इन दो खानों में लिखी जाए।

20. यहां "कार्य प्राप्त" करने का अर्थ है कि संबंधित व्यक्ति द्वारा रोजगार प्राप्त करने के लिये समुचित और प्रदर्शनीय प्रयास किये जाते चाहिये थे।

दो—भाग तीन—5 से 15 वर्ष की आयु के गैर विद्यार्थियों के लिए साप्

21. 5 से 15 वर्ष तक की आयु के बच्चों को तालिका के भाग दो में दी गई समान क्रम संख्या को यहां लिखा जाए। स्थान केवल आठ बच्चों के लिये दिया गया है। यदि वास्तविक संख्या आठ से ज्यादा है तो अन्य तालिका मुख्य तालिका के साथ लगा दी जाए।

परम्परागत व्यवसायों की सूची

क्रम सं०	व्यवसाय	कोड	क्रम सं०	व्यवसाय	कोड
1.	निजी भूमि पर खेती	01	19.	लोहारगिरी	19
2.	पट्टे पर खेती	02	20.	सुनारगिरी	20
3.	खेतीहर मजदूर	03	21.	नाई	21
4.	सब्जी और फल लगाना और बेचना	04	22.	तेल निकालना	22
5.	बागवानी, फूल उगाना और बेचना	05	23.	मिट्टी के बर्तन बनाना	23
6.	मवेशी पालन	06	24.	ताड़ी निकालना	24
7.	भेड़ पालन	07	25.	सफाई करना	25
8.	मछली पालन	08	26.	परिचर्या और दाई का काम	26
9.	सुअर पालन	09	27.	चूना जलाने का काम	27
10.	कसाईखाना	10	28.	ज्योतिषी, हस्तरेखा विज्ञान और भविष्य वक्ता	28
11.	शिकार	11	29.	राजगीरी	29
12.	चर्म शोधन और चमड़े की वस्तुएं बनाना	12	30.	पत्थर काटना	30
13.	सूत, ऊन और रेशम कातना	13	31.	चूड़ी बनाना	31
14.	दर्जीगिरी	14	32.	जल बाहक	32
15.	कपड़ा रंगना और छापना	15	33.	धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ कराना	33
16.	कपड़ा धुलाई	16	34.	बहेलिया	34
17.	चटाई, रस्सी और डोल निर्माण	17	35.	अन्त्येष्टि क्रिया करवाना	35
18.	बढ़ईगिरी	18	36.	साहूकारी	36

सामाजिक-शैक्षिक सर्वेक्षण

कोड की सूची

(परिवार तालिका)

मद	कोड	मद	कोड
2 (सी) धर्म	हिंदू धर्म	1	11. शैक्षिक स्तर
	मुसलमान धर्म	2	अनपढ़
	ईसाई धर्म	3	शिक्षित परन्तु प्राइमरी से कम
	सिख धर्म	4	प्राइमरी
	बौद्ध धर्म	5	मिडिल
	जैन धर्म	6	सेकेन्ड्री
	अन्य	7	कृषि में स्नातक और उससे अधिक
2 (एफ)	अनुसूचित जाति	1	इंजीनियरी और प्रीद्योगिकी में स्नातक
	अनुसूचित जनजाति	2	और इससे अधिक
	अन्य पिछड़े वर्ग	3	चिकित्सा शास्त्र में स्नातक और उससे अधिक
4 (एफ) (1) पीने के पानी का मुख्य साधन	कुआं	1	अन्य विषयों में स्नातक और उससे अधिक
	नदी और नहर	2	अन्य (लिखें)
	पोखर	3	अधिक
	हैंडपम्प	4	अधिक
	तालाब	5	अधिक
	नल	6	अधिक
	अन्य (लिखें)	7	अधिक
4 (एफ) (2) घर से पानी मिलने के स्थान की दूरी	अहाते में	0	12. वैवाहिक स्थिति
	अहाते से बाहर 0.5 कि०मी० से कम	1	अप्रवाहित
	0.5 कि०मी० से 1.00 कि०मी० तक	2	विवाहित
	1.0 कि०मी० से 3.0 कि०मी० तक	3	विधवा
	3 कि०मी० से अधिक	4	तलाकमुदा/परित्यक्त
4 (जी) घर में रोशनी का मुख्य साधन	विजली	1	17. कार्य के स्थान की दूरी निवास स्थान पर
	मिट्टी का तेल	2	0.5 कि०मी० से कम
	दीया	3	0.5 कि०मी० से 1.0 कि०मी० के बीच
	कोई प्रकाश नहीं	4	1.0 कि०मी० से 3.0 कि०मी० के बीच
	अन्य	5	3.0 कि०मी० से 5.0 कि०मी० के बीच
4 (एच) खाना पकाने के लिए ईंधन का मुख्य साधन	उपले	1	5.0 कि०मी० से 10 कि०मी० के बीच
	लकड़ी	2	10 कि०मी० और उससे अधिक
	मिट्टी का तेल	3	18. रोजगार स्थिति
	कोयला	4	नियोक्ता
	गोबर गैस	5	कर्मचारी
	गैस	6	स्वनियोक्ता
	विजली	7	परिवार मजदूर
	अन्य	8	19. किस क्षेत्र में कार्यरत हैं
4 (आई) शौचादि की सुविधाएं	शुष्क	1	सरकारी (फैक्टरी)
	जल वाहित शौचालय	2	सरकारी (अन्य)
	सार्वजनिक	3	गैर सरकारी (फैक्टरी)
	खुला मैदान	4	गैर सरकारी (अन्य)
			24. (बी) स्कूल छोड़ने का कारण
			पढ़ाई में मन न लगना
			स्कूल में ठीक से न चल पाना
			फीस, पुस्तकें आदि के लिए पैसे न होना
			परिवार की भाय बढ़ाने के लिए
			मजदूरी कार्य शुरू करना
			माता पिता या स्वयं की बीमारी

मद	कोड
कृषि कार्य या व्यापार में परिवार को सहायता देना	6
स्वयं-का विवाह होना	7
जाने जाने में कठिनाई, शैक्षिक संस्थाओं का दूर-दराज क्षेत्रों में स्थित होना	8
अन्य (लिखें)	9
26. कार्य का स्थान	
फार्म में	1
घरेलू उद्योग	2
संगठित उद्योग	3
दुकान में सहायक	4
घरेलू/होटल में नौकर	5
अन्य (लिखें)	6
27. स्कूल न जाने का कारण	
स्कूल जाने के लिए बहुत छोटा होना	1
समीप में स्कूल सुविधाएं उपलब्ध न होना	2
पढ़ाई में रुचि न होना	3

मद	कोड
अधिक क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए बाध्य होना	4
अन्य कारण (लिखें)	5
49. ऋण लेने का कारण	
परिवार के दायित्वों को निभाने के लिए	1
व्यापार के लिए	2
बच्चों की शिक्षा के लिए	3
चिकित्सा खर्च के लिए	4
मकान बनाने के लिए	5
ट्यूबवैल लगाने के लिए	6
खाद और बीज खरीदने के लिए	7
भूमि खरीदने के लिए	8
अन्य (लिखें)	9
50. ऋण लेने का स्रोत	
बैंक/सहकारी बैंक सहित	1
सहकारी ऋण समिति	2
पंजीकृत साहकार	3
अन्य (लिखें)	4

आर्थिक कार्यशालाओं की सूची

क्रम संख्या	कोड	क्रम संख्या	कोड
1. कामनकारी	01	22. तम्बाकू उत्पादों को तैयार करना	22
2. खेतीहर मजदूर	02	23. गलीचा और दगे बुनना	23
3. उद्यान खेती	03	24. रुई मोटना, धुनना, रुई को उपयोगी बनाना और गांठें तैयार करना	24
4. सब्जी उगाना	04	25. हथकरघा से बुनाई	25
5. बागवानी	05	26. कागड़े की छपाई	26
6. डेरी फार्म	06	27. हौजरी और कशीदाकारी कार्य	27
7. सुर्गी पालन	07	28. लुगदी और कागज, गत्ता, हाथ से कागज के खिलौने बनाना	28
8. मधुमखड़ी पालन और रेशम के कीड़ों का पालन-पोषण	08	29. नारियल के रेशे से चटाई बनाना	29
9. फलों की खेती	09	30. बड़ईगिरी जिसमें लकड़ी का फर्नीचर बनाना, टोकरी बनाना, कुर्सों बुनना, चिक बनाना, खस-टट्टी बनाना आदि शामिल हैं	30
10. पशुपालन	10	31. चमड़ा और चमड़े की वस्तुओं का निर्माण	31
11. मिट्टी बर्तन बनाना	11	32. दर्जीगिरी, बर्दी बनाना और साज सामान का कार्य	32
12. लोहारगिरी	12	33. प्रोजार बनाना	33
13. सुतारगिरी	13	34. बिजली के काम	34
14. बड़ईगिरी	14	35. रबड़, रसायन, प्लास्टिक और उनके उत्पादों का निर्माण	35
15. वन उद्योग	15	36. संयोजन कार्य	36
16. शिकार करना	16	37. व्यापार और वाणिज्य	37
17. मछली पालन	17	38. परिवहन, भण्डारण और संचार	38
18. खनन	18	39. अन्य सेवाएं	39
19. खदान कार्य	19		
20. खाद्य पदार्थों का उत्पादन	20		
21. शराब, ताड़ी और अन्य मादक पदार्थों का उत्पादन	21		

**पिछड़ा वर्ग आयोग का सामाजिक-शैक्षिक सर्वेक्षण प्रयोग और परिवार
तालिकाओं को भरने के लिए अनुसूचक मार्गदर्शिका**

पिछड़ा वर्ग आयोग के सामाजिक-शैक्षिक सर्वेक्षण की प्रयोग और परिवार तालिकाओं के संबंध में निम्नलिखित विषयों को 9 और 10 जनवरी, 1980 को सम्पर्क अधिकारियों के सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श के संदर्भ में स्पष्ट किया जाता है।

यह स्पष्टीकरण तालिका भरने के बारे में पहले जारी हिदायतों के प्रतिरिक्त है।

राज्य सम्पर्क अधिकारियों और जिला सांख्यिकीय अधिकारियों से अनुरोध है कि वे क्षेत्र अन्वेषकों को तालिका भरने के संबंध में बताते हुए इन विषयों पर विशेष ध्यान दें:—

ग्राम तालिका

भाग I—सामान्य

1. अन्वेषक निम्न मद के सामने कोई प्रविष्टि नहीं करेंगे:

'किए गए सर्वेक्षण की तारीख को ग्राम की जनसंख्या'

भाग II—ग्राम सुविधाएं

2. (क) ग्राम तालिका के भाग II में दर्ज सुविधाएं पूरे गांव के लिए होंगी और न कि उन परिवारों के मामले में लागू होंगी जिनमें गांव के कुछ परिवारों को लिया जा रहा है।

(ख) उन मामलों में जहां ग्राम सुविधाओं के संबंध में हाल ही में किए गए आधिक सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी तत्काल उपलब्ध हो वहां तालिका के भाग-II में आधिक सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी भरी जानी चाहिए। यह उन ग्रामों पर लागू होगी जहां ग्राम तालिका भरने की तारीख तक आधिक सर्वेक्षण वास्तव में पूरा हो चुका हो।

भाग III(ए)

(क) गांव में रहने वाली प्रमुख जातियां/पुरतनी समूह/धार्मिक समूह

3. केवल कालम 2 (जाति/समूह इत्यादि का नाम) और कालम 8 (क्या खानाबदोश है) को भरा जाना चाहिए और शेष सभी कालमों को खाली छोड़ दें। ग्राम में जितनी भी जातियों का सर्वेक्षण किया गया हो उन सभी को कालम 2 में लिखें और इसी प्रकार कालम 8 में (हां/नहीं के रूप में) प्रविष्टि करें। 'धू खेतबाड़ी' करने वाली जातियों/वर्गों के बारे में कालम 8 में 'धू खेतीबाड़ी' लिखें।

भाग (बी)

ग्राम में सक्रिय संगठन/एसोसिएशन

4. इस सरणी में स्वैच्छिक/गैर-सरकारी संगठन/सामाजिक कार्यों में बगी एसोसिएशन/आर्थिक उत्थान/शैक्षणिक इकाई/किसी विशेष वर्ग के हितों की रक्षा/संस्थाएं चलाना और इसी प्रकार की सरकारी, अर्ध-सरकारी और सरकार द्वारा चलाई गई संस्थाएं भी शामिल होंगी।

बी. परिवार तालिका

1. स्थानीय कोड—सम्बद्ध राज्यों की आधिक जनगणना के अनुसार राज्य, जिला, तालुक/तहसील/ग्राम/मौजा/टाउन, बाडें/मोहल्ला के लिए कोड दिए जाएं। (इसका उल्लेख कोड के 1—11 खानों में किया जाए)

भाग (1) ¶

2. (1) मद 2 (बी) (1) केवल हिंदू और सिखों के सम्बन्ध में जाति भरी जाए और अन्य धार्मिक समुदायों के संबंध में पुरतनी भूप के लिए भरा जाए। (जाति के लिए 18—42 तक और पुरतनी भूप के लिए 43—67 तक कोड खाने हैं)

यदि कोई पुरतनी भूप/विशेष जाति बहुमामों से जानी जाती हो, तो प्रत्येक नाम के बीच में 'डैस' लगाते हुए पूरा बहुनाम भरा जाए। 'डैस' प्रलग-प्रलग नामों के बीच एक खाने में भरा जाए। जैसे ब्राह्मण गड्डी के संबंध में 'ब्राह्मण-गड्डी' भरा जाए, सुबी गूजर के संबंध में 'सुबी-गूजर' भरा जाए।

2 एक (कोड खाना 193)

3. यहाँ सूचना अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सांख्यिक सूची पर आधारित होनी चाहिए, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राज्य सूची के अनुसार, जो सरकारी स्तर पर अधिसूचित हुई होनी चाहिए। जहाँ अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कोई राज्य सूची न हो, वहाँ कुछ न भरा जाए।

मद 3 (कोड खाना 202)

4. कृषि योग्य भूमि से तात्पर्य सर्वेक्षण की तारीख से एक वर्ष पूर्व कुल बोई गई भूमि और वर्तमान परती भूमि क्षेत्र से है।

मद 4(सी) (कोड खाना 265)

5. 99 वर्ष के पट्टे के आधार वाली भूमि पर निमित्त मकान को 'निजी' के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

मद 4(डी) (कोड खाना 266)

99 साल के पट्टे को 'निजी' समझा जाएगा।

मद 5 (कोड खाना 274—278)

6. जहाँ परिवार की कुल आय 1,00,000 रु० या इससे अधिक है, वहाँ 99,999 की संख्या दर्ज की जाएगी।

(विदेश से प्राप्त धनराशि, प्रतिभूतियों पर ब्याज की राशि इत्यादि आय में सम्मिलित होगी)

भाग 2

मद 11 (कोड खाना 369—328)

7. जहाँ शिक्षा का वर्गीकरण 'अन्य' (कोड 10) के रूप में किया गया हो वहाँ सम्बद्ध खाने में केवल 10 लिखा जाए और शिक्षा स्तर के बारे में न लिखा जाए।

मद 13 (कोड खाना 339-358)

8. विवाह के समय की आयु का तात्पर्य पहले विधिवत् विवाह के समय की आयु से है।

मद 14(ए) (कोड खाना 359-378)

9. मुख्य व्यवसाय के बारे में भरते समय उस व्यवसाय को भरा जाए जिस पर सर्वेक्षण की तारीख से एक वर्ष पूर्व अधिकतम समय लगाया गया है।

मद 16(ए) (कोड खाना 409-428 और 429-448)

10. दैनिक मजदूरी दर वर्ष का औसत दैनिक मजदूरी दर होगी।

मद 18 (कोड खाना 519-528)

11. (i) नियोजता (कोड-1) वह व्यक्ति होगा जिसने कम से कम एक व्यक्ति को मजदूरी पर रखा है, स्वनियोजता (कोड-3) वह व्यक्ति होगा जो एक भी व्यक्ति को मजदूरी पर नहीं रखता।

(वह व्यक्ति जो स्वयं कार्य करता है लेकिन यदि वह नकद मजदूरी प्रणया वस्तु के बचने में दूसरे व्यक्ति को सहायता देता है, स्वनियोजता के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा बल्कि नियोजता के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा।

(ii) हिवायलों के समुच्चय तीन में दिए गए प्राथिक कार्यकलापों के कोडों में कोड 36 को 'निर्माण कार्य' के रूप में पढ़ा जाए न कि 'संयोजन कार्य' के रूप में।

(iii) जहाँ प्राथिक कार्यकलापों को सूची में दिए गए कोड संरचना के अनुसार नहीं लिखा जा सकता है वहाँ बाकी कोड '40' लिखा जाए (इसे भाग-2 की मद संख्या 14 और 16 के संदर्भ में दिया गया है)।

पृष्ठ 3

12. भाग तीन उन गैर विद्यार्थी वर्गों पर लागू होगा जिन्होंने पूरी तरह पढ़ना छोड़ दिया हो परन्तु जो सर्वेक्षण के समय किसी विधिवत् संस्था में गए बिना घर पर ही संगीत; नृत्य अथवा उसी प्रकार के अन्य कला कौशल सीखते रहे हों। परन्तु गैर विद्यार्थियों में, 5 से 15 वर्ष

की आयु का विद्यार्थी निजी किसी मान्यता प्राप्त अथवा अमान्यता प्राप्त संस्था में वस्तुकारी (अर्थात् बुनाई, गलीचा बनाना/मिट्टी के बर्तन आदि) का प्रशिक्षण ले रहा हो, शामिल नहीं होगा।

भाग 4 (सामान्य)

13. 'परिसम्पत्ति' के विवरण के अंतर्गत भाग ए और भाग बी को परस्पर सम्मिलित नहीं माना जाएगा। यदि ग्रामीण नमूना यूनिट में रह रहे एक परिवार की किसी शहरी क्षेत्र में संपत्ति है तो भाग-बी भरा जाएगा। इसी प्रकार, यदि शहरी नमूना ब्लाक में रह रहे परिवार की किसी ग्रामीण क्षेत्र में सम्पत्ति है तो भाग-ए भी भरा जाएगा।

मद 44(1) (कोड के खाने 752, 753, 757)

14. यूनिटों की कुल संख्या श्रेणी का विचार किए बिना (अर्थात् साइकिल/मोटर साइकिल/कार आदि) कोड के खाने 752 में दी जानी है। सभी यूनिटों का कुल मूल्य कोड के खाने 753 और 757 में दिया जाना है। परन्तु यह उपयोगी होगा यदि 44(1) में दिए गए विशेष वाहन के साधन पर निशान लगाया जाए, अर्थात् यदि एक परिवार के पास केवल एक साइकिल है तो कोड के खाने 752 में '1' लिखा जाए और 'साइकिल' के ऊपर निशान लगाया जाए, यदि एक परिवार के पास 2 साइकिल और एक मोटर कार है तो कोड के खाने 752 में '3' लिखा जाए और 'साइकिल' तथा 'मोटर कार' प्रत्येक पर निशान लगाया जाए।

मद 44(4) के सामने (कोड के खाने 782, 783, 787)

15. मूल्य के बारे में कोड के खाने 783-787 में कोई प्रविष्टि नहीं की जायेगी।

भाग 5—ऋणप्रस्तुता (सामान्य)

16. गृह निर्माण और/या वाहन खरीदने आदि के लिए सरकारी स्रोतों से लिए गए ऋण भी शामिल किए जाएं, मूल्य कोड के खाने 810-810 (मद-48) के सामने लिखें।

17. मद 49 के सामने, यदि ऋण वाहन खरीदने के लिए लिया गया है तो बिना कोई कारण बताए कोड '9' लिखा जाए।

18. मद 50 के सामने (अर्थात् कोड खाने—817)—यदि सरकारी स्रोत है तो बिना स्रोत बताए अन्य के बारे में कोड 4 लिखें।

पिछड़ा वर्ग आयोग

सांसाजिक-संरक्षणक संवर्क्षण

तालिकाओं की संवर्क्षा के लिए विशेष अनुवेस

निम्नलिखित सारणी पर्यवेसकों द्वारा जिला स्तर पर प्रयोग में लाई जाए । क्षेत्र में कार्य करने वाले अनुवेसक द्वारा तालिकाएँ देने के तुरंत बाद निम्नलिखित मुद्दों के अनुसार प्रत्येक परिवार तालिका की जांच की जानी चाहिए । यदि क्षेत्र में पुनः जांच के दौरान किन्हीं कमियों को दूर करना अपेक्षित हो, तो तालिकाओं की पिछड़ा वर्ग आयोग के मुख्यालय, नई दिल्ली में निदिष्ट तारीख तक भेजने से पहले उन्हें क्षेत्र में ही पूरा कर दिया जाए ।

परिवारों की क्रम संख्या

2. यह महत्वपूर्ण है कि एक ग्राम या शहरी खंड में जाने वाले परिवार को दो जाने वाली क्रम संख्या ठीक से दी जाए, चूंकि संभवतः एक ग्राम/शहरी खंड में एक से अधिक अनुवेसकों को कार्य करना है । संवर्क्षण आरंभ करने से पहले ही विशेष ग्राम/शहरी खंड के सभी परिवारों के लिए एक से आरंभ होने वाली क्रम संख्या 1 लिखी जानी चाहिए, न कि अनुवेसकवार लिखी जानी चाहिये । इसलिए किसी विशेष ग्राम/शहरी खंड के लिए परिवार की क्रम संख्या एक होनी चाहिये । ग्राम/शहरी खंड में कार्य कर रहे सभी अनुवेसकों द्वारा कार्य पूरा करके वापस आने पर उस ग्राम/शहरी खंड की सभी परिवार-तालिकाओं की जांच की जाए ।

लोकेशन कोड

3. यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि किसी भी परिवार से एक बार से अधिक बार पूछताछ न की जाए । यह जांच कर ली जाए कि कोड खाने 1—11 में राज्य/जिलों/ताल्लुक/तहसील/ग्राम/भौजा/नगर/वाडें/भोहल्ला के विवरण के लिए सही आथिक जनगणना कोड का प्रयोग किया गया है ।

ग्रामीण/शहरी परिवार

4. परिवार तालिकाओं के दाहिने कोने के ऊपर, जैसा भी मामला हो, 'ग्रामीण' या 'शहरी' शब्द पर निशान लगाया जाए । ग्रामीण परिवारों के मामलों में यह जांच कर ली जाए कि ताल्लुक/तहसील से सम्बद्ध कोड खाने 5 और 6 तथा ग्राम/भौजा से सम्बद्ध 7 से 9 के कोड खाने सही-सही भरे हैं ।

5. यदि 'शहरी' शब्द पर निशान लगाया गया है, तो यह जांच करें कि कोड खाने 7 से 9 तक में शहरों के लिए और कोड खाने 10 और 11 में वाडें/भोहल्ला के लिए आथिक जनगणना कोड से उचित प्रविष्टि की गई है ।

भाग 1, प्रश्न 2 (बी) (कोड खाना) 15-16, भाग 2

6. प्रश्न 6 और 7 में दिए गए सदस्यों की वास्तविक संख्या के सामने परिवार के आकार की प्रविष्टि की जांच करें ।

प्रश्न 2(सी) (कोड खाना 17)

7. धर्म के संबंध में यदि प्रविष्टि 'हिन्दू' है तो प्रश्न 2(डी) में पुरतैनी गुप काट दिया जाए और जाति का नाम कोड खाने (18—40) में भरा जाए, यदि प्रविष्टि 2(सी) में गैर-हिन्दू धर्म भरा है तो जांच करें कि प्रश्न 2(डी) में 'जाति' काट दिया गया है और कोड खाना 43—67 में उचित पुरतैनी गुप भर दिया गया है । इसी प्रकार यह जांच करें कि प्रश्न 2(ई) के संबंध में कोड खाने 118 से 142 तक भरे गए हों तो 2(जी) में धर्म के संबंध में केवल हिन्दू (अर्थात् कोड 1) भरा गया हो ।

प्रश्न 2(ए) (कोड खाना 194)

8. यदि उत्तर 'नहीं' (कोड 2) है, तो यह जांच करें कि प्रश्न 2 (जी) (2) कोड खाने 195—200 नहीं भरे गए हैं ।

प्रश्न 3 (कोड खाना 202)

9. यदि उत्तर 'नहीं' है तो यह जांच करें कि प्रश्न 2(ए) (बी) (सी) (डी) (कोड खाने 203—262) नहीं भरे गए हैं ।

भाग 2

प्रश्न 14 (कोड खाने 359—378, 379—398)

10. यह जांच करें कि क्या उपर्युक्त खाने (399—408) भर दिए गए हैं ।

प्रश्न 15(ए) (कोड खाने 409—428, 429—448)

11. यदि खाने 399—408 में '2' (दूसरों के लिए कार्य) का उल्लेख किया गया हो तो यह जांच करें कि प्रश्न 16(ए) के उत्तर में (कोड खाने 409—428, 429—448) उचित खाने भर दिए गए हैं । इसी प्रकार प्रश्न 16(बी) (कोड खाने 449—478 और 479—508) में संगत प्रविष्टि की जानी चाहिये ।

प्रश्न 18 (कोड खाने 519—528)

12. यदि 'स्वनियोजता' (कोड 3) हो तो यह जांच करें कि उपर्युक्त खाने में प्रश्न 16(ए) में कोई प्रविष्टि नहीं की गई है और कोड 1 (स्वयं के लिए कार्य करना) भरा गया है ।

प्रश्न 19 (कोड खाने 529—538)

13. यदि प्रश्न 18 (खाने 519—528) के किसी भी खाने में कोड 1, 3, 4 का प्रयोग किया गया हो तो प्रश्न 19 (कोड के खाने (529—538) में कोड संख्या 1 नहीं भरी जानी चाहिए ।

प्रश्न 20 (कोड खाने 539—548)

14. इसकी जांच कर लें कि प्रविष्टियां प्रश्न 20 (कोड खाने 539—548) में केवल तबही की जाए जबकि कोई प्रविष्टि प्रश्न 14—19 में विशेष क्रम संख्या के अंतर्गत न हों ।

भाग 3

प्रश्न 21 (कोड खाने 549—564)

15. इसकी जांच कर लें कि परिवार के सदस्यों की क्रम संख्याएं प्रश्न 6 भाग 2 की क्रम संख्याओं से मिलती हैं। इसकी भी जांच कर लें कि प्रश्न 21 में दी गई क्रम संख्या में परिवार के उस सदस्य को शामिल न किया गया हो जिसके मामले में प्रश्न 10 पैरा 2 (कोड खाने 289—308) में आयु 5 वर्ष से कम तथा 15 वर्ष से अधिक दिखाई गई हो।

प्रश्न 24(ए) (कोड खाने 589—604)

16. इसकी जांच कर लें कि पढ़ना छोड़ देने वाले की आयु की

प्रविष्टि के साथ कारणों के बारे में प्रश्न 24(बी) (कोड खाने 605—612) में समान प्रविष्टि है।

प्रश्न 25 (कोड खाने 613—620)

17. प्रश्न 14 की प्रविष्टि से प्रविष्टि मिला लें। यदि प्रश्न 14 में 'कामगार' बताया गया है, तो प्रश्न 25 में प्रविष्टि होनी चाहिये।

प्रश्न 27 (कोड खाने 629—636)

18. यदि प्रविष्टि कर ली गई है, तो इसकी जांच कर लें कि समान प्रविष्टि प्रश्न 22 (कोड खाने 565—572) में मौजूद है, तथा यह प्रविष्टि 'नहीं' (कोड खाना 2 है)।

तफतीकी समिति की उप समिति के सदस्यों की सूची

1. प्रो० बी० के० रायचर्मन,
विश्वभारती,
श्रीनिकेतन,
बीरभूम, प० बंगाल ।
2. प्रो० योगेन्द्र सिंह,
सामाजिक प्रणाली का अध्ययन केन्द्र,
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय,
नई दिल्ली ।
3. श्री जी० ए० कुलकर्णी,
केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन,
नई दिल्ली ।
4. डा० एन० आर० पार्षदारथी,
संयुक्त निदेशक, पिछड़ा वर्ग आयोग
नई दिल्ली ।

पिछड़ा वर्ग आयोजन
सांसात्विक-शैक्षणिक कार्यक्रम
सारभित्तों की अतिरिक्त सुची

प्रत्येक सारणी के अन्त में यह आवश्यक है कि :

- (1) राज्य का योग तथा शीसत, जहाँ की आवश्यक हो, दिया जाना चाहिए, और
 - (2) प्रत्येक जाति के लिए, उपयोग दिया जाना चाहिए और उप-श्रेणियों तथा जाति में आवश्यक शीसत तथा प्रतिशत निकालना चाहिए।
1. गांव/सहरी ञण्ड तथा जिलावार परिवारों का वितरण :—
 2. वैकल्पिक नामों सहित जातियों के नाम।
 3. परिवारों की संख्या का जातिवार वितरण, पुरुषों और स्त्रियों में व्यक्तियों की संख्या और परिवार का शीसत आकार तथा भ्रव्यों द्वारा पिछड़े के रूप में माने गए परिवारों का प्रतिशत।
 4. परिवार के मुखिया की शिक्षा के विभिन्न स्तरों के अन्तर्गत भूमिधारण का आकार सहित परिवारों का जातिवार वितरण।
 5. विभिन्न पुस्तैनी व्यवसायों तथा भूमि के स्वामित्व के अन्तर्गत परिवारों का जातिवार वितरण।
 6. बास भूमि के स्वामित्व का जातिवार वितरण, श्रेणीवार मकान की किस्म तथा निर्माण सामग्री, और पुस्तैनी व्यवसाय।
 7. मुखिया की शिक्षा प्राप्त सहित पीने के पानी का स्रोत और जातिवार वितरण।
 8. प्रत्येक पुस्तैनी व्यवसाय के लिये पीने के पानी के मुख्य स्रोतों की दूरी का जातिवार वितरण।
 9. काम करने वाले और न काम करने वालों का जातिवार वितरण।
 10. धर्म/जाति/पैतृक गुण/शैक्षणिक योग्यता, आयु और लिंगवार जनसंख्या।
 11. प्रत्येक जाति के लिए स्त्री-पुरुषवार शिक्षा प्राप्त गुणों के अन्तर्गत जनसंख्या की संख्या तथा प्रतिशत वितरण।
 12. धर्म/जाति/पैतृक गुण/मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप और स्त्री-पुरुषवार जनसंख्या।
 13. धर्म/जाति/पैतृक गुण/सहायक, आर्थिक क्रियाकलाप और स्त्री-पुरुषवार जनसंख्या।
 14. स्त्री-पुरुषवार धर्म/जाति/शैक्षणिक योग्यता और कार्य सहभागिता दर।
 15. धर्म/जाति/पैतृक गुण/विवाह के समय आयु और स्त्री-पुरुषवार जनसंख्या।

16. धर्म/जाति/पैतृक गुण/शैक्षणिक योग्यता/विवाह के समय आयु और स्त्री-पुरुषवार जनसंख्या।
17. धर्म/जाति/पैतृक गुण/मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप और स्त्री-पुरुषवार स्वयं के लिए/धर्मों के लिए शारीरिक काम करने वाले मजदूरों का प्रतिशत।
18. धर्म/जाति/पैतृक गुण/परिवार के सदस्यों की शैक्षणिक योग्यता, और स्त्री-पुरुषवार स्वयं के लिये/धर्मों के लिये कार्य कर रहे शारीरिक मजदूरों का प्रतिशत।
19. मुख्य तथा सहायक आर्थिक क्रियाकलापवार पुरुषों तथा महिलाओं के लिये मजदूरी दरें।
20. लिंगवार विभिन्न व्यवसायों में प्रतिवर्ष आर्थिक कार्यकलाप के दिवस।
21. धर्म/जाति/पैतृक गुण/पुस्तैनी व्यवसायवार कामगार और उनकी रोजगार स्थिति।
22. धर्म/जाति/पैतृक गुण/व्यवसाय 5 से 15 वर्षों के बीच के गैर-विद्यार्थी, जो कभी स्कूल नहीं गए और स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने के वर्षों की संख्या।
23. धर्म/जाति/पैतृक गुण/व्यवसाय 5—15 वर्षों के गैर-विद्यार्थी जो कभी स्कूल नहीं गए और उसके कारण।
24. धर्म/जाति/पुस्तैनी गुण/मुखिया की शिक्षा 5—15 वर्षों के गैर-विद्यार्थी, जो कभी स्कूल तो गए परन्तु पढ़ना छोड़ दिया, पढ़ना छोड़ने के कारण और पढ़ना छोड़ने के समय शीसत आयु।
25. धर्म/जाति/पैतृक गुण/पुस्तैनी व्यवसाय/5—15 वर्षों के गैर-विद्यार्थी, जो कभी स्कूल नहीं गए और उसके कारण।
26. धर्म/जाति/पैतृक गुण/पुस्तैनी व्यवसायवार शीशारों का स्वामित्व।
27. धर्म/जाति/पैतृक गुण/पुस्तैनी व्यवसायवार प्रति परिवार की परिसम्पत्ति का शीसत मूल्य।
28. धर्म/जाति/पैतृक गुण/मुखिया की शिक्षा प्राप्त, परिवारों का ऋण लेना तथा ऋण की मादा तथा प्रति व्यक्ति ऋणधरता।
29. धर्म/जाति/पैतृक गुण/द्वारा लिये गए ऋण का स्रोत और उसके कारण तथा पुस्तैनी व्यवसाय।
30. जाति/पुस्तैनी व्यवसाय, परिवारों के सदस्यों की शिक्षा प्राप्त तथा उनका वर्तमान व्यवसाय।
31. धर्म/जाति/परिवारों की संख्या/पुस्तैनी व्यवसाय अपनाते वाले और उनका साहित्यिक स्तर।

